लोक सभा वाद-विवाद

हिंदी संस्करण

(आठवां सत्र)

(खंड 27 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,

नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 20 अप्रैल, 1982/30 चैत्र, 1904 (शक)

का शुद्धि-पत्र

विषय-सूची, प्रथम पृष्ठ, पंक्ति 17 में माननीय सदस्य का नाम "श्री अजित कुमार साहा" पढ़िये ।

पृष्ठ 11, पंक्ति 8 में माननीय सदस्य का नाम "श्री जगदीश टाईटलर" पढ़िये ।

पृष्ठ 19, पंक्ति नीचे से आठ में मानीय सदस्य का नाम "श्री जगदीश टाईटलर" पढ़िये ।

पृष्ठ 197, नीचे से पंक्ति 6 में "माननीय सदस्य का नाम "श्री अजित कुमार साहा" पढ़िये ।

विषय-सूची

अंक 39, मंगलवार, 20 अप्रैल, 1982/30 चैत्र, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
मौखिक उत्तर :	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या 775, 776 और 778 से 782	
लिखित उत्तर :	20—196
*तारांकित प्रश्न संख्या 783 से 796	
अतारांकित प्रश्न संख्या 8531 से 8675 और 8677 से 8764	
दिनांक 15-12-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3728 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	192
दिनांक 2-3-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	192
दिनांक 9-3-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2546 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	193
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	196—197
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	197—213
बम्बई में कपड़ा मिलों में श्रमिकों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल तथा सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई	
श्री अजीत कुमार साहा	197
श्री भागवत झा आजाद	200
श्री राम विलास पासवान	203
श्री अजित बाग	207
श्री सुधीर गिरि	210
नियम 377 के अधीन मामले	213—225
(एक) दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना	213
श्री एच० के० एल० भगत	
(दो) फरीदाबाद की पत्थर की खदानों में कर्मकारों की शिकायतें	216
प्रो० मधु दण्डवते	
(तीन) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारी पानी उपलब्ध कराने के लिए उपायों की आवश्यकता	216
श्री अर्जुन सेठी	
(चार) जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आये लोगों को नागरिकता प्रदान करने संबंधी एक विधेयक को जम्मू और काश्मीर विधान सभा द्वारा पास किये जाने का समाचार	217
डा० कर्ण सिंह	

*किसी नाम पर अंकित यह † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) तमिलनाडु को डीजल की सप्लाई करने में तेजी लाने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता	218
श्री ईरा मोहन	
(छः) ब्रिटेन का दौरा करने वाली क्रिकेट टीम का चयन	219
श्री कमलनाथ	
(सात) आसनसोल-रानीगंज, दुर्गापुर क्षेत्र की टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उपायों का आवश्यकता	220
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	
(आठ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कुछ ब्लाकों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए उपाय	220
श्री बी० डी० सिंह	
(नौ) पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता	221
श्री रामलाल राही	
(दस) बिहार में कोल्हन की लौह अयस्क खानों का राष्ट्रीयकरण	222
श्री रामावतार शास्त्री	
(ग्यारह) भू-संरक्षण के उपाय करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता	224
श्री लक्ष्मण मलिक	
अनुदानों की मांगें, 1982-83	225—287
संचार मंत्रालय	
श्री सुशील भट्टाचार्य	225
श्री हरीश रावत	230
श्री उत्तम राठौर	234
श्री सूरजभान	238
श्री चिंगवांग कोनयक	244
श्री अनन्त रामुलु मल्लु	245
श्री राम विलास पासवा	248
श्री दिलीप सिंह भूरिया	254
श्री चन्द्र पाल शैलानी	257
श्री विजय कुमार यादव	260
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	263
श्री बनवारी लाल बैरवा	265
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	268
श्री रामनाथ दुबे	271
श्री मूलचंद डागा	273
श्री जयपाल सिंह कश्यप	276
श्री सन्तोष मोहन देव	277
श्री शिव कुमार सिंह ठाकु	279
श्री गिरधारी लाल व्यास	282
श्री रामावतार शास्त्री	284
श्री सत्यनारायण जटिया	285
सभा पटल पर रखे गये पत्र	287

लोक सभा

मंगलवार, 20 अप्रैल, 1982/30 चैत्र 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कृषि में प्लास्टिक्स का प्रयोग

*775. **श्री भीकू राम जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि में प्लास्टिक्स के प्रयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने लोहे, इस्पात और सीमेंट जैसे सामान के अधिक उपयोग को कम करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग बढ़ाने के प्रस्ताव दिये हैं; और

(ख) इस कार्य के लिए आधुनिक प्रौद्योगिक तथा वैज्ञानिक तरीकों के विकास हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीकू राम जैन : तत्कालीन मंत्री श्री प्रकाश चन्द्र सेठी ने सितम्बर, 1981 में प्लास्टिक निर्माता संघ की बैठक में कहा था कि कृषि के क्षेत्र में प्लास्टिक के प्रयोग को काफी बढ़ावा देने के लिए योजना आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और यह कि सरकार चाहती है कि इसके प्रयोग को बढ़ावा मिले। उस समिति का क्या हुआ तथा उस समिति के विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला है ? क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मुद्दा यह है कि, यह सच है कि भारत सरकार ने 7 मार्च, 1981 को श्री जी० वी० के० राव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था । इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष है और अब तक इसकी दो बैठकें हो चुकी हैं ; एक 8 मई, 1981 को और दूसरी 18 दिसम्बर, 1981 को। इस प्रकार दो वर्ष की अवधि 6 मार्च, 1983 को समाप्त होगी। उसे अन्तरिम प्रतिवेदन देने का अधिकार है। परन्तु अब तक कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हम निश्चय ही उसकी जांच करेंगे। सरकार स्वयं यह चाहती है कि प्लास्टिक का प्रयोग कृषि के क्षेत्र में हो ।

श्री भीकू राम जैन : मैंने प्रश्न के (ख) भाग में पूछा था कि इस कार्य के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीय तथा वैज्ञानिक तरीकों के विकास के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है "प्रश्न नहीं उठता" । मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे कृषि उद्योग में प्लास्टिक के प्रयोग को बढ़ावा देना भी चाहते हैं कि नहीं ? क्या माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमरीका और जापान जैसे विकसित देशों में प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत 60 किलो है जब कि इसकी तुलना में भारत की खपत एकदम नगण्य केवल $\frac{1}{2}$ किलो है । क्या उनको यह भी जानकारी है कि 'कैनाल लाइनिंग्स' के लिए प्लास्टिक के प्रयोग से 20% से 30% तक सीमेंट बचाई जा सकती है और इसका प्रयोग 'ड्रिप' सिंचाई प्रणाली तथा अन्य कई प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है और उससे इस्पात, सीमेंट और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों की बचत की जा सकती है ?

श्री पी० शिवशंकर : जब मैंने प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दिया तो इसका अर्थ यह था कि वह उत्तर भाग (क) से जुड़ा हुआ है ।

श्री भीकू राम जैन : इसका समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है । मैं इसके ब्यौरे को जानना चाहता हूं ।

श्री पी० शिवशंकर : जब तक समिति अपने प्रतिवेदन में सुझाव नहीं देती है तब तक इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाना हमारे लिए सम्भव नहीं है । इसीलिए प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर 'प्रश्न ही नहीं उठता' दिया गया है । मेरे माननीय मित्र ने विदेशों में प्लास्टिक की खपत के बारे में जो कुछ कहा है उस पर मैंने निश्चय ही ध्यान दिया है । समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : प्लास्टिक के निर्माता और विक्रेता के रूप में क्या माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि···

श्री पी० शिवशंकर : यह मेरे लिए एक समाचार है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप विक्रेता भी नहीं हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने समझा आप विक्रेता हैं ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि कई अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चला है कि न केवल जलमार्ग बनाने के लिए अपितु शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जलमार्गों द्वारा पानी की सप्लाई के लिए भी प्लास्टिक का बहुत अधिक प्रयोग किया जा सकता है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति इस सम्पूर्ण मामले को गम्भीरता से नहीं ले रही है ? माननीय मंत्री महोदय द्वारा बताई गई तारीखों के अनुसार समिति की अब तक केवल दो बार बैठक हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा जाएगा ? अब मंत्री महोदय बदल गए हैं, क्या वे समिति के गठन में भी परिवर्तन करेंगे ताकि नई समिति अधिक उद्देश्यपरक हो सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : केशवानन्द भारती के मामले में परिवर्तन न करना ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं उस स्थिति में नहीं हूं। मैं वकील हूं और मेरा स्वभाव मिसाल पर चलना है। अतः मेरे पूर्ववर्ती मंत्री महोदय ने जो कुछ किया है, मैं उसका अनुसरण करूंगा। अब डा० स्वामी द्वारा उठाये गए प्रश्न को लेता हूं। मैं यह बता दूं कि समिति ने इसे गम्भीरता से लिया है। मैंने जैसा कि कहा है समिति की दो बार बैठक हुई है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि समिति कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में कुछ काम प्रारम्भ करने के लिए समितियां गठित करने का अनुरोध किया है। वास्तव में 12 राज्यों ने अपनी समितियों का गठन कर लिया है। वे इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। जहां तक स्वयं समिति के अध्यक्ष का प्रश्न है, वे स्वयं भी विभिन्न स्थानों का दौरा करते रहे हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि समिति सक्रिय नहीं है। समिति की पूरी बैठकें दो बार हुई हैं। मैं आरम्भ में दिए गए अपने उत्तर में यही कहना चाहता था।

बम्बई हाई गैस का व्यर्थ जाना

*776. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई की उपयोग में लाई जा सकने वाली गैस की भारी मात्रा आधार ढांचा न होने से व्यर्थ जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कितनी गैस व्यर्थ चली जाती है, और यदि उसे उपयोग में लाया जाए तो उसका मूल्य क्या है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि बम्बई हाई की पेट्रो-गैस घरेलू उपयोग के लिए पाइप लाइनों के जरिए बम्बई नगर को सप्लाई की जाये ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के अनुसार पूर्व-निर्धारित शर्तें तथा अन्य अपेक्षित आधार ढांचा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) किसी तेल क्षेत्र के विकास की आरम्भिक स्थिति में तेल उत्पादन के साथ-साथ सम्बद्ध गैस को जलाना एक सामान्य प्रक्रिया है। बम्बई हाई तेल क्षेत्र में भी ऐसा होता है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान प्रतिदिन जलाई गई गैस की औसत मात्रा 1.8 एम० एम० एम०^3 थी और उसका मूल्य 9.9 लाख रुपये का था।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में अपतटीय गैस के उपयोग किये जाने का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1977 में गठित किये गये कार्यवाही दल ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि महाराष्ट्र सरकार पाइप लाइनों के तंत्रजाल के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं और उनके साथ-साथ दल की रिपोर्ट में सूचीबद्ध 45 कपड़ा मिलों को अपतटीय गैस की सप्लाई के प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न मामलों का और कपड़ा मिलों द्वारा प्रदूषण स्तर को कम करने के प्रयोजन के लिए गैस के स्थान पर एल० एस० एच० एस० और भट्टी के तेल के मिश्रण को प्रयोग में लाने

के प्रश्न का अध्ययन करे । इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने सितम्बर, 1978 में अपेक्षित अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था । केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेक बार अनुरोध किये जाने के बावजूद इस अध्ययन दल की अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी ।

डा० वसंत कुमार पंडित : वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि प्रयोग की जा सकने वाली गैस के जलने से लगभग तीन करोड़ रुपये प्रति मास का भारी नुकसान हो रहा है । यदि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और बम्बई हाई के अधिकारियों ने प्रारम्भिक अवस्था में ही समुचित ढंग से योजना बनाई होती तो और इस प्राकृतिक गैस को घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोग के लिए न केवल बम्बई, न्यू बम्बई बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र को पाइप लाइनों के द्वारा सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार किया होता तो इस नुकसान को रोका जा सकता था । केन्द्रीय सरकार ने अपना दायित्व महाराष्ट्र सरकार पर डाल दिया है । मेरा प्रथम अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार का ध्यान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री द्वारा महाराष्ट्र विधान सभा में दिए गए उत्तर की ओर गया है ? उस उत्तर के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से बम्बई हाई से पाइप लाइन द्वारा घरेलू उपयोग के लिए शहर को गैस सप्लाई करने का आग्रह किया था । इसके अलावा यह भी है कि श्री एस० एन० देसाई ने भारतीय जनता पार्टी के दो सदस्यों, श्री विनोद गुप्ता और श्री मधु देवलकर के प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि बम्बई गैस का उपयोग करने के लिए आधारभूत ढांचा न होने के कारण भारी मात्रा मे गैस व्यर्थ जा रही है ।

क्या मंत्री महोदय हमें सही स्थिति से अवगत करायेंगे ? पाइप लाइन द्वारा प्राकृतिक गैस को बम्बई और नई बम्बई को सप्लाई करने के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री पी० शिवशंकर : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि जहां तक देश का सम्बन्ध है यह भारी नुकसान है । परन्तु मामले के तथ्यों को देखते हुए यह होना ही था । जिस किसी देश में आरम्भ में जब तेल क्षेत्रों का विकास किया गया वहां गैस जलाई गई क्योंकि उर्वरक और पेट्रो-रसायन कारखाने आदि स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधनों के अभाव में उसका उपयोग संभव नहीं था । ये सारी व्यवस्थायें करने में कुछ समय लगता है और यह सब देश में उपलब्ध संसाधनो तथा पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है ।

मेरे मित्र ने बम्बई में गैस के घरेलू उपयोग के लिए पाइप लाइन द्वारा इसे सप्लाई करने के बारे में प्रश्न पूछा है । वास्तव में यह भिन्न मामला है और मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे । जहां तक कार्यकारी दल का सम्बन्ध है, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और जैसा कि मैंने कहा है इसकी सलाह पर महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्ययन दल का नियुक्ति की है जो इसके मामले पर विस्तार से विचार करेगा और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जिस क्षण इस दल ने कोई कार्यवाही की या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसी समय उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी । वास्तव में हम राज्य सरकार को स्मरण कराते रहे हैं ताकि अध्ययन दल शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन पूरा करे और हम उस पर अपनी आवश्यक कार्यवाही कर सकें ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : मुझे हाल ही में समाचार पत्र में यह पढ़कर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि बम्बई हाई गैस गुजरात को पाइप लाइन द्वारा सप्लाई की जाएगी । यह बिल्कुल उचित

बात है। सरकार मध्य प्रदेश को भी बम्बई हाई से गैस सप्लाई करने का प्रयास कर रही है। इस कार्य में शीघ्रता की जानी चाहिए।

क्या सरकार को जानकारी है कि बम्बई में एक पुरानी बम्बई गैस कम्पनी है जो शहर के मध्य में पर्यावरण को दूषित कर रही है? यह लाल बाग पारेल में है जिसके विरुद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ और प्रकृतिवादी सरकार से शिकायत करते रहे हैं। इसके पास कोयले पर आधारित गैस सप्लाई करने के लिए पाइप लाइन ढांचा है जिससे वातावरण दूषित हो रहा है। क्या सरकार बम्बई गैस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में गम्भीरता से विचार करेगी ताकि इस मूल-भूत ढांचे का तत्काल उपयोग किया जा सके?

श्री पी० शिवशंकर : स्पष्ट बात यह है कि मैंने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ कहा है, मैं उसे नोट करता हूं। मैं इस पहलू पर विचार करूंगा। यदि यह व्यावहारिक हुआ तो मैं इसे अवश्य ही करूंगा। इस वक्त मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री एन० के० रोजवलकर : महोदय, यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि लगभग 10 लाख रुपये की गैस प्रतिदिन नष्ट हो रही है। उत्तर से ऐसा प्रतीत है कि वे 1978 में गठित समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वह समिति भी महाराष्ट्र राज्य सरकार की है। मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है। क्या उन्होंने इस प्रकार नष्ट हो रही गैस का समुचित प्रयोग करने का कोई रास्ता निकाला है?

दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऊर्जा का बहुत अभाव है। जंगलों को इसलिए खत्म किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास जलाऊ लकड़ी नहीं है और सारे देश में एल० पी० गैस का अभाव है। अतः ऊर्जा के अभाव को समाप्त करने के लिए सरकार क्या विशिष्ट कदम उठाना चाहती है? मैं नहीं जानता कि सरकार इसके लिए कितना समय आवश्यक समझती है? दरअसल नए संयंत्र लगाने पर ऐसा होता ही है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को इस स्थिति को सामान्य बनाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 4-5 वर्षों के बाद भी गैस का इस्तेमाल नहीं हो पायेगा?

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्वयं गैस के इस तरह के जलने से चिन्तित हूं। सचमुच ही मैं इस बारे में चिन्तित हूं।

जहां तक इस गैस के उपयोग किये जाने का सम्बन्ध है, इसका एक पहलू यह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कार्यकारी दल इस प्रश्न की जांच कर रहा है। इसका अन्य पहलू यह है, जैसी कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, कि हजीरा और तालवाइशैट में हम पहले से ही गैस पर आधारित चार उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का निर्णय ले चुके हैं। उसी भांति हम पेट्रो-केमिकल्स के बारे में भी विचार कर रहे हैं। अतः यह एक चरणबद्ध तरीका है जिसमें यह विकास होने जा रहा है। तथा यह चरणबद्ध तरीका हमारे संसाधनों पर निर्भर है, क्योंकि हमारे संसाधनों का समान वितरण किया जाना चाहिए। अतः कभी-कभी किसी विशेष धारणा को प्राथमिकता दी जाती है तथा किसी और मौके पर किसी अन्य धारणा को पूर्ण रूप से प्राथमिकता दी जाती

है। सरकार यह जानती है कि पेट्रो-केमिकल्स कम्पलैक्स तथा गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम अपने सीमित संसाधनों से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अतः यह समस्त प्रयासों का ही प्रश्न है जो यह अध्ययन दल कर रहा है तथा जो केन्द्र सरकार स्वतन्त्र रूप से कर रही है ताकि हम यह आशा कर सकें कि इस समय इस तरह से जो गैस बेकार जा रही है उसकी बरबादी अंततः रोका जा सकेगा।

आकाशवाणी अप्पू स्पोर्ट्स क्लब

*778 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी अपने श्रोताओं में विभिन्न खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आकाशवाणी अप्पू स्पोर्ट्स क्लब का गठन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) अप्पू स्पोर्ट्स क्लबें स्वेच्छिक हैं और लोगों की क्लब हैं। विचार यह है कि इस प्रकार की क्लबें, जिन्हें सम्बन्धित आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रति क्लब न्यूनतम 10 सदस्यों की संख्या पर पंजीकृत किया जाएगा, एशियायी खेलों की याद में होंगी ; ये क्लबें श्रोताओं में विभिन्न खेलों के प्रति रुचि और जागरूकता उत्पन्न करेंगी तथा देशी और परम्परागत खेलों को भी प्रोत्साहित करेंगी। इनके मई, 1982 से चालू होने की उम्मीद है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एशियाई खेलों के लिए काफी अच्छा प्रचार किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने क्लब बनाए जा चुके हैं तथा क्या इन क्लबों को बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई सहयोग अथवा वित्तीय सहायता दी जा रही है अथवा कम से कम उनके अधिकारियों द्वारा किसी तरह का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अब तक कितने क्लब बन चुके हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : यह निर्णय हाल ही में लिया गया था। हमने उन्हें मई तक क्लब बनाने का समय दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हाल्दार जी आपसे जवान स्पोर्ट्समैन हैं।

श्री वन्सत साठे : वित्तीय सहायता या अन्य किसी तरह से उन्हें सहायता देने की कोई योजना नहीं है। ये स्वैच्छिक लोगों की क्लबें हैं। आकाशवाणी विभाग इन स्पोर्ट्स क्लबों के रूप में, देश में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने वालों तथा दूरदर्शन देखने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है। दूरदर्शन क्लबें भी हैं। हम देश में खेलों का वातावरण उत्पन्न करना चाहते हैं। एशियाई खेलों की ममद से पूरे देश में खेलों का प्रचार करने में आकाशवाणी सबसे सबल माध्यम है। हम एशियाई खेलों से सम्बद्ध लोगों के साथ निकट सहयोग बनाये हुए हैं। हम खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका भी क्लब बनाइये और हमारा भी ।

श्री रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट की स्पिरिट, जैसी की मंत्री महोदय बताने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मुझे भी स्पोर्ट खेलने का इरादा हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपके जिस्म से कुछ लगता है ।

श्री रामगोपाल रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमारी एज के ग्रुप के व्यक्तियों के लिए क्या करने वाले हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बूटा सिंह भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य की खेलों के प्रति इतनी रुचि है । मैं जानता हूं कि हमारी संसद के बहुत-से सदस्य अच्छे खिलाड़ी हैं । हर व्यक्ति अच्छा खिलाड़ी बन सकता है । जहां तक क्रीड़ा-कौशल का सम्बन्ध है, उस पर उम्र का कोई बन्धन नहीं है । अतः यदि संसद सदस्य भी अपने अप्पू क्लब बनाएं तथा उन सभी गतिविधियों में भाग लें जिनका हम प्रसार करना चाहते हैं, तो हमें बहुत खुशी होगी । ऐसे कई खेल हैं, जिन्हें हर व्यक्ति खेल सकता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में तथा इस पूरक प्रश्न के बाद, कहा था कि इन अप्पू क्लबों की स्थापना की जायेगी तथा उनकी गतिविधियों को एशियाई खेलों के दौरान आकाशवाणी से प्रसारित किया जाएगा । उन्होंने विज्ञान भवन में आकाशवाणी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में भी कुछ ऐसी बात कही थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या एशियाई खेलों के समाप्त होने के बाद भी केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे सभी महत्वपूर्ण रेडियो केन्द्रों में भी यह प्रणाली जारी रहेगी ?

उन्होंने परंपरागत खेलों के बारे में कहा था । मैं जानना चाहता हूं कि, जैसा कि उन्होंने विज्ञान भवन में कहा था, क्या कबड्डी, खो-खो और गुल्ली-डंडा आदि खेलों को भी इसमें शामिल किया जायेगा ।

श्री वसन्त साठे : अप्पू स्पोर्ट्स क्लबें केवल ऐशियाई खेलों तक ही नहीं रहेंगी । वे केवल दिल्ली में ही नहीं हैं । ये स्पोर्ट्स क्लब सभी रेडियो स्टेशनों के जरिये से पूरे देश में बनाए जा रहे हैं । हमारे यहां करीब 85 रेडियो स्टेशन तथा करीब 10 दूरदर्शन केन्द्र हैं । लेकिन यह जारी रहेगा । हम इसे प्रोत्साहित करना चाहते हैं । यहां भी मुझे याद है कि अपने देशी खेलों में, हमारी जिमनास्टिक में, खेलों में तथा कबड्डी, अट्टा-बट्टा, खो-खो आदि की बहुत बड़ी परम्परा रही है । मलखाम के सम्बन्ध में, संयोग से मैं आपके द्वारा अपने माननीय सहयोगियों को सूचित करना चाहता हूं कि शीघ्र ही पुने तथा अमरावती से खिलाड़ियों के दल आपके लिए मलखाम जिमनास्टिन का प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें कि हमारे देश के महान विशेषज्ञ हैं । मुझे आशा है कि आप सब इसे देखेंगे तथा इससे फायदा उठाएंगे ।

एक माननीय सदस्य : दूरदर्शन पर ? (**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : नहीं, नहीं, वे निजी प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं । हम उसे दूरदर्शन पर भी दिखाएंगे । लेकिन आप उसे व्यक्तिगत रूप से देखना ज्यादा पसंद करेंगे । आपने इसे पहले भी

देखा होगा। हम उन्हें प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हमारे कई परम्परागत खेल हैं। गुल्ली-डंडा को गोल्फ से अधिक लोकप्रिय होना चाहिए क्योंकि गोल्फ पश्चिम का विलासप्रिय खेल है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने देश के खेलों को अधिक लोकप्रिय बनाना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : आज खेलों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण यह है कि हमारे दर्शकों, खिलाड़ियों, यहां तक कि अम्पायर और निर्णायकों को भी विभिन्न खेलों के नियमों की पूरी जानकारी नहीं है। यहां तक कि क्रिकेट के मैचों में, जिनमें आपने भी भाग लिया था, एक संसद सदस्य ने मुझसे पूछा कि क्रिकेट के मैच का गोल-पोस्ट कहां है ? यह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सचेत रहिए। आपका संकेत किन निर्णायकों की ओर है, जरा मुझे भी जान लेने दीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : इसे ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या आकाशवाणी को विशेष निर्देश दिए जाएंगे कि वे खेलों सम्बन्धी नियमों की शिक्षा देने पर बल दें ताकि लोगों को खेलों के नियमों की अधिक जानकारी मिल सके और हमें आशा है कि एशियाई खेलों के दौरान भीड़-भाड़ वाली हिंसा कम होगी।

श्री वसन्त साठे : यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। हमने खेलों के नियमों के बारे में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कार्यक्रमों में लोगों को बताना शुरू कर दिया है। एक बार जब आप खेल खेलना आरंभ करते हैं आपको अपने आप नियमों का पता चल जाता है, चूंकि जब तक आपको खेल का ज्ञान नहीं है तब तक आपको नियम की जानकारी भी नहीं होती। अतः पहली बात यह है कि आपको खेल खेलना आरम्भ करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं सदन को बताना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप अम्पायरों के चरित्र की चर्चा सभा में नहीं कर सकते क्योंकि वे निर्णायक होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी उन्हें यही बताना चाहता था।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी साठे जी ने सुझाव दिया है कि संसद-सदस्यों को अपना अप्पू क्लब बनाना चाहिए, तो क्या वे उसे अप्पू क्लब के बजाए अललटप्पू क्लब कहना पसंद करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : हम तो "अप्पू क्लब" को एन्करेज करना चाहते हैं, लेकिन आप जब बनाएंगे तो वह "टप्पू" हो सकता है—मुझे कोई एतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अप्पू या टप्पू, लेकिन क्लब जरूर बनाइए।

श्री सुब्रह्मण्य स्वामी : मगर साठे जी तो गप्पू हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप महाराष्ट्र वाले एक-दूसरे की बात समझते हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मगर आप भोंसले साहब की चर्चा नहीं करने देते हैं यहां।

कोयले की मांग और उत्पादन

*779. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की मांग पूरा करने के लिए कोयले का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है ; और

(ख) क्या वितरण और सप्लाई व्यवस्था में दोष होने के कारण देश में कोयले की कमी दिखाई देती है ?

कोयला राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1981-82 में कोयले का 124.92 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ । यह उत्पादन मूल लक्ष्य से 3.92 मि० टन अधिक रहा । खान मुहानों पर 21.1 मि० टन से अधिक के कोयले के पर्याप्त स्टाक हैं जो कुल मांग को पूरा कर सकते हैं । वर्ष 1981-82 में उपभोक्ताओं को कोयले का प्रेषण भी 118 मि० टन के रिकार्ड स्तर पर रहा । उपभोक्ताओं की कुल मांग को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल हैं—औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं संबंधी मत्रिमंडलीय समिति द्वारा रेल से कोयले के परिवहन पर निगरानी, रेल द्वारा कोयला ले जाने में जितनी कमी रह जाती है उसे सड़क से ले जाने के लिए देना, कुछ निर्दिष्ट खानों से बिना किसी प्रतिबंध के कोयला देना, कुछ महत्वपूर्ण उपभोक्ता केन्द्रों में कोयले की टालें खोलना और वास्तविक उपभोक्ताओं को अच्छे ग्रेड का कोयला देने की क्रियाविधि सुगम बनाना ।

श्री रामनाथ दुबे : मंत्री महोदय ने बताया है कि कोयले की कमी नहीं है । लेकिन देश-वासियों को कोयला नहीं मिल पता है । क्या यह सही है कि कोल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं तथा लाइसेंस्ड कोल डीलर्ज को कोल के वितरण में भारी भ्रष्टाचार और पक्षपात किया जाता है जिस कारण से देश में कोयले का कृत्रिम अभाव हो जाता है, यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : माननीय सदस्य कोई स्थल बताएं जहां उनको भ्रष्टाचार का अनुभव हुआ हो तो उसकी जांच करवाई जा सकती है ।

श्री रामनाथ दुबे : मैं बता रहा हूं । ऊर्जा मंत्रालय से यह सूचना दी गई थी कि फ्री सेल कोल माइंज से जाकर कोयला लिया जा सकता है लेकिन वे कोल देने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : स्थल का नाम बताएं तो पता किया जा सकता है ।

श्री रामनाथ दुबे : कम्पनी का नाम चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं । मेरे पास मंत्रालय का पत्र है । उसमें उन्होंने इन्कार कर दिया है । फ्री सेल जहां कोयला मिलना चाहिये हर आदमी को वहां इसलिए नहीं दिया जाता है कि भ्रष्टाचार वहां व्याप्त है ।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : भ्रष्टाचार का माध्यम बताएं । कौन-सा पत्र है बताएं, मैं जांच कराऊंगा ।

श्री रामनाथ दुबे : आपकी आज्ञा से मैं सदन के समाने वह पत्र रख देता हूं ।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : सदन के सामने न रख कर मुझे दे दें तो मैं जांच करा लूंगा।

श्री रामनाथ दुबे : आप इजाजत दे दें तो मैं रखने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए।

श्री रामनाथ दुबे : क्या यह सही है कि कोल परमिट ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो लाइसेंस्ड कोल डीलर नहीं है ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : जो लाइसेंस्ड डीलर नहीं हैं, फ्री सेल माइंज से ऐसे लोगों को जरूर दिया जा सकता है। खुद माननीय सदस्य अभी यह कह रहे थे कि लोग फ्री सेल माइंज से लेना चाहते हैं और उनको कहीं पर दिक्कत होती है और उसके बारे में वह पत्र भी मुझे देना चाहते थे। उनका जो दूसरा सवाल है वह उन्हीं के पहले वाले से कट जाता है।

अध्यक्ष महोदय : ला-जवाब हो गए हैं।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : क्या यह सही है कि बुरहानपुर की साइजिंग इंडस्ट्रीज को जो पहले कोयले का कोटा दिया जाता था उसको एक तिहाई कर दिया गया है ?

श्री गार्गी शंकर मिश्र : मुझे इसके बारे में जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी। मुझे संसद सदस्य महोदय लिखकर दे दें, मैं जरूर जांच कराऊंगा।

श्री रामस्वरूप राम : बिहार में तीन कोलियरीज हैं, सी० सी० एल०, बी० सी० सी० एल० और ई० सी० एल०, सैंट्रल कोल फील्ड्ज लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और ई० सी० एल०, जो कलकत्ता में आप्रेट करती है। मंत्री महोदय ने कहा है कि कोयले का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और उसकी कोई कमी नहीं है। लेकिन गांवों में तथा शहरी क्षेत्रों में भी कोयले का कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है जिस कारण से चालीस रुपये तक पर कोयला बिक रहा है। इसका एक ही कारण है। रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद भी ये तीनों जो कम्पनियां हैं वे भ्रष्टाचार से भरी हुई हैं। कारण यह है कि इक्वोटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और न अभी तक आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन की नीति ही तय की है। मैं जानना चाहता हूं कि कोयले के डिस्ट्रीब्यूशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सरकार क्या कोई सख्त कदम उठाएगी ताकि नागरिकों को, चाहे शहरी क्षेत्रों में हो या देहाती क्षेत्रों में, कोयला मुहैया हो सके ?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि सी० सी० एल० का जो रांची में हैडक्वार्टर है वहां पर करप्शन का अड्डा है, जितने भी पदाधिकारी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सभी करप्ट हैं। इस बारे में आप कोई सी० बी० आई० जांच करायेंगे ? इस बारे में मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, टौप टू बौटम सी० बी० आई० जांच कैसी होती है मैं नहीं समझता, जानता भी नहीं, क्योंकि संसद सदस्य टौप टू बौटम सी० बी० आई० से जांच करवाना चाहते हैं। किसी विशेष अधिकारी का नाम बतायें और यह बताएं कि उसने यह करप्शन किया है तो उसकी जांच करायी जा सकती है। लेकिन टौप टू बौटम जांच कैसे सम्भव है।

श्री रामस्वरूप राम : यदि माननीय मंत्री जी विशेष अधिकारी के नाम की ही बात करते हैं तो मैं बताता हूं कि सी० एंड एम० डी०, श्री वघेरा और मारकेटिंग डायरेक्टर, श्री सेहगल, दोनों ही करप्ट हैं।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : माननीय सदस्य मुझे नाम लिखकर दे और क्या करप्शन उन्होंने किया है उसका स्पैसिफिक चार्ज दे। मैं जांच जरूर करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए।

श्री गार्गी शंकर मिश्र : क्या उन्होंने गलती की है यह भी बताइये। सिर्फ नाम देने से ही काम नहीं चलेगा।

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई काम मेम्बर का है ? उन्होंने आरोप लगाया है, मंत्री जी उसकी जांच आप कीजिए।

श्री जगदीश टाईटलर : वह ऐसा कह रहे हैं। मंत्री महोदय अपने मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव क्यों करते हैं ? जब माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है तो उन्हें इसकी जांच करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मामले की जांच कीजिए। यदि उसमें कुछ सच हो तो आप कार्यवाही कीजिए। बस यही काफी है।

श्री भीकू राम जैन : यदि सदस्य को ही सब कुछ सिद्ध करना है, तो मंत्री महोदय क्या करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही करेंगे।

श्री रामस्वरूप राम : मेरे सवाल का जवाब तो मिला नहीं।

श्री भीकू राम जैन : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यदि सभा में कोई आरोप लगाया जाता है, तो यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह जांच कराएं। उनको यह बात इस तरह से नहीं टालनी चाहिए। यदि सारी जानकारी सदस्य को ही उपलब्ध करानी है, तो मंत्री महोदय किसलिए है ? भ्रष्टाचार के बिना जरा-सा भी कोयला नहीं मिलता। यदि मंत्री महोदय ऐसा बचाव करते हैं, तो यह आश्चर्यजनक बात है। (**व्यवधान**)

श्री गार्गी शंकर मिश्र : मैंने बहुत स्पेसिफिक कहा···

श्री रामस्वरूप राम : मंत्री जी बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने पर इनक्वायरी होगी।

हल्के तथा भारी किस्म के सोडा ऐश पर आयात शुल्क में वृद्धि

*780. श्री आर० आर० भोले : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्के तथा भारी किस्म के सोडा ऐश पर हाल में ही आयात शुल्क बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर देने और साथ ही 20 प्रतिशत के उप शुल्क तथा 17.5 प्रतिशत के प्रतिकारक शुल्क लगा दिए जाने के कारण लघु क्षेत्र के हजारों छोटे उद्योगों और देश के लाखों धोबियों पर गम्भीर रूप से बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार को उक्त शुल्क घटाकर 20 प्रतिशत कर देने के आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(ग) देश में छोटे-छोटे उद्योगों को तथा धोबियों को, जिनका कारोबार आयात शुल्क के उक्त वृद्धि के कारण समाप्त होने को है, बचाने के लिए सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1980 की अन्तिम छमाही में सोडा ऐश की उपलब्धता अच्छी हो गई। सोडा एश आसानी से न्यूनाधिक निर्माता के कारखाने के बाहर मूल्य के समान मूल्य पर उपलब्ध है। फिलहाल सरकार सोडा ऐश पर आयात शुल्क में संशोधन करने के बारे में विचार नहीं कर रही है।

श्री आर० आर० भोले : मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री महोदय के कपड़े धोबी धोते हैं। दरें बढ़ गयी हैं। बहुत-से सदस्य शिकायत कर रहे हैं कि धोबियों ने दरें बढ़ा दी हैं।

श्री नवल किशोर शर्मा : केवल सदस्य ही नहीं अपितु अधिकांश लोग भी यही कह रहे हैं।

श्री आर० आर० भोले : सदस्य तथा वे लोग जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपके शासन में लोग धोबियों का खर्च वहन नहीं कर सकते।

श्री आर० आर० भोले : आपका उत्तर भी बहुत असंगत प्रतीत होता है। पहले प्रश्न के उत्तर में कि "क्या यह सच है कि हल्के तथा भारी किस्म के सोडा ऐश पर हाल में ही आयात शुल्क बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर देने और साथ ही 20 प्रतिशत के उपशुल्क तथा 17.5 प्रतिशत के प्रतिकारक शुल्क लगा दिए जाने के कारण लघु क्षेत्र के हजारों छोटे उद्योगों और देश के लाखों धोबियों पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ा है" यह करीब-करीब शत प्रतिशत वृद्धि है। आपका उत्तर है "नहीं"। लेकिन जब हम आपके उत्तर के भाग (ग) को देखते हैं तो वहां यह बताया गया है कि वर्ष 1980 की जन्तिम छमाही में सोडा ऐश की उपलब्धता अच्छी हो गई। दूसरे शब्दों में 1980 के पहले छः महीनों में इसकी उपलब्धा पर्याप्त नहीं थी।

एक माननीय सदस्य : आप अच्छे जज हैं।

श्री एडुआर्ड फैलीरो : दोनों ही जज हैं।

श्री आर० आर० भोले : इस शत-प्रतिशत वृद्धि के कारण, क्या यह कहना उपयुक्त नहीं है कि सोडा ऐश के मूल्य भी बढ़ जायेंगे, केवल दुगुने ही नहीं संभवतः तीन-चार गुना बढ़ जाएंगे ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लोगों के सामने गंदे कपड़े धोना अधिक महंगा हो गया है।

श्री पी० शिवशंकर : मुझे अपने उत्तर के भाग (क) और (ग) कुछ असंगत नहीं लगता। मैंने अपने उत्तर के भाग (ग) में कहा है कि वर्ष 1980 की अन्तिम छमाही से सोडा ऐश की

उपलब्धता अच्छी हो गई। वास्तव में, स्थिति यह है कि जो बढ़े हुए भाव बताए गए हैं, उसका प्रभाव जनवरी 1982 में ही हुआ। यदि आप पहले के भावों तथा वर्ष 1980 के अन्तिम छमाही के बाद की वृद्धि के भावों की तुलना करें तो स्थिति न्यूनाधिक वही है। अतः वर्ष 1982 के आरम्भ में आयात शुल्क तथा प्रतिकारक शुल्क में वृद्धि किए जाने के बावजूद भी, मूल्यों में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। अतः मुझे उत्तरों में कोई विषमता तथा असंगतता नहीं लगती। मैंने सोचा कि मुझे यह अपने माननीय मित्र को यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए।

श्री आर० आर० भोले : इस प्रश्न का कि क्या सरकार को शुल्क को 20% कम करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उत्तर 'हां' दिया गया है। मैं अभ्यावेदम में दिये गये कारण जानना चाहूंगा। क्या सरकार ने उन कारणों की जांच कर ली है और उनको सही पाया है ?

श्री पी० शिवशंकर : अभ्यावेदन अखिल भारतीय सिलिकेट उत्पादक संघ से प्राप्त हुए थे।

प्रो० मधु दण्डवते : सिंडीकेट ?

श्री पी० शिवशंकर : सिंडीकेट नहीं, सिलिकेट। हमें उनसे भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा अखिल भारतीय धोबी संघ से भी। इन्हीं दो संगठनों ने शुल्क में कमी करने के लिए अभ्यावेदन दिये थे। जहां तक सिलिकेट उत्पादक संघ का सम्बन्ध है, उन्होंने यह अभ्यावेदन दिया कि (क) चार एकाधिकार गृह सोडाऐश के उत्पादन, वितरण तथा मूल्यों पर नियन्त्रण रखे हुए हैं तथा उपभोक्ता, विशेष रूप से लघु उद्योगों तथा धोबियों, की कीमत पर भारी लाभ कमा रहे हैं; (ख) सोडा के आयात को ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत ही जारी रहने देना चाहिए तथा आयात शुल्क को 20% तक कम किया जाना चाहिए; (ग) कि बजट से पूर्व जनवरी, 1981 में शुल्क में वृद्धि की गयी थी तथा दुबारा जनवरी, 1982 में की गयी। जनवरी 1982 में शुल्क में वृद्धि करने के बाद खुले बाजार में सोडाऐश के मूल्य में 400 रु० तक की वृद्धि हो गयी परन्तु उत्पादकों ने सोडाऐश का मूल्य 60 रु० से 80 रु० तक प्रति टन बढ़ा दिया था; (घ) कि कुछ प्रभावशाली लोगों का मेरे मंत्रालय के अधिकारियों पर कुछ हाथ है। ये चार कारण थे जिनके आधार पर वे आयात शुल्क कम करवाना चाहते थे। संघ ने सोडाऐश की ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की तथा सोडाऐश के उत्पादन व वितरण के सम्बन्ध में एक खुली जांच करवाने की मांग की है। ये मुख्य आधार थे जिन पर वे आयात शुल्क को कम करवाना चाहते थे। इन पहलुओं पर विचार किया गया था। मुझे कहना चाहिए कि इन सभी शिकायतों पर विचार करने के बाद यह महसूस किया गया है कि इस अवस्था में आयात शुल्क कम करने का आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

'पोलीप्रोपाइलीन' उत्पादों पर उत्पादन शुल्क में कटौती

*781 **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**
श्री आर० एन० राकेश :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पोलीप्रोपाइलीन फिल्म बाइक्सिअली ओरियन्टेड पोली-प्रोपाइलीन उत्पादों (बी० ओ० पी० पी०) पर उत्पादन शुल्क में कटौती करने और उनके निर्यात सम्बन्धी अनिवार्य दायित्व को समाप्त करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि उन्हें क्षमता उपयोग तथा माल की निकासी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे उनका कार्य निष्पादन अलाभप्रद हो गया है और निर्यात असम्भव हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) बी० ओ० पी० पी० फिल्मों पर उत्पाद शुल्क कम करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। मैसर्स एम० एम० रबर कम्पनी लिमिटेड और मैसर्स कौसमे फिल्म्स लिमि० से निर्यात दायित्व के अधित्याग के लिये दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इन पर विचार किया गया था परन्तु इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, पहले करोड़ों रुपये का शेलोफेन पैकेजिंग मैटीरियल के रूप में विदेशों से आयात किया जाता था। उसके इन्डिजिनेस सब्टीट्यूट के रूप में बी० ओ० पी० पी० फिल्म इंडिया में बननी शुरू हुई। इस काम में दो कंपनियां लगी हैं। उनमें से एक मैसर्ज एम० एम० रबर कंपनी लिमिटिड को एक्साइज ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है, जबकि औरंगाबाद के बैकवर्ड एरिया में रिसेंटली लगाई गई मैसर्ज कास्मो फिल्म्ज लिमिटिड पर 30 परसेंट एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, जिसके कारण उसकी क्षमता का केवल 25 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, मजदूर बेकार हो रहे हैं और वह एक सिक इंडस्ट्री बनने जा रही है। उसमें तीन-चार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दोनों कंपनियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और अगर मैसर्ज एम० एम० रबर कंपनी की एक्साइज ड्यूटी माफ कर दी गई है, तो क्या मैसर्ज कास्मो फिल्म्ज की भी माफ की जाएगी और उस उद्योग को बचाया जाएगा ?

श्री पी० शिवशंकर : मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय सदस्य ने सदन में कहा कि जहां तक एम० एम० रबर कंपनी का सवाल है, एक्साइज ड्यूटी पूरे तरीके से माफ कर दी गई है। ऐसा नहीं हुआ है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मैं पता लगा कर बता रहा हूं।

श्री पी० शिवशंकर : अगर माननीय सदस्य के पास कोई विशेष ज्ञान हो, तो वह मुझे बताएं। मैं उसे जरूर देखूंगा। लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्साइज ड्यूटी दोनों पर बराबर है। एक्साइज ड्यूटी आर्टिकल पर लगती है और किसी एक कंपनी को माफ नहीं किया जा सकता। यह जरूर है कि जितना एक्सपोर्ट होना है, बाज ड्यूटीज उस हद तक कम कर दी जाती है, ताकि एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटी हो। लेकिन यह नहीं किया जाता है कि एक कम्पनी के लिए ड्यूटी को माफ कर दिया जाए या कम किया जाए। और दूसरी पर पूर्ण ड्यूटी लगे। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : जहां तक मुझे मालूम था, मैंने बताया । दोनों पर लागू होना चाहिए, ताकि दोनों पर समान बोझ पड़े ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। इसमें किसी एक को ड्यूटी का कन-सेशन नहीं दिया जा सकता ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : इसके रा मैटीरियल-पालिप्रापिलीन रेजिन का उत्पादन आई० पी० सी० एल० के द्वारा होता है, जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से तीन गुना है। इसलिए बी० ओ० पी० पी० का उत्पादन बहुत महंगा होता है और विदेशों से जो माल आयात किया जाता है, वह इससे सस्ता होता है। इसका मूल्य 21 रुपये पर के० जी० रखा है, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से तीन गुना है। क्या सरकार इन उद्योगों को कुछ रियायत करके, या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर, कच्चे माल की आपूर्ति करायेगी ?

श्री पी० शिवशंकर : माननीय सदस्य का यह कहना कि चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम है, इसलिए एक्साइज ड्यूटी में कमी की जाए, यह तो कोई ठीक बात नहीं मालूम पड़ती। अगर वह मुझे यह सुझाव देते कि एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसके लिए आवश्यक कच्चे माल पर उचित इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, तो बेहतर होता ।

दिल्ली में सिनेमा हालों में निम्न श्रेणी की सीटें

*782. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 मार्च, 1982 को इंडियन एक्सप्रेस में, **लोअर** क्लास सीट्स इन सिनेमा हाल्स रिड्यूस्ड" (दिल्ली में सिनेमा घरों में निम्न श्रेणी की सीटें कम की गई) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) दिल्ली में निर्धन लोगों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क), (ख) और (ग) सरकार ने समाचार को देखा है। प्रवेश-दरों को बढ़ाने की सिनेमाघरों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने दिल्ली के 15 सिनेमाघरों को उनके लाइसेंस निलम्बित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए। उसके बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने 3-4- 82 को शीला सिनेमा और 7-4-82 को छः अन्य सिनेमाघरों अर्थात रीगल, सपना, प्लाजा, अलंकार, डिलाइट और चांद के लाइसेंसों को निलम्बित कर दिया। मैसर्स शीला सिनेमा ने निलम्बन आदेश के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की और 4-4-82 को दिल्ली उच्च

न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अन्य सिनेमाघरों, जिन्होंने अपने लाइसेंसों के निलम्बन के विरुद्ध रिट याचिकाएं दायर की थीं, ने भी 8-4-82 को दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निलम्बन आदेश के कार्यान्वयन को स्थगित करते हुए, उच्च न्यायालय ने 8-4-82 को यह आदेश दिया :

(क) याचिका दाता पहले से ही ऊंची दर पर तथा वर्तमान वृद्धि से पहले की दरों पर की गई बिक्री के बीच के अन्तर का अलग से हिसाब रखेंगे ; और

(ख) अब के बाद विभिन्न श्रेणियों के टिकटों की ऊंची दर पर बिक्री नहीं की जाएगी तथा बिक्री केवल उन्हीं दरों के आधार पर की जाएगी जो वर्तमान वृद्धि से पहले प्रभावी थी।

पांच सिनेमाघरों अर्थात् बतरा, मिलन, कमल, पारस और मिनर्वा ने भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उनके लाइसेंसों के निलम्बन के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध 12-4-82 को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। तीन सिनेमाघरों अर्थात सूरज, अर्चना और पैलेस ने लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में 15-12-80 को विद्यमान दरों को पुनः लागू कर दिया।

(2) कमल सिनेमा ने भी 15-12-80 को विद्यमान दरों को पुनः लागू कर दिया।

(3) यह मामला सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष 14-4-82 को पुनः आया और उसने निम्नलिखित आदेश पारित किए :

> "विद्वान वकील को सुनने के पश्चात हम यह निदेश देते हैं कि एक अन्तरिम उपाय के तौर पर तथा रिट याचिका पर पक्षों के तर्कों के प्रति बिना पूर्वाग्रह के, याचिका-दाता प्रतिवादियों के उपयुक्त प्राधिकारियों से तुरन्त मिलेंगे तथा आज से एक पखवाड़े के भीतर दरों और सीटों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में किसी अन्तरिम समझौते पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। मामले को आगे के निदेशों के लिए 4-5-82 को प्रस्तुत किया जाए।
>
> इस, बीच हम अपने पहले के आदेश को बदल रहे हैं और यह निदेश देते है कि याचिका दाता अपने सिनेमाघरों में 1-2-82 को प्रभावी श्रेणीकरण को बनाए रखेंगे। तथापि, वे सिनेमा घरों में प्रभावी अन्तिम प्रतिवादित दरों से ठीक पहले प्रभावी दरों में मनोरंजन कर सहित 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकते हैं। आगे यह भी व्यवस्था दी जाती है कि जहां सबसे निचली सीटें 4/ रु० की थी उनमें कोई भी वृद्धि नहीं होगी। यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।"

(4) दो सिनेमा लाइसेंस धारियों अर्थात सत्यम और गोलचा ने भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी के कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध पहले ही क्रमशः 5-11-81 तथा 4-1-82 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे।

(5) इस प्रकार मामला न्यायालय के सामने है तथा दिल्ली प्रशासन उच्च न्यायालय के आदेशों की रोशनी में आगे कारवाई कर रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने अपने लम्बे-चौड़े जवाब में··· **(व्यवधान)**...प्रश्न तो हमारा बहुत छोटा था लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब बड़ा लम्बा-चौड़ा है, उसमें उन्होंने कहा है कि शीला सिनेमा पर 3-4-82 को ऐक्शन लिया, फिर 7-4-82 को 6 और सिनेमा घरों पर ऐक्शन लिया और कुल 7 पर ऐक्शन लेने की तिथि बतायी। उत्तर में यह भी बताया है कि हमने 15 सिनेमाघरों को नोटिस दिया जिन्होंने 4-4-82 को और 8-4-82 को न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिया और न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दस प्रतिशत दर वह ज्यादा कर सकते हैं लेकिन 4 रुपये की सीट पर वह कोई वृद्धि नहीं कर सकते हैं।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो इस प्रकार का आपने ऐक्शन लिया और न्यायालय में मुकदमे चले, ये सारी बातें हुईं, ये सारी बातें मेरे प्रश्न पूछने के बाद हुईं क्योंकि मैंने प्रश्न पूछा था 14-3-82 की और कार्यवाही आपने 3-4-82 को शुरु की ? तो क्या मेरे प्रश्न पूछने के बाद आप का ध्यान इस तरफ गया और आपने कार्यवाही प्रारम्भ की ? यदि आपने बाद में कार्यवाही शुरु की तो यह कार्यवाही करने में विलम्ब का कारण क्या था और क्या देश भर में कोई ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं ताकि अन्य सिनेमा हाल अपने टिकटों की दर न बढ़ाएं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वंसत साठे) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद यह मालूम नहीं होगा कि हालांकि आपने मुझसे सवाल पूछा और मैं इसका जवाब आपको दे रहा हूं फिर भी यह जो कार्यवाही है यह राज्य सरकार के अधीन है और जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, डी० डी० एथारिटी के अधीन है। यह नोटिस देते हैं अपने कानून के अन्तर्गत। उस नोटिस का आपके हमें नोटिस देने से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने नोटिस दिया रेट्स के ऊपर, उसके ऊपर ये सिनेमा गृहों के मालिक हाई कोर्ट में गए और स्थगन आदेश लाए। मामला सब-जूडिस है, कोर्ट में है और इसलिए इसके बारे में जो मैंने आपको सारी जानकारी दी उससे और ज्यादा जानकारी मैं आपको देने में असमर्थ हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि छोटी श्रेणी की सीटें कम कर दी गई हैं और अपर क्लास की सीटें बढ़ा दी गई हैं। उन्हीं छोटी श्रेणी की सीटों पर जो अब अपर क्लास में परिवर्तित की गई हैं, उन्हीं पर, इसका अर्थ यह निकलता है कि गरीब आदमी ज्यादा पैसा देकर सिनेमा देखेगा। तो जिस परसेंट में ये सिनेमा मालिक अपनी दर बढ़ा लिए हैं क्या उसी परसेंट में सरकार को भी उससे लाभ प्राप्त होगा और क्या सरकार उसी परसेंट में देश की गरीबी भी दूर करने का प्रयास कर रही है ?

श्री वसंत साठे : यह शास्त्री जी कहां से कहां पहुंच गए ? बड़े कवि-हृदय हैं। मैंने शुरू में बताया कि विषय केन्द्र के अधीन नहीं आता है। मैं बार-बार यह कह रहा हूं, मैंने बार-बार इस सदन में कहा है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दिल्ली केन्द्र के अधीन है। बात दिल्ली की हो रही है, इधर-उधर की नहीं।

श्री वसंत साठे : सिनेमा एग्जीबीशन जो है इसका केन्द्र से ताल्लुक नहीं है । मतलब हमारे मंत्रालय के अधीन यह नहीं आता । आप कह रहे हैं दिल्ली प्रशासन केन्द्र से सम्बन्धित है यह आपका कहना ठीक है । यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सिनेमा रेट्स के कम होने या सीट्स के कम होने के बारे में अभी स्थगन आदेश है, कोर्ट के अन्दर मामला सबजूडिस है । इसलिए इसमें कुछ भी कहना नामुमकिन है । हालांकि मैं एक बात कह दूं कि मैं यह चाहता हूं कि एक टोटल व्यू इस मामले का लिया जाय, इसके बारे में हम कुछ पहल कर रहे हैं क्योंकि यह विषय केवल इस मर्यादित माध्यम से हल नहीं हो पाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश कुमार गंगवार ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सिनेमा मालिक अदालत में बाद में गए हैं···

अध्यक्ष महोदय : श्री गंगवार को बुलाया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आगे की सीट पर बैठा हूं, आगे की सीट कम हो गई ।

अध्यक्ष महोदय : आप यूं कहते कि मैं गंगवार जी के आगे बैठा हूं ।

प्रो० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सिनेमा हाल में आगे वाली सीट को हमेशा निम्न श्रेणी दी जाती है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । आम तौर से यह देखा गया है कि जो बड़े लोग हैं, पैसे खर्च करने वाले हैं, कम्पनीज हैं या सिनेमा वाले हैं वे किसी भी कानून के विरुद्ध जाकर स्टे-आर्डर ले लेते हैं, हाई कोर्ट से, और दो-दो, तीन-तीन साल तक वह स्टे-आर्डर वैकेट नहीं होता है । नतीजा यह होता है कि वे अपना कार्य बराबर करते रहते हैं । इस ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं पूछना चाहता हूं क्या इस स्टे-आर्डर को वैकेट कराने के लिए जल्दी से कोई कार्यवाही करायेंगे जिससे कि स्टे वैकेट हो सके और वे लोग उसका लाभ न उठा सकें जैसा कि दूसरे मामलों में होता रहता है ? (व्यवधान) साथ ही कर्मचारियों को मिलने न दें, जिनको कि रिश्वत देकर स्टे-आर्डर को वे लोग बढ़ाए रखते हैं ।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मुझे माफ करेंगे, इस सवाल में कुछ थोड़ा-सा छींटा उछाला गया है, कोर्ट के ऊपर कि स्थगन आदेश दे देते हैं । (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : आपके आफिसर पैरवी नहीं करते हैं---यह मैं कह रहा हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि स्टे वैकेट कराने के लिए जल्दी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री वसन्त साठे : माननीय सदस्य जवाब को तो ठीक से पढ़ लें । जवाब हिन्दी में भी दिया गया है । (व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार : जवाब तो मैंने पढ़ लिया है लेकिन अगर आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो तीन साल तक स्टे वैकेट नहीं होगा ।

श्री वसन्त साठे : यह जो आदेश दिया है उसके लिए दूसरी तारीख इन्टेरिम दी है, उसमें आदेश भी दिया है हाईकोर्ट से । उन्होंने कहा है कि इंटेरिम आर्डर दीजिए और उस पर इन्टेरिम आर्डर भी लग गया है दस परसेन्ट का । कहा है कि फौरन नेगोशिएट करो । इसलिए यह जो आप कह रहे हैं यह सब कार्यवाही गवर्नमेंट ने की है और इसलिए मामला जल्दी हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आगे की सीट का मसला है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आगे की सीट खतरे में है ।

अध्यक्ष जी, दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश है, केन्द्र दिल्ली का कार्यभार देख रहा है इसलिए वे इस जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते हैं ।

दूसरी बात यह है कि अदालत में सिनेमा के मालिक गए अप्रैल के महीने में और दिल्ली में सिनेमा घरों में टिकट बढ़ाए जा रहे हैं पिछले साल-भर से । एक बार पहले भी मैंने प्रश्न पूछा था तो मंत्री महोदय ने कहा था कि हम बातचीत कर रहे हैं और टिकट घटाने की कोशिश हो रही है लेकिन कार्यवाही कोई नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूं क्या लाइसेन्स निलंबित करने के अलावा सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मालिकों पर दबाव डालकर टिकट बढ़ाने से उन्हें रोका जा सके ? यह भी मैं जानना चाहता हूं कि मालिक अदालत में गए उससे पहले सरकार ने, टिकट न बढ़ने पायें, इसके लिए कौन से कदम उठाए ? सिनेमा आम आदमी का मनोरंजन का साधन है लेकिन दिल्ली में सिनेमा रेट इतने बढ़ गए हैं कि लोग खाली टेलीविजन पर ही सिनेमा देख सकते हैं ।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मैं फिर से वाजपेयी जी से कह दूं कि कोई भी जोर या दबाव की कार्यवाही की जाए, जो कि कानून के अन्तर्गत न हो, तो आप खुद शिकायत करेंगे, चिल्लायेंगे और कहेंगे कि सरकार इस तरह के काम कर रही है। "एथारिटेरिएन" तो बार-बार आप कहते ही है । इसलिए पूरी तरह कानून के अन्तर्गत जितना किया जा सकता है, पर्सनली मिल कर भी और कानून के अन्तर्गत भी, उन्हें नोटिस देकर, यही तो कार्यवाही संभव है । अब उसको भी हाईकोर्ट में जाने से रोका नहीं जा सकता है । हाईकोर्ट ने सलाह दी है कि बैठो और इसको हल करो । मैं समझता हूं यही बहुत अच्छा तरीका है और मामला इसमें से कुछ न कुछ निकलेगा । यही डैमोक्रेटिक तरीका है ।

श्री जगदीश टाइटलर: महोदय मेरे प्रश्न का सम्बन्ध माननीय मंत्री से है । इसका सम्बन्ध उच्च न्यायालय से नहीं है, इसका सम्बन्ध स्थानीय सरकार से भी नहीं है। यह ऐसा विषय है जिसको कि वह ठीक कर सकते हैं। पूरी दिल्ली में छोटे-छोटे टेली क्लब हैं और विशेष रूप से पुनर्वास कालोनियों में । काफी मात्रा में सैंकड़ों लोग जाकर चलचित्र देखते हैं । उच्च न्यायालय के निर्णय की वजह से, जिसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, निम्न दर की सीटों में कमी होने के फलस्वरूप दिल्ली में हजारों लोग कुछ फिल्मों को देखने नहीं जा पा रहे हैं यह ऐसा कार्य है जिसे वह कर सकते हैं । मैं उच्च समाज के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूं । गरीब लोगों का मनोरंजन केवल सिनेमा ही है । क्या वह गरीब लोगों के

मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर फिल्मों की संख्या सप्ताह में एक से बढ़कर तीन दिन करेंगे ? यह ऐसा कार्य है जिसको वह कर सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं नहीं समझता कि यह ठीक समाधान होगा। हमने चित्रहार बढ़ा दिया है। क्षेत्रीय सिनेमा तथा हिन्दी सिनेमा हम दो दिखाते हैं। अतः मैं नहीं समझता कि यह कोई समाधान होगा। परन्तु हम सभी सम्भव उपायों पर विचार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"बोन्डेड बार" शीर्षक समाचार

*783. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 मार्च, 1982 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "बोन्डेड बार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कनिष्ठ वकीलों और विशेषकर महिला वकीलों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) "बोन्डेड बार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकार को और कोई विवरण प्राप्त नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने इस ओर इंगित किया था कि कनिष्ठ वकीलों को नाममात्र का पारिश्रमिक दिया जाता है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3976/82]

(ग) विधि व्यवसाय मुख्य रूप से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा शासित होता है। उस अधिनियम में वरिष्ठ वकीलों के अधीन कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए किसी शिक्षुता अथवा विधि व्यवसाय का उपबन्ध नहीं है। कनिष्ठ अधिवक्तागण जिनके अन्तर्गत महिला अधिवक्ता भी हैं, अपने वरिष्ठ अधिवक्ता का चुनाव स्वयं करते हैं और इस व्यवसाय में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनकी सहमति से उनके मार्ग-निर्देशन में कार्य करते हैं। यह बात कनिष्ठ अधिवक्ताओं के विकल्प पर है कि वे चाहे तो स्वतन्त्र रूप से विधि व्यवसाय करें अथवा किसी वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ कार्य करें। ऐसे मामलों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० में किस्म नियंत्रण

*784. **श्री हरिनाथ मिश्र :**

श्री के० एन० राजन :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० में किस्म नियन्त्रण के वास्तविक अभाव के कारण ही यह गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है कि बड़ी मात्रा में टैट्रा साइक्लीन, स्ट्रेप्टो माइसीन, और इरीथ्रोमाईसीन को रक्षा मंत्रालय तथा अन्य संगठनों द्वारा अस्वीकार किया गया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० के द्वारा निर्मित उत्पादों की भारी मात्रा को उपयोग में लाने की अंतिम तारीख बीत गई है; और

(ग) यदि उक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो, हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० (एच० ए० एल०) के पास योग्य और अनुभवी कर्मचारियों द्वारा व्यवस्थित एक सुसज्जित गुण नियन्त्रण सुविधा उपलब्ध है। यह सच नहीं है कि एच० ए० एल० द्वारा निर्मित टैट्रा साइक्लीन, स्ट्रेप्टोमाइसीन और इरीथ्रोमाइसीन फार्मूलेशनों की बड़ी मात्र रक्षा अधिकारियों तथा अन्य द्वारा रद्द कर दी गई है। वर्ष 1981-82 के दौरान रक्षा अधिकारियों ने टैट्रा साइक्लीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन फार्मूलेशनों को रद्द नहीं किया था। उन्होंने इरीथ्रोमाइसीन की 1.98 लाख गोलियों को, जो इरीथ्रोमाइसीन फार्मूलेशन की कुल बिक्री का 3.8 प्रतिशत थे, रद्द किया था। गोलियों का रंग फीका पड़ने के कारण ऐसा किया गया था। इस वर्ष के दौरान टेट्रासाइक्लीन फार्मूलेशन के 0.35 लाख कैप्सुल, जो ऐसे फार्मूलेशनों की कुल बिक्री के 0.09 प्रतिशत थे, स्ट्रेप्टोमाइसीन फार्मूलेशन की 0.10 लाख शीशियां, जो ऐसे फार्मूलेशन की कुल बिक्री के 0.03 प्रतिशत थी, अन्यों से वापस ले ली गई। इरीथ्रोमाइसीन फार्मूलेशन को वापस नहीं लिया गया।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान एच० ए० एल० द्वारा फार्मूलेशनों की कुल बिक्री के 4.6 प्रतिशत फार्मूलेशनों को अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं बेचा जा सका।

(ग) इन्हें और कम करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बिजली की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता

*785. **श्री के० लकप्पा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1982-83 में 3500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की उत्पादन क्षमता की योजना बनाई है;

(ख) उक्त क्षमता में से तापीय बिजली कितनी होगी;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) **विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।** [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3977/82]

विवाह-विच्छेद की शर्तों को कम कठोर बनाने की मांग

*786 **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या महिलाओं ने मांग की है कि विवाह-विच्छेद प्राप्त करना और आसान बनाया जाए, विवाह-विच्छेद सम्बन्धी शर्तों को कम कठोर बनाया जाए तथा इसकी प्रक्रिया को कम कष्टप्रद बनाया जाए।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

टेलीफोनों की विशेष श्रेणी के अन्तर्गत मंजूरी

*787. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन विभाग ने टेलीफोन विशेष श्रेणी के अंतर्गत मंजूर करने के लिये क्या सिद्धांत और शर्तें तथा प्रक्रिया निर्धारित की है ;

(ख) क्या शैक्षिणक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन भी विशेष श्रेणी के अन्तर्गत तथा प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन लगाए जाने के पात्र हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) **विवरण** सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) तथा (ग) मान्यता प्राप्त। पंजीयित शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं "विशेष श्रेणी" के अंतर्गत टेलीफोन मांग का पंजीकरण कराने की पात्र हैं। डाकतार महानिदेशक अथवा टेलफोन / दूरसंचार सलाहकार समिति द्वारा प्राथमिकता दी जा सकती है।

विवरण

डाक-तार महानिदेशक ने निम्न प्रक्रिया निर्धारित की है तथा वही प्रक्रिया देश भर के सभी टेलीफोन जिले तथा दूरसंचार सर्किलों, जिनमें दिल्ली टेलीफोन जिला भी शामिल है, पर लागू होती है।

किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज की चालीस प्रतिशत विमोचित क्षमता को "विशेष" श्रेणी के आवेदकों हेतु निर्धारित कर दी जाती है। इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण हेतु निम्न पात्र हैं।

(i) रजिस्टर्ड चिकित्सक, योग्यता प्राप्त मिडवाइफ और रजिस्टर्ड नर्सें,

(ii) प्रख्यात सामाजिक व्यक्ति,

(iii) पंजीकृत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंजीकृत समाचार एजेंसियां, अधिकृत प्रेस संवाददाता तथा फोटोग्राफर,

(iv) सर्वसाधारण के लाभ के लिए लोक निधि से चलाई गई संस्थाएं,

(v) मान्यता प्राप्त स्कूल तथा कालेज,

(vi) पंजीकृत ट्रेड यूनियनें,

(vii) मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां,

(viii) पंजीकृत सहकारी समितियां (सामान की बिक्री करने वाली समितियों के अतिरिक्त) तथा पंजीकृत भवन निर्माण समितियां,

(ix) नेत्रहीन तथा अपंग व्यक्तियों के लिए संस्थाएं, कुष्ठ-आश्रमों, सार्वजनिक अस्पताल और परिवार नियोजन संगठन,

(x) स्पोंटस, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं,

(xi) मिशन,

(xii) लघु उद्योग ।

"ओ० वाई० टी०" जमा का भुगतान करके उपर्युक्त श्रेणी के आवेदक ओ० वाई० टी० योजना के अंतर्गत विशेष श्रेणी में अपना पंजीकरण करा सकते हैं । इस योजना के अंतर्गत निम्न भी पंजीकरण कराने के हकदार हैं :

(क) सरकारी विभाग ;

(ख) सांविधिक निकाय ;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ;

(घ) संयुक्त क्षेत्र के उद्यम ;

(ङ) विदेशी विनिमय उपार्जक :

(च) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी ।

मध्य प्रदेश और गुजरात द्वारा संयुक्त तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना

*788. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

श्री सुभाष यादव :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से गुजरात सरकार के साथ संयुक्त रूप से मांड बेसिन में तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मांड बेसिन कोयला क्षेत्र में कोयले का पता लगाने की संभावना का द्रुत गति से पता लगाने के लिए कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारें रायगढ़ जिले में, माण्ड नदी के किनारे पर एक ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना संयुक्त रूप से करने के लिए सहमत हो गई हैं। इस केन्द्र की प्रारम्भिक क्षमता 2×210 मेगावाट होगी और चरम क्षमता 6×210 मेगावाट (1260 मेगावाट) होगी। मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने हाल में सूचित किया था कि माण्ड ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए भेज दी जाएगी परन्तु रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा माण्ड रायगढ़ कोयला-क्षेत्रों के सम्बन्ध में किया जा रहा अन्वेषण अभी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा इस क्षेत्र की उत्पादन शक्यता का निर्धारण विस्तृत अन्वेषण किए जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने से फालतू कुकिंग गैस के जला दिये जाने की संभावना

*789 **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिनांक 8 मार्च, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार से अवगत है कि जब तक गैस सिलेंडरों और गैस भरने वाले संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि नहीं होती तब तक मथुरा तेलशोधक कारखाने से फालतू कुकिंग गैस जलानी पड़ेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि कुकिंग गैस वितरण का विस्तार सप्लाई के अनुरूप नहीं हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि इसका व्यवस्थित वितरण करने के लिए उपलब्ध सिलेंडर और गैस भरने वाले संयंत्र पर्याप्त नहीं हैं ; और

(घ) सिलेण्डरों और गैस भरने वाले संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) उत्पादित एल० पी० जी० का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, विद्यमान संयंत्रों का विस्तार, और देश में विभिन्न स्थानों पर नए एल० पी० जी० भरने के संयंत्रों की स्थापना का काम हाथ में लिया गया है। तेल कम्पनियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे निर्माणकर्ताओं को अग्रिम आर्डर देकर अधिक से अधिक एल० पी० जी० सिलेण्डरों की प्राप्ति करें और लघु पैमाने

के निर्माण एककों से कम से कम 50% माल का उठान सुनिश्चित करें। इस मंत्रालय के अनुरोध पर विभिन्न राज्य सरकारों ने एल० पी० जी० सिलेण्डरों का निर्माण करने वाले एककों को बिजली की कटौती से मुक्त रखा है। आवश्यकता अनुसार, तेल कम्पनियां एल० पी० जी० सिलेण्डरों के निर्माण के लिए विदेश से इस्पात मंगाने का प्रबन्ध भी करती हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के उत्पादन का लक्ष्य

*790. **श्री के० मालन्ना**
श्री बी० वी देसाई :

क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उत्पादन के बारे में उनके कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या तट पर और तट दूर दोनों क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) **एक विवरण पत्र** सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) अनुमोदित पंचवर्षीय योजना के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1980-81 के दौरान अपने तटीय तथा अपतटीय क्षेत्रों में 10.30 मीलियन टन क्रूड ऑयल के उत्पादन की निम्न प्रकार योजना बनाई थी :

(मीलियन टनों में)

क्षेत्र	क्रूड ऑयल उत्पादन का लक्ष्य
तटीय	
गुजरात	3.40
असम	1.70
योग :	5.10
अपतटीय	5.20
योग ओ० एन० जी० सी०	10.30

(ख) वर्ष के दौरान क्रूड ऑयल के वास्तविक उत्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(मीलियन टनों में)

तटीय		
गुजरात		3.81
असम		0.42
	योग (तटीय)	4.23
अपतटीय		4.98
	योग ओ० एन० जी० सी०	9.21

(ग) जी, हां । तटीय क्षेत्रों में कमी असम तेल क्षेत्रों से थी । ये राज्य में विक्षुब्ध स्थिति से उत्पन्न तेल मिलने में रुकावट के कारण थी । अपतटीय क्षेत्रों से सीमान्त कमी "एस० ए०" तथा "एस० बी०" प्लेटफार्मों के देर से शुरू होने तथा 'बी० एच० एन०" तथा अन्य प्लेटफार्मों में किये गये परिवर्तनों के कारण थी ।

करनाल और मंगलौर में तेल शोधन कारखानों की स्थापना

791. **श्री माधव राव सिन्धिया :**
श्री एस० वी० सिदनाल :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल और मंगलौर में स्थापित किये जाने वाले तेल शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी क्षमता, लागत और अनुमानित विदेशी मुद्रा निवेश सम्बन्धी विवरण क्या है ;

(ख) उनको कब तक तथा किन चरणों में स्थापित करने का विचार है ;

(ग) उनमें कब तक कार्य आरम्भ होने की आशा है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विदेशी सहयोग भी प्राप्त किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ङ) दोनों नई तेल शोधनशालाओं में से प्रत्येक की क्षमता प्रतिवर्ष 6 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास होगी । प्रारम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्टों, जिनमें विदेशी मुद्रा सहित लागत के अनुमानों की मात्रा दी गई होगी, को तैयार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है । इन सम्भाव्यता रिपोर्टों आदि को तैयार करते समय किये जाने वाले विस्तृत विश्लेषण के दौरान विदेशी सहयोग की आवश्यकता की भी जांच की जायेगी ।

वर्तमान अनुमानों के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में दोनों नई शोधनशालाओं के आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ।

बिहार में उर्वरक एकक की स्थापना

*792. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के व्यापक औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए बिहार में नए उर्वरक एककों की स्थापना करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) बिहार में नए उर्वरक एकक स्थापित करने का इस समय कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश से गैर सरकारी बिजली घरों के लिए अनुरोध

*793. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि राज्य में बिजली की गम्भीर कमी को देखते हुए राज्य में गैर सरकारी बिजली घरों की स्थापना की अनुमति दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का निर्णय क्या है; और

(घ) यदि उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० का 5026.92 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 2 × 30 मेगावाट के कैप्टिव उत्पादन सेटों का प्रस्ताव था । चूंकि प्रस्ताव में आवश्यक ब्यौरे नहीं थे, इसलिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को लौटा दिया था । संशोधित प्रस्ताव उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

डाक दरों में वृद्धि के विरुद्ध लघु समाचारपत्र एसोसिएशन द्वारा विरोध

*794. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लघु समाचारपत्रों पर डाक दरों में की गई वृद्धि के विरुद्ध

विभिन्न स्थानों पर लघु समाचारपत्र एसोसिएशन द्वारा व्यक्त किए गए विरोध की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि छोटे समाचारपत्र भी दूरवर्ती गांवों में पहुंचते हैं और बड़े समाचारपत्रों के मूल्यों की तुलना में इनके मूल्य भी कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या छोटे समाचार पत्रों के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से सरकार डाक दरों को घटाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) एवं (ग) यह सच नहीं है कि केवल छोटे समाचारपत्र ही दूरवर्ती ग्रामों में पहुंचते हैं। बड़े समाचारपत्र भी दूरवर्ती ग्रामों में पहुंचते हैं। निःसन्देह छोटे समाचारपत्रों का मूल्य बड़े समाचारपत्रों की अपेक्षा कम होता है।

(घ) विभाग द्वारा डाक दरों में की गई वृद्धि अर्थात् निम्नतर स्लैब हेतु 2 पैसे से 5 पैसे की वृद्धि इतनी नगण्य है कि छोटे समाचारपत्रों के वितरण पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। गत कुछ वर्षों में उन्होंने स्वयं ही अपने समाचारपत्रों के मूल्यों में भारी वृद्धि की है।

(ङ) इस सेवा के प्रचालन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए इन डाक दरों में कमी करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में सिनेमा दरों में वृद्धि

*795. **श्री चिन्तामणि जैना :**
श्री सत्यगोपाल मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके अनुसार दिल्ली में सिनेमा देखने वालों को 40 प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सिनेमा दरों में प्रस्तावित वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन नहीं है। दूसरी ओर, दिल्ली प्रशासन ने उन सिनेमा घरों के लाइसेंसों को निलम्बित करने की कार्रवाई शुरू की जिन्होंने हाल ही में सिनेमा टिकटों की दरें बढ़ाई हैं। तथापि, सम्बन्धित सिनेमा लाइसेंसधारियों ने उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। दिल्ली प्रशासन न्यायालय के आदेशों की रोशनी में आगे कार्रवाई कर रहा है।

जामनगर को अहमदाबाद के साथ एस० टी० डी० द्वारा जोड़ना

*796. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन नगरों के नाम क्या हैं जो एस० टी० डी० द्वारा अहमदाबाद के साथ जोड़े गये हैं ;

(ख) क्या इस बात की बड़ी मांग है कि जामनगर और अहमदाबाद के बीच एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जामनगर को अहमदाबाद के साथ एस० टी० डी० से जोड़कर यह सुविधा देने का है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : (क) सीधी डायल प्रणाली पर अहमदाबाद के साथ जुड़े नगरों के नाम निम्न हैं :

(1) बड़ौदा, (2) बुलसर, (3) गांधीनगर, (4) मेहसाना, (5) नादियाड़, (6) राजकोट, (7) सूरत और (8) भावनगर।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों द्वारा प्राइवेट न्यास स्थापित किए जाने पर रोक लगाना

8531. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को ऐसे निदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव है कि मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों द्वारा धन एकत्र करने के उद्देश्य से प्राइवेट न्यास स्थापित किए जाने पर रोक लगा दी जाए ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : प्राइवेट न्यासों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे धन एकत्र करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार से प्राधिकार लें क्योंकि ये न्यास लोक न्यासों से एकदम भिन्न हैं जो पूर्त प्रयोजनों के लिए या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होते हैं। यह देखना पूर्णतया न्यास के कर्ता, न्यासियों और हिताधिकारियों का काम है कि प्राइवेट न्यासों के चाहे वे रजिस्ट्रीकृत हों या न हों वित्त का प्रबन्ध और नियन्त्रण किस रीति से किया जाता है। सरकार का उन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता है। भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है कि वह राज्यों को यह निदेश जारी करे कि वे मुख्य मंत्रियों या अन्य मंत्रियों पर यह रोक लगाएं कि वे धन एकत्र करने के लिए प्राइवेट न्यास स्थापित न करें। इसलिए राज्यों को निदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की जाने वाली बिजली परियोजना

8532. **श्री लक्ष्मण वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय

योजना में शुरू की जाने वाली ताप, जल और आणविक ऊर्जा की कौन-सी परियोजनाएं हैं : उनकी क्षमता क्या है; कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी किये जाने के लिए मंजूरी दी गई हैं और जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : स्वीकृत ताप विद्युत, जल विद्युत तथा न्यूक्लीय विद्युत उन परियोजनाओं की सूची, जिनसे सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद की योजनाओं के दौरान लाभ प्राप्त होगा, संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3978/82]

मै० ग्लेक्सो द्वारा अधिनियमों का उल्लंघन

8533. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लेक्सो उद्योग (विकास और अनुसंधान) अधिनियम, आयात व्यापार नियंत्रण आदेश और विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन करने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया या वित्त मंत्रालय ने जब तक उसके सारे मामलों की जांच न कर ली जाए तब तक कंपनी की लाभांश की रकम और अन्य एककों को भेजने को बन्द करने के आदेश भी जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मै० ग्लेक्सो लैब्स द्वारा बल्क औषधों और मध्यवर्तियों का अनधिकृत आयात, अधिक उत्पादन, संयंत्र व मशीनरी की अनधिकृत स्थापना और मूल्य अनुमोदन के बिना मदों का विपणन जैसे उल्लंघन के आरोप सरकार के ध्यान में आये हैं। इनकी जांच की जा रही है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"फिल्मोत्सव आर्गेनाइजर्स बंगल अगेन" शीर्षक से समाचार

8534. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 5 जनवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "फिल्मोत्सव आरगेनाइजर्स बंगल अगेन" शीर्षक समाचार को पढ़ा है;

(ख) क्या सरकार ने पूरे ब्यौरे का पता लगाने की कोशिश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरे तथ्य क्या हैं;

(घ) अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही की जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने 5 जनवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फिल्मोत्सव आर्गनाइजर्स बंगल अगेन" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है। उसमें फिल्मोत्सव 82 के उद्घाटन समारोह से सम्बन्धित व्यवस्थाओं यथा कुछ प्रख्यात फिल्मी हस्तियों की अनुपस्थिति और प्रेस शो से सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। सरकार संदर्भाधीन प्रेस रिपोर्ट में व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है।

फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि और फिल्मी हस्तियां उद्घाटन समारोह में उपस्थित थीं। इसके अलावा, फिल्म समारोहों में यह प्रतिष्ठित परंपरा है कि प्रेस शो वाणिज्यिक प्रदर्शनों से पहले किए जाते हैं जिसके बारे में आलोचक ने आपत्ति की है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि समारोह के सभी प्रतिनिधि और फिल्मी आलोचक समारोह के शुरू में नहीं पहुंचते किन्तु वे समारोह अवधि के अंतिम कुछ दिनों तक भी पहुंचते रहते हैं।

अखबारी कागज के दामों में वृद्धि

8535. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1 अप्रैल, 1982 से अखबारी कागज के दाम 250 रुपये प्रति टन बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ग) इस वृद्धि से समाचारपत्रों, विशेष रूप से देश के लघु समाचारपत्रों, पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या इससे समाचारपत्रों को समाचारपत्रों की और कीमत बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इस प्रकार वे (समाचारपत्र) सामान्य आदमी की पहुंच से दूर हो जायेंगे और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान 5,960/ रु० प्रति टन की तुलना में अप्रैल-जून, 1982 की तिमाही के लिए 48.8 जी० एम० एस० आयातित अखबारी कागज का मूल्य 6,120/ रु० निश्चित किया गया है। इसलिए 1-4-1982 से वास्तविक वृद्धि 160/ रु० प्रति टन की है न कि 250/ रु० प्रति टन की। तथापि, राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक से उपलब्ध आयातित अखबारी कागज के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ग) और (घ) अखबारी कागज का मूल्य उन अनेक बातों में से एक है जो समाचारपत्रों के मूल्य को प्रभावित करती हैं। वर्तमान वृद्धि का उन समाचारपत्रों पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ सकता है जो अखबारी कागज हाई सी बिक्री आधार पर खरीदते हैं। लघु समाचारपत्रों, जो अखबारी कागज सामान्यतया राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक से खरीदते हैं, पर वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केरल की मतदान सूचियां

8536. **श्री हरीश रावत** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल की मतदाता सूचियों में की गई बहुत अधिक गलत प्रविष्टियों के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग में निहित है। निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि उसे उस राज्य में निर्वाचक नामावलियों का सघन पुनरीक्षण करने की मांग करते हुए केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर नामों के काट दिए जाने का अभिकथन किया गया है। किन्तु यह शिकायत विनिर्दिष्ट शिकायत नहीं थी।

विधान परिषदों की सदस्यता के बारे में उपबन्ध

8537. **श्री एन० डेनिस** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों की सहायता की अवधि के प्रश्न पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विधि मंत्रालय को इस बारे में संगठनों या लोगों से कोई अभ्यावेदन मिले हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि निर्वाचन विधि का संशोधन इस प्रकार किया जाए जिससे कि राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के द्विवार्षिक निर्वाचन प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् हों और इन सदनों के सदस्यों की पदावधि का क्रम स्वयं विधि में इस आशय का उपयुक्त उपबंध करके स्थायी आधार पर नियत किया जाए कि ऐसे मामलों में जिनमें इन सदनों के स्थानों को भरने के

लिए निर्वाचन नियत तारीखों पर नहीं किए जा सके हैं, तत्पश्चात् निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य 6 वर्ष की अवधि के उस शेष भाग के लिए होंगे जिसकी गणना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 71 या धारा 74 के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी । सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

(ग) और (घ) इस बाबत एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । इस अभ्यावेदन में यह सुझाव दिया गया था कि निर्वाचन विधि में संशोधन इस प्रकार किया जाए जिससे कि सदस्य की पदावधि की संगणना पद के रिक्त होने की तारीख से की जाए ।

योजना का प्रचार बढ़ाने के लिए की गई कार्यवाही

8538. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के नाम क्या हैं जो उनके मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्रिकाओं की नियमित डाक सूची में हैं; और

(ख) देश में विशेष रूप से ग्रामीण भाषा के दैनिक पत्रों के माध्यम से योजना का प्रचार बढ़ाने के लिए की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी 8 कार्यक्रम पत्रिकाएं प्रकाशित करती है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति से सम्बद्ध संसद सदस्यों (**विवरण-एक**) को किसी भी एक पत्रिका की प्रति सप्लाई की जाती है । प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित तीन पत्रिकाएं अर्थात् "इंडियन एंड फारेन रिव्यू", "योजना" और "भागीरथ" को सभी संसद सदस्यों को सप्लाई किया जाता है । 29 प्रत्याधित संवाददाताओं (**विवरण-दो**) को पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं सप्लाई की जाती हैं ।

(ख) देश में योजना का प्रचार मंत्रालय के सभी माध्यम एककों द्वारा किया जाता है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन वार्ताओं, परिचर्चाओं, नाटकों, रूपकों, स्टूडियो-आधारित कार्यक्रमों तथा क्षेत्र-आधारित प्रसारणों जैसे विभिन्न रूपों के माध्यम से योजना की नीति, उद्देश्यों और उसके कार्यान्वयन की प्रगति पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं ।

फिल्म प्रभाग सिनेमाघरों में तथा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की क्षेत्रीय यूनिटों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए उक्त विषय के विभिन्न पहलुओं पर अनेक डाकुमेंट्री फिल्में बनाता है ।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित "योजना" के विभिन्न भाषाई संस्करणों में लोगों के लिए देश के योजनाबद्ध विकास के बारे में सूचनाप्रद और प्रेरक सामग्री दी जाती है । "कुरुक्षेत्र", जिसे हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाता है, में योजनाबद्ध ग्रामीण विकास के सभी पहलुओं को प्रचारित किया जाता है ।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय योजना का प्रचार करने के लिए फोल्डर और ब्रोसर प्रकाशित करता है और विशेष रूप से तैयार किए गए विज्ञापनों को जारी करता है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रदर्शनी स्कन्ध शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में योजना से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से प्रदर्शनियां आयोजित करता है।

पत्र सूचना कार्यालय योजना के विभिन्न पहलुओं पर हैंड आऊट और विशेष लेख जारी करता है तथा उनको अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से ग्रामीण भाषाओं के दैनिक पत्रों को भी उनकी संबंधित भाषाओं में वितरित करता है।

विवरण-एक

लोक सभा

1. श्री ए० नीललोहितदासन
2. प्रो० रूपचन्द पाल
3. श्री के० अर्जुनन
4. श्री मोहेन्द्र नगनगोम
5. श्री रशीद मसूद
6. श्री काजी जलील अब्बासी
7. श्री शांताराम पोटदुखे
8. श्री लक्ष्मण कर्मा
9. श्री पी० आर० भारद्वाज
10. श्री मंगल राम प्रेमी
11. श्री गुफरान आजम
12. श्री रामेश्वर नीखरा
13. श्री ठाकुर शिवकुमार सिंह
14. श्रीमती किशोरी सिन्हा
15. श्री फूल चन्द वर्मा
16. श्रीमती बेगम आबिदा अहमद

राज्य सभा

1. श्री श्रीकान्त वर्मा
2. श्री यू० आर० कृष्णन्
3. श्रीमती नूरजहां रजाक

4. श्री जे० पी० माथुर
5. श्री पी० पी० प्रधान
6. श्री सैयद अब्दुल मलिक
7. श्री गौस मोहिउद्दीन शेख
8. श्री टी० बशीर
9. श्री सैयद रहमत अली
10. श्री खुशवन्त सिंह
11. श्रीमती रोडा मिस्त्री
12. श्री रामचन्द्र भारद्वाज
13. श्री पी० एन० सुकुल
14. श्री नेपाल देव भट्टाचार्जी
15. श्री वी० सी० गणेशन

विवरण-दो

1. श्री वाई० के० भटनागर,
   हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ।
2. श्री ए० पी० राजवंसी,
   हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ।
3. श्री सत्यवीर त्यागी,
   हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ।
4. श्री एल० पी० एस० श्रीवास्तव,
   नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली ।
5. श्री दीनानाथ मिश्र,
   नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली ।
6. श्री हिमांशु जोशी,
   साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली ।
7. श्री जी० पी० जैन,
   सेवाग्राम, दिल्ली ।
8. श्री विजय भाटिया,
   साक्षी, नई दिल्ली ।
9. श्री भानु प्रताप शुक्ल,
   पांचजन्य, नई दिल्ली ।

10. श्री बिपेन्द्र शर्मा,
जनयुग, नई दिल्ली ।

11. श्री बी० पी० अग्रवाल,
हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली ।

12. श्री एस० एन० द्विवेदी,
हिन्दुस्तान समाचार, नई दिल्ली ।

13. श्री आर० पी० सूद,
समाचार भारती, नई दिल्ली ।

14. श्री जे० के० जैन,
दूरदेश नई दिल्ली ।

15. श्री उदयन शर्मा,
रविवार, कलकत्ता ।

16. श्री विनोदानन्द ठाकुर,
आर्यावर्त, पटना ।

17. श्री हरि प्रताप सिंह,
बंधविया समाचार, रेवा ।

18. श्री एस० जोगा राव,
ब्लिट्ज, बम्बई ।

19. श्री जगन्नाथ शास्त्री,
दैनिक भास्कर, भोपाल ।

20. श्री जे० पी० चतुर्वेदी,
देशबन्धु ग्रुप, जबलपुर ।

21. श्री देवदत्त,
प्रगतिवादी, कटक ।

22. श्री चतुर्भुज मिश्र,
जागरण, कानपुर ।

23. श्री पी० एन० बाजपेयी,
नेशनल हेरल्ड, नई दिल्ली ।

24. श्री नवीन चन्द्र बी० शाह,
बदोदरा समाचार, वदारा, गुजरात

25. श्री के० सी० निगम,
नवीन दुनिया, जबलपुर ।

26. श्री गिरीश माथुर,
नवजीवन, लखनऊ ।

27. श्रीमती मनुहारी पाठक,
नव ज्योति, जयपुर ।

28. श्री हीरा लाल चौबे,
सन्मार्ग, कलकत्ता ।

29. श्री पी० के० नरेश,
राजस्थान पत्रिका, जयपुर ।

गुजरात में ग्रामीण संचार योजनाएं

8539. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण संचार योजनाओं को लागू करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1981-82 में इन योजनाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(ग) गुजरात में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां यह योजना लागू की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (i) डाक ।

(क) डाक क्षेत्र प्लान योजना के उत्तरोत्तर क्रियान्वयन के बतौर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तारीख 28-2-82 तक 1,26,000 खुलेघर खुले हुए थे तथा 4,21,747 लेटर बक्स स्थापित किए जा चुके थे। इसके अतिरिक्त देश में 69,847 गांव चल डाक काउंटर सेवा के अन्तर्गत आ गये थे । देश में कुल 5,75,936 गांवों में से 5,74,714 गांवों को दैनिक डाक वितरण सेवा भी उपलब्ध कराई गई है ।

(ख) निधियों का आवंटन वास्तविक लक्ष्यों के अनुरूप डाक-तार सर्किलवार किया जाता है न कि राज्यवार ।

(ग) गुजरात के सभी जिलों में डाक क्षेत्र प्लान योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ।

(ii) दूर संचार

(क) 30-3-82 को कुल 8496 टेलीफोन एक्सचेंजों में से लगभग 4900 टेलीफोन एक्सचेंज ग्रामीण / अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं । 31-3-82 को 17,294 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और 28,946 संयुक्त कार्यालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) साधारणतया ग्रामीण संचार योजनाओं के लिये अलग से कोई निधि आवंटित नहीं की जाती । प्रतिवर्ष दूर संचार सर्किलों की इच्छा पर कार्यों हेतु एक मुश्त अनुदान दिये जाते हैं जिनमें ग्रामीण दूरसंचार योजनायें सम्मिलित होती हैं ।

तथापि बहूद्देश्यीय ग्रामीण रेडियो प्रणाली का उपयोग करते हुए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के लिये वर्ष 1981-82 के लिये राज्यवार निम्नानुसार निधियां आवंटित की गई हैं :

आन्ध्र	1.5 लाख रुपये
गुजरात	4.0 लाख रुपये
महाराष्ट्र	2.0 लाख रुपये
मध्य प्रदेश	2.0 लाख रुपये
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2.0 लाख रुपये
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	2.0 लाख रुपये
तमिलनाडु	1.0 लाख रुपये
उत्तर प्रदेश	6.0 लाख रुपये

(ग) गुजरात के मेहसाना एवं पंचमहल (गोधरा) जिलों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोलने हेतु बहूद्देश्यीय ग्रामीण रेडियो योजना शुरू की गई है ।

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वाले नियमों को लागू करना

8540. **श्री थजाई एम० करुणानिधि** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी तमिलनाडु क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ग्रुप क से घ तक के अधिकारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था वाले नियमों को, मूल भर्ती, स्थायीकरण और पदोन्नतियों के समय आदेश जारी करने की तिथि से लागू नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि लागू किए गए हैं, तो प्रशासनिक और स्टाफ आर्टिस्ट दोनों तरफ कार्डर-वार और केन्द्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आकाशवाणी, तमिलनाडु में पिछले पांच सालों के दौरान कुल कितने कर्मचारी (श्रेणी क से घ तक के) सीधे भर्ती / पदोन्नत किए गए ;

(घ) उपर्युक्त "ग" में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारी थे ;

(ङ) आज तक बकाया रिक्त पदों का ब्यौरा क्या था और बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ; यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में अनुसूचित जाति / अनुसूचिल जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण के लिये सम्पर्क अधिकारी और एक अलग सेल नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(च) केवल तमिलनाडु में ही नहीं अपितु भारत के अन्य स्थानों पर भी आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र पर सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के कल्याण के लिए अलग से कोई सेल नहीं है क्योंकि इस प्रकार के किसी अलग सेल का औचित्य केवल कार्य की मात्रा पर ही हो सकता है।

महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड

8541. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड ने इस वर्ष मार्च में लोगों से मियादी जमा राशि आमंत्रित की थी ;

(ख) क्या कम्पनी ने सरकार की पूर्व मंजूरी ली थी ;

(ग) क्या कम्पनी ने इस बारे में कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने जमा की जाने वाली धनराशि के भुगतान की गारन्टी दी है; और

(ङ) कम्पनी द्वारा मियादी जमा राशि लेने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) जनता से निक्षेपों को आमंत्रित करने के लिये सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं है।

(ग) हां, श्रीमान् जी।

(घ) निक्षेपों के भुगतान की केन्द्रीय सरकार द्वारा गारन्टी नहीं दी गई है। वस्तुत: इसका विशेष विवरण निक्षेपों को आमंत्रित करते हुए, सम्बन्धित विज्ञापनों में दिया जाना आवश्यक है। कम्पनी द्वारा उक्त अपेक्षा का विधिवत् पालन किया गया था।

(ङ) कम्पनी द्वारा जमा राशियों के बढ़ाये जाने के मुख्य उद्देश्यों को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों और उसके अन्तर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

भागलपुर शहरी क्षेत्र, बिहार में डायलिंग प्रणाली शुरू करना

8542: **श्री समीनुद्दीन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में भागलपुर के शहरी क्षेत्र में डायलिंग प्रणाली नहीं है जिसके कारण बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और अन्य स्थानों से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भागलपुर, बिहार में डायलिंग प्रणाली शुरू करने के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ग) भागलपुर के शहरी क्षेत्र में डायलिंग प्रणाली कब तक चालू हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 1985 के अन्त तक स्वचल एक्सचेंज की व्यवस्था कर दिए जाने की आशा है ।

परिधान निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली

8543. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी ला बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली को गारन्टी संख्या 8877 द्वारा लिमिटेड कम्पनी होने के कारण लाइसेंस जारी किया है ;

(ख) क्या जिन एसोशिएट सदस्यों ने कम्पनी के नियमों के अधीन अपना पंजीयन कराया है उनको कम्पनी अधिनियम की अनुसूची में तालिका 'ग' के उपबन्ध 14 के दिए गए संवैधानिक प्राविधान के बावजूद मत देने के अधिकार से वंचित रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का उन ऐसोशिएट सदस्यों को राहत देने के बारे में जो कम्पनी के कुल सदस्यों की संख्या के 60 प्रतिशत से अधिक हैं, क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किए गए प्रतिवेदन और आलेखों को अपने रिकार्ड में शामिल किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) इस परिषद को प्रादेशिक निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंस स्वीकृत किया गया था ।

(ख) यह सत्य है कि इस कम्पनी के, संस्था अन्तर्नियमों के अनुसार जैसे ये इस समय हैं, सह सदस्य मत देने का अधिकारी नहीं हैं ।

(ग) प्रादेशिक निदेशक, कानपुर ने कम्पनी को आवश्यक सही कार्यवाही करने का परामर्श दिया है ।

(घ) तथा (ङ) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली ने सूचित किया है कि कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दो फार्म संख्या 29 दोनों ही दिनांक 25-9-79 दो वार्षिक विवरणियां जो 28 जून, 1980 और 28 सितम्बर, 1981 तक बनाई गई हैं तथा 31 दिसम्बर, 1979 तक के तुलन-पत्र को दोषपूर्ण होने/

विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अभिलेखबद्ध नहीं किया गया है। तथापि, सभी अन्य विवरण-पत्रों और विवरणियों को अभिलेखबद्ध कर दिया गया है।

उत्तर-पश्चिम सर्किल के आर० एम० एस० सेक्शनों में काम और कर्मचारियों को कम करना

8544. **श्री मतिलाल हसदा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिम सर्किल के डी०-2 और डी०-1 सेक्शनों में काम और कर्मचारियों को कम किया जा रहा है ; और

(ख) इन सेक्शनों में काम और कर्मचारियों को कम करने के क्या करण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) बहुत-से रेल डाक सेवा सेक्शनों में संकुलता, अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा आवंटित डाक वाहनों की गैर-सप्लाई तथा डाक वाहनों की कमी की समस्याओं के प्रति हमारी चिन्ता रही है। डी०-1 तथा डी०-2 सेक्शनों में निपटाए जाने वाली डाक सामग्री की पुनरीक्षा अम्बाला के पोस्टमास्टर जनरल द्वारा की गई थी और उन्होंने यह निर्णय लिया कि ऐसी डाक सामग्री जो डाक कार्यालयों में बेहतर ढंग से निपटाई जा सकती है तथा जो कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता की दृष्टि से हित में हो, उसे इन डाक सेक्शनों से हटा लिया जाए। निपटाए जाने वाला कार्य उपलब्ध स्थान के अनुपात में होना चाहिए। कार्यभार में कमी होने के परिणामस्वरूप इन सेक्शनों में कुछ स्टाफ फालतू हो गया है परन्तु यह कमी धीरे-धीरे की जा रही है।

डाक्यूमेंटरी फिल्मों के माध्यम से योग शिक्षा का प्रचार

8545. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसी सामान्य भावना भी थी कि योग शिक्षा केवल ऋषियों और मुनियों के मतलब की है, परन्तु टेलीविजन देखने के बाद सामान्य जनता अब ऐसा महसूस करने लगी है कि यह सबको सुलभ है तथा अच्छा स्वास्थ्य और चरित्र बनाने के लिए यह आवश्यक है ; और

(ख) क्या योग शिक्षा का प्रचार डाक्यूमेंटरी फिल्मों से भी किया जायेगा ताकि जिन क्षेत्रों में टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) सरकार अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग शिक्षा की उपयोगिता से सहमत है। दूरदर्शन कार्यक्रमों के अलावा, देश के विभिन्न भागों में व्यापक प्रदर्शन के लिए "योग" पर डाकुमेंट्री फिल्में भी बनाई गई हैं।

कस्बा कोटला और जंगल बेरी डी० एस० ओ० को बनाए रखना

8546. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कस्बा कोटला डी० एस० ओ० (देहरा डाक मंडल) और जंगल बेरी डी० एस० ओ० (जिला हमीरपुर) को बनाये के रखने लिए न लौटाई जाने वाली धनराशि का भुगतान कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक मामले मे अलग-अलग कितनी धनराशि का किस तारीख को भुगतान किया गया ;

(ग) क्या तब से डी० एस० ओ० उनके यहां बने हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) (i) **कस्बा कोटला विभागेतर उप डाकघर (देहरा डाक मंडल)** : हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31-3-1972-से 31-7-1980 तक की अवधि के लिए वाजिब न लौटाए जाने योग्य अंशदान की बकाया राशि के रूप में 8-4-82 को 21, 320, 95 रुपये की रकम अदा की है। उन्होंने इस डाकघर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उप डाकघर के बनाने के लिए 15, 455,44 रुपये की राशि न लौटाने योग्य अंशदान के रूप में भुगतान करने की भी अपनी स्वीकृति दे दी है। तदनुसार विभागेतर उप डाकघर का दर्जा बढ़ाकर विभागीय उपडाकघर बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। परन्तु वास्तविक रूप से दर्जा तब बढ़ाया जाएगा जब विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए भवन उपलब्ध हो जाएगा।

(ii) **जंगल बेरी विभागेतर उप डाकघर** (जिला हमीरपुर) : हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 28-6-1977 से 27-6-1981 तक की अवधि के लिए 13, 692.72 रुपये न लौटाने योग्य अंशदान की बकाया राशि का भुगतान करने की अपनी स्वीकृति दे दी है परन्तु विभागीय उप डाकघर के बतौर आगे इस डाकघर का दर्जा बढ़ाने के लिए न लौटाने योग्य अंशदान की 6733, 20 रुपये की राशि का भुगतान करने की उनकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। सरकार द्वारा भुगतान के लिए वाजिब न लौटाए जाने योग्य अंशदान की रकम जमा कराने के बाद जंगल बेरी विभागेतर उप डाक घर का विभागीय उप डाकघर में दर्जा बढ़ाने की कार्यवाही की जाएगी।

प्राथमिकता के आधार पर इन्डेन गैस के कनेक्शन दिया जाना

8547. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1981 में इण्डेन गैस के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर देने के बारे में गण्यमान्य लोगों के अनेक अनुरोध प्राप्त हुए थे और 10 दिसम्बर, 1981 से 24 दिसम्बर, 1981 के बीच जारी किए गए पत्रों पर कोई कनेक्शन नहीं दिया गया, जब कि जनवरी और फरवरी, 1982 में जारी किए गए पत्रों पर गैस के कनेक्शन दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामलों पर किस तारीख तक विचार कर लिया जायेगा और सम्बन्धित व्यक्तियों को गैस-कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) 10-12-81 और 24-12-81 की अवधि के दौरान प्राथमिकता के आधार पर इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा लगभग 540 एल० पी० जी० कनेक्शन दिये गये जिनमें संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसा किए गए मामले सम्मिलित हैं। जनवरी 1982 और फरवरी 1982 के दौरान भी कनैक्शन जारी किए गए हैं। अग्रता के आधार पर एल० पी० जी० कनेक्शन के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों के वर्गवार और तिथि-वार ब्यौरे और स्वीकृत कनेक्शनों की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं। बकाया प्रार्थना-पत्रों का गुणों के आधार पर निपटान किया जायेगा।

उड़ीसा में पैराफीन वेक्स की यूनिट का बन्द होना

8548. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की गोनसोम पैराफीन वेक्स यूनिट बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उड़ीसा की उपर्युक्त पैराफीन वेक्स यूनिट को पुन: चलाने के लिए सरकार क्या कार्य-वाही करने पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) गंजम में मोम तैयार करने वाला एक यूनिट है अर्थात काय-टी-पेट्रोकेमिकल्स, गंजम। इन्डियन आयल कार्पोरेशन से ज्ञात हुआ है कि इस एकक ने वर्ष 1982 में स्लैक मोम की कोई मात्रा नहीं उठाई। इसके बन्द होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। तथापि ईस यूनिट को स्लैक मोम की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के माधोपुर कोयला खान में हुई घातक दुर्घटना की जांच

8549. **श्री नीरेन घोष** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 30 जून, 1981 को ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के अन्तर्गत माधौ-पुर कोयला खान के लसकर बन्ध यूनिट में हुई घातक दुर्घटना की जांच करवाई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि यह दुर्घटना प्रबन्धकों की असावधानी के कारण हुई ;

(घ) यदि हां, तो इस दुर्घटना के लिए कौन उत्तरदायी है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकद्मा दायर किया है ; और

(च) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ओबराय टावर होटल, बम्बई द्वारा एम० आर०
टी० पी० अधिनियम का उल्लंघन

8550. **श्री आर० मुथु कुमारन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बम्बई में ओबराय टावर होटल के विस्तार के बारे में जानकारी है ;

(ख) क्या विस्तार को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधीन अनुमति प्राप्त है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का एम० आर० टी० पी० अधिनियम के उक्त उल्लंघन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) मैसर्स ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड, जो "ओबराय" कम्पनी समूह से सम्बन्धित है, के द्वारा बम्बई में 300 कमरों के होटल के निर्माण के लिये किए गए प्रस्ताव का विदेशी पर्यटकों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, 28-10-1981 को पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदन किया गया था। इस परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी नहीं है।

(ख) कम्पनी ने अपनी परियोजना के अनुमोदन के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है।

(ग) अगर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है।

19 जनवरी, 1982 की हड़ताल के कारण अकार्य
दिवस तथा सेवा व्यवधान के मामले

8551. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश-भर में 5000 कर्मचारियों को प्रदर्शनों, नियमानुसार काम, समयोपरि भत्ते पर कार्य करने से इन्कार करने तथा भड़काने के कारण हड़ताल करने के लिए 1979 से मार्च, 1982 तक की अवधि में अकार्य दिवस तथा सेवा व्यवधान का दण्ड दिया गया है ; और

(ख) 19 जनवरी, 1982 की हड़ताल के कारण राज्य-वार कुल कितने लोगों को अकार्य दिवस तथा सेवा व्यवधान का दण्ड दिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**स्थिर डाकघरों तथा अनुभागों में आर० एम० एस०
कर्मचारियों की सांवधिक चिकित्सा जांच**

8552. **श्री समर मुखर्जी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थिर डाकघरों तथा अनुभागों में आर० एम० एस० कर्मचारियों की सांवधिक चिकित्सा जांच की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) स्थिर डाक कार्यालयों एवं सेक्शनों में कार्यरत रेल डाक सेवा कर्मचारियों की सांवधिक चिकित्सा जांच सुविधा प्रदान करने के बारे में कोई योजना नहीं है । तथापि चिकित्सा उपचार / सहायता के लिए रेल डाक सेवा के सभी नियमित कर्मचारियों को किसी न किसी योजना के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की जाती है । जो कर्मचारी ऐसे स्टेशनों पर रहते हैं जहां के० स० स्व० योजना लागू है तथा जहां डाक-तार औषधालय नहीं है, उन्हें के० स० स्व० योजना के अन्तर्गत सेवा प्रदान की जाती है तथा जिन स्टेशनों पर डाक तार औषधालय हैं वहां पर कर्मचारियों को इस योजना द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है । शेष कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सहायता) नियम 1944, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, के अंतर्गत सुविधा दी जाती है । इन योजनाओं / नियमों के अन्तर्गत पूर्ण रूप से एवं व्यापक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है और इन योजनाओं / नियमों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी, उनके प्राधिकृत चिकित्सा की सिफारिश पर रक्त, मूत्रादि की जांच, एक्सरे सुविधा ई० सी० जी० आदि की विशेष जांच की सुविधा के पात्र हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी का कटक केन्द्र

8553. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का कटक केन्द्र शक्तिशाली नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आकाशवाणी के कटक केन्द्र को दो चैनल के केन्द्र में बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं । आकाशवाणी, कटक में 100 किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर पहले ही कार्य कर रहा है ।

(ग) आकाशवाणी का कटक केन्द्र पहले ही दो चैनलों वाला केन्द्र है—मुख्य चैनल क्षेत्रीय सेवा के लिए और दूसरा विज्ञापन सेवा के लिए ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मिदनापुर में टी० वी० रिले केन्द्र

8554. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मिदनापुर में प्रस्तावित टी० वी० रिले केन्द्र की स्थिति क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : संसाधनों की कमी के कारण मिदनापुर में टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना को छठी योजना की अनुमोदित परियोजना में शामिल नहीं किया जा सका। तथापि, डाक-तार माइक्रोवेव लिंक की सहायता से दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए 49 स्थानों में से एक स्थान मिदनापुर चुना गया है। इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

उर्वरक संयंत्रों की कठिनाइयों को दूर करना

8555. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उर्वरक संयंत्रों को दोषपूर्ण डिजाइनों, दोषपूर्ण मशीनरी तथा उपकरणों और संगठनात्मक एवं प्रशासकीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कारणों का उनकी परिचालन दक्षता तथा अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग पर कुप्रभाव पड़ा है;

(ग) सरकार का उर्वरक संयंत्रों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 1978 में नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें क्या थीं; और

(ङ) सरकार ने इस समिति की सिफारिशों के संदर्भ में क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) कुछ सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक प्लांटों में डिजाइन और उपकरण कमियों, संचालन समस्याओं, बिजली समस्याओं आदि के कारण उत्पादन प्रभावित रहा है।

(ग) प्लांटों की संचालन कुशलता में सुधार लाने के लिए कठिनाई दूर करने, डिजाइन परिवर्धन, दोषपूर्ण उपकरणों को बदलने, संतुलन उपकरण लगाने, कैप्टिव बिजली उत्पादन सुविधा आदि लगाने जैसे उपचारी उपाय किए गए हैं या किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) वर्ष 1978 में सरकार द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने निम्नलिखित सामान्य प्रकृति के अनेक सुझाव दिए :

—नए प्लांटों के आकार का चयन,

—उत्पादन लक्ष्य और वित्तीय कार्यनिष्पादन,

—जनशक्ति आवश्यकता,

— कैप्टिव पावर प्लांट का प्रावधान,

— औद्योगिक सम्पर्क में सुधार,

—प्रबन्धकीय प्रशिक्षण, आदि ।

समिति ने सरकारी क्षेत्र में दुर्गापुर, बरौनी, उद्योगमंडल, कोचीन, गोरखपुर, नामरूप, मद्रास और ट्राम्बे उर्वरक प्लांटों की भी समीक्षा की और कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कुछ सिफारिशें कीं ।

सरकार ने इन सिफारिशों को उचित कार्यवाही के लिए सम्बन्धित सरकारी क्षेत्रीय उर्वरक कंपनियों को भेज दिया है। कंपनियों ने भी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की है ।

सिलेन्डरों में कुकिंग गैस के भार की जांच करना

8556. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलेण्डर की डिलीवरी के समय डिलीवरी ब्वाय के द्वारा स्प्रिंग तराजू से सिलेण्डर में गैस का वास्तविक भार दिखाया जाना संभव है; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है और यदि किसी अन्य तरीके पर विचार किया जा रहा है तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) कमानी तुला प्रायः पूर्णतया सही वजन नहीं देती बल्कि शीघ्र खराब हो जाती है और इसलिए खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों को तोलने की सिफारिश नहीं की जाती ।

एल० पी० जी० भरण संयंत्रों पर सिलेन्डरों के वजन की जांच की जाती है और एल० पी० जी० डीलरों द्वारा उनके वितरण से पूर्व कम वजन वाले खराब सिलेन्डरों को पृथक कर दिया जाता है । इन सावधानियों को बरतने के बाद भी यदि ग्राहक से कोई शिकायत मिलती है तो उपयुक्त जांच करने के पश्चात सिलेन्डर बदल कर दिया जाता है ।

भारतीय उर्वरक निगम के बरौनी गोदाम से यूरिया उर्वरक की चोरी

8557. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के बरौनी गोदाम की प्रत्यक्ष जांच के दौरान वहां पर 63 लाख रुपए मूल्य का 3182 मीटरी टन यूरिया उर्वरक कम पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त गोदाम की प्रत्यक्ष जांच कब से नहीं की गई थी; और

(ग) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कारखाने में उत्पादित यूरिया को एक निरन्तर बैल्ट तराजू द्वारा तौला जाता है और साइलों में रखा जाता है। साइलो में रखे हुए भण्डार की समय-समय पर और वित्तीय वर्ष के अन्त में भी प्रत्यक्ष जांच की जाती है।

कुछ रख-रखाव की हानियों, धूल से होने वाली हानियों और तराजू में गड़बड़ी प्रक्रिया में ही अन्तर्निहित हो गई है जिनसे बचा नहीं जा सकता। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कच्चे मालों और तैयार उत्पादों के लिए ऐसी अपरिहार्य हानियों के लिए मानदण्ड तैयार करने हेतु भूत-पूर्व एफ० सी० आई० ने वर्ष 1975 में एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति द्वारा तैयार किए गए मानदण्ड 1978 में तत्कालीन निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिये गये थे।

माह नवम्बर, 1981 में बल्क यूरिया की प्रत्यक्ष जांच की गई थी और इस अवधि के दौरान उत्पादित 94,00 टन यूरिया में से 3183 टन का अन्तर ध्यान में आया था। चूंकि यह हानि अनुमेय मानदण्ड से अधिक थी, इस अन्तर का पता लगाने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की उपलब्धियां

8558. **श्री एस० एस० कृष्ण** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की बंगलौर स्थित मुख्य प्रयोगशालाओं सहित पिछले 2 वर्षों में इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थीं;

(ख) क्या कुछ विशेषज्ञों के एक दल को कुछ आधुनिक शार्ट-सर्किट स्टेशनों के नक्शों का अध्ययन करने तथा फ्रांस एवं यूरोप के कुछ अन्य देशों से परामर्शदात्री सेवाएं प्राप्त करने हेतु फ्रांस एवं यूरोप के कुछ अन्य देशों को भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञों के इस दौरे पर कितना व्यय हुआ और उससे क्या वास्तविक उपलब्धियां प्राप्त हुईं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान की मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

(1) **परीक्षण तथा परामर्श**

देश में निर्मित विद्युत उपस्करों की गुणवत्ता सम्बन्धी आश्वासन में इस संस्थान ने महत्व-पूर्ण योगदान दिया है। विद्युत उपस्कर निर्माताओं की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परीक्षण सम्बन्धी विशेष सुविधाएं जोड़ी गई हैं। ये सुविधाएं देश में अभी तक उपलब्ध नहीं थीं। ये सुविधायें हैं : काम्बीनेशन स्विच यूनिटों के लिए मेक-ब्रेक परीक्षण सुविधा, 250

एम० वी० ए० तक के ट्रांसफार्मरों के परीक्षण के लिए परिवर्धित शार्ट-सर्किट परीक्षण सुविधाएं, 66 के० वी० क्रास पोलीथीन केबलों के लिए विकास संबंधी परीक्षण, 11 के० वी० केपेसिटरों के लिये परीक्षण सुविधाएं। मद्रास की एक फर्म के लिए मोल्डिड केस सर्किट ब्रेकर को स्वदेशी तौर पर विकसित करने में, भारत हैवी इले० लि० द्वारा रियेक्टरों के विकास में, भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० द्वारा वेक्यूम कन्ट्रेक्टर्ज के विकास आदि में इस संस्थान ने सहायता दी है। निर्यात किये जाने वाले 150 ट्रांसमिशन टावरों का परीक्षण संस्थान के टावर परीक्षण केन्द्र में किया गया है तथा 1981 में जापान की एक फर्म और ईरान की एक फर्म के बीच थर्ड पार्टी सर्टीफिकेशन नामकरण के रूप में भी इसने कार्य किया है। 400 के० वी० के लिए विशेष इन्सुलेटर हार्डवेयर परीक्षण के लिए तथा ट्रांसमिशन लाइन हार्डवेयर पर कम्पन परीक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था इस संस्थान में की गई है। परीक्षण सुविधाओं के बढ़ने के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में राजस्व में वार्षिक आधार पर 34.07 लाख रुपयों तक की बढ़ोतरी हुई है।

(2) अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास स्कंध के अन्तर्गत संस्थान ने आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के लिए एक 400 के० वी० के नेरो वेल्ड ट्रांसमिशन टावर का विकास किया है, उच्च गुणवत्ता वाले ट्रांसफार्मर तेल का तथा इस समय गांवों में प्रयोग किए जा रहे 10% की कार्य कुशलता वाले लकड़ी से जलाये जाने वाले सामान्य चूल्हे की तुलना में 30% की कार्य-कुशलता वाला लकड़ी से जलाए जाने वाला चूल्हा तैयार किया है।

(ख) जी, हां। विशेषज्ञों का दल अक्तूर, 1980 में फ्रांस तथा अन्य देशों में भेजा गया था।

(ग) केन्द्रीय विद्युत अनुसधान संस्थान ने विशेषज्ञों के दौरे पर 60,000 रु० खर्च किए हैं तथा इस दौरे के परिणामस्वरूप बंगलौर में हाई पावर शार्ट-सर्किट परीक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए एक उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री एजेन्सी का पता लगा लिया गया है।

दिल्ली दूरदर्शन पर नाटकों का पुनः दिखाया जाना

8559. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन पर पिछले 2 वर्षों में अनेक नाटक बार-बार दिखाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नाटकों की संख्या तथा उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ग) आम तौर पर दूरदर्शन नाटकों को दोहराया नहीं जाता। तथापि, उनको दर्शकों की मांग, किसी अवसर विशेष के अनुरूप

विषय वाले नाटक को दिखाने की आवश्यकता, अन्तिम क्षण पर निर्धारित नाटक के उपलब्ध न होने आदि के कारण कभी-कभी दोहराना पड़ता है ।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान, दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से "देवी" और "न्यायाधीश" नामक दो दूरदर्शन नाटकों को दो बार तथा निम्नलिखित को एक बार दोहराया गया था :

1. एक था राजा
2. मधुआ
3. दर्द आएगा दबे पांव
4. यहूदी की लड़की
5. दीमक
6. विक्रेता
7. सपना
8. अंजू दीदी
9. उधार की जिन्दगी
10. शेर शिवाजी
11. दोपहर का भोजन
12. बड़ी बुआ जी
13. सबकी इज्जत
14. दुर्घटना
15. सबके तो गरेबां सी डाले
16. कहानी कैसे बनी

डाक को एक सेट से दूसरे में अन्तरित किया जाना

8560. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक एक सेट से दूसरे में अंतरित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) रेल डाक सेवा छंटाई कार्यालय के एक सेट में कर्मचारियों की संख्या 6 महीने की आवधिक पुनरीक्षा के आधार पर निर्धारित की जाती है । यदि कर्मचारी और कार्यभार दोनों ही सामान्य हों, तो एक सेट से दूसरे सेट में डाक के स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता है । तथापि रेल डाक सेवा, रेल रोड और हवाई आदि सेवाओं पर निर्भर होती है, और यदि उनमें से कोई भी एक सेवा विलम्ब से चले तो रेल डाक सेवा डाक कार्यालयों का कार्यकरण अव्यवस्थित हो जाता है । एक सेट अपनी अपेक्षित डाक से अधिक डाक प्राप्त कर सकता है और कभी-कभी एक सेट से दूसरे सेट में एक डाक का स्थानान्तरण हो जाता है । ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात या समयोपरि भत्ता प्रदान करके भी काम निपटाने के प्रयास किये जाते हैं ।

उड़ीसा में नए टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

8561. **श्री के० प्रधानी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में विभिन्न राज्यों में कितने टेलीफोन केन्द्र खोले जाने हैं ;

(ख) क्या उक्त वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में कोई टेलीफोन केन्द्र खोला जाना है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में किन स्थानों पर उक्त टेलीफोन केन्द्र खोले जाने हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1982-83 के दौरान लगभग 650 एक्सचेंजों के संस्थापित किए जाने की संभावना है ।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान 20 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की संभावना है जो उपस्करों की सप्लाई पर निर्भर करता है। स्थानों के नामों के बारे में यथासमय सूचना दी जाएगी ।

कछार में ड्रिलिंग कार्य

8562. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कछार में कितने स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य आरंभ किया है और कछार परियोजना में कितनी रिंग काम पर लगाई गई हैं ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक दो कुएं खोदे हैं जो कछार के चारगोला तथा बरक स्थानों में खोदे गए हैं। इस समय एक व्यधन रिंग चारगोला संरचना पर दूसरे कुएं पर लगाई गई है।

(ख) इस क्षेत्र में अभी तक हाइड्रोकार्बन नहीं मिले हैं ।

गुजरात में डाकघरों का खोला जाना

8563. **श्री नवीन रवाणी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों में कुल कितने डाक-घर खोले गये ;

(ख) उनमें से कितने डाकघरों में टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ; और

(ग) गुजरात राज्य में छठी योजनावधि में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जिलावार कुल कितने डाकघर खोले जाने हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात के विभिन्न जिलों के ग्रामीण इलाकों में 451 डाकघर खोले गए हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना हेतु समग्र रूप में देश-भर के लिए ग्रामीण डाक विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । अनुवर्ती वार्षिक योजनाओं में सर्किलवार लक्ष्य निर्धारित किया

जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान गुजरात के ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या इस समय निर्धारित नहीं की जा सकती है। जहां तक शहरी इलाकों में डाकघरों का सम्बन्ध है, विभागीय नियमों के अन्तर्गत जहां औचित्य पाया जाता है, डाकघर खोला जाता है।

पनबिजली क्षमता का सर्वेक्षण

8564. **श्री बी० आर० नाहटा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य की पनबिजली क्षमता का सर्वेक्षण किया गया है और प्रत्येक राज्य की पनबिजली क्षमता क्या है ; और

(ख) पनबिजली की उच्च क्षमता वाले राज्यों की पनबिजली क्षमता का राज्य क्षेत्र तथा केन्द्र क्षेत्र में क्रमश: उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रारंभ में 1953-59 के दौरान, देश की जल विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर लगभग 42,000 मेगा० आंकी गई थी। तथापि, बाद में उपलब्ध हुई आधार-सामग्री प्रौद्योगिकी, निर्माण तकनीकों में हुई प्रगति और विकास निर्माण सम्बन्धी तकनीकों, ऊर्जा की अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन आदि को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश की जल विद्युत शक्यता के पुन: आकलन करने का कार्य हाथ में लिया है। संकलित किए गए आंकड़ों के आधार पर किये गए प्रारंभिक आकलन के अनुसार देश में जल विद्युत शक्यता अनन्तिम तौर पर 60% भार अनुपात पर 75,000 मेगा० (60% भार अनुपात पर 45,000 मेगा०) से अधिक आंकी गई है जो 396 टी० डब्ल्यू० एच० के वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के बराबर है। जल विद्युत शक्यता का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) जल विद्युत स्कीमों के अन्वेषण और कार्यान्वयन का कार्य आम तौर पर राज्यों द्वारा ही किया जाता है। तथापि राज्यों के प्रयासों की अनुपूर्ति करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम और उत्तर-पूर्वी विद्युत शक्ति-निगम के जरिए कुछ जल विद्युत स्कीमों, नामश: जम्मू और काश्मीर में सलाल (345 मेगा०), हिमाचल प्रदेश में बैरा-स्यूल (180 मेगा०), मणिपुर में लोकतक (105 मेगा०), असम-मेघालय सीमा पर कोपिली (150 मेगा०) निर्माण के लिए हाथ में ली है। जम्मू और काश्मीर में दुल-हस्ती (390 मेगा०) तथा बिहार में कोयल-कारी (710 मेगा०) जैसी कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाओं पर भी अवसंरचनात्मक कार्य आरम्भ कर दिये गए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों के अन्वेषण प्रयास के अलावा विशाल अप्रयुक्त जल विद्युत शक्यता वाले कुछ राज्यों में कई जल विद्युत स्कीमें विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा भी अन्वेषण के लिए हाथ में ली गई हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	निश्चित शक्यता (100% भार अनुपात पर) मेगावाट
1.	आन्ध्र प्रदेश	1700
2.	बिहार	460
3.	गुजरात	790
4.	हरियाणा	40
5.	हिमाचल प्रदेश	5950
6.	जम्मू और काश्मीर	3800
7.	कर्नाटक	3050
8.	केरल	1800
9.	मध्य प्रदेश	2200
10.	महाराष्ट्र	1200
11.	उड़ीसा	2350
12.	पंजाब	800
13.	राजस्थान	210
14.	सिक्किम	750
15.	तमिलनाडु	1250
16.	उत्तर प्रदेश	6000
17.	पश्चिम बंगाल	700
18.	दामोदर घाटी निगम	90
19.	उत्तर पूर्वी राज्य/क्षेत्र	12100

त्सोकर झील, लद्दाख में रसायनिक लवण

8565. **श्री चिन्गवांग कोन्यक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भावनगर में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में यह बताया गया था कि लद्दाख में त्सोकर झील में 500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के महत्वपूर्ण रसायनिक लवणों का भण्डार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, हां। भावनगर, गुजरात में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में प्रस्तुत किए गए कागजातों में से एक कागज यह

दर्शाता है कि त्सोकर झील 1.4 मिलियन टन सोडियम सल्फेट और 0.6 मिलियन टन पोटाश का एक सम्भावित स्रोत है जिसका मूल्य 500 करोड़ रुपये है ।

"एक्यूट स्केरसिटी आफ गैस सिलेण्डर्स इन रांची" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

8566. **श्री रामविलास पासवान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 मार्च, 1982 के इण्डियन नेशनल में "एक्यूट स्केरसिटी आफ गैस सिलेण्डर्स इन रांची" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, हां । समाचार का सम्बन्ध रांची में कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) और मिट्टी के तेल के अभाव से है। अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया है कि उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० सिलेंडरों के रिफिलों के लिए अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ती है ।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा बताया गया है कि मार्च से उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में परिवहनकर्ताओं की हड़ताल और हल्दिया शोधनशाला के रख-रखाव के लिए पूर्व-नियोजित बंद के कारण रांची क्षेत्र में एल० पी० जी० और मिट्टी के तेल का कुछ अभाव रहा। परिवहनकर्ताओं की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। आई० ओ० सी० ने हल्दिया से एल० पी० जी० की सप्लाईज के विकल्प प्रबन्ध किए हैं। आई० ओ० सी० अपने रांची के डीलरों के कथित भ्रष्टाचारों की जांच करेगी ।

"रिकार्डिड डिलीवरी" प्रणाली के अन्तर्गत पत्र भेजना

8567. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रिकार्डिड डिलीवरी" प्रणाली के अन्तर्गत पत्र भेजने की कोई व्यवस्था है ;

(ख) क्या इस प्रणाली के अन्तर्गत विभाग "रिकार्डिड डिलीवरी" लिफाफे पर लिखे नाम वाले व्यक्ति को पत्र डिलीवर करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करता है ; और

(ग) यदि पत्र गलत व्यक्ति को डिलीवर कर दिया जाता है तो उसका क्या समाधान है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) डाक तार विभाग ने तारीख 1-11-74 से "रिकार्डिड डिलेवरी सेवा" चालू की है । इस सेवा का मुख्य उद्देश्य पार्सलों

को छोड़कर अन्तर्देशीय डाक सामग्री प्रेषण तथा वितरण का रिकार्ड प्रदान करना है। जिन डाक वस्तुओं हेतु यह सुविधा उपलब्ध है, वह बीमाकृत वस्तुएं नहीं हैं। अतः विभाग इन वस्तुओं के गुम हो जाने, क्षतिग्रस्त होने अथवा विलम्ब होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करता तथापि, विभाग का यह प्रयास रहता है कि "रिकार्डिड डिलेवरी सेवा" के अन्तर्गत प्रेषित अन्तर्देशीय डाक वस्तुओं का वितरण इसके सही प्राप्तकर्ता को सुनिश्चित रूप से हो।

हिन्दी पत्रकारिता का विकास

8568. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिन्दी पत्रकारिता में प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त संस्थान की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हिन्दी पत्रकारिता के विकास के लिए "केन्द्रीय हिन्दी पत्रकारिता संस्थान" की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस उत्तदायित्व को भारतीय जन संचार संस्थान को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा; और

(ग) क्या केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के समान हिन्दी पत्रकारिता के विकास के लिए एक अलग संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) हिन्दी पत्रकारिता के विकास के लिए एक अलग संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारतीय जन संचार संस्थान हिन्दी पत्रकारिता में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों सहित संचार में कई पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चला रहा है। संस्थान ने हिन्दी पत्रकारिता में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से 22 जून से 4 जुलाई, 1981 तक वाराणसी में आयोजित किया था। इसमें अठारह व्यक्तियों ने भाग लिया था जिनमें ग्यारह उत्तर प्रदेश के, पांच मध्य प्रदेश के और दो बिहार के थे।

तेल शोधक मशीनरी का निर्माण

8569. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे तेल शोधक कारखानों में उपयोग में लाई जा रही तेल शोधक मशीनरी का निर्माण देश में किया जा रहा है अथवा उसका आयात किया जा रहा है; और

(ख) यदि इसका आयात किया जाता है तो अब तक आयात की गई मशीनरी का कुल मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) देश में तेल शोधनशालाओं की स्थापना के लिये स्वदेशी तथा आयातित दोनों प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया गया है। अब तक आयात किये गये कुल उपकरणों के मूल्य का अनुमान लगभग 193 करोड़ रुपये है।

पश्चिमोत्तर सर्किल में "डिस्ट्रिक्ट सार्टिंग" शुरू करना

8570. **श्री अजीत बाग : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमोत्तर सर्किल में "डिस्ट्रिक्ट सार्टिंग" प्रणाली शुरू की जा रही है;

(ख) उक्त प्रणाली का डाक प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सर्किल में "डिस्ट्रिक्ट सार्टिंग" प्रणाली शुरू करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रणाली से डाक वस्तुओं हेतु निश्चित मार्ग प्राप्त हो सके हैं तथा छंटाई प्रक्रिया सरल बन सकी है।

प्रेस परिषद् का पुनर्गठन

8571. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रेस परिषद् का पुनर्गठन किया है जिसमें 28 सदस्य हैं जिनकी अवधि तीन वर्ष है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद में सदस्यों को प्रेस परिषद् (सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रिया) नियम, 1978 के नियम 3, 4, और 5 के साथ पठित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों के अनुसार नाम निर्दिष्ट किया जाता है।

दूरदर्शन/रेडियो से राज्यों के समाचार के प्रसारण के संबंध में दूरदर्शन/आकाशवाणी को मार्गनिदेश/अनुदेश

8572. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन/रेडियो राज्यों के समाचारों के प्रसारण के सम्बन्ध में दूरदर्शन/आकाशवाणी को कोई मार्गनिदेश/अनुदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रचार कार्यों पर खर्च की गई धनराशि

8573. **श्री कृष्णचन्द्र हाल्दार :**
श्री रास बिहारी वहेरा :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम क्या हैं और इन उपक्रमों द्वारा प्रचार कार्यों पर पिछले तीन वर्षों में, उपक्रम-वार, वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) विज्ञापन के लिए इन उपक्रमों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले दैनिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के, उपक्रम-वार, भाषा-वार, नाम क्या है और पिछले तीन वर्षों में उन संवाददाताओं के नाम क्या हैं, जो उपक्रम-वार, समाचारपत्र-वार, तथा वर्ष-वार इन उपक्रमों की डाक सूची में हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के उन प्रत्याशित संवाददाताओं के नाम उपक्रम-वार, समाचार-पत्र-वार, क्या हैं जो इन उपक्रमों की नियमित प्रेस विज्ञप्तियां प्राप्त करने की डाकसूची में है और इन उपक्रमों के प्रचार अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। प्रचार पर व्यय की गयी धनराशि, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) और (ग) मांगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह सूचना बहुत विशालकाय होगी तथा इसकी उपयोगिता इसको एकत्र करने में किये जाने वाले प्रसारणों के अनुरूप न होगी ।

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम

पेट्रोलियम विभाग

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
2. आयल इण्डिया लिमिटेड
3. इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड

4. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
5. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड
7. मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड
8. इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड
9. इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
10. लुब्रीजोल इण्डिया लिमिटेड
11. इण्डियन पेट्रो केमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
12. बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड
13. बीको लारी लिमिटेड
14. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया लिमिटेड)
15. पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड

सहायक कम्पनियां

16. हाइड्रो-कार्बन्स इण्डिया लिमिटेड (तेल एवं प्राकृतिक गैस योग की सहायक कम्पनी)

17. इण्डियन आयल ब्लैंडिंग लिमिटेड (इण्डियन आयल कारपोशरेन लिमिटेड की सहायक कम्पनी ।)

18. बामर लारी एन्ड कम्पनी लिमिटेड (इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी की सहायक कम्पनी)

रसायन और उर्वरक विभाग

1. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
2. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
5. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
6. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड
7. फर्टिलाइजर्स (प्लानिंग एण्ड डिवेलपमेंट) इण्डिया लिमिटेड
8. पायराइट्स फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
9. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
10. हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड
11. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड
12. हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स लिमिटेड

13. स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड
14. बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्मास्युटिकल्स वर्क्स लिमिटेड
15. बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड
16. पारादीप फासफेट लिमिटेड

प्रबन्धकीय नियुक्तियों के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

8574. **श्री आर० प्रभु :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रबन्धकीय नियुक्तियों के लिए अब तक कितने आवेदन-पत्र बिचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) इनमें से कितने अभ्यावेदन तीन वर्ष से भी अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) प्रबन्धकीय नियुक्तियों के लिये 31-3-1982 तक, अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 646 है।

(ख) इनमें से तीन वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या 2 है।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली

8575. **श्री एम० राजशेखर मूर्ति :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा एक कम्पनी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, नई दिल्ली ने अपनी एसोसिएशन के अनुच्छेदों में अपनी कार्यकारी समिति के लिए प्रादेशिक आधार पर निर्धारित किये गये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है और 34 सीटों में से केवल 27 सीटों के लिए यह व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि किसी कम्पनी के अनुच्छेद में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना कम्पनी अधिनियम; 1956 के विरुद्ध है; और

(ग) सरकार उक्त भाग (ख) को ध्यान में रखकर क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कम्पनी अधिनियम में, किसी कम्पनी के अनुच्छेद में प्रादेशिक आधार पर इसके सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने से निषेध करने के लिये, कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) की दृष्टि से उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में भेदभावपूर्ण निर्णय लेना

8576. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के भूतपूर्व कर्मचारियों के बारे में भेदभावपूर्ण निर्णय लेने के बारे में 16 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3509 और 15 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3761 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व कर्मचारियों को दी गई अन्तरिम राहत की राशि औद्योगिक न्यायाधिकरण, दिल्ली का निर्णय होने पर उनके द्वारा वापस दी जाती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ;

(ख) निर्णय लेने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है देखें---ओ० ओ०—संख्या 5 (33) ए० एण्ड जी०/81/87, दिनांक 17-11-81;

(ग) करुणामूलक आधारों पर अन्तरिम राहत को वसूली न करने का ऐसे कर्मचारियों सहित क्या ब्यौरा है ; और

(घ) क्या सरकार कुछ अन्य मामलों, यदि कोई हैं, उनमें भी भूतपूर्व कर्मचारियों को करुणा-मूलक आधारों पर अन्तरिम राहत वसूली न करने पर विचार करेगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नीति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) डेसू के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता का भुगतान किये जाने/वापस दिये जाने का मामला औद्योगिक अधिकरण में न्याय निर्णयाधीन है। औद्योगिक अधिकरण कब तक निर्णय देगा, यह बता सकना संभव नहीं है।

(ख) डी० ई० एस० सी०/एम० सी० डी० के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सक्षम-प्राधिकारी होने के नाते, आयुक्त दिल्ली नगर निगम ने इस मामले में निर्णय लिया है जो सूचना के लिए कार्यालय आदेश संख्या एफ 5 (33) ए० एण्ड जी०/81/87 दिनांक 17-11-1981 के जरिये कार्यान्वयन के लिये अधिसूचित किया गया था।

(ग) अंतरिम सहायता की वसूली छूट केवल श्री एस० सी० भाटिया के मामले में दी गई थी जो कि डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सक-बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दीर्घकाल से मानस रोग से पीड़ित थे।

(घ) डेसू ने सूचित किया है कि जिन मामलों का निर्णय हो चुका है उन्हें फिर नहीं खोला जा सकता। ऐसे मामलों के लिये, विशेषकर, उपरोक्त तारीख 17-11-1981 के कार्यालय आदेश द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को देखते हुए, कोई सामान्य नीति नहीं है।

तेल निगमों द्वारा, विशेषकर आदिवासियों के लिये डीलरशिपों और डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिये विज्ञापन

8577. **श्री भीखा भाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिन्न-भिन्न तेल निगमों द्वारा डीलरशिपों और डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में जारी किये जाने वाले विज्ञापनों में क्या-क्या नियम और विनियम सम्मिलित किये जाते हैं ;

(ख) क्या ये विज्ञापन जारी करते समय, उन आदिवासियों के हितों की रक्षा करने पर ध्यान दिया जा रहा है जिनके परिवार भिन्न-भिन्न प्रथागत तथा सांविधिक कानूनों द्वारा विनियमित किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार उन निगमों को अनुदेश देगी कि अनुसूचित ज़नजातियों के पक्ष में डीलरशपों और डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में ऐसी शर्तें न रखी जायें जो अन्य विज्ञापनों के मामले में रखी जाती हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) डीलरशिपें/ डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रदान करने के लिये तेल कम्पनियों को जारी किये गये नवीनतम मार्गदर्शक निर्देशों की एक प्रति दिनांक 23 फरवरी, 1982 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 299 के उत्तर में पहले ही सभा-पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(ख) और (ग) नीति मार्गदर्शक निर्देशों का, जहां तक अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां दोनों प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये संयुक्त रूप से आरक्षित 25 प्रतिशत कोटे में से अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें। तेल कम्पनियों को तदनुसार आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। विद्यमान मार्गदर्शक निर्देशों में समाज की मातृसत्तात्मक तथा पैतृक दोनों व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया है। इसके अतरिक्त इस प्रकार के अधिक्य जनसंख्या वाले समुदायों के स्थलों को इनके लिये उद्दिष्ट किया जा रहा है।

कार्य की व्यस्तता के समय राज्यों में बिजली की कमी

8578. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और प्रमुख शहर/नगर में 31-3-81 को समाप्त होने वाले प्रत्येक पिछले तीन वर्षों में कार्य की व्यस्तता के समय कितने मेगावाट बिजली की कमी रही और इस कमी के क्या कारण थे ; और

(ख) क्या बिजली की कमी के कारण उन शहरों/नगरों में बिजली की कटौती की गई और क्या बिजली में कटौती न करने के लिए इस पर राशनिंग या कंट्रोल लागू किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) आज देश में विद्युत की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अच्छी है। कमियां भी घट गई हैं।

वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान व्यस्ततम कालीन अवधि के दौरान मेगावाट में विद्युत समग्र कमी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शहरों तथा नगरों के संबंध में विद्युत की कमी के ब्यौरों की मानीटरिंग ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती। विद्युत की व्यस्ततम कालीन कमी के कारण ये हैं ; प्रतिष्ठापन उत्पादन क्षमता अपर्याप्त होना, ताप विद्युत केन्द्रों का असंतोषजनक कार्य निष्पादन तथा कुछ राज्यों में जल विद्युत-ताप विद्युत का गैर आनुपातिक मिश्रण।

(ख) मांग और उपलब्धता के बीच अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से राज्य सरकारों ने विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों पर विद्युत कटौतियां/प्रतिबंध लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रणाली में जब कई ताप विद्युत यूनिटों की एक साथ बन्दियों जैसी अप्रत्याशित गड़बड़ियां हो जाती हैं तो प्रणाली को फेल होने से बचाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को लोड शेडिंग का सहारा लेना पड़ता है।

विवरण

वर्ष 1978-79, 1979-80 तथा 1980-81 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम कालीन अवधि के दौरान मेगावाट में विद्युत की समग्र कमी

(आंकड़े मेगावाट में)

	1978-79	1979-80	1980-81
उत्तरी क्षेत्र हरियाणा			
आवश्यकता	660	660	870
उपलब्धता	630	710	772
कमी (—) / अधिशेष (+)	—30	+50	—98
जम्मू और काश्मीर			
आवश्यकता	153	188	220
उपलब्धता	154	188	191
कमी (—) / अधिशेष (+)	+1	—	—29
पंजाब			
आवश्यकता	770	1120	1335
उपलब्धता	908	1083	1130
कमी (—) / अधिशेष (+)	+138	—37	—205

राजस्थान			
आवश्यकता	700	863	914
उपलब्धता	706	739	813
कमी (—) / अधिशेष (+)	+6	—124	—101
उत्तर प्रदेश			
आवश्यकता	2240	2290	2250
उपलब्धता	2256	2324	2410
कमी (—) / अधिशेष (+)	+16	+34	—140
पश्चिमी क्षेत्र गुजरात			
आवश्यकता	1535	1650	1580
उपलब्धता	1402	1496	1450
कमी (—)	—133	—154	—130
मध्य प्रदेश			
आवश्यकता	1185	1155	1295
उपलब्धता	862	830	997
कमी (—)	—323	—325	—298
महाराष्ट्र			
आवश्यकता	2865	3180	3340
उपलब्धता	2409	2471	2832
कमी (—)	—456	—709	—508
दक्षिणी क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश			
आवश्यकता	1000	1000	1290
उपलब्धता	981	999	1186
कमी (—)	—19	—1	—104
कर्नाटक			
आवश्यकता	1376	1276	1444
उपलब्धता	1103	1075	1291
कमी (—)	—273	—201	—153
तमिलनाडु			
आवश्यकता	1642	1725	162?
उपलब्धता	1709	1708	1702
कमी (—) / अधिशेष (+)	+67	—17	+68

पूर्वी क्षेत्र बिहार			
आवश्यकता	480	550	650
उपलब्धता	465	471	481
कमी (—)	—15	—79	—169
दामोदर घाटी निगम			
आवश्यकता	850	760	888
उपलब्धता	758	670	888
कमी (—)	—92	—90	--
उड़ीसा			
आवश्यकता	450	470	510
उपलब्धता	519	489	560
अधिशेष (+)	+69	+19	+50
पश्चिम बंगाल			
आवश्यकता	1000	945	1260
उपलब्धता	850	833	1096
कमी (—)	—150	—112	—164
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
आवश्यकता	212	250	273
उपलब्धता	170	181	189
कमी (—)	— 42	—69	—84

एशियाई खेलों के लिए भारत में पी० ए० बी० एक्स० प्रणाली

8579. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में स्ट्रोजरटाइप की पी० ए० बी० एक्स० प्रणाली सबसे पुरानी है तथा आज के युग को देखते हुए इसकी तकनीक अप्रचलित हो गई है और इसके स्थान पर इलैक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स० स्थापित की जा रही है ;

(ख) क्या डाक तार विभाग ने एशियाई खेलों के लिए 13500 लाइनों का 2 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण ठेका मेल्ट्रोन को दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) यह सत्य है कि मौजूदा पी० ए० बी० एक्स० स्ट्रोजर किस्म के हैं परन्तु अप्रचलित नहीं हैं। हालांकि आधुनिक विश्व का रुख इलेक्ट्रोनिक पी० ए० बी० एक्स० की ओर है।

(ख) एशियाई खेलों के लिए इलेक्ट्रोनिक पी० ए० बी० एक्स० की सप्लाई करने के लिए मैसर्स थामसन सी० एस० एफ० टेलीफोन फ्रांस तथा मैसर्स मेलट्रन के भारतीय एजेन्टों को ठेके दिए गए हैं।

(ग) मैसर्स थामसन सी० एस० एफ० को 18 पी० ए० बी० एक्स० हेतु 1350 लाइनों का आदेश दिया गया है जो कि एशियाड-82 से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु अधिकांश होटलों और एअर लाइनों के खाने- पीने के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं।

आन्ध्र प्रदेश में पम्प सेटों को बिजली

8580. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में छठी पंचवर्षीय योजना में कितने पम्प सेटों को जिलावार बिजली दी गई है या दी जाने वाली है ; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिलावार कितने लोगों को लाभ पहुंचेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में आंध्र प्रदेश में 2.8 लाख पम्पसेट ऊर्जित किए जाने हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ अर्थात 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार राज्य में ऊर्जित किए गए सिंचाई पम्प सेटों की कुल संख्या 4,05,127 थी। 1-4-1980 से 31-12-1981 तक की अवधि के दौरान 73,410 अतिरिक्त पम्पसेट ऊर्जित किए गए हैं। इस प्रकार 31-12-1981 की स्थिति के अनुसार राज्य में ऊर्जित पम्पसेटों की कुल संख्या 4,78,537 हो गई। प्रगति का जिलेवार ब्यौरा विवरण में दिखाया गया है। छठी योजना के अन्त तक ऊर्जित किए जाने वाले पम्प सेटों की संख्या लगभग 6.85 लाख होगी। ऊर्जित किए जाने वाले पम्पसेटों की जिलेवार संख्या, भावी कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या के आधार पर, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाती है।

विवरण

छठी योजना के प्रारम्भ में अर्थात 1-4-1980 की तथा दिसम्बर, 1981 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में सिंचाई पम्प सेटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन में हुई जिलेवार संचयी प्रगति दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	जिला	ऊर्जित पम्पसेटों/ट्यूबवैलों/की संख्या	
		31-3-1980 की स्थिति के अनुसार	31-12-1981 की स्थिति के अनुसार
1.	श्रीकाकुलम	2,279	2,058
2.	विजयानगरम	*	2,568
3.	विशाखापतनम	4,134	3,349
4.	ईस्ट गोदावरी	19,264	10,198

5. वेस्ट गोदावरी	15,191	17,404
6. कृष्णा	14,899	15,468
7. गुन्टूर	8.633	8,905
8. प्रकासम	6,468	8,143
9. नैल्लोर	17,011	21,912
10. चित्तौड़	52,840	58,903
11. कुड्डापाह	17,817	21,882
12. अनन्तपुर	28,598	34,282
13. कुर्नूल	8,044	9,237
14. हैदराबाद (शहरी)	1,147	1,156
15. रंगारैड्डी	18,943	22,344
16. महबूब नगर	18,081	21,847
17. मेडक	22,252	29,875
18. निजामाबाद	25,636	33,398
19, आदिलाबाद	4,538	5,608
20. करीमनगर	55,726	63,040
21. वारंगल	29,328	35,496
22. खम्माम	6,375	7,298
23. नालगोण्डा	37,923	44,166
जोड़	4,05,127	4,78,537

*इसकी प्रगति श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों की प्रगति में शामिल है, नया विजयानगरम जिला इन्हीं में से बनाया गया है।

उड़ीसा में सुपर ताप बिजली घर की स्थापना किया जाना

8581. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में ईब घाटी में सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने के लिए उड़ीसा की सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान सुपर ताप बिजली घर की स्थापना करने का निर्णय किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सम्बलपुर जिले में ईब घाटी में 840 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए उड़ीसा सरकार ने कोयला लिंक व्यवस्था के लिए कहा है।

पश्चिमी बंगाल में मतदाताओं को पहचान-पत्र दिया जाना

8582. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) क्या जिन अन्य राज्यों में निर्वाचन होने हैं वहां भी पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) सरकार ने मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम को पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिद्धांत रूप में लागू करने का विनिश्चय किया है। तथापि, व्यवस्थाओं के क्रमिक क्रियान्वयन के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

पश्चिमी बंगाल में बंगलादेश के सीमावर्ती जिलों के मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र

8583. **श्री तारिक अनवर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के बंगलादेश के सीमावर्ती जिलों के मतदाताओं को पहचान-पत्र देने की प्रणाली आरंभ करने का विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : सरकार ने मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान-पत्र जारी करने की स्कीम को पश्चिमी बंगाल सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सिद्धांत रूप में लागू करने का विनिश्चय किया है। तथापि, व्यवस्थाओं के क्रमिक क्रियान्वयन के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

शालीमार बाग कालोनी, दिल्ली में मीटरों का ठीक काम न करना

8584. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनी शालीमार बाग (ए० सी० और ए० डी०) पाकेट में बनाए गए फ्लैटों के बिजली के मीटरों की रीडिंग कब ली है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मीटरों में गड़बड़ी पाई गई है और उन्हें बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) ठीक काम न करने वाले मीटरों के बिल कैसे तैयार किए जाएंगे क्योंकि यह पहली रीडिंग है और इस मामले में बिलों के निर्धारण की आम पक्रिया क्या है ;

(घ) यदि ऊपर-भाग (क) का उत्तर नकरात्मक हो, तो सरकार का विचार इन मीटरों की रीडिंग कब लेने का है;

(ङ) प्रथम बिल भेजने के लिए कितना समय दिया जाता है ;

(च) क्या यह सच है कि जोनल इंस्पेक्टर उक्त क्षेत्र की शिकायतों की सुनवाई उचित ढंग से नहीं करते हैं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) डेसू ने सूचित किया है कि शालीमार बाग (ए० सी० और ए० डी० पाकिटों) में लगे बिजली के मीटरों की रीडिंग ले ली गई है तथा मार्च, 1982 तक के बिल भेजे जाने की कार्यवाही चल रही है।

(ख) उपर्युक्त कालोनी के ए० सी० और ए० डी० ब्लाकों में लगाए गए मीटरों के ठीक काम न करने के सम्बन्ध में 16-4-1982 तक किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ग) यदि बाद में किसी तारीख को यह सिद्ध होता है, मीटर ठीक काम नहीं करते तो खपत का आकलन, खराब मीटर के स्थान पर लगाए गए मीटर में बाद की अवधि के दौरान रिकार्ड की गई खपत के अनुसार ही किया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) डेसू ने सूचित किया है कि नए कनेक्शनों के मामले में बिजली उपभोग प्रभार का पहला बिल जारी करने में सामान्यतः 3 से लेकर 9 महीने तक लग जाते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में पद्धति सम्बन्धी बहुत-सी औपचारिकताएं पूरी की जानी आवश्यक होती हैं।

(च) डेसू ने सूचित किया है कि बिजली की सप्लाई और अन्य सम्बन्धित मामलों की शिकायतों पर क्षेत्र के निरीक्षकों समेत विभिन्नि स्तरों पर ध्यान दिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्पों का आवंटन

8585. **श्री दौलत राम सारण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरे पेट्रोल पम्प के आवंटन के लिए दूरी, बिक्री आदि के बारे में कोई मानदण्ड, नियम या स्थायी आदेश हैं;

(ख) क्या जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर गाडोता के निकट एक पेट्रोल पम्प है और यदि हां, तो इसकी बिक्री कितनी है और यह कब स्थापित किया गया था ;

(ग) क्या इस पेट्रोल पम्प से बहुत कम दूरी पर दूसरा पेट्रोल और डीजल पम्प खोलने के लिए विज्ञापन दिया गया है और डीजल पम्प खोलना नियमों और निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन है ; और

(घ) क्या नया पेट्रोल पम्प नियमों का उल्लंघन करके खोला जाएगा और क्या इसके लिए कई बार विज्ञापन निकाले गए परन्तु आपत्तियों के कारण इन्हें रद्द करना पड़ा और यदि हां, तो नया विज्ञापन देने के क्या कारण हैं और क्या इस संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) जी, हां। अगस्त, 1980 से वर्तमान मात्रा-दूरी के विद्यमान मानदण्डों के अनुसार वर्तमान आउटलेट/आउटलेटों से राजमार्गों पर 15 किलोमीटर के दायरे के अन्तर्गत एक नये आउटलेट को स्थापित किया जा सकता है यदि राजमार्ग पर 15 किलोमीटर के अन्दर स्थित प्रत्येक आउटलेट की औसत मिश्रित थ्रूपुट 80 किलोमीटर प्रति माह से अधिक होती है।

(ख) गाडोता में दिनांक 31-3-78 से एक डीजल आउटलेट कार्य कर रहा है। वर्ष 1980 और 1981 के दौरान इस आउटलेट से डीजल की औसत बिक्री क्रमशः लगभग 81 किलोलीटर और 71.5 किलोमीटर प्रति माह थी।

(ग) और (घ) मोखमपुरा में एक रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए एक विज्ञापन दिया गया है। तेल कम्पनी ने वर्ष 1980 की बिक्री पर विचार किया और दिल्ली से बम्बई वाया जयपुर के बीच भारी यातायात की दृष्टि से क्षेत्र में तेजी से बढ़ती हुई मांग क्षमता के कारण बढ़ी हुई बिक्री के अनुमान और सांभर झील पर पूर्ण रूप से चलने वाली नमक की खानों के फलस्वरूप बढ़ने वाले यातायात पर भी विचार किया।

मोखमपुरा में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई आउटलेट के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यह भी पता चला है कि गाडोता के वर्तमान डीलर ने न्यायालय में अपील की है।

रासायनिक औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन

8586. **श्री राम लाल राही** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन रासायनिक औद्योगिक उत्पादों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती थी अब उनका उत्पादन देश में ही होने लगा है और इस प्रकार विदेशी मुद्रा की बचत की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन रासायनिक उत्पादों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) स्वतन्त्रता के बाद रसायन उद्योग ने तेजी से प्रगति की है। मेथानोल, फिनोल, बेन्जीन और जाइलीन को छोड़-

कर अधिकतर रसायनों की स्वदेशी मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्थापित क्षमता विद्यमान है । तथापि रासायनिक औद्योगिक उत्पादों के आयात की आवश्यकता तभी पड़ती है जब कभी उनके उत्पादन में कमी आती है । आयात किए जाने वाले रसायनों के नाम और उनकी मात्रा से संबंधित सूचना का प्रकाशन महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी (भाग-II) में किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद ग्रन्थगार में उपलब्ध हैं । आयात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात का विनियमन किया जाता है । जहां आवश्यक है क्षमता उपयोग बढ़ाने और जहां स्थापित क्षमता अपर्याप्त है वहां और क्षमता के लिए लाइसेंस देने के लिए कदम उठाये जाते हैं । समग्र उपलब्धता और उद्योगों की परस्पर अग्रता की शर्त के साथ औद्योगिक उद्यमियों को लाइसेंस शुदा क्षमता तक उत्पादन करने के लिए कोक, कोयला, ईंधन तेल आदि जैसे ईंधन का आवंटन किया जाता है ।

आकाशवाणी में "न्यूज रीडर"/ट्रांसलेटर/प्रोड्यूसर

8587. **श्री रामायण राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी में कितने न्यूज रीडर-व-ट्रांसलेटर और न्यूजरीडर स्टाफ आर्टिस्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके वेतनमान क्या हैं,

(ख) आकाशवाणी में प्रोडक्शन संवर्ग में कितने व्यक्ति हैं और उनके वेतनमान क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि प्रोडक्शन संवर्ग में बहुत कम व्यक्तियों को 1100-1600 रुपये का वेतनमान मिल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार "न्यूजरीडर" जैसे व्यक्तियों के हित में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के स्थान पर प्रोड्यूसरों को 1100-1600 रुपये का एक और वेतनमान देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी में दो सौ पांच समाचार वाचक/समाचारवाचक-व-अनुवादक स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में कार्य कर रहे हैं । इनमें से, एक सौ अड़तालीस 650-1200 रुपए के जूनियर ग्रेड में हैं और सतावन 1100-1600 रुपए के सीनियर ग्रेड में ।

(ख) आकाशवाणी के प्रोडक्शन संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या और उनका वेतनमान इस प्रकार है :

पद की श्रेणी	संख्या	वेतनमान
प्रोड्यूसर	216	650-1200 रुपए
वरिष्ठ प्रोड्यूसर	33	900-1400 रुपए
उप मुख्य प्रोड्यूसर	5	1100-1600 रुपए
मुख्य प्रोड्यूसर	7	1300-1700 रुपए

(ग) प्रोडक्शन संवर्ग में, 1100-1600 रुपए के ग्रेड के सभी पदों को कार्यक्रमों की आवश्यकता के अनुसार विधा के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। इसलिए इन पदों का सृजन कार्यात्मक आधार पर किया गया है। जबकि समाचारवाचक/समाचारवाचक-व-अनुवादक के मामले में सीनियर ग्रेड गैर-कार्यात्मक आधार पर दिया जाता है। जूनियर और सीनियर ग्रेड के पदों का वर्तमान अनुपात 3 : 1 है।

(घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

"सेंसरशिप इन जे० एण्ड के०, 8 हैल्ड" शीर्षक समाचार

8588. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 17 फरवरी, 1982 के दैनिक 'ट्रिब्यून' (चंडीगढ़) में 'सेंसरशिप इन जे० एण्ड के०, 8 हैल्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है;

(ख) तारघर के कर्मचारियों द्वारा प्रधान मंत्री के नाम का तार बुक करने से इन्कार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। तथापि किसी तार का पारेषण रोका नहीं गया।

(ख) प्रधान मंत्री अथवा किसी अन्य प्रेषिती को संबोधित किसी तार की बुकिंग के लिए इंकार नहीं किया गया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत अधिकारियों द्वारा कोयले के लाइसेंस जारी करना

8589. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग में विपणन आसूचना अधिकारियों द्वारा कोयले के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं जबकि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है और न ही उन्हें इस कार्य के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि लाइसेंस जारी करने वाला अधिकारी विपणन आसूचना अधिकारी के रूप में वेतन लेता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अनधिकृत अधिकारी द्वारा कोयले के लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन का विपणन आसूचना अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी है तथा दिल्ली प्रशासन ने उसे नागरिक पूर्ति अधिकारी के समतुल्य माना है। दिल्ली कोयला नियन्त्रण आदेश, 1963 के अधीन नागरिक पूर्ति अधिकारी को कोयले के लाइसेंस जारी करने अथवा उनका नवीकरण करने का प्राधिकार है। अधिकारियों की कमी के कारण, दिल्ली प्रशासन ने यह बताया है कि उन्होंने ईंधन शाखा के इंजार्च के रूप में विपणन आसूचना अधिकारी तैनात कर दिया है··· और यह उनकी आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्था है। ईंधन शाखा को कोयले के लाइसेंस जारी करने का काम सौंपा गया है। कोयले के सभी लाइसेंसों के लिए मंजूरी अनिवार्यतः खाद्य और पूर्ति आयुक्त देते हैं और उनकी यह मंजूरी लाइसेंसदारों तक विपणन आसूचना अधिकारी, ईंधन शाखा के प्रभारी की हैसियत से काम करते हुए, सूचित करता है। इस प्रकार, खाद्य और पूर्ति आयुक्त लाइसेंस जारी करने के लिए स्वीकृति देते हैं किन्तु विपणन आसूचना अधिकारी ऐसे स्वीकृत लाइसेंसों पर केवल हस्ताक्षर ही करता है। अतः लाइसेंसों पर वास्तव में नागरिक पूर्ति अधिकारी के हस्ताक्षर न कराने की भूल केवल तकनीकी कही जा सकती है और इससे किसी भी व्यक्ति को कोई लाभ या हानि नहीं हुई है। फिर भी, हर हालत में ऐसी तकनीकी आपत्तियां भी बचाने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं कि इस प्रकार के लाइसेंसों पर केवल नागरिक पूर्ति अधिकारी के ही हस्ताक्षर कराए जाएं।

बाड़ेजा गांव, अहमदाबाद में पेट्रोल पम्प के विरुद्ध शिकायत

8590. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अहमदाबाद जिले के बाड़ेजा गांव में मैसर्स एम० एस० देसाई एण्ड कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे पेट्रोल पम्प के बारे में सरकार को पेट्रोल में पानी और मिट्टी का तेल मिलाने की बहुत शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पेट्रोल पम्प के मालिक को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) 25-2-1980 से 18-11-81 की अवधि के दौरान अहमदाबाद के बाड़ेजा गांव में मैसर्स एम० एस० देसाई डीलर के माल में असंगतियां मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देखी गई थीं। आगे और जुलाई 1981 में इस फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र के नैमी निरीक्षण के दौरान कम्पनी के क्रय अधिकारी द्वारा इस फुटकर बिक्री केन्द्र के पेट्रोल का फिल्टर पेपर टेस्ट किया गया था जिसमें कुछ मिलावट का पता चला था। एच० पी० सी० एल० द्वारा बम्बई में अपनी प्रयोगशाला में पेट्रोल

के नमूने का परीक्षण भी किया गया था और यह देखा गया था कि यह अपेक्षित नमूनों के अनुरूप नहीं था। एच० पी० सी० एल० ने इस पम्प के लिए सभी पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई रोक दी थी और निलम्बन अभी जारी है। कम्पनी द्वारा डीलर के विरुद्ध डीलर्स करार की शर्तों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है।

नैमित्तिक श्रमिकों के दावों का निपटान किया जाना

8591. **स्वामी इन्द्रवेश :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इण्डिया रेडियो, में महानिदेशक, आल इण्डिया रेडियो, दिल्ली के दिनांक 14 जुलाई, 1980 की ज्ञापन संख्या बी० 11017/80 डब्ल्यू, एल० के अनुसार कितने नैमित्तिक श्रमिकों ने आकाशवाणी में उनकी सेवाओं को वैधानिक रूप से समाप्त किए जाने के कारण अपने खाली रहने (इन्टरवेंशन) की अवधि के लिए भुगतान का दावा किया है;

(ख) आकाशवाणी के प्रबंधकों द्वारा ऐसे कितने दावों का निपटान कर दिया गया है; यदि निपटान नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) नैमित्तिक श्रमिकों के उपर्युक्त दावों के निपटान में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) इस प्रकार के छः मामले हैं।

(ख) और (ग) तीन मामलों में निर्णय ले लिया गया है और उनका निपटान प्रबन्धकों के प[illegible] किया गया है। एक मामले में श्रम मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है और उसका मई, 1982 के अन्त तक निपटान कर दिए जाने की संभावना है। जबकि एक मामला सहायक श्रम आयुक्त (सी), दिल्ली के पास पेंडिंग है, दूसरे पर कार्रवाई चल रही है। इन मामलों पर जैसे ही सहायक श्रम आयुक्त (सी), दिल्ली द्वारा निर्णय ले लिया जाएगा, इनका निपटान कर दिया जाएगा।

नई विद्युत परियोजनाओं के लिए राज्यों को ऋण-सहायता

8592. **श्री गदाधर साहा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई विद्युत परियोजनाओं के लिए किन-किन राज्यों को अतिरिक्त ऋण दिए गए हैं;

(ख) ऋण सहायता तथा परियोजनाओं का (राज्यवार) ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई स्वीकृतियों तथा नई परियोजनाओं की विशेष बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राज्यों को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर, सामान्य ऋणों और सामान्य अनुदानों के रूप में दी जाती है, और यह सहायता किसी

विशेष परियोजना, स्कीम या कार्यक्रम से जुड़ी नहीं होती। तथापि, 31 मई, 1980 को निम्न-लिखित राज्यों को 1980-81 में 12.27 करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त जीवन बीमा निगम ऋण सहायता दी गई थी।

	(करोड़ रुपयों में)
मेघालय	1.25
आंध्रप्रदेश	2.02
गुजरात	1.43
हरियाणा	1.57
महाराष्ट्र	3.00
उड़ीसा	1.00
राजस्थान	2.00

उपरोक्त ऋण, इन राज्यों की समस्त विद्युत योजना को वित्तीय सहायता देने के लिए स्वीकार किए गए थे और किन्हीं विशेष परियोजनाओं के लिए आवंटित नहीं किए गए थे।

इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलाएंस लि०

8593. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलाएंस लि० कम्पनी, जिसकी फैरो प्रणाली फैक्टरी उड़ीसा के रायगढ़ में है, का कभी निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछली बार इसका निरीक्षण कब किया गया था और निरीक्षण रिपोर्ट कब दी गई थी ; और

(ग) यदि निरीक्षण नहीं किया गया, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-बहियों का एक निरीक्षण 1973 के वर्ष में किया गया था। कम्पनी की लेखा-बहियों तथा अन्य अभिलेखों के एक अन्य निरीक्षण के, हाल ही में, आदेश दिये गये हैं, एवं निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

एंटीबायोटिक्स संयंत्र की स्थापना

8594. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री हरिहर सोरन :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी संख्या में एंटीबायोटिक्स संयंत्र स्थापित किए गए हैं,

(ख) ऐसे कितने एंटीबायोटिक्स सरकारी क्षेत्रों द्वारा संचालित होते हैं और कितने गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा संचालित होते हैं,

(ग) ये कहां-कहां स्थित हैं,

(घ) क्या यह सच है कि एंटीबायोटिक्स संयंत्रों को भारी घाटा हो रहा है,

(ङ) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं, और

(च) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं कि ये एंटीबायोटिक्स संयंत्र घाटे में न चले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में एन्टीबायोटिक्स का उत्पादन करने वाले संयंत्रों की क्षेत्रवार सूची उनके स्थानों सहित नीचे दी गई है :

क. सरकारी क्षेत्र

1. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश
2. हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, महाराष्ट्र

ख. गैरसरकारी क्षेत्र

3. एलम्बिक कैमिकल वर्क्स, गुजरात
4. स्टैण्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स, पश्चिम बंगाल
5. सिनबायोटिक्स, गुजरात
6. बोहरिंगर नौल, महाराष्ट्र
7. पार्क डेविस, महाराष्ट्र
8. डे-सी० कैम लि०, पश्चिमी बंगाल
9. मैक लैब०, महाराष्ट्र
10. सिनामिड, गुजरात
11. फाइजर, चंडीगढ़
12. रेनबैक्सी, पंजाब
13. थेमिस फार्मास्यूटिकल्स, गुजरात

(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के एण्टीबायोटिक्स संयंत्र और डे-सी० कैम लि० हानि उठा रहे हैं। जहां तक अन्य गैर सरकारी संयंत्रों का सम्बन्ध है, एन्टीबायोटिक्स उनके औषध और भेषज उत्पादन का भाग है। उन कम्पनियों के एन्टीबायोटिक्स संयंत्रों में हुई हानि के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। आई० डी० पी० एल० में हानि के मुख्य कारण दिनांक

30-3-82 को पूछे गये लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-5884 के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए हैं। एच० ए० एल० में हानि के कारण दिनांक 23-3-82 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-4697 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में दिए गए हैं। डे-सी० कैम में पिछली हानि, क्लोरमफेनीकोल के बिक्री मूल्य और उनको उपलब्ध एल बेस के मूल्य जिसको अन्य रसायनों के अधिक मूल्यों से सन्तुलित किया गया है, के बीच अपर्याप्त लाभ और बल्क औषधों के कम उत्पादन के कारण बताई गई है।

(च) आई० डी० पी० एल० के कार्यकरण में सुधार करने और हानि को कम करने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम दिनांक 30-3-1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-5884 के भाग (ख) में दर्शाए गए हैं।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के कार्य निष्पादन में सुधार करने और हानियों में कमी करने के लिए प्रस्तावित कदम दिनांक 23-3-1982 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-4871 के भाग (ख) के उत्तर में दिए गए हैं।

सिविल न्यायालय तीस हजारी, दिल्ली में टाइपिस्टों की कमी

8595. **श्री आर० आर० भोने** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीस हजारी, दिल्ली स्थित सिविल न्यायालयों में टाइपिस्टों की भारी कमी है जिसके फलस्वरूप मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को तत्काल आधार पर निर्णयों की प्रमाणित प्रतियां लेने के लिए महीनों इन्तजार करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई विनिर्दिष्ट मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है जिसमें मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को कई महीनों तक प्रमाणित प्रतियां न मिली हों। किन्तु उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि कर्मचारियों की जो स्वीकृत संख्या है और जो उनके अनुसार अपर्याप्त है, उसको देखते हुए मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों को प्रतियां यथाशीघ्र दी जाती हैं। किन्तु विलंब के कुछ मामले हो सकते हैं और यह निचले न्यायालयों से मामलों/फाइलों के मंगा लिए जाने के कारण कुछ मामलों/फाइलों के उपलब्ध न होने, डिक्री शीटों आदि की तैयारी और कभी-कभी फोटो स्टेट मशीनों के खराब हो जाने जैसे कारणों से हो सकता है।

प्रतियां शीघ्र देने के लिए नकल अभिकरण, सिविल और सेशन, को फोटो स्टेट प्रतियां दी गई हैं। उच्च न्यायालय ने भाटक नियंत्रक और सब जज (उप न्यायाधीश) के न्यायालयों को निदेश दिए हैं कि यदि अपीलीय निर्णयों या आदेशों की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया

जाए तो ऐसे निर्णयों या आदेशों की तारीख से एक मास के भीतर उनकी प्रतियां दे दी जाएं। उच्च न्यायालय ने सभी न्यायिक अधिकारियों को भी यह निदेश जारी किए हैं कि वे अहलमदों को यह निदेश दें कि वे अपने-अपने नकल अभिकरणों को अपेक्षित अभिलेख, जब कभी ये अभिलेख उनसे मंगाए जायें, अविलम्ब भेजें।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० का कार्यकरण

8596. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जब कि देश को पेंसीलिन/एम्पीसिलिन, तथा अन्य जीवन रक्षक दवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० विपरीत दिशा में चल रहा है और इसके असन्तोषजनक कार्यकरण के कारण सरकार को एम्पीसिलीन को उदारतापूर्वक आयात करने को बाध्य होना पड़ा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जी नहीं। गत वर्ष की तुलना में 1981-82 में हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऐनिसिलिन नामक जीवन रक्षक औषधों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। एच० ए० एल० वाणिज्यिक बिक्री के लिए मुख्य रूप से एम्पिसिलिन एन्हाइड्स का उत्पादन कर रही है और एम्पीसिलिन सूइहाइडैट का आयात कर रही है, जिसके लिए कई अन्य निर्माताओं को लाइसेंस दिए गए हैं।

औषध तथा भेषजों का अभाव

8597. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार अनिवार्य औषधियों और भेषजों का अभाव किस प्रकार दूर करने का है और

(ख) वर्ष 1980-81 में औषधियों के आयात पर कितनी धनराशि खर्च की गई और देश में जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार आवश्यक बल्क औषधों की मांग और उनके स्वदेशी उत्पादन की निरन्तर समीक्षा करती है और देश में उनके उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु सभी व्यवहार्य कदम उठाती है।

बल्क औषधों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम दिनांक 23-3-1982 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4685 के उत्तर में दिए गए हैं।

स्वदेशी उत्पादन और स्वदेशी मांग के बीच कमी को पूरा करने और इस समय देश में निर्माण न की जाने वाली ऐसी बल्क औषधों के लिए देश की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात की अनुमति दी जाती है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 1980-81 के दौरान आयात की गई बल्क औषधों, औषध मध्यवर्तियों, रसायनों, घोलक, तैयार फार्मूलेशन और यान्त्रिक गर्भ निरोधकों का सी० आई० एफ० मूल्य 112.8 करोड़ रुपए है। इसमें निर्यात के लिए औषधों और भेषजों का निर्माण करने हेतु अपेक्षित कच्चे मालों का आयात भी शामिल है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स, पिम्परी को घाटा

8598. **श्री रशीद मसूद :**
श्री बी० डी० सिंह :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य के स्वामित्व वाले हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० को इसकी निर्धारित क्षमता का पूर्ण उपयोग न करने और कुप्रबंध के कारण भारी घाटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० में इसकी निर्धारित क्षमता का उपयोग न करने के कारण वर्ष 1979, 1980, 1981 में कितना घाटा हुआ है और इसकी पूरी क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में कुप्रबंध के सम्बन्ध में जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। हानियों के मुख्य कारण दिनांक 23-3-1982 को पूछे गए लोक स०अ०ता०प्र०सं० 4697 के उत्तर में दर्शाए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में कोयले की सप्लाई

8599. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को इसकी कुल मांग का केवल 30 प्रतिशत कोयला ही मिल पा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह कोयला इतना घटिया है कि सरकारी कोयला विक्रेताओं ने कोयले की चौथाई मात्रा तक उठाने से इंकार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं !

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। दिल्ली को साफ्ट कोक की सप्लाई कम या वेशी यहां की आवश्यकताओं के अनुसार ही है और दिल्ली में इस ईंधन की कमी की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख), (ग) और (घ) दिल्ली को साफ्ट कोक की खराब किस्म की सप्लाई की शिकायत यदा-कदा रही है। भा० को० को० लि०—जो दिल्ली को सोफ्ट कोक सप्लाई करता है—ऐसी शिकायतों को देखता है और सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। इसमें लदान के समय बेहतर देख-रेख शामिल है। इस संबंध में जो कदम उठाए गए हैं उनके परिणामस्वरूप साफ्ट कोक की सप्लाई में किस्म संबंधी शिकायतें कम हो गई हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अल्कोहल के कोटे का आवंटन

8600. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**
डा० ए० यू० आजमी :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य की डिस्टीलरियों तथा शराब निर्माता यूनिटों की अवहेलना करके तथा केन्द्रीय सीरा बोर्ड के निर्देशों के विपरीत चार अथवा पांच राज्यों के डिस्टीलरी समूह तथा उत्पादक यूनिटों को भारी मात्रा में अलकोहल का आवंटन कर रही है और उसने मैकडोवैल को चार मिलियन लीटर अलकोहल का विशेष कोटा देने का पुनः निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सीरा बोर्ड द्वारा अल्कोहल की उपलब्धता और मांग के बारे में किए गए मूल्यांकन के आधार पर सरकार द्वारा कमी वाले राज्यों को आवंटित अल्कोहल की महाराष्ट्र सरकार ने चालू अल्कोहल वर्ष 1981-82 (दिसम्बर-नवम्बर) में संपूर्ण सप्लाई कर दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने सरकार को सूचित किया है कि महाराष्ट्र में कुछ जाने-माने निर्माताओं द्वारा भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई० एम० एम० एल०) की काफी मांग है जिनके कारखाने महाराष्ट्र में स्थित नहीं हैं। राज्य के निर्माता राज्य में भारत में निर्मित विदेशी शराब की सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। राज्य में भारत निर्मित विदेशी शराब की कमी की पूर्ति के लिए उक्त शराब के निर्माताओं को राज्य से बाहर अल्कोहल इस शर्त पर आवंटन करने को दी जा रही है कि उस अल्कोहल से भारत में निर्मित विदेशी शराब को बिक्री के लिए महाराष्ट्र में वापस लाया जाए। इस व्यवस्था से राज्य को उत्पाद शुल्क की प्राप्ति में वृद्धि होती है। चीनी वर्ष 1980-81 (अक्टूबर-सितम्बर) में राज्य के बाहर पांच विदेशी शराब निर्माताओं को इस प्रकार 35.50 लाख लिटर आवंटित किया गया था। इस आवंटन में मैसर्स मैकडोवल एण्ड कं० लि० को आवंटित

25 लाख लिटर शामिल है। इसी प्रकार चालू चीनी वर्ष 1981-82 में मैसर्स मैकडोवल एण्ड कं० लि० को 40 लाख लिटर की मात्रा आवंटित करने का विचार है। महाराष्ट्र सरकार ने यह भी सूचित किया है कि राज्य में विदेशी शराब निर्माताओं की जायज आवश्यकता की भी पूर्ति की जा रही है।

दामोदर घाटी परियोजना और इसके उद्देश्य

8601. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी परियोजना के क्या उद्देश्य हैं; और

(ख) ये उद्देश्य कहां तक पूरे हुए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दामोदर घाटी परियोजना के उद्देश्य ये हैं : दामोदर घाटी में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, पारेषण और वितरण, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल की सप्लाई, पानी का निकास, वनरोपण आदि से सम्बन्धित स्कीमें चलाना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दामोदर घाटी निगम ने तिलैया, मैथोन, कोनार और पंचेत हिल पर बांधों का, दुर्गापुर में बराज का, सिंचाई और नौवहन नहर प्रणाली का, ताप विद्युत केन्द्रों का, जल विद्युत केन्द्रों का सम्बद्ध पारेषण और वितरण लाइनों के तार-जाल आदि का निर्माण किया है। दामोदर घाटी निगम ने अपने साधनों की सीमा के अन्तर्गत मृदा अन्वेषण, मृदा संरक्षण, वनरोपण आदि क कार्यक्रम भी हाथ में लिए हैं।

फरक्का सुपर तापीय विद्युत परियोजना

8602. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ने फरक्का तापीय विद्युत परियोजना के द्वितीय चरण के लिए 400 मिलियम डालर के ऋण हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उन यूनिटों की पूर्ण क्षमता तथा ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण मांगा गया है;

(ग) क्या सरकार को नई परियोजनाओं की मंजूरी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय तापीय बिजली घर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्टों का पूर्ण ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 600 मेगावाट के प्रथम सोपान के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक 250 मिलियन डालर की सहायता प्रदान कर रहा है।

फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 1500 मेगावाट के दूसरे सोपान के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तैयार की जा रही है। जब व्यवहार्यता रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा उसके बाद ही विश्व बैंक से अनुरोध करने का प्रश्न पैदा होगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नई परियोजनाओं के बारे में स्थिति निम्नानुसार हैं :

(एक) मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बंधन में स्थापित किए जाने वाले विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 1260 मेगावाट के प्रथम चरण की व्यवहार्यता रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है और सरकार के निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(दो) उत्तर प्रदेश क मिर्जापुर जिले में स्थापित किए जाने वाले 1000 मेगावाट के रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण को व्यवहार्यता रिपोर्ट पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए तथा सरकार के निवेश सम्बन्धी निर्णय के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(तीन) बिहार में स्थापित किए जाने वाले कहलगांव सुपर ताप विद्युत के 800 मेगावाट के प्रथम चरण की व्यवहार्यता रिपोर्ट को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत

8603. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत क्या है;

(ख) कोरिया, पाकिस्तान, जापान, चीन और हंगरी जैसे देशों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) प्रति व्यक्ति खपत में सुधार करने हेतु सरकार की क्या योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) वर्ष 1979 में भारत और अन्य देशों की वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रति व्यक्ति उपलब्धता किलोग्राम कोयला तुल्यांक में निम्नानुसार है :

देश का नाम	किलोग्राम कोयले की तुलना में (के० जी० सी० ई०) प्रति व्यक्ति उपलब्धता
1. भारत	178
2. कोरिया (डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक)	6648
3. पाकिस्तान	182

4. जापान	3723
5. चीन	729
6. हंगरी	3801

(ग) देश में वाणिज्यिक ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि करने को छठी पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त महत्व दिया गया है। ऊर्जा के विभिन्न उप-क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम में ऊर्जा की उपलब्धता में निम्नानुसार अभिवृद्धि किए जाने की परिकल्पना है :

	1979-80	1984-85
कोयला (मिलियन मीटरी टन)	103.96	168.00
पैट्रोलियन (मिलियन मीटरी टन)	29.65	45.50
बिजली का उत्पादन (ट्रिलियन वाट आवर)	112.00	191.24

ऊर्जा के क्षेत्र में वाणिज्यिक ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को इन विकास कार्यों से पूरा किया जा सकेगा। योजना अवधि में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है।

अखबारी कागज के आयात में कमी

8604. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज सलाहकार समिति ने वर्ष 1982-83 के दौरान अखबारी कागज के आयात में कमी का कोई सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी का सुझाव दिया गया है;

(ग) आयात में कमी का सुझाव दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1981-82 के दौरान 3 लाख टन अखबारी कागज का आयात करने के निर्णय की तुलना में, अखबारी कागज सलाहकार समिति ने सिफारिश की कि 1982-83 के दौरान केवल 1.84 लाख टन अखबारी कागज आयात किया जाए। 1.16 लाख टन अखबारी कागज की कमी करने का सुझाव (1) अधिक अखबारी कागज के उत्पादन, जो नेपा मिल्स और दो अन्य अखबारी कागज संयंत्रों, जिन्होंने हाल ही में अखबारी कागज बनाना शुरू किया है, द्वारा किए जाने की उम्मीद है, और (2) राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाकों से अखबारी कागज की काफी मात्रा में उपलब्धता के कारण दिया गया था।

(घ) सरकार ने अखबारी कागज सलाहकार समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

सोडा ऐश का आयात

8605. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सोडा ऐश का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) क्या आयातित समूचे सोडा ऐश का मूल्य देश में उत्पादित सोडा ऐश के मूल्य की अपेक्षा बहुत कम रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन दोनों के बीच मूल्य स्थिर होने तक सोडा ऐश का आयात जारी रखने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 (नवम्बर 80 तक) में क्रमश: 135 लाख टन और 0.60 लाख टन सोडा ऐश का आयात किया गया था। आयात सांख्यिकी का संकलन और प्रकाशन महानिदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा किया जाता है। नवम्बर 80 के बाद की अवधि के लिए सांख्यिकी अभी प्रकाशित की जानी है। इस सांख्यिकी का संकलन हो जाने पर इसे भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खण्ड II में प्रकाशित किया जायेगा। जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध होंगी।

(ख) सोडा ऐश के आयात मूल्य अलग-अलग प्रेषण के लिए अलग-अलग होते हैं जो प्रेषक देश और प्रेषण की मात्रा पर निर्भर करते हैं। गत दो वर्षों से सी० आई० एफ० मूल्यों में कमी हुई है। यह देखा जा सकता है कि हल्के सोडा ऐश का सी० आई० एफ० मूल्य अब 80 अमेरिकी डालर प्रति टन है। 80 अमेरिकी डालर प्रति टन सी० आई० एफ० मूल्य के आधार पर वर्तमान अवतरित मूल्य निर्माताओं के कारखाने से बाहर के मूल्य से कुछ ही कम है।

(ग) दिनांक 14 जनवरी, 1979 से सोडा ऐश खुले सामान्य लाइसेंस (सी० जी० एल०) के अन्तर्गत है। आयात नीति की निरन्तर देखरेख की जाती है। मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात किया जाता है।

राजस्थान में मिट्टी के तेल की मांग

8606. **श्री जय नारायण रौत** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान राज्य सरकार से अधिक मिट्टी के तेल की सप्लाई की मांग प्राप्त हुई है ताकि राज्य सरकार उस राज्य में लोगों की मांग पूरी कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है और सरकार का राज्य की बढ़ी हुई मांग कब तक पूरी करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जनता की मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से अधिक मिट्टी के तेल का आवंटन करने के लिए कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु मार्च 1982 में औद्योगिक प्रयोग हेतु 300 किलो लीटर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त आवंटन के लिए एक निवेदन प्राप्त हुआ है। मिट्टी का तेल (प्रयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश 1966 के अनुसार समग्र मासिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को खाना पकाने अथवा रोशनी करने के अलावा मिट्टी के तेल के किसी अन्य उद्देश्यों के लिए अनुमति देने का अधिकार है। इन उद्देश्यों के लिए केन्द्र द्वारा अतिरिक्त आवंटन नहीं किए जाते।

पश्चिम बंगाल को अधिक मिट्टी के तेल के लिए मांग

8607. **श्री चित्त महाटा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से और अधिक मात्रा में मिट्टी के तेल की सप्लाई करने की मांग प्राप्त हुई है ताकि राज्य सरकार उस राज्य में जनता की मांग पूरी कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हाल ही के महीनों में पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल को और अधिक मिट्टी के तेल की सप्लाई हेतु कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि गर्मी के महीनों (मार्च-जून 1982) के लिए इस सम्बन्ध में निश्चित की गई समान नीति के अनुसार पश्चिम बंगाल को प्रतिमास 3520 मीट्रिक टन मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों में लम्बित विवाह-विच्छेद के मामले

8608. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 1979 से अब तक विवाह-विच्छेद के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) विवाह सम्बन्धी कितने मामले लम्बित हैं और वर्ष 1979, 1980 और 1981 में कितने मामले निपटाए गए; और

(ग) किस राज्य में विवाह सम्बन्धी मामले सबसे अधिक हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में डाक तार विभाग के भवनों का निर्माण

8609. **श्रीचतुर्भुज :**

श्री कृष्ण कुमार गोयल :

क्या **संचार मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डाक तार विभाग को उनके कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए दिल्ली में कुछ स्थलों का आवंटन किया गया है, और यदि हां तो ये कहां स्थित हैं तथा प्रत्येक स्थल का क्षेत्रफल क्या है ?

(ख) डाक तार विभाग भवनों का निर्माण कब तक होने की संभावना है और उनमें उसके कार्यालयों के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) क्या दिल्ली पिनकोड संख्या 110006 और 11007 के अन्तर्गत क्षेत्रों को, जो काफी दूर-दूर हैं, विभाजित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस पृथकीकरण पर किन-किन स्थानों पर डाक घर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डाक भवनों के निर्माण हेतु 30 भूखंड आवंटित किए हैं। 23 भूखंडों का अधिग्रहण कर लिया गया है शेष 7 भूखंडों का अधिग्रहण किया जाना शेष है क्योंकि अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। प्रत्येक भूखंड की स्थिति तथा उसका क्षेत्रफल **विवरण** में दिया गया है।

दूरसंचार भवनों के निर्माणार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई भूखंड आवंटित नहीं किया है। दूर संचार शाखा के प्रशासनिक भवन के निर्माणार्थ भूमि के आवंटन के लिए मामला निर्माण एवं आवास मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

(ख) नई सब्जी मंडी डाकघर हेतु भवन का निर्माण पहले ही पूरा कर लिया गया है। तथा डाकघर ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। अशोक विहार डाकघर का निर्माण भी लगभग पूरा हो गया है। तथा बहुत ही शीघ्र इसका (भवन का) अधिग्रहण कर लिया जाएगा। झंडेवालान में दिल्ली डाक भवन तथा काकानगर, वसन्त विहार, तथा मायापुरी चरण-II डाकघरों हेतु भवनों का निर्माण 1982-83 में प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। शेष भूखंडों पर भवन निर्माण कार्य प्राथमिकताओं के तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

(ग) दिल्ली पिनकोड 110006 तथा 110007 का द्विशाखन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दोनों डाकघर सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंड—उनकी स्थिति तथा क्षेत्रफल

क्रम सं०	नाम व स्थिति	क्षेत्रफल
1.	नई सब्जी मण्डी (नई फल मार्किट)	226.67 वर्ग गज
2.	अशोक विहार	450.00 " "
3.	ईस्ट आफ कैलाश	978.00 " "
4.	मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र	200.00 " "
5.	आर० के० पुरम सैक्टर-5	861.42 वर्ग मीटर
6.	मालछा मार्ग	637.22 वर्ग गज
7.	आर० के० तुरम सैक्टर VII	2432.87 " "
8.	आर० के० पुरम सैक्टर VIII	1787.00 " "
9.	दिल्ली डाक भवन (झण्डेवालान)	7558.00 " "
10.	जनकपुरी ब्लाक ए-3	228.00 " "
11.	जनकपुरी ब्लाक बी	990.00 " "
12.	जनकपुरी ब्लाक सी	600.00 " "
13.	वजीर पुर फैज III	453.00 वर्ग मीटर
14.	न्यू सीलमपुर फैज III	200.00 " "
15.	वसन्त विहार सामुदायिक केन्द्र	64′ × 76′ फिट
16.	साकेत (मालवीय नगर एक्स०)	55′—3′ × 40′
17.	पदम नगर	10.688 मी० × 18.228 मी०
18.	लारेंस रोड पाकेट सी-7	40′ × 23′ × 3′
19.	यमुना पुरी (यमुना विहार)	137.5 वर्ग मीटर
20.	डी० डी० ए० फ्लैट्स, कालकाजी	135 वर्ग मीटर
21.	झिलमिल औद्योगिक काम्पलेक्स जी० टी० रोड शाहदरा	24′ × 50′
22.	मण्डौली, फजलपुर	200.00 वर्ग यज
23.	जी० टी० करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र	1230.00 वर्ग गज
24.	पटपड़गंज	1 एकड़
25.	पटपड़गंज	387.00 वर्ग गज
26.	पटपड़गंज	484.00 वर्ग गज
27.	राणा प्रताप बाग	4317.00 वर्ग गज
28.	जिला सेन्टर नजफगढ़ रोड	.79 एकड़
29.	काकानगर	.79 एकड़
30.	सफदरजंग एडवांस योजना पी० ओ०	500.00 वर्ग गज

कैपरोलेक्टम का उत्पादन

8610. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैपरोलेक्टम का उत्पादन करने वाली बड़ौदा स्थित एकमात्र संयुक्त क्षेत्र की यूनिट ने अपने पास एकत्रित भण्डारों को ध्यान में रखते हुए कैपरोलेक्टम के उत्पाद में कमी कर दी है अथवा इसका उत्पादन बिल्कुल रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस वस्तु के प्रयोक्ता, जो गैर सरकारी क्षेत्र के लोग हैं, इस वस्तु का विदेशों से आयात करने को वरीयता देते हैं क्योंकि यह 10,000 रुपये प्रति टन से अधिक सस्ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना को वाणिज्यिक दृष्टि से सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी, जो कि देश में कैपरोलेक्टम की एकमात्र उत्पादक कम्पनी है, द्वारा कैपरोलेक्टम का किया गया उत्पादन क्रमशः लगभग 13,930 मी० टन, 13,945 मी० टन तथा 11,800 मी० टन था। कैपरोलेक्टम का उत्पादन बन्द नहीं हुआ है।

(ख) स्वदेशी क्षमता तथा कैपरोलेक्टम का उत्पादन लगभग 40,000 मी० टन प्रति वर्ष की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। इस कारण आयात अपरिहार्य हैं।

(ग) गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी व्यापारिक रूप से व्यवहार्य संस्था है।

दूरदर्शन पर खेलों का आंखों देखा हाल हिन्दी और अंग्रेजी में दिया जाना

8611. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर खेलों का आंखों देखा हाल केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो दूरदर्शन पर आंखों देखा हाल प्रसारित करने में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषकर स्थानीय और क्षेत्रीय रुचि के खेल-कूदों के मामले में आंखों देखा हाल अक्सर टेलीकास्ट किया जाता है। तथापि, प्रमुख राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद घटनाओं की कमेंट्रियां केवल हिन्दी और अंग्रेजी में ही टेलीकास्ट की जाती हैं, क्योंकि ये टेलीकास्ट दूरदर्शन के सभी केन्द्रों से रिले होते हैं तथा चैनलों और प्रेषण समय की कमी के कारण क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्रियों को जोड़ना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का आवंटन

8612. **श्रीमती कैलाश पति :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों का आवंटन किया गया है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान सामान्य लोगों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितनी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आवंटन का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1-1-82 को उत्तर प्रदेश में 72 एल० पी० जी० की एजेन्सियां और 1509 पेट्रोल/डीजल पम्प थे ।

(ख) सरकार द्वारा आरक्षण नीति के आरम्भ से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए एल० पी० जी० ऐजन्सियां और पेट्रोल पम्प विशेष रूप से अलग रखे गये हैं । तब से अनुसूचित जातियों को 4 एल० पी० जी० एजेन्सियां और 9 पेट्रोल/डीजल पम्प दिये गये थे । अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार को अभी तक कोई एजेंसी प्रदान नही की गयी है ।

(ग) 1982-83 योजना में उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित कुल 48 एल० पी० जी० एजेन्सियों में से 13 अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं, अनुसूचित जन-जाति के लिए कोई भी नहीं रखी गई है और शेष एजेन्सियां सामान्य वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए रखी गई हैं । पेट्रोल/डीजल पम्पों के लिए 1982-83 की योजना को उद्योग द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष पूर्व फाइल किए गए मामलों की सुनवाई

8613. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष पूर्व फाइल किए गए कितने मामलों की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि विलम्ब से किया जाने वाला न्याय, न्याय न करने के समान है; और

(ग) इस बात का ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि निपटारे के लिए ऐसे मामलों को अन्य सभी मामलों पर पूर्विकता प्रदान की जाए ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 10 वर्ष पूर्व (अर्थात् 1972 में

और उससे पूर्व) फाइल किए गए ऐसे मामलों की संख्या, जो 1 मार्च, 1982 तक सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए, 2047 हैं।

(ख) और (ग) मामलों के निपटारे में विलम्ब होना, निःसन्देह गम्भीर चिन्ता का विषय है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने 10 वर्ष पुराने मामलों को सभी अन्य मामलों के ऊपर पूर्विकता देने के लिए किसी विशेष उपाय का उल्लेख नहीं किया है। रजिस्ट्री ने बताया है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए कभी-कभी बड़ी न्यायपीठों का गठन किया जाता है। ऐसी बड़ी न्यायपीठों का गठन अंतर्वलित प्रश्न की विषयवस्तु और उसके स्वरूप के आधार पर करना होता है। इसके अतिरिक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण पिटीशनों, निर्वाचन अपीलों, कर अपीलों और मृत्यु दंड वाली दाण्डिक अपीलों जैसे विशेष प्रवर्ग के मामलों को सामान्य सिविल अपीलों के ऊपर पूर्विकता दी जाती है। अतः, ऐसे अत्यावश्यक मामलों के लिए विशेष तारीखें नियत की जाती हैं। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने साधारणतः मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न कार्रवाइयां आरम्भ की हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं : ऐसी रिट पिटीशनों को मिलाकर एक ग्रुप में रखा जाता है जिनमें कि कए जैसे प्रश्न जुड़े हुए हैं और उन्हें सुनवाई के लिए एक साथ रखा जाता है अन्य ऐसे मामलों को जिनमें एक जैसे प्रश्न जुड़े हैं एक ग्रुप में रखना और इस बात का प्रयास करना कि ऐसे ग्रुपों को शीघ्र निपटाया जाए। अभिलेखों को तैयार करने में लगने वाले समय में कमी करने की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय नियमों को जो 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करके अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर करना आरम्भ कर दिया है और वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथपत्र और प्रति शपथपत्र दाखिल कर देते हैं। अत्यावश्यक मामलों में न्यायालय अपीलों की सुनवाई की तारीख नियत करता है। उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि नियमित मामलों के लिए न्यायालय के पास अधिक समय उपलब्ध रहे। मामलों को शीघ्र निपटाने के प्रयोजन के लिए नियमों में अन्य संशोधन भी किए गए हैं। सोमवार और शुक्रवार को प्रकीर्ण मामलों की सुनवाई के लिए न्यायालय 7 खंडों में बैठता है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, हाल ही में दसवें विधि आयोग का गठन किया गया है और उसको सौंपे गए विषयों में से एक यह है कि इस आधारभूत सिद्धान्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना है। दसवें विधि आयोग ने सूचित किया हैं कि उसका उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों के शीघ्र निपटारे की पद्धति का विकास करने की समस्या का अध्ययन करने का विचार है।

फ्रांस की सहायता से इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उत्पादक यूनिट स्थापित करना

8614. **श्री हरिहर सोरेन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में फ्रांस की सहायता से एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज उत्पादक यूनिट स्थापित करने के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस सरकार तकनीकी जानकारी और आर्थिक सहायता देगी;

(ग) यह फैक्ट्री कहां लगाई जायेगी; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अगरतल्ला में डाक की डिलीवरी सामग्री

8615. **श्री अजय बिश्वास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतल्ला डाकखाने से मासिक पत्रिकाओं तथा अन्य पत्रिकाओं की डिलीवरी समय पर नहीं की जाती तथा कभी-कभी तो ये सम्बद्ध व्यक्तियों के पास बिल्कुल नहीं पहुंचतीं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सम्बद्ध व्यक्तियों को डिलीवरी करने के स्थान पर मासिक तथा अन्य पत्रिकाएं बाजारों में बेची जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रथा को रोकने तथा अगरतल्ला के लोगों को डाक वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। फिर भी निगरानी रखे जाने हेतु समुचित निदेश जारी किए गए हैं।

नवादा तथा पटना के बीच एस० टी० डी० प्रणाली लागू करना

8616. **श्री कुंवर राम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना और नवादा के बीच एस० टी० डी० प्रणाली लागू करने के लिए नवादा में रखे आवश्यक उपकरणों को चालू करने में विलंब के क्या कारण हैं ;

(ख) उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एस० टी० डी० चालू करना

नवादा के स्थानीय करचल एक्सचेंज को स्वचालित बनाने तथा नवादा को पटना के साथ विश्वसनीय पारेषण माध्यम द्वारा जोड़े जाने पर निर्भर करता है। इस हेतु अपेक्षित उपस्कर फिलहाल उपलब्ध नहीं है क्योंकि देश में इसकी अत्यधिक कमी चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

'जेनरेटिंग सेटों' के आयात की अनुमति मांगने वाले राज्य विद्युत बोर्ड

8617. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य विद्युत बोर्डों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने बिजली घरों के लिए विदेशी 'जेनरेटिंग सेटों' के आयात की अनुमति मांगी है ;

(ख) क्या देश में 'जेनरेटिंग सेटों' की कमी के कारण बिजली उत्पादन में रुकावट आ रही है और यदि हां, तो सरकार इस अभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ;

(ग) देश में अगले वर्ष कितने 'जेनरेटिंग सेट' बनाए जाएंगे और उनकी मांग कितनी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार विदेशों से 'जेनरेटिंग सेट' मंगाने की अपनी नीति की पुनरीक्षा करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, असम, गुजरात और राजस्थान।

(ख) और (घ) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना के कार्यक्रम में पिछड़ने के कारणों में से एक कारण है, अनुबंधित कार्यक्रमों के अनुसार विद्युत उत्पादन उपस्कर की सप्लाई कर सकने में स्वदेशी निर्माताओं की असमर्थता। विभिन्न परियोजनाओं के लिए उपस्कर की सप्लाई में तेजी लाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। स्वदेशी निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। स्वदेशी निर्माण क्षमता तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उपयुक्त मामलों में सरकार विद्युत उत्पादन उपस्कर के आयात पर भी विचार करती है।

(ग) प्राप्त आर्डरों के आधार पर, 1982-83 में 33 विद्युत उत्पादन सेटों का तथा 1983-84 में 25 सेटों का निर्माण करने का कार्यक्रम है।

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स के प्रबन्धकों द्वारा अपराधियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण

8618. **श्री जार्ज फर्नाण्डीस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड को कोलफील्ड श्रम संघ द्वारा दिए गए एक हड़ताल

के नोटिस में मांग की गई है कि सेन्ट्रल कोलफील्ड्स के प्रबंधक हिंसा भड़काने वाले तथा श्रमिकों को काम पर जाने से रोकने वाले अपराधियों और असामाजिक तत्वों को संरक्षण देना बन्द करें; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) यूनियन की मांग स्पष्ट नहीं है। किन्तु कंपनी का प्रबन्ध मंडल किसी भी मामले में अपराधियों और समाज-विरोधी तत्वों को बिल्कुल ही प्रोत्साहित नहीं कर रहा है।

स्वचालित मनीआर्डर बुकिंग मशीन

8619. **डा० सरदीश राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग में मनीआर्डर प्रणाली आदि जैसे कार्य के लिए बड़े पैमाने पर मशीनें लगाने के वास्तविक कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कर्मचारियों के संगठन के साथ कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) डाक-तार विभाग के डाक विंग में सघन मशीनीकरण नहीं है। कार्य के शीघ्र भुगतान तथा काउण्टर पर ग्राहकों का प्रतीक्षा समय कम करने के लिये कुछ डाकघरों में कुछ काउण्टरों पर कुछ मशीनी सहायता प्रदान की गई है। फिलहाल 24 डाकघरों में 56 मनीआर्डर मशीनें हैं।

(ख) और (ग) चूंकि ऐसी मशीनों की संख्या बहुत ही कम है अतः मनीआर्डर मशीनों को चालू करने से पहले कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ कोई औपचारिक वार्ता नहीं की गई थी। तथापि सम्बन्धित कार्यालयों के कर्मचारियों के साथ मशीनों की स्थापना से पहले तथा बाद में अनौपचारिक वार्ताएं तथा बैठकें हुई हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पटना में डाक कर्मचारियों के लिये आवासीय मकानों का निर्माण

8620. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके विभाग ने बेली रोड, पटना के किदवईपुरी नगर में डाक कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण कराया है;

(ख) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि विभाग का परती जमीन का एक बड़ा क्षेत्र अभी भी वहां उपलब्ध है जो इमारतों, सड़कों और पार्कों के निर्माण के लिए निर्धारित है;

(ग) क्या इस भूमि के पास अतिविशिष्ट व्यक्तियों के मकान हैं, और

(घ) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनेक अतिविशिष्ट व्यक्तियों ने उपरोक्त जमीन के एक बड़े भाग पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है और यदि हां, तो क्या वह भूमि को शीघ्र खाली कराने के लिए कार्यवाही करेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है।

(ग) जी हां। इस डाक तार भूमि के आस-पास महत्वपूर्ण नागरिकों के मकान हैं।

(घ) डाक-तार विभाग के इस भूभाग पर अवैध कब्जे की एक घटना हुई है। इस भूमि पर अन्य पार्टियों ने भी अवैध कब्जा किया है। अवैध कब्जे हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

नूब्रा वैली के डेस्किट में उप डाकघर खोला जाना

8621. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संचार मंत्री लद्दाख के डेस्किट (नूब्रा) और स्पाडुम (जास्कर) में नए उप डाकघर खोले जाने के बारे में 22 दिसम्बर, 1981 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 4985 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नूब्रा वैली के डेस्किट में उप डाकघर खोले जाने के बारे में निर्णय लेने में कितना समय लगेगा;

(ख) क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के बारे में दिए गए उत्तर के संबंध में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नूब्रा घाटी में डेस्किट शाखा डाकघर का विभागीय उप डाकघर में दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं ठहरता। स्पाडुम में एक नियमित शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत बिजली निर्माण और वितरण

8622. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के नियन्त्रणाधीन थर्मल पावर स्टेशनों की बिजली निर्माण क्षमता कितनी है और प्रत्येक थर्मल पावर स्टेशन द्वारा निर्मित बिजली में से प्रत्येक राज्य को कितने मेगावाट बिजली दी जा रही है;

(ख) वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक के वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए नेशनल थर्मल

पावर कारपोरेशन द्वारा बिजली निर्माण का वार्षिक लक्ष्य क्या रखा गया था और वास्तव में कितनी बिजली का निर्माण हुआ;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान निर्माण क्षमता में प्रतिवर्ष कितनी बढ़ोतरी प्राप्त की जाएगी; और

(घ) मध्य प्रदेश में स्थापित थर्मल पावर एककों द्वारा कितनी मात्रा में बिजली का निर्माण किए जाने की संभावना है और वे कब तक अपनी पूर्ण स्थापित क्षमता में बिजली का निर्माण करना शुरू कर देंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) 720 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र का प्रबन्ध कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र द्वारा उत्पादित बाकी की बिजली उत्तरी क्षेत्र के राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा,, राजस्थान और जम्मू व काश्मीर राज्यों में, इन राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के माध्यम से वितरित कर दी जाती है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रतिष्ठापित किए जा रहे सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 200 मेगावाट के पहले यूनिट को फरवरी, 1982 में समकालित किया गया था। इस यूनिट का वाणिज्यिक प्रचालन अभी आरम्भ करना है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अन्य केन्द्र फरक्का, रामागुंडम और कोरबा में निर्माणाधीन हैं।

(ख) बदरपुर विद्युत केन्द्र का गत पांच वर्षों का उत्पादन का लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि निम्नानुसार है :

वर्ष	लक्ष्य (मिलियन यूनिट में)	वास्तविक उपलब्धि (मिलियन यूनिट में)
1977-78	1159	839.43
1978-79	2226	1055.35
1979-80	2128	1274.00
1980-81	2171	2054.97
1981-82	2500	2221.16

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्रों में आगामी पांच वर्षों के लिए उत्पादन क्षमता संबंधी अभिवृद्धियां निम्नानुसार हैं :

1982-83	600 मेगावाट
1983-84	1000 मेगावाट
1984-85	600 मेगावाट
1985-86	400 मेगावाट
1986-87	500 मेगावाट

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, मध्य प्रदेश में कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना कर रहा है। केन्द्र के 200 मेगावाट के प्रथम यूनिट को इस वर्ष के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है तथा केन्द्र की 2100 मेगावाट की चरम क्षमता 1989-90 तक प्रतिष्ठापित हो जाने की आशा है।

विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र का चरण I सोवियत रूस की सहायता से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के 210 मेगावाट के पहले यूनिट को 1986-87 तक चालू कर दिए जाने की आशा है।

विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए विदेशी सहयोग

8623. **श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए विदेशी सहयोग के पांच प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनका तुलनात्मक मूल्यांकन क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उपस्कर की सप्लाई हेतु विदेशों/विदेशी कम्पनियों से सरकारी ऋण, सप्लाईकर्त्ता से ऋण और वाणिज्यिक ऋणों के द्वारा वित्त पोषण की संभाव्यताओं वाले विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे **संलग्न विवरण** में दिए गए हैं। अधिकांश प्रस्ताव केवल सूचना मात्र ही हैं और पर्याप्त ब्यौरे इनमें नहीं दिए गए हैं। सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3979/82]**

सुदर्शन पार्क में बिना बल्बों और ट्यूबों के सड़क पर प्रकाश के खम्भे

8624. **श्री सज्जन कुमार : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदर्शन पार्क, नई दिल्ली-15 में सड़क पर प्रकाश के अधिकांश खम्भे बिना बल्बों और ट्यूबों के हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वहां खम्भों पर लगाई गई ट्यूबें निकाल ली गई हैं; और

(ग) क्या सुदर्शन पार्क में विशेषकर एफ० ब्लाक में ट्यूब लाइट या कोई अन्य लाइट नहीं लगाई गई है और उन्हें लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार सुदर्शन पार्क में 286 बिजली के खम्भों में से 243 खम्भों पर सड़क रोशनी के प्वाइंट हैं, जिन पर बल्ब या ट्यूबें लगी हैं।

(ख) फ्यूज हुए बल्बों/ट्यूबों आदि की बदली करने के मामले को छोड़कर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सुदर्शन पार्क में सड़क रोशनी के प्वाइंटों से ट्यूबें नहीं हटाई हैं।

(ग) सुदर्शन पार्क के "एफ" ब्लाक में 90 बिजली के खम्भों में से 82 खम्भों पर सड़क रोशनी के प्वाइंटों की व्यवस्था है, जिन पर ट्यूबें और बल्ब लगे हुए हैं।

कुम्बनाद, पुरमट्टोम, इरावीपेरूर, वरायन्नूर, कीजावैयूर, मल्लापल्ली आदि के लिए एस० टी० डी० सुविधायें

8625. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुम्बनाद, पुरमट्टोम इरावीपेरूर, वरायन्नूर, कीजावैयूर, मल्लापल्ली आदि एक्सचेंजों को मिलाकर एक करने तथा एस० टी० डी० सुविधा दिये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इन सभी एक्सचेंजों को एक यूनिट क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है। परन्तु छठी योजना के दौरान इनमें एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इन सभी एक्सचेंजों के बीच सीधी डायल सुविधा प्रदान की गई है।

जातिविहीन समाज की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने का साहित्य

8626. **श्रीमती विद्या चेन्नुपत्ति :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों में जातिविहीनता का भावना को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ख) क्या लोगों में जातिविहीन समाज की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई साहित्य निर्मित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय लोगों में धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न माध्यमों के जरिए सतत् प्रचार कर रहा है। प्रयुक्त किए जानेवाले विभिन्न रूपों में पुस्तिकाएं, पोस्टर, प्रदर्शनियां, विज्ञापन, होर्डिंग और भित्ति-चित्र शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

सोडा ऐश के मूल्य

8627. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 से 1982 तक की अवधि के दौरान खुले बाजार में सोडा ऐश की दरें वर्ष-वार क्या रही हैं;

(ख) सोडा ऐश का निर्माण करने के लिए कच्चे माल के रूप में मुख्य रूप से प्रयुक्त चूना पत्थर, नमक आदि के मूल्य 1977 के पश्चात कहां तक बढ़े हैं, और चुना पत्थर आदि के दरों की तुलना में सोडा ऐश की दरें किस सीमा तक बढ़ी हैं;

(ग) विदेशों में जहां से इसका आयात किया जाता है, सोडा ऐश के मूल्य चालू वर्ष के दौरान क्या रहे हैं;

(घ) चालू वर्ष के दौरान समय-समय पर विदेशों से सोडा ऐश के आयात पर कितना शुल्क लगाया गया;

(ङ) क्या खुले बाजार में सोडा ऐश के मूल्यों में हाल की वृद्धि सोडा ऐश के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है तथापि कच्चे माल के मूल्यों में उस सीमा तक वृद्धि नहीं हुई है; और

(च) क्या आयातित सोडा ऐश पर सीमा शुल्क कम करके अथवा देश में सोडा ऐश के निर्माताओं पर नियन्त्रण करके सोडा ऐश के, जो कि गरीबों के लिए भी आवश्यक है, के बढ़ते हुए मूल्यों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सोडा ऐश पर कानूनी मूल्य नियन्त्रण नहीं है। खुला बाजार मूल्य सोडा ऐश की उपलब्धता और खेप की मात्रा पर निर्भर करता है जो समय-समय पर स्थान-स्थान पर बदलता रहता है। यह प्रत्यक्ष है कि सोडा ऐश का खुला बाजार मूल्य जो 1977 में लगभग 1000 से 1100 रुपए तक था, 1978 से बढ़-कर लगभग 3600 रुपये हो गया। बाद में 1979 में मूल्य घटकर 3000 रुपये हो गया और 1980 में बढ़कर 2300 रुपये से 2600 रुपये रह गया। सोडा ऐश की उपलब्धता 1980 की अन्तिम छमाही से अच्छी हो गई है और सोडा ऐश न्यूनाधिक निर्माता के कारखाने के बाहर के मूल्य पर ही आसानी से उपलब्ध है। दिनांक 1-1-1981 को सोडा ऐश का कारखाने से बाहर निर्माता मूल्य 2149.50 रु० से 2527.98 रुपये से 2299.25 रुपये के बीच था।

(ख) निर्माताओं द्वारा दिये गये ब्यौरे संलग्न **विवरण-एक** में दर्शाये गये है।

(ग) दूसरे देशों में सोडा ऐश के मूल्य के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सोडा ऐश का आयात मूल्य मूल देश और खेप की मात्रा पर निर्भर करता है। जो खेप-दर-खेप अलग-अलग होता है। यह प्रत्यक्ष है कि अभी आयातित सोडा ऐश हल्के का सी० आई० एफ० मूल्य 80 अमेरिकी डालर प्रति टन है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जनवरी, 1982 में सामान्य स्तर पर आयात शुल्क लाने के बाद खुले बाजार मूल्य में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।

(च) वर्ष 1980 की दूसरी छमाही से सोडा ऐश की उपलब्धता अच्छी हो गई है। सरकार यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि अच्छी उपलब्धता बनी रहे।

विवरण-एक

सोडा ऐश हल्के के निवेश का लागत मूल्य

(मूल्य रुपये प्रति टन में)

मद	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81
1. लाइम स्टोन	19.14 से 55.58	20.70 से 55.71	22.03 से 63.22	26.55 से 78.02
2. लवण	39.45 से 40.81	38.14 से 49.48	56.66 से 80.85	58.81 से 111.09
3. अमोनिया	3182.60	3147.20	4120.35	4590
4. कोयला	169.90 मे 193.60	176.72 से 207.35	204.35 से 235.49	244.53 से 326.86
5. सोडा ऐश हल्का (उत्पादन शुल्क और बिक्री कर को छोड़कर निर्यात का कारखाने के बाहर मूल्य)	751.90 से 995.40	814.95 से 1017.03	1138.89 से 1450	1680 से 1700.

विवरण-दो

सोडा ऐश पर सीमा शुल्क

(यथा मूल्य)

प्रभावी	श्रेणी	बुनियादी	सहायक	समान
6-1-81	घना	25 प्रतिशत	शून्य	15.75 प्रतिशत
	हल्का	45 ,,	,,	15.75 ,,
13-1-81	घना	60 ,,	20 प्रतिशत	15.75 ,,
	हल्का	60 ,,	20 ,,	15.75 ,,
27-2-62	घना	60 ,,	25 ,,	15.75 ,,
	हल्का	60 ,,	25 ,,	15.75 ,,

विभागेतर कर्मचारियों की सेवा शर्तें

8628. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागेतर कर्मचारी दिन में 8 घंटे काम करते हैं और उन्हें मात्र 140 रुपये महीना वेतन मिलता है; और

(ख) विभागेतर कर्मचारियों की वर्तमान सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विभागेतर एजेन्ट अंशकालिक कर्मचारी होते हैं। विभाग विभागेतर एजेन्ट को वहां नियुक्त करता है जहां पूर्ण-कालिक कर्मचारी का कोई औचित्य नहीं पाया जाता। वे नियमित कर्मचारियों के समान 8 घंटे कार्य नहीं करते। उनकी ड्यूटी 2 से 5 घंटे तक होती है जोकि कार्यभार और सेवा घंटों पर निर्भर करती है। अतः उनको छुट्टी, चिकित्सा लाभ आदि कुछ सुविधाओं के मामलों में नियमित कर्मचारियों के समान नहीं रखा जा सकता। फिर भी, विभाग ने विभागेतर एजेन्टों को ग्रुप 'डी' और पोस्टमैन संवर्ग में खपाने हेतु सुविधाएं पहले से ही प्रदान की हुई हैं। उनके भत्तों में सुधार करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उनके भत्तों की वर्ष में एक बार पुनरीक्षा की जाए। पिछला संशोधन 1-8-81 से लागू किया गया। उनके भत्ते 113 रुपये से 233 रुपये प्रति-माह तक है।

आवश्यक बल्क औषधियों का उत्पादन

8629. **श्री भीकू राम जैन** :

श्री आर० पी० गायकवाड़ :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एंटीबायोटिक्स, सल्फ दवाएं, विटामिन, ऐनलजीन्स, क्षय विरोधी दवाएं, आदि जैसी अनेक आवश्यक बल्क औषधियों के उत्पादन में गिरावट आ रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि जनसंख्या में वृद्धि और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से औषधियों की बढ़ती हुई खपत के साथ-साथ इनके उत्पादन में गिरावट की प्रवृति से देश में औषधियों की भारी कमी हो रही है, यदि हां तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जहां तक संगठित क्षेत्र का सम्बन्ध है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोराइड, एम्पीसिलिन और एमोक्सीलिन (सभी एण्टीबायोटिक्स) सल्फासीटामाइड सोडियम, सल्फाफेनाजोल, सल्फासोमीडाइन, सल्फामेथोक्साजोल, थाइल, सल्फासीटामाइड, सल्फा मोक्सोल, सल्फागुनिडाइन, सल्फा डियाजाइन, सल्फानिलामाइड (सभी विटामिन), एनलजिन, एस्प्रिन, फिना इलबूटा जोन, आक्सी फिनाइलबूटो जोन, पेरासिटामोल, पेथिडाइन और फेना सिटिन (सभी अनलगैसिक और एण्टीपाइरेटिक औषधें), थियासिटाजोन और इथमबूटोल (दोनों टी० बी० निरोधी औषधें) जैसी विभिन्न श्रेणियों के अनेक बल्क औषधों के उत्पादन में अप्रैल 1981 से फरवरी 1982 के दौरान गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में वृद्धि का रुख दर्शाता है। तथापि, क्लोरमफेनीकोल चूर्ण, आक्सी टेट्रासाइक्लीन, इरिथ्रोमाइसिन, डाक्सीसाइक्लीन, एम्फोटेरासिन और केनामाइसिन (सभी एण्टीबायोटिक्स), सल्फाडिमिडाइन, थाइलाइन, सल्फाथियाजोल, सल्फामेथिजोल (सभी सल्फा औषधें), विटामिन ए, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, विटामिन डी 3, विटामिन के, विटामिन बी और निकोटिनिक एसिड (सभी विटामिन), कोडिन और इसके लवण तथा आइबूट्रनेक (अनलगैसिक्स और एण्टीपाइरेटिक), पी० ए० एस० और इसके लवण तथा आई० एन० एच० (टी० बी० निरोधी औषधें), के मामले में उत्पादन में उसी अवधि के दौरान भिन्न-भिन्न मात्रा में कमी का रुख दर्शाया है।

उत्पादन में कमी (I) मांग बाधा या पारी, (II) औद्योगिक असन्तोष, (III) सस्ती आयातित औषधों की उपलब्धता के कारण है। सरकार मांग और स्वदेशी उत्पादन की सावधिक समीक्षा करती है और स्वदेशी उत्पादन/उपलब्धता के रुख को ध्यान में रखने के पश्चात जहां आवश्यक हो आयातों में छूट देने/प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करती है। सरकार ने आवश्यक औषधों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं। इन कदमों के ब्यौरे दिनांक 23 मार्च, 1982 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4685 के उत्तर में दिए गए हैं।

सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान

8630. **श्री कुम्भा राम आर्य** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** सांविधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के बारे में 21 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8136 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकार किया था कि सांविधानिक एवं ससदीय अध्ययन संस्थान में अनुसंधान अधिकारी के पद पर सेवा से बर्खास्त एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया था जिसका पता संस्थान को बाद में लगा;

(ख) यदि संस्थान और सम्बन्धित मंत्रालय को इस तथ्य का पता चल रहा है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(ग) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं और कार्यवाही कब तक की जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) प्रश्न सं० 8136 के उत्तर में, जिसका उत्तर 21 अप्रैल, 1981 को दिया गया था, यह बताया गया था कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इस समय गवेषणा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है और जिसे केन्द्रीय सरकार की सेवा से पदच्युत किया गया था । उसने इस संस्थान के विज्ञापन के उत्तर में वरिष्ठ गवेषणा अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया था और उसे उसके अनुभव और अर्हताओं के आधार पर सहायक गवेषणा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था । बाद में उसे सहायक निदेशक/गवेषणा अधिकारी के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था । संस्थान को उसकी सहायक गवेषणा अधिकारी के रूप में प्रारम्भिक नियुक्ति के समय और बाद में उसकी प्रोन्नति के समय यह पता नहीं था कि वह सरकारी सेवा से पदच्युत कर दिया गया था ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने संस्थान का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि किसी पदच्युत सरकारी सेवक को संस्थान में नियोजित किया जाना अनुचित है क्योंकि किसी पदच्युत सरकारी सेवक को सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले किसी संस्थान में सामान्यत: नियोजित नहीं किया जाना चाहिए । संस्थान को यह अनुदेश दिया गया है कि वह इस विषय में संस्थान के सुसंगत नियमों के अनुसार यथाशीघ्र समुचित कार्रवाई करे । संस्थान ने इस मंत्रालय को जानकारी दी है कि इस विषय में उस नई कार्यकारी परिषद द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसका गठन उसके संशोधित नियमों के अधीन किया जा रहा है ।

आकाशवाणी, शिमला के कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

8631. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, शिमला में हिमाचल प्रदेश के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो हिमाचली भाषा में आकाशवाणी से सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक इत्यादि प्रसारित करते हैं, और उनमें से कितने कर्मचारी स्थायी और अस्थायी हैं, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित कितने पद खाली पड़े हैं और इन पदों पर कब तक नियुक्तियां की जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी, शिमला में हिमाचल प्रदेश के 23 स्टाफ आर्टिस्ट (जो अनुबंधित कर्मचारी हैं) और 8 नियमित कर्मचारी हैं जो विभिन्न हिमाचली बोलियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, इत्यादि प्रसारित करते हैं । 8 नियमित कर्मचारियों में से, तीन स्थायी हैं और पांच अस्थायी । जैसे ही स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाएगा ।

(ख) कोई नहीं; पिछले भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जोधपुर में उपग्रह केन्द्र की स्थापना

8632. **श्री अशोक गहलोत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कहां-कहां उपग्रह केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या जोधपुर में भी उपग्रह केन्द्र स्थापित किया गया है और यदि हां तो उसपर कुल कितनी राशि व्यय की गई और उसके जरिए देश के किन-किन भागों को संचार सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा यह सुविधा किस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी, तत्संबंधी ब्यौरा दर्शाया जाए और किस समय से यह कार्य करने लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 'इनसैट-1 ए' हेतु—

कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बंबई, शिलांग, जयपुर, लखनऊ, जालन्धर, पटना, भुवनेश्वर, हैदराबाद, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, श्रीनगर, जोधपुर, भुज, पंजिम, मिनिकाय, गंगटोक, इटानगर, कोहिमा, इम्फाल, अगरतल्ला, लेह, पोर्ट ब्लेयर, ऐजवाल, कवारत्ति तथा कार-निकोबार में 28 भू-केन्द्र (उपग्रह केन्द्र) स्थापित किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त आपातकालीन परिस्थितियों में संचार व्यवस्था हेतु तीन वहनीय भू-केन्द्र उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(ख) जी हां, जोधपुर हेतु अनुमानित व्यय लगभग एक करोड़ रुपए हैं । जोधपुर को उपरोक्त स्थानों के उपग्रह जालकार्य के साथ मई, 1982 तक जोड़ना संभव हो सकेगा ।

पौड़ी क्षेत्र में डाकघरों के निरीक्षकों की पदोन्नति

8633. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पौड़ी क्षेत्र में डाकघरों के निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उन पदों पर वास्तव में कितने निरीक्षक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या समय-समय पर उन पदों के लिए विभागीय परीक्षायें आयोजित की जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन स्वीकृत पदों पर तीन वर्षों से अधिक समय से अनर्ह निरीक्षक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें योग्यता के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त कर सकने के कारण छः वर्ष से अधिक समय तक सेवारत रहने के बावजूद पदावनत कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो गत छः वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति परीक्षा में बैठे और योग्यता के लिए और न्यूनतम अंक न प्राप्त कर सकने के कारण पदावनत कर दिये गए; और

(ङ) ऐसे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) उत्तर प्रदेश सर्किल से सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सामान्य सिविल संहिता

8634. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, सामान्य सिविल संहिता बनाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में आवेदकों को प्रदान किये गये अवसर

8635. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी पद के लिए आवेदन करने हेतु अन्य विभागों में अभ्यर्थियों को एक से अधिक अवसर दिए जाते हैं जबकि भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में किसी अभ्यर्थी को एक ही अवसर दिया जाता है;

(ख) क्या यह नियम हरिजन और आदिवासी अभ्यर्थियों पर भी लागू होता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिक अवसर प्रदान किये जाने के पक्ष में नियमों में से संशोधन करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) और (घ) यह सही नहीं है कि एक अभ्यर्थी को केवल एक ही अवसर दिया जाता है । तथापि पहले विज्ञापन के उत्तर में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण जब एक विज्ञापन अल्पावधि के भीतर पुनः विज्ञापित करना होता है तो सामान्यतः यह लिखा जाता है कि जिन्होंने पहले विज्ञापन के उत्तर में आवेदन किया है उन्हें पुनः प्रार्थनापत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

डाक द्वारा भेजे गए तार

8636. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि विशेष कवर में भेजे जाने वाले तार कभी-कभी गुम हो जाते हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी हां । गत वर्ष के दौरान विशेष लिफाफों के गुम होने के कारणों की जांच से यह पता चला है कि निपटाए गए परियात की तुलना में गुम होने के ऐसे मामले नगण्य हैं ।

महानगरों में दोषपूर्ण टेलीफोन सेवा

8637. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरों की जनता की यह आम शिकायत है कि इन नगरों के टेलीफोन दिन में छः या सात बार खराब होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने देश में टेलीफोन प्रणाली सुधारने के लिये कोई कदम उठाया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। इनके संक्षिप्त ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(i) जंक्शन, प्राथमिक एवं माध्यमिक केबलों का गैस दाबीकरण।

(ii) वितरण प्वाइन्टों की पुनर्स्थापना।

(iii) दोषों का शीघ्र पता लगाने तथा आवर्तक दोषों से बचने के लिए केबिनेटों एवं खम्भों में जंपरों की पुनर्व्यवस्था।

(iv) केबल नलिकाओं का निर्माण।

(v) जहां कहीं निर्धारित से कम गहराई हो वहां भूमिगत केबलों को अर्ध नलिकाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान करना।

(vi) उत्तम कारीगरी सुनिश्चित करने के लिए कार्य पूरा होने पर केबल जोड़ों की तुरन्त जांच।

(vii) गैर विभागीय पार्टी द्वारा की गई केबल क्षति का पता लगाने के लिए केबल खाइयों को बन्द करने से पूर्व पानी भरकर दबाना।

(viii) जहां कहीं अन्य पार्टियों द्वारा खुदाई की जा रही हो वहां टेलीफोन केबलों की सुरक्षा निश्चित करने हेतु केबल मार्गों पर गश्त लगाना।

(ix) फालतू पुर्जों, भंडारों या औजारों की पर्याप्त सप्लाई।

(x) विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में कड़ा पर्यवेक्षण।

(xi) निरीक्षण कार्यक्रमों में सख्ती बरतना।

(xii) ट्रंक एवं अन्य करचल एक्सचेंजों का सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षित प्रचालनों का दल आरक्षित करना।

विभिन्न राज्यों को "पेट्रोलियम उत्पादों" की सप्लाई

8638. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल सहित अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई ; और

(ख) उन प्रत्येक उत्पादों की कितनी-कितनी मात्रा केरल को सप्लाई की गई और उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल सहित पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई की गई मात्रा निम्नलिखित रूप में है :

(आंकड़े मी० टनों में)

वर्ष	ए० टी० एफ[1]	पेट्रोल	मिट्टी का तेल	डीजल	एल० डी० ओ०[2]	मिट्टी का तेल (रेगु०)[3]	एल० एस० एच० एस०/[4] एच० एच० एस०[5]	नेफ्था	एल० पी० जी० 2[6]	बिटुमन	अन्य[7]	योग
1980-81	1125	1520	4227	10335	1122	5406	2067	2325	405	1064	694	30190
1981-82 अप्रैल से दिसम्बर '81	835	1191	3436	7944	757	3325	2154	2210	360	979	292	23683 (अस्थाई)
(ख)	उसी अवधि में केरल को सप्लाई की गई मात्रा निम्नलिखित रूप में है :											
1980-81	17	88	130	352	11	217	64	191	7	34	6	1117
1981-82 अप्रैल से दिसम्बर '81	14	68	102	259	7	152	50	135	7	32	5	831 (अस्थाई)

1 ए० टी० एफ० विमानन टर्बाइन ईंधन
2 एल० डी० ओ० लाइट डीजल तेल
3 एफ० ओ० भट्टी का तेल
4 एल० एस० एच० एस० लो सल्फर हैवी स्टाक
5 एच० एच० एस० होट हैवी स्टाक
6 एल० पी० जी० तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
7 ल्यूब्स/ग्रीजों को को छोड़कर

उत्तर प्रदेश में ऐरोमेटिक निस्सारण संयंत्र का निर्माण

8639 . **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** उत्तर प्रदेश में एक ऐरोमेटिक निस्सारण संयंत्र लगाये जाने के बारे में 8 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस परियोजना के लिये विशिष्ट स्थान का चुनाव करने हेतु भू-सर्वेक्षण और मिट्टी परीक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) क्या प्रोसेस लाइसेंस प्रदाताओं का चुनाव और अनुमोदन कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(घ) इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) भू-जांच कार्य पूरा कर लिया गया है । भूमि सर्वेक्षण कार्य जारी है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और(घ) : इस अवस्था में यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ।

विद्युत पारेषण हानियां तथा तत्संबंधी समस्याओं पर सम्मेलन

8640 : **श्री डूमर मल बैंठा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत पारेषण हानि तथा अन्य संबंधित समस्याओं पर विद्युत इंजीनियरों, तकनीकी प्रबन्धकों और राज्य विद्युत बोर्डों के प्रतिनिधियों का 27 फरवरी, 1982 को राजधानी में सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 27 फरवरी, 1982 को राजधानी में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अपनी विद्युत परियोजना को छठी योजना में शामिल करने के संबंध में पंजाब सरकार का विरोध

8641 : **श्री लहना सिंह तुर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य की किसी भी विद्युत परियोजना को छठी योजना में शामिल करने के संबंध में विरोध पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे पंजाब को भारी क्षति पहुंचेगी जैसाकि 7 मार्च, 1982 के "ट्रिब्यून" में कहा गया है; और

(ग) पंजाब के लोगों को संतुष्ट करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) राज्य के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात और इस बारे में सभी आवश्यक संबंधित बातों को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने पंजाब राज्य की योजना को अंतिम रूप दिया था।

वर्तमान में पंजाब की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता भाखड़ा और ब्यास काम्प्लेक्स के भाग समेत 1536.34 मेगावाट है। 1011.28 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की निम्नलिखित कई परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। इसके अतरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं नामश: बैरा स्यूल, सलाल और सिंगरौली से भी पंजाब को हिस्सा मिलेगा

क्रम सं०	परियोजनाओं का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावट	लाभ (मेगावाट) 1981-85 के दौरान	1985-90 के दौरान
	जल विद्युत			
1.	शानन विस्तार	50	50	—
2.	शानन नवीकरण	12	12	—
3.	मुकेरियां	207	90	117
4.	आनन्दपुर साहिब	134	134	—
5.	देहरा विस्तार (राज्य का हिस्सा)	158.4	158.4	—
6.	पोंग विस्तार (राज्य का हिस्सा)	29.88	29.88	—
7.	रोपड़	420	210	210
	ताप विद्युत	1011.28	648.28	327

इसके अतिरिक्त, थीन बांध (4 × 120 मेगावाट) पर भी कार्य आरम्भ हो गया है।

इसके अलावा नई उत्पादन क्षमता का सृजन करने के राज्य के प्रयासों की अनुपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सेक्टर में एक क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किया जा रहा है, ताकि उत्तरी क्षेत्र में सभी विद्युत प्रणालियों का समेकित प्रचालन किया जा सके, फालतू बिजली वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में बिजली का स्थानांतरण किया जा सके और आपत्कालीन आउटेज की परिस्थितियों में विद्युत का आदान-प्रदान किया जा सके। राज्य में वर्तमान विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

आंशिक अथवा पूर्णरूपेण बंद तापीय विद्युत केन्द्रों का पुनः चालू किया जाना

8642. **श्री कमल नाथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो तापीय विद्युत केन्द्र आंशिक अथवा पूर्णरूपेण बंद हो गये हैं उन्हें कब तक पुनः चालू किया जायेगा ;

(ख)क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा चलाये जा रहे "नियमानुसार काम" आन्दोलन के कारण उनके पुनः चालू होने में विलम्ब हुआ है ; और

(ग) इस स्थिति से निबटने के लिये क्या निदानात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चतुर्थ कोटि औषधियां

8643. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ कोटि की औषधियों की लाभ गुंजाइश के मामले पर औषध उद्योग, कैमिस्टों और उनके मंत्रालय के मध्य हुई त्रिपक्षीय वार्ता विफल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मेरे मंत्रालय ने 5 मार्च, 1982 को दि आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स आफ इण्डिया, दि इण्डियन ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, दि फार्मास्यूटिकल्स एण्ड एलाइड मैनुफैक्चरर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स एसोसिएशन और आल इण्डिया मैनुफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स नामक औषध उद्योग के चार संघों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक श्रेणी-IV (मूल्य अनियंत्रित) फार्मूलेशनों में व्यापार लाभ में वृद्धि और कैमिस्टों तथा ड्रगिस्टों द्वारा कुछ कंपनियों के उत्पादों के बहिष्कार के मसले को हल करने के लिए बुलाई थी। लम्बे विचार-विमर्श के बाद मूल्य अनियंत्रित फार्मूलेशनों के व्यापार लाभ में वृद्धि के लिए एक सूत्र का सुझाव दिया गया। यद्यपि औषध उद्योग के सभी संघों ने सूत्र को स्वीकार कर लिया है लेकिन कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार नहीं किया।

सरकार स्थिति पर इस दृष्टि से नजर रख रही है कि कैमिस्टों और ड्रगिस्टों तथा औषध निर्माताओं के बीच विवाद के कारण आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।

बिदथी जल विद्युत परियोजना

8644. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कनारा (कर्नाटक) में बिदथी जल विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई वित्तीय सम्बन्धी निर्णय लेने से पूर्व स्थानीय जनता के विचारों को ध्यान में रखने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) कर्नाटक विद्युत निगम ने सूचित किया है कि बिदथी जल विद्युत परियोजना को हाथ लेने की वांछनीयता पर, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई बिदथी समिति विचार कर रही है। स्थानीय जनता के दृष्टिकोण पर समुचित विचार किया जाएगा।

ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड में प्रचार कार्य

8645. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रचार अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, इस यूनिट ने कितनी राशि व्यय की;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, और भाषावार किन-किन दैनिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के विज्ञापन प्रकाशित हुए;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड ने वर्ष वार कितनी प्रेस पार्टियां आयोजित की और समाचारपत्र-वार किन-किन पार्टियों ने उनमें भाग लिया, और

(घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स की प्रेस रिलीज की डाक सूची में किन संवाददाताओं के नाम दर्ज हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंधी शरणार्थियों का पुनर्वास

8646. **श्री एन० के० शेंजवलकर** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971 के युद्ध के दौरान कितने सिंधी शरणार्थी भारत आए थे और उनमें से कितने परिवार वापस पाकिस्तान लौट गए तथा उनके लौटने के क्या कारण थे; और

(ख) शेष शरणार्थियों में से कितनों का पुनर्वास किया गया और कितनों का पुनर्वास नहीं किया गया तथा उसके क्या काकण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 14,146 परिवार। 3, 120 परिवार स्वयं पाकिस्तान लौट गए थे।

(ख) शेष 11,026 शरणार्थी परिवारों में से, 826 परिवारों ने शिविरों में प्रवेश नहीं लिया था और वे सरकारी सहायता के पात्र नहीं थे किन्तु वे अपने प्रयासों से स्वयं बस गए हैं। शेष 10,200 परिवारों में से, जिन्होंने राहत शिविरों में प्रवेश लिया था, 6,900 को बसाया जा चुका है। शेष 3,300 शिविर परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना में बसाने का प्रस्ताव है जहां उनके लिए आवश्यक सुविधाएं उत्पन्न की जा रही हैं।

बिहार में बिजली की स्थिति

8647. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में बिजली की स्थिति के बारे में 23 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जैसी कि बिहार सरकार ने 1979 में रिपोर्ट दी थी केवल एक वाराहक्षेत्र बांध और इससे निकलने वाली नहरों से 3300 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा और सोन कोसी, अरुण कोसी आदि सहायक नदियों से 7000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : कोसी उच्च बांध के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट में नेपाल में वाराहक्षेत्र में कोसी नदी के ऊपर एक बांध की तथा 3000 मेगा० की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले बांध स्थल विद्युत केन्द्र की और कोसी उच्च बांध के 8 किलोमीटर अनुप्रवाह में प्रस्तावित एक बराज से निकाले जाने वाली नहर पर स्थित 200 मेगा० की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले एक नहर विद्युत केन्द्र की परिकल्पना है। कोसी की जो विभिन्न सहायक नदियां नेपाल में पड़ती हैं उन पर जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

कोयला ईंधन ग्रेड मेथेनाल और पाइप लाइन गैस उत्पादन पर सम्भाव्यता रिपोर्ट

8648. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक योजना और विकास इंडिया लि० ने कोयला फ्यूएल ग्रेड मेथेनाल और पाइप लाइन गैस उत्पादन पर एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) क्या प्रतिवर्ष 5 लाख टन फ्यूएल ग्रेड मेथेनाल और प्रतिदिन 1 करोड़ 40 लाख घन पाइप गैस का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट भी बनाई गई है; और

(ग) इस प्रकार से तैयार मेथेनाल ईंधन और गैस की लागत क्या होगी और क्या सरकार का विचार इन दो मदों का भारी पैमाने पर उत्पादन किए जाने के लिए एक कारखाना स्थापित करने का है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। फर्टिलाइजर (प्लानिंग एन्ड डवलपमेंट) इंडिया ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के कोयले पर आधारित ईंधन ग्रेड मेथानोल और पाइप लाइन गैस उत्पादन के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टी० ई० एफ० आर०) तैयार की है। टी० ई० एफ० आर० में प्रस्तावित क्षमता निम्न प्रकार हैं :

ईंधन ग्रेड मेथानोल : 500,000 टन प्रति वर्ष

पाइपलाइन गैस : 14 मिलियन सामान्य घन मीटर प्रतिदिन

(ग) टी० ई० एफ० आर० के अनुसार दीर्घावधि ऋण पर ब्याज और पूंजी पर लाभ को छोड़कर किन्तु अल्पवधि ऋण पर मूल्य ह्रास और ब्याज समेत उत्पादन लागत निम्न प्रकार है :

मेथानोल : रु० 2907.00 प्रति टन

पाइपलाइन गैस रु० 5.80 प्रति एक लाख बी० टी० यू० के लिए ऋण

फिलहाल सरकार का ऐसा प्लांट लगाने का विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सिंथेटिक संयंत्र की स्थापना

8649. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ समय पूर्व रानीगंज कोयले पर आधारित एक सिन्थेटिक संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था और अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन देने में केन्द्र सरकार को क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इस पर अनुमोदन देने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने संश्लिष्ट कच्चे तेल और अन्य उपउत्पादों के उत्पादन के लिए जो मूल प्रस्ताव रखा था उसे संशोधित करके उसमें केवल मेथानोल के उत्पादन की व्यवस्था रहने दी गई थी। ऐसे एक संयंत्र के लिए कोयले के अंनन्तिम संयोजन के लिए भारत सरकार ने सहमति दे दी थी। निर्दिष्ट कोयले की किस्म के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी हाल ही में 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले मेथानोल को उत्पादन संयंत्र की और 135×10 'एन० एम०' प्रतिवर्ष की क्षमता वाली गैस पाइप लाइन के लिए एक संयंत्र की स्थापना हेतु साध्यता रिपोर्ट तैयार करवाई है और एक औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। उनके आवेदन पत्र के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति पहले ही पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री द्वारा लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 316 और अतारांकित प्रश्न संख्या 3548 के उत्तर में दिनांक 16 मार्च, 1982 को बताई जा चुकी है।

राजधानी में नए टेलीफोन केन्द्र खोलना

8650. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान राजधानी में कितने नए टेलीफोन केन्द्र खोले जाएंगे और वे कहां-कहां खोले जाएंगे;

(ख) प्रत्येक केन्द्र की टेलीफोन कनेक्शन क्षमता कितनी होगी;

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का अनुमान है; और

(घ) क्या इस कार्य के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1982-83, 83-84 और 84-85 के दौरान नए एक्सचेंज खोलने का कार्यक्रम विवरण में दिया गया है ।

(ख) एक्सचेंजों की संयोजन क्षमता विवरण में दी गई हैं ।

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान लगभग 75,000 कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ।

(घ) 1982-83 के लिए बजट में 16.46 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । परवर्ती वर्षों के लिए अपेक्षित निधियों की व्यवस्था कार्यों की प्रगति के आधार पर की जाएगी ।

विवरण

निम्न वर्षों के दौरान राजधानी में खोले जाने वाले नए टेलीफोन एक्सचेंज

एस = स्ट्रोजर

एक्स = क्रौसबार

ई = इलेक्ट्रानिक

एक्सचेंज का नाम, स्थान	1982-83		1983-84		1984-85	
	क्षमता	संयोजन क्षमता	क्षमता	संयोजन क्षमता	क्षमता	संयोजन क्षमता
फरीदाबाद यूनिट-II	—	—	—	—	1800 (एस)	1682
चाणक्यपुरी-II	—	—	10,000 (एक्स)	9400	—	—

करौल बाग-III	10,000 (एक्स)	9400	—	—	10,000 (ई)	9400
किदवई भवन	—	—	—	—	10,000 (ई)	9400
नेहरू प्लेस	—	—	—	—	10,000 (ई)	9400
सैना भवन	—	—	—	—	10,000 (ई)	9400
शक्ति नगर	10,000 (एक्स)	9400	—	—	—	—
तीस हजारी	10,000 (एक्स)	9400	—	—	10,000 (ई)	9400
ईदगाह	10,000 (एक्स)	9400	—	—	10,000 (ई)	9400
शाहदरा	1,200 (एस)	1128	—	—	—	—
योग :	41,200	38,728	10,000	9400	61,800	60,092

विटामिन औषधियों के मूल्यों में संशोधन

8651. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विटामिन औषधियों के मूल्यों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि इस संशोधन में स्टैण्डर्ड विटामिन फार्मूलेशनों की परस्पर संतोषजनक परिभाषा निर्धारित न कर पाने के कारण विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यह मूल्य संशोधन कब किया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) औषध निर्माताओं और औषध निर्माता संघों में औषध और प्रशासन अधिनियम, 1940 की अनुसूची-1/के अन्तर्गत आने वाले मल्टी विटामिन फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में कारखाने के बाहर लागत पर 100 प्रतिशत का मार्क अप देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । ऐसे फार्मूलेशनों पर मार्क अप का सम्पूर्ण मामला सरकार के विचाराधीन है ।

"प्रोब इनटू करप्शन चार्ज अगेन्स्ट डी० टी० सी०" शीर्षक समाचार

8652. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जनवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "प्रोब इनटू करप्शन चार्ज अगेन्स्ट डी० टी० सी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें 4 फर्मों को 6000 टन कोयला 340 रुपये प्रति टन के हिसाब से, कोयले के घटिया किस्म के होने के कारण नियंत्रित मूल्य से 100 रुपये प्रति टन कम पर तथा यह सुनिश्चित किये बिना कि उपभोक्ता से 440 रुपये प्रति टन के हिसाब से उच्च मूल्य वसूल नहीं किया जायेगा, बेचा गया है, जिससे इसको 6 लाख रुपये की हानि हुई;

(ख) क्या रेलवे को 12 लाख रुपये के डैमेज का भुगतान किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन फर्मों से जिनको यह कोयला बेचा गया था उन्होंने उपभोक्ताओं से इसका क्या मूल्य वसूल किया, इस बारे में की गई जांच का क्या परिणाम है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां। दिल्ली प्रशासन के अनुसार घटिया किस्म के साफ्ट कोक का स्टाक पिछले पांच-छः महीने से टाल में पड़ा हुआ था क्योंकि कोयले के फुटकर लाइसेंसदारों ने इसे उठाने से मना कर दिया था। अतः दिल्ली प्रशासन ने निगम को होने वाली हानि से बचाने के लिए यह निर्णय किया कि टाल में पड़ा हुआ साफ्ट कोक का स्टाक दिल्ली के किसी भी गैर कोयला लाइसेंसदार को भी रु० 342.50 की पुरानी थोक दरों से ही तथा कुछ और भी पुराना स्टाक रु० 326.50 प्रति मी० टन के हिसाब से बेच दिया जाए। यह बिक्री दिल्ली में ही करने का निर्णय किया गया था। दिल्ली प्रशासन ने 10-1-1982 को समाचार पत्रों से दिल्ली के किसी भी गैर कोयला लाइसेंसदार को साफ्ट कोक की बिक्री करने का विज्ञापन दिया था तथा तदनुसार प्रशासन ने 60 से भी अधिक पार्टियों को परमिट जारी किए हैं। टाल में पड़ा हुआ साफ्ट कोक पुरानी थोक दरों से बेचने पर निगम को कोई घाटा नहीं होता है और आशा है कि निगम को बचत ही हो जाएगी क्योंकि साफ्ट कोक की बिक्री न होने के कारण जो धनराशि फंसी पड़ी थी वह इस प्रकार वसूल होकर काम में आएगी।

(ख) दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम ने रेलवे को केवल रु० 5.21 लाख का भुगतान किया था, रु० 12 लाख का नहीं। परन्तु निगम ने डेमरेज की माफी के लिए रेलवे को अपने दावे प्रस्तुत कर दिए हैं। भा० को० को० लि० ने भी दिल्ली राज्य नागरिक पूर्ति निगम को दिल्ली के लिए घटिया किस्म के साफ्ट कोक की सप्लाई के सम्बन्ध में रु० 1.25 लाख की छूट दी थी।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स बोहरिंगर-नोल

8653. **श्री आर० एन० राकेश** :: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोहरिंगर-नोल एक विदेशी कम्पनी है, यदि नहीं तो यह कम्पनी कब भारतीय बनी अथवा उसका राष्ट्रीयकरण किया गया;

(ख) जब बोहरिंगर-नोल कम्पनी विदेशी कंपनी थी उस समय दो वर्ष की अवधि के लिए उसे कौन-से आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस दिए गए थे; और

(ग) इस कम्पनी के भारतीय कंपनी बनने के पश्चात इसे कौन-से आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस दिए गए ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1975 में मै० बोहरिंगर नोल की प्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी घटाकर 38.4 प्रतिशत कर दी गई थी तथापि उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विदेशी साम्यपूंजी 44.9 प्रतिशत थी। नवम्बर, 1976 में सरकार ने निर्णय लिया कि उन कंपनियों, जिनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी 40 प्रतिशत से अधिक है, को पहले के 50 प्रतिशत की तुलना में औद्योगिक लाइसेंस के उद्देश्य के लिए विदेशी कंपनियां समझा जाएगा। अप्रैल 1978 में सरकार ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस के उद्देश्य के लिए सिर्फ उन्हीं कंपनियों को विदेशी समझा जाएगा जिनकी विदेशी साम्यपूजी 40 प्रतिशत से अधिक होगी। तब से मैसर्स बोहरिंगर नोल को भारतीय कंपनी माना जा रहा है।

(ख) भारतीय कंपनी समझे जाने के 2 वर्ष पूर्व की अवधि के लिए मै० बोहरिंगर नोल को दिए गए आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे अनुबन्ध-I में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3980/82]

(ग) भारतीय कंपनी माने जाने के बाद स्वीकृत आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे अनुबन्ध-II में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3980/82]

अंग्रेजी और हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन

8654. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कुल कितनी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं और उनकी प्रचार संख्या क्या है;

(ख) इन पत्र-पत्रिकाओं का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और उनकी उत्पादन लागत क्या है, प्रत्येक पत्र-पत्रिका के बारे में विस्तृत ब्यौरा दें;

(ग) प्रत्येक पत्रिका के लिए, इन पत्रिकाओं के लिए नियुक्त कर्मचारियों के वेतन सहित, कुल कितना बजट प्रावधान है; और

(घ) इन पत्रिकाओं के सम्पादकीय टिप्पणियों तथा इनमें प्रकाशन सामग्री के सम्बन्धों में क्या उनके मंत्रालय ने कोई निर्देश जारी किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) प्रकाशित की जा रही कुल 21 पत्रिकाओं में से अंग्रेजी में 5, हिन्दी में 6, उर्दू में 3 और असमिया, बंगला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और मलयालम में एक-एक हैं। इनमें से प्रत्येक पत्रिका की प्रसार संख्या परिशिष्ट—1 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3981/82]

(ख) पत्रिकाओं का मूल्य उद्देश्यों, प्रायोजिकता, लक्ष्य पाठकों, अनुमानित प्रसार संख्या, प्रकाशन लागत तथा अन्य संगत बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक पत्रिका के बारे में एक प्रति का मूल्य और एक प्रति की प्रकाशन लागत का ब्योरा परिशिष्ट2 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3981/82]

(ग) "एम्प्लायमेंट न्यूज" के तीन संस्करणों को छोड़कर, वैयक्तिक पत्रिकाओं के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं किया जाता। "एम्प्लायमेंट न्यूज" केलिए बजट प्रावधान, और अन्य पत्रिकाओं के बारे में कागज़, छपाई और कर्मचारियों के वेतन पर हुए व्यय का ब्योरा परिशिष्ट—3 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3981/82]

(घ) जी, नहीं। मंत्रालय द्वारा पत्रिकाओं की सम्पादकीय नीति और उनमें प्रकाशन सामग्री के बारे में कोई निर्देश जारी नहीं किये जाते हैं।

केन्द्रीय सूचना सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में रिक्त स्थान

8655. **श्री रामस्वरूप राम**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केन्द्रीय सूचना सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में कितने स्थान रिक्त हैं और इन स्थानों को श्रेणी 1 की सेवाओं में पदोन्नति के माध्यम से भरने के लिए सामान्य तौर पर कितना समय लग जायेगा; और

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा में श्रेणी I के दो अनुसूचित जाति के अधिकारियों की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में पदोन्नति करने में छः से आठ माह तक का विलम्ब किया गया जबकि वहां पर स्थान रिक्त थे और यदि हां, तो उनको पदोन्नति दिए जाने से पूर्व विलम्ब किए जाने के क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) केन्द्रीय सूचना सेवा के जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में पांच रिक्तियां हैं। इनमें से चार रिक्तियों को फिलहाल तदर्थ आधार पर भर लिया गया है। नियमों के अनुसार, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता के लिए ग्रेड—I में न्यूनतम पांच वर्ष की लगातार स्वीकृत सेवा निर्धारित है।

(ख) जी, नहीं।

गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए पुलिस बल

8656. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के उपनिर्वाचन को इसलिए स्थगित किया जा रहा है कि राज्य सरकार शांतिपूर्वक मतदान के लिए अपेक्षित आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गढ़वाल में निर्वाचन पूरा कराए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 149 के अधीन निर्वाचन आयोग लोक सभा में आकस्मिक रिक्तियों के लिए निर्वाचन कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। आयोग ने गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अब 19 मई, 1982 को निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया है ।

(ख) निर्वाचनों के दौरान विधि और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। यदि निर्वाचनों के दौरान विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारें अपना पुलिस बल अपर्याप्त पाती हैं तो वे अतिरिक्त बाह्य बल के लिए विनिर्दिष्ट मांग कर सकती हैं। भारत सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से आगामी पंचायतों के निर्वाचनों तथा संसदीय/राज्य विधान सभा उप-निर्वाचन के दौरान राज्य में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अभिनियोजित करने के लिए एक मिलाजुला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को यह जानकारी दे दी गई है कि इस तथ्य के होते हुए भी कि केन्द्रीय पुलिस बल की रिजर्व की स्थिति विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिबद्धता के कारण, तंग है, भारत सरकार निर्वाचनों के दौरान विधि और व्यवस्था बनाए रखने में विभिन्न राज्यों की यथासंभव अधिक से अधिक सहायता देने के लिए केन्द्रीय बल के उपलब्ध सभी संसाधनों को संचालित करने का प्रस्ताव करती है ।

भारत में आयातित बोरिक्स का उपयोग करने वाली फर्में

8657. **श्री एन० डेनिस :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में आयातित बोरिक्स का उपयोग करने वाली गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र की फर्मों का ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : वर्ष 1981-82 की आयात नीति में बोरिक्स का आयात प्रतिबन्धित सूची मे था अतः इसका आयात वास्तविक प्रयोगकर्ताओं (औद्योगिक) द्वारा स्वतःलाइसेंसों के आधार पर 50,000 रुपये के मूल्य तक और लाइसेंस के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा तक किया जा सकता है। वास्तविक प्रयोग कर्ताओं (जौद्योगिक) द्वारा पूरक लाइसेंसों के आधार पर भी आयात किया जा सकता है। निर्यात के बदले में भी बोरिक्स के आयात की अनुमति थी। आयात सांख्यिकी फर्म-वार नहीं रखीजाती। अतः बोरिक्स का आयात करने वाली और इस प्रकार आयातित बोरिक्स का प्रयोग करने वाली फर्मों के ब्यौरे तत्काल

उपलब्ध नहीं है। इस मद का आयात करने वाली फर्मों के नाम एकत्रित करना कठिन है और प्राप्त होने वाले परिणाम आंकड़ों के संचयन में लगने वाले परिश्रम के अनुरूप नहीं होंगे।

कोयले के बढ़े हुए मूल्य

8658. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न ग्रेडों के कोयले के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) वर्ष 1979 से लेकर अब तक कोयले के मूल्यों को कितनी बार बढ़ाना पड़ा है और इसके क्या कारण थे; और

(घ) इस अवधि के दौरान औद्योगिक सामान के मूल्यों में सामान्य वृद्धि के लिए यह किस हद तक जिम्मेदार था ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिनांक 17 जुलाई, 1979 को कोयले की कीमतों में संशोधन करने के बाद कोयले की कीमतें केवल एक बार अर्थात् 14-2-1981 को बढ़ाई गई थीं। कोयले की कीमतों में वृद्धि मजदूरी और अन्य उत्पादन सामग्रियों की लागतों में वृद्धि के कारण आवश्यक हो गई। औद्योगक वस्तुओं की कीमतों पर कोयले की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव बहुत मामूली रहा है।

कर्नाटक में रुकी पड़ी पन-बिजली परियोजनाएं

8659. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में स्थापित की जाने वाली कुछ प्रस्तावित पन-बिजली परियोजनाओं का निर्माण कार्य इस लिए रुका पड़ा है क्योंकि वे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से रुकी पड़ी परियोजनाओं के क्या नाम हैं तथा प्रत्येक के साथ क्या समस्याएं जुड़ी हुई हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में उपयुक्त संशोधन करके उनका अनुमोदन किया जा सकता है और यदि हां, तो क्या योजना बनाने वालों को इन योजनाओं में अपेक्षित संशोधन करने के लिए कह दिया गया है, और यदि हां, तो ऐसा कब किया गया था ? और

(घ) इन योजनाओं का कब तक अनुमोदन कर दिया जाएगा जिससे कि राज्य बिजली की अपनी आवश्यकता का स्वयं निर्माण कर सके ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) जी, हां। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई राज्य की बेदथी (गंगावली) और काली नदी चरण-2 जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य में प्रगति उत्तर कनारा जिले की जनता

द्वारा आन्दोलन किये जाने के कारण नहीं हो रही है। जनता को आशंका है कि इन परियोजनाओं के चालू होने से इस क्षेत्र की स्थलाकृति सम्बन्धी सन्तुलन पर प्रभाव पड़ेगा। गंगावली में बेदथी नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं और काली नदी जल विद्युत परियोजना—चरण-2 की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने भी एच० वी० नारायण राव, सेवा निवृत अध्यक्ष, कर्नाटक बिजली बोर्ड, की अध्यक्षता से एक तकनीकी समिति का गठन किया है। समिति ने अभी अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

कोयले की ढुलाई

8660. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कोयले के बढ़े हुए उत्पादन के कारण यह आवश्यक है कि कोयले खानों से उपभोक्ताओं तक इसकी कम कीमत पर ढुलाई के तरीकों का पता लगाया जाये और उनका विकास किया जाए;

(ख) कोयला उद्योग के लिए रेलवे वैगनों की वर्तमान मांग क्या है और उसे किस हद तक पूरा किया जा रहा है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में कोयले की ढुलाई के लिए "रेल-कम-सी मूवमेंट," "रेल-कम-रीवर मूवमेंट" तथा कोयले की ढुलाई के लिए पाइप लाइन शुरू करने की सम्भाव्यता पर सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो क्या भावी योजनाएं तैयार की गई हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में कोयले के और अधिक "स्टाक यार्ड" बनाने का है और यदि हां, तो उनमें से कितने कर्नाटक राज्य में बनाए जाएंगे तथा कब ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, 1982-83 के दौरान रेल द्वारा कोयले का प्रेषण 98 मिलियन टन करना होगा जिसके लिए लगभग 11500 वैगन प्रति दिन की आवश्यकता होगी। वर्तमान सप्लाई 10,800 वैगन प्रतिदिन के आसपास है।

(ग) कोयले की संयोजित मात्रा पहले ही रेल-सह-समुद्र मार्ग से जा रही है। कोयले को रेल-सह-नदी मार्ग से भेजने की संभावनाओं का अध्ययन कोल इंडिया लि० द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार (सिंचाई एव परिवहन विभाग), दामोदर घाटी निगम, केन्द्रीय अंतर्देशी जल परिवहन निगम और परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट योजनाएं अभी बनाई जानी हैं। योजना आयोग पाइप लाइन परिवहन प्रणाली के तकनीकी-आर्थिक पहलू का अध्ययन कर रहा है।

(घ) कोल इंडिया लि० कर्नाटक राज्य में बंगलौर में एक स्टॉकयार्ड बनाने का विचार कर रहा है।

तमिलनाडु क्षेत्र में आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों के पदों को भरा जाना

8661. **श्री थझाई एम० करुणानिधि :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के तमिलनाडु क्षेत्र में गत पांच वर्षों के दौरान प्रोड्यूसरों के कुल कितने पद भरे गए ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान संशोधित भर्ती नियमों तथा संशोधन पूर्व भर्ती नियमों के अनुसार आकाशवाणी, तमिलनाडु, क्षेत्र में प्रोड्यूसरों के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए ;

(ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान संशोधित तथा संशोधन पूर्व भर्ती नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ; और

(घ) उनमें से कितनों का चयन कर लिया गया और यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए रक्षित पदों पर उनके न चुने जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान तमिलनाडु क्षेत्र में प्रोड्यूसरों के पांच पद भरे गए थे ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) और (घ) सभी पांचों पद आम उम्मीदवारों के लिए थे । तथापि, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था उन पर भी विचार किया गया था किन्तु चयन समिति द्वारा योग्यता के आधार पर उनको उपयुक्त नहीं पाया गया था ।

भूमिगत खानों के विकास के लिये पोलिश टेक्नालॉजी

8662. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग ने भूमिगत खानों के विकास के लिए विशेषकर ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० तथा भारत कोल लि० के लिए पोलैण्ड से टेक्नालॉजी मांगने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या पोलैण्ड के विशेषज्ञों को "टर्न-की" आधार पर सतग्राम कोकिंग कोयला खानों को विकसित करने को कहा गया हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या खानों के विकास कार्य पर 800 करोड़ रूपया खर्च होने की सम्भावना है ;

(घ) क्या तीन और बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें कोयला कम्पनियों को कहा गया कि वे पोलैण्ड के विषेशज्ञों को अपनी टेक्नालाजी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें, और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सतग्राम में दो शैफ्टों के पैवस्त करने के लिए पोलैण्ड के मैसर्स कोपेक्स को विश्व-व्यापी टेंडर पर आधारित ठेका दिया गया है। यह ठेका टर्न-की आधार पर है।

(ग) सतग्राम परियोजना रु० 26.37 करोड़ के निवेश के लिए स्वीकृत की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली की स्थिति में सुधार के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन के सुझाव

8663. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन ने यह स्वीकार किया है कि स्थापित क्षमता के पर्याप्त भंडार के अभाव में तथा देश द्वारा प्राप्त किए गए कम क्षमता तत्वों के परिणामस्वरूप देश में गंभीर बिजली स्थिति उत्पन्न हुई है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि इस बात को मानना होगा कि स्थिर तथा विश्वस्त ग्रिड स्थिति के लिए प्राप्त भंडारण क्षमता आवश्यक है ;

(ग) क्या यह भी कहा गया है कि पहले बनाए गए थर्मल संयंत्रों का डिजाइन तथा उनका निर्माण उन मानकों के अनुसार किया गया था जो उन देशों में प्रचलित थे जिनसे उनके निर्माण में सहायता ली गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने देश में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए कई सुझाव दिए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इन सुझावों की जांच की है, और

(च) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए किस हद तक ये कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) यह बताया गया है कि न्युक्लीय रियेक्टरों तथा विद्युत संयंत्रों के प्रचालन संबंधी अनुभव के बारे में हुई दूसरी राष्ट्रीय संगोष्ठी में 22 मार्च, 1982 को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने अपने अभिभाषण में भार मांग को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता की अपर्याप्तता, स्थिर और विश्वसनीय ग्रिड स्थितियां प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आरक्षित क्षमता रखने की वांछनीयता तथा देश में विद्युत संयंत्रों से प्राप्त होने वाले कम क्षमता अनुपात के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं।

(घ) से (च) देश में विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे :

(1) प्रतिष्ठापित क्षमता और व्यस्ततम मांग के बीच के असंतुलन के कारण विद्युत संयंत्र हार्डवेयर तथा उपभोक्ताओं दोनों के ही हित में यह आवश्यक है कि वोल्टता और आवर्तितता संबंधी उपयुक्त परिस्थितियों की सुनिश्चितता के लिए उचित नियंत्रण रखा जाए।

(2) गुणवत्ता प्राप्त करने की ओर निर्माताओं को अविलम्ब ही अधिक ध्यान देना चाहिए।

(3) निर्माताओं के उत्पादों का प्रयोग करने वालों के अनुभव से सीख लेने में भी निर्माताओं को रुचि लेनी चाहिए और अभिकल्प और प्रचालन प्रक्रियाओं में समुचित परिशोधन करना चाहिए।

(4) औपचारिक प्रशिक्षण और पुन. प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और योग्य और निपुण श्रम-शक्ति का सृजन किए जाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रमाणीकरण पद्धति लागू किए जाने से कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने में बहुत सहायता मिलेगी।

(5) प्रारंभिक खराबियों का पता लगाने के लिए निगरानी कार्यक्रमों की ओर तथा समय पर अनुरक्षण के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

(6) विद्युत उत्पादन कार्मिकों के कन्धों पर जो भारी उत्तरदायित्व है उस पर विचार करते हुए उनकी नौकरी की हालत में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए।

अन्य उपायों सहित इन सभी सुझावों पर ऊर्जा मंत्रालय पहले ही ध्यान दे रहा है तथा देश में विद्युत की स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत-से उपचार उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं।

कुछ उपाय कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप 1980-81 में हुए उत्पादन की तुलना में 1981-82 के दौरान विद्युत उत्पादन में 10.1% की बढ़ोतरी हुई है तथा संयंत्र भार अनुपात भी जो 1980-81 में 45% था 1981-82 में बढ़कर लगभग 47% हो गया है।

टेलीफोन्स के लिए कम्प्यूटर टेक्नालाजी का उपयोग

8664. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन्स के लिए कम्प्यूटर टेक्नालाजी का उपयोग करने की सम्भाव्यता का पता लगा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो किस विशिष्ट क्षेत्र में कम्प्यूटर का उपयोग किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का प्रबंध व्यवस्था के तौर पर प्रयोग किया जाएगा :

(i) निर्देशिका पूछताछ सेवा (197)

(ii) दोष निवारण एवं शिकायत सेवा (198)

(iii) अन्तरण हेतु आवेदन निपटाना, नाम परिवर्तन, टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा-सूची तैयार करना आदि।

(iv) नए कनेक्शन प्रदान करने, अन्तरण करने तथा दोषों का पता लगाने के उद्देश्य से व्यवस्था में तीव्रता लाने के लिए केबल रिकार्ड एवं केबल युग्मों का आवंटन।

(v) टेलीफोन के बिल तैयार करने की प्रणाली का संगणीकरण।

(vi) भंडार की कुछ महत्वपूर्ण मदों की सूची नियंत्रण।

साउदर्न बोटलर्स (प्रा०) लि०, पटियाला द्वारा दिखाई गई हानि

8665. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** साउदर्न बोटलर्स (प्रा०) लि०, पटियाला द्वारा दिखाई गई हानि के बारे में 7 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी रजिस्ट्रार, पंजाब और जालंधर ने मैसर्स साउदर्न बोटलर्स प्रा० लि० के खिलाफ कम्पनी अधिनियम, 1956 के सेक्शन 429 के साथ पठित सेक्शन 433 (ङ) के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री ए० ए० रहीम) : (क), (ख) तथा (ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, जालन्धर ने मैसर्स साउदर्न बोटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध इस प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक प्रारम्भ नहीं की है । तथापि, कम्पनी के 31-8-1980 तक तैयार किये गये तुलन-पत्र में प्रकट की गई वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर स्थिति की पुनरीक्षा की जा रही है ।

हिन्दी पत्रकारिता के लिए बजट आवंटन

8666. **श्री एस० बी० सिंदनाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्यूनिकेशन का गत दो वर्षों का पृथक-पृथक वार्षिक बजट क्या था;

(ख) उक्त अवधि के दौरान हिन्दी पत्रकारिता के लिए कितनी राशि दी गई थी;

(ग) हिन्दी पत्रकारिता के लिए राशि के नियतन में कमी करने के क्या कारण हैं; और

(घ) हिन्दी पत्रकारिता के कार्यक्रम का प्रसार करने और उसके लिए नियतन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) संस्थान का पिछले 2 वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक बजट (स्वीकृत बजट अनुदान-योजना और गैर-योजना) इस प्रकार है :

क्रम संख्या	वर्ष	गैर-योजना (लाख रु० में)	योजना (लाख रु० में)	कुल (लाख रु० में)
1.	1980-81	18.63	22.10	40.73
2.	1981-82	20.58	30.58	51.16
3.	1982-83	23.11	20.74	43.85

वर्ष 1981-82 और 1982-83 के आंकड़ों में संस्थान को प्रसारण पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों के चलाने पर व्यय के लिए अव्यपगमनीय कोष फन्ड में से सहायक अनुदान के रूप में दी गई राशि शामिल नहीं है। संस्थान को समाचार एजेंसी तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विदेशी प्रशिक्षणार्थी पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रति पूर्ति भी विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से होती है।

(ख) से (घ) हिन्दी पत्रकारिता संकाय के लिए या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा की पत्रकारिता के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा जाता। तथापि हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं की पत्रकारिता सम्बन्धी योजनागत स्कीम के अन्तर्गत स्थिति इस प्रकार है :

		किया गया व्यय	
1.	1980-81	0.21	
2.	1981-82	0.38	
3.	1982-83	1.32	सभी भारतीय भाषाओं (हिन्दी सहित) के पत्रकारिता पाठ्यक्रमों के लिए प्रावधान किया गया।

संस्थान ने 1981-82 के दौरान उड़िया और हिन्दी पत्रकारिता पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा हिन्दी-माध्यम से थियेटर पत्रकारिता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। ये वर्ष के दौरान आयोजित कुल 8 कार्याशालाओं/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में से थे।

वर्ष 1982-83 के लिए अनंतिम कार्यक्रम के अनुसार उर्दू पत्रकारिता में एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, गुजराती में एक ग्रामीण पत्रकारिता पाठ्यक्रम तथा "खेल-कूद रिपोर्टिंग," "जनसंख्या नियंत्रण के लिए संचार" और "पुस्तक सम्पादन तथा प्रकाशन" पर हिन्दी में तीन कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव है।

देश के सभी भागों तथा विकासशील और गुटनिरपेक्ष देशों के विद्वानों और कर्मचारियों को पत्रकारिता और संचार की अन्य विधाओं में प्रशिक्षण उपलब्ध करने के इस दायित्व को ध्यान में रखते हुए, संस्थान इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिकल्पित करता है। हिन्दी पत्रकारिता में प्रशिक्षण को अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ समुचित स्थान दिया जाता है।

एम० एस० में रात की ड्यूटी

8667. **श्री समर मुखर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० एम० एस० में दिन की ड्यूटी की अपेक्षा रात की ड्यूटी अधिक होती है;

(ख) विभिन्न डाक कार्यालयों और आर० एम० एस० सैक्शन में प्रतिदिन रात की ड्यूटी कितनी होती है ; और

(ग) आर० एम० एस० में दैनिक और एक दिन छोड़कर रात की ड्यूटी कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। क्योंकि 06.00 बजे पूर्वाह्न से 08.00 बजे अपराह्न तक अर्थात् 14 घंटे की कार्य अवधि दिन की कार्य अवधि मानी जाती है तथा शेष 10 घंटों के लिए 10 मिनट प्रति घंटा रात्रि-गुणांक दिया जाता है। इस प्रकार दिन की 8 घंटे की कार्य अवधि रात्रि के 6 घंटे की कार्य अवधि के समान है।

(ख) दैनिक रात्रि ड्यूटी हर कार्यालय तथा हर अनुभाग में भिन्न-भिन्न होती है। कई महत्त्वपूर्ण डाक कार्यालयों तथा रात्रि गाड़ियों में चल रहे सभी अनुभागों में रात्रि ड्यूटी होती है।

(ग) डाक और वितरण की दृष्टि से रेल डाक सेवा का कार्य रात्रि में अधिक उपयुक्त होता है। तथापि कार्य की अधिकतम सीमा, जो डाक में विलंब किये बिना दिन में किया जा सकता है, दिन में कर दिया जाता है तथा ऐसे कार्य को रात्रि की बजाय दिन में ही करने के प्रयास किए जाते हैं। जो कार्य रह जाता है या रात्रि में आता है कुशल सेवा प्रदान के विचार से उसे रात्रि में कर दिया जाता है ताकि छांटी गई डाक वितरित हो जाए या चलती रहे। इस प्रकार 24 घंटे के विलम्ब से बच जाते हैं।

दूर संचार कारखानों के लिए केन्द्रीय व्यापार परीक्षण बोर्ड

8668. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार कारखानों के लिए केन्द्रीय व्यापार परीक्षण बोर्ड बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड के लक्ष्य और उद्देश्य क्या होंगे; और

(ग) इस बोर्ड के गठन में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। सरकार ने दूर-सचार फैक्ट्रियों के लिए एक केन्द्रीय ट्रेड पुनरीक्षा समिति का गठन करने के बारे में निर्णय लिया है।

(ख) इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य इस प्रकार है :

(i) दूरसंचार फैक्ट्रियों में औद्योगिक स्टाफ के ट्रेडों के मूल्यांकन एवं वैज्ञानिक पुनर्गठन। पुनर्वर्गीकरण जिसमें अभी तक प्राप्त अनुभव को मद्देनजर रखते हुए विस्तृत कार्य विवरण की पुनरीक्षा एवं उनका पुन: मसौदा तैयार करना ताकि उत्पादकता में सुधार किया जा सके।

(ii) अनुपात के निर्धारण सहित विभिन्न ट्रेडों में उचित समानता हेतु सुझाव देना जिसमें स्टैगनेशन एवं पदोन्नति अवसरों के परिशोधन पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iii) विभिन्न ट्रेडों तथा विभिन्न दूरसंचार फैक्ट्रियों में समान कार्य हेतु स्टाफ भर्ती की पद्धति में अनियमितताओं / असंगतियों को दूर करना।

(iv) औद्योगिक स्टाफ हेतु मौजूदा भर्ती पद्धति की पुनरीक्षा करना ।

(v) दूरसंचार फैक्ट्रियों में प्रौद्योगिकी प्रगति एवं उत्पादन के आधुनिक तरीके शुरू करने के उद्देश्य से विविध कार्यों के लिए औद्योगिक श्रमिक लगाने हेतु तरीकों एवं साधनों के लिए सुझाव देना ।

(ग) समिति का गठन शीघ्र ही किए जाने की संभावना है ।

अतिरिक्त प्राकृतिक गैस से विद्युत प्रजनन के प्रयास

8669. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई तट दूर पर उपलब्ध अतिरिक्त प्राकृतिक गैस से बिजली और भाप बनाने के लिए प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस निगम या कम्पनी का नाम क्या है जिसे उपरोक्त कार्य निष्पादित करने का काम सौंपा गया है ;

(ग) ऐसी परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में अनुमानतः कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) इस समय महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा उरण में 4×60 मेगावाट क्षमता की गैस टर्बाइनों का निर्माण किया जा रहा है। 60.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर हाथ में ली गई इस परियोजना में, बम्बई हाई की अधिशेष सम्बद्ध गैस को उपलब्धता के अनुसार प्रयोग में लाने की परिकल्पना है। इस परियोजना के प्रथम दो यूनिट समकालित कर दिए गए हैं और शेष दो यूनिटों के चालू वर्ष में समकालित कर दिए जाने की आशा है। टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनी भी ट्राम्बे के अपने ताप विद्युत केन्द्र में बम्बई हाई की अधिशेष गैस का प्रयोग कर रही है ।

सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, उर्वरक और पैट्रो-कैमिकल आदि के उत्पादन के लिए गैस का उपयोग फीड स्टाक के रूप में किया जाना चाहिए, जिस सीमा तक गैस का उपयोग इन कार्यों के लिए शीघ्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता हो उस सीमा तक उसे अस्थाई आधार पर पूर्णतया फाल-बैक व्यवस्था के रूप में विद्युत उत्पादन जैसे अन्य कार्यों के लिए जब तक उपयोग में लाया जा सकता है जब तक उर्वरक और पेट्रोकैमिकल संयंत्र इसे पूर्णरूप से उपयोग करने के लिए तैयार नहीं हो जाते ।

उड़ीसा में रेडियो की सम्पूर्ण व्यवस्था (नेटवर्क)

8670. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ने उड़ीसा के भवानी पटना, कटक, जैपुर, राउर-

केला और सम्बलपुर को मीडियम वेव ट्रांसमीटरों से जोड़ने हेतु रेडियो की सम्पूर्ण व्यवस्था करने के लिए स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने उड़ीसा के बालासोर, बारीपाड़ा, भुवनेश्वर, बोलनगीर, ढेकानाल, गंजाम, फूलबनी और सुन्दरगढ़ को लघु और के० वी० स्टेशन से जोड़ने के लिए रेडियो की सम्पूर्ण व्यवस्था करने को भी स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की योजना के अनुसार, उड़ीसा राज्य में कटक में उच्च शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर और जैपुर तथा संभलपुर में मध्यम शक्ति वाले दो ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भवानी पटना और राउरकेला में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के प्रचालन के लिए आवृत्तियों को समन्वित किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की योजना पर भारी निवेश को देखते हुए योजना को चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। आरम्भ में चालू योजना के दौरान उड़ीसा में क्योंझर में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

8671. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि जून से पहले गोरखपुर को देश के टेलीविजन मानचित्र में रखा जायेगा और राज्य सरकार उसके लिए प्रबन्ध कर रही है और यदि हां, तो इस समाचार की सत्यता क्या है;

(ख) गोरखपुर में टेलीविजन कार्यक्रम कब तक प्राप्त किये जा सकेंगे;

(ग) क्या ये कार्यक्रम दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से रिले/प्रसारित किए जाएंगे या किसी अन्य केन्द्र से; और

(घ) क्या गोरखपुर के लोगों को अपने टेलीविजनों पर सीधे एशियाई खेल देखने की सुविधा मिलेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) दिनांक 17-3-82 के नार्दर्न इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद में "टी० वी० कम्ज टु, बस्ती, गोरखपुर एण्ड आजमगढ़ इन जून" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ था [illegible] शुरू होने के समय को छोड़ कर समाचार की सामग्री कुल मिलाकर सही है। जिन छः राज्यों [illegible] इन्सैट के माध्यम से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध की जानी है, उनमें से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों के लिए सेवा 15-8-1982 से तथा

उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों सहित शेष राज्यों के क्षेत्रों के लिए अगस्त, 1984 तक शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) उत्तर प्रदेश के तीन जिलों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए गोरखपुर में एक ट्रांसमीटर स्थापित किया जाएगा। स्थानीय रुचि के कार्यक्रमों तथा इन्सैट के माध्यम से प्राप्त राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को इस ट्रांसमीटर से पुनःप्रसारित किया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

बिहार में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

8672. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने बिहार में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा अनुरोध कब किया गया था और अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1981 में अनुरोध किया गया था। मामला विचाराधीन है।

उड़ीसा में नये टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

8673. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले नये टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितनी नई टेलीफोन लाइनें जोड़ी गईं; और

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान उड़ीसा में कितनी नई टेलीफोन लाइनें जोड़ी जायेंगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में 67 नए एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है। स्थानों का निर्धारण टेलीफोन की मांग होने तथा उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) 1980-81 के दौरान—1936
1981-82 के दौरान—1182

(ग) 1982-83 के दौरान जोड़े जाने वाली लाइनों की संख्या 1650 है।

जूनागढ़, गुजरात में खाड़ी से गैस की एजेन्सियां

उड़ीसा

8674. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में खाना पकाने की गैस की कितनी एजेन्सियां हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान नये कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज करवाये;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने नये कनेक्शन दिए गए;

(घ) क्या यह सच है कि जूनागढ़ जिले में गत दो वर्षों के दौरान दिए गए खाना पकाने की गैस के नये कनेक्शन गुजरात के अन्य जिलों में दिए गए कनेक्शनों की अपेक्षा कम है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कम करने के लिए उस जिले में अधिक कनेक्शन देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तीन

(ख) लगभग 18,010

(ग) लगभग 2,300

(घ) और (ङ) नये कनेक्शन वितरकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दो वितरक अधिकतम सीमा तक पहुंच गये हैं, अतः सीमित संख्या में कनेक्शन प्रदान किए जा सके। वीरावल के तीसरे वितरक की प्रतीक्षा सूची में कोई व्यक्ति नहीं है। नई वितरण-एजेन्सियों की योजना बनाई गई है जिनके चालू होने पर जूनागढ़ के अन्य क्षेत्रों में और अधिक कनेक्शन दिये जायेंगे।

असम में नये डाकघर खोलना

8675. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में जिलावार विभिन्न श्रेणियों के कितने डाकघर हैं;

(ख) कितने डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र हैं; और

(ग) राज्य में विभिन्न श्रेणियों के नये डाकघर खोलने का क्या कार्यक्रम है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना विवरण-एक में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण-दो में दी गई है।

(ग) असम राज्य में 1982-83 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में 10 तथा सामान्य क्षेत्रों में 20 नये डाकघर खोलने का अस्थाई प्रस्ताव है।

विवरण-एक

असम में विभिन्न श्रेणियों के डाकघरों की संख्या (जिलावार)

जिले का नाम	डाकघरों की संख्या			
	मुख्य डाकघर	उप डाकघर	विभागेतर उपडाकघर	विभागेतर शाखा डाकघर
कछार	2	77	20	330
डिब्रूगढ़	2	56	11	213
लखीमपुर	1	21	5	190
दरांग	2	62	10	228
गोलपाड़ा	1	42	9	259
कामरूप	3	115	11	497
करिबियंलांग	—	10	1	64
नवगांव	1	43	7	295
एन० सी० पहाड़ी	—	7	—	35
शिवसागर	2	82	10	458
योग :	14	515	84	2569

विवरण-दो

असम में सार्वजनिक टेलीफोन घर सहित डाकघरों की संख्या (जिलावार)

जिले का नाम	सार्वजनिक टेलीफोन घर वाले विभिन्न श्रेणी के डाकघरों की संख्या			
	मुख्य डाकघर	उप डाकघर	विभागेतर उप डाकघर	विभागेतर शाखा डाकघर
कछार	2	43	7	2
डिब्रूगढ़	2	42	11	11
लखीमपुर	1	14	5	शून्य
दरांग	1	50	10	शून्य
गोलपाड़ा	1	28	5	3
कामरूप	2	26	4	शून्य
करिबियंगलांग	शून्य	8	1	शून्य
नवगांव	1	35	4	1
एन० सी० पहाड़ी	शून्य	4	शून्य	शून्य
शिवसागर	1	47	9	10
योग :	11	297	56	27

राज्यों में विद्युत परियोजनाओं में कोयले की आवश्यकता

8677. **श्री बी० आर० नाहटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1980-81 और 1981-82 जनवरी के दौरान प्रत्येक विद्युत परियोजना में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की कितनी आवश्यकता थी;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए कोलियरियों द्वारा पूरी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया है या नहीं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक महीने में कितनी कमी रही और किन कारणों से ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (जनवरी, 1982 तक) के दौरान विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा कोयले की प्राप्ति तथा खपत दिखाने वाला विवरण उपबन्ध-एक और दो में संलग्न हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान कुछ विद्युत केन्द्रों में कोयले की कुछ कमी थी। तथापि वर्ष 1981-82 के दौरान स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है।

अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों को 36.52 मिलियन मीटरी टन कोयला प्राप्त हुआ था तथा 35.66 मिलियन मीटरी टन कोयले की खपत हुई थी। इसकी तुलना में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कोयले की प्राप्ति 29.87 मिलियन मीटरी टन थी तथा खपत 29.74 मिलियन मीटरी टन हुई थी। यह वृद्धि कोयले की प्राप्ति में 22.26% तथा खपत में 19.9% है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3982/82]

प्रत्येक राज्य में "पावर लोड फैक्टर" अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन लागत

8678. **श्री बी० आर० नाहटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में वर्ष 1980-81 और 1981-82 जनवरी के दौरान राष्ट्रीय "पावर लोड फैक्टर" क्या रहा और उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्या थी तथा प्रत्येक यूनिट में उत्पादन लागत क्या थी;

(ख) इन राज्यों के वर्ष 1979-80 से 1980-1981 और 1981-82 के, विशेषकर वर्ष 1981-82 के मध्य प्रदेश के "पावर लोड फैक्टर" की तुलना में यह "फैक्टर" कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) जिन राज्यों में "पावर लोड फैक्टर" कम हो गया है और जिनमें यह राष्ट्रीय औसत से कम है उनमें सुधार करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 (अप्रैल, 1981 से जवनरी, 1982 तक) की अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों की राज्यवार

प्रतिष्ठापित क्षमता, संयंत्र भार अनुपात का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण संलग्न है। विद्युत उत्पादन की लागत अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है जो इन बातों पर निर्भर करती है; विद्युत केन्द्रों की क्षमता, उपयोग में लाए जा रहे ईंधन की सप्लाई, उस स्थान की दूरी, जहां से ईंधन सप्लाई किया जा रहा है, इत्यादि। वर्तमान सूचना के अनुसार, नए ताप विद्युत यूनिटों की विद्युत उत्पादन की लागत औसतन लगभग 30 से 35 पैसे प्रति यूनिट है जबकि जल विद्युत केन्द्रों की विद्युत उत्पादन की लागत 15 से 22 पैसे प्रति यूनिट है।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान देश में ताप विद्युत यूनिटों का संयंत्र भार अनुपात लगभग 47% था। इसकी तुलना में 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान यह 45% था। इस प्रकार इसमें सुधार हुआ है। कुछ ताप विद्युत केन्द्रों के अपेक्षाकृत असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के कारण ये थे :

(एक) ले-आउट, संयंत्र तथा उपस्कर प्रणाली, इन्जीनियरी आदि में कमियां;

(दो) नियोजित अनुरक्षण में तथा उपस्करों की जबरन बन्दियों में अत्यधिक लम्बा समय लगाना;

(तीन) फुटकर पुर्जों की अपर्याप्त उपलब्धता;

(चार) नए चालू किए गए यूनिटों के सुस्थिर होने में अपेक्षाकृत लम्बा समय लगाना;

(पांच) प्रचालन और मानीटरिंग के लिए प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध न होना; तथा

(छः) घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई आदि।

वर्ष 1981-82 (अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 तक) के दौरान मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात निम्नलिखित के कारण प्रभावित हुआ था :

(एक) कोरबा बिजली घर में 120 मेगावाट की नई चालू की गई यूनिट के सुस्थिर होने में विलम्ब;

(दो) सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र में 200-200 मेगावाट के यूनिट 6 और 7 की लम्बी बन्दियां।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) संयंत्र और उपस्कर आदि में कमियों का पता लगाने और समयबद्ध रूप में संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने और इस कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्र के प्राधिकारियों की सहायता करना;

(2) बंदी की अवधियों को कम करने के लिए, सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना;

(3) फुटकर पुर्जों की सप्लाई समय पर किए जाने की व्यवस्था करना तथा विद्युत केन्द्रों को सलाह देना कि वे फुटकर पुर्जों के लिए आर्डर समय पर दें।

(4) गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई अपेक्षित मात्रा में सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध करना;

(5) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्स्ट्रुमेंटेशन लि०, कोटा और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कृतिक बलों का गठन करना ताकि 200 मेगावाट के यूनिटों की कमियों का पता लगाया जाए और इनका शीघ्र स्थिरीकरण करने और इनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए;

(6) प्रचालन की पद्धतियों की मानीटरिंग करने के लिए तथा सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणकारी दलों के दौरे; तथा

(7) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों को और प्रचालन व अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना;

विवरण

ताप विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत केन्द्रों का राज्यवार संयंत्रभार अनुपात दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	संयंत्र भार अनुपात % 1980-81	संयंत्र भार अनुपात % 1981-82 (अप्रैल से जनवरी तक)
1.	दिल्ली	1030.5	51.1	48.9
2.	हरियाणा	420	31.7	36.7
3.	जम्मू और काश्मीर	22.5	2.0	9.1
4.	राजस्थान	440	45.4	31.3
5.	पंजाब	440	37.8	41.3
6.	उत्तर प्रदेश	2504	39.6	39.5
7.	गुजरात	1894	51.1	52.8
8.	महाराष्ट्र	3123	54.2	52.7
9.	मध्य प्रदेश	1562.5	52.4	49.5
10.	आन्ध्र प्रदेश	1242.5	36.3	44.7
11.	तमिलनाडु	1560	45.5	46.0
12.	बिहार	765	31.4	35.7
13.	दामोदर घाटी निगम	1467.5	37.6	52.3
14.	उड़ीसा	250	34.0	34.1
15.	पश्चिम बंगाल	1536	43.0	40.1
16.	असम	240.5	36.5	32.6
	अखिल भारत	18498	44.7	45.8

कोयले की लागत तथा मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार की कोलियरियों से तापीय परियोजनाओं तक कोयले की ढुलाई

8679. **श्री बी० आर० नाहटा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की लागत क्या है और मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार की कोलियरियों से प्रत्येक तापीय परियोजना के लिए ऊर्जा के प्रति यूनिट के लिए कोयले की कितनी ढुलाई की गई; और

(ख) इसी दूरी के लिए ऊर्जा के पारेषण की लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० आदि को उपकरणों की सप्लाई के लिए अग्रिम राशि का भुगतान

8680. **श्री बी० आर० नाहटा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत परियोजनाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपकरणों की लागत के लिए इन उपकरणों की सप्लाई हेतु अग्रिम राशि के रूप में अधिकतम राशि का भुगतान करें; और

(ख) यदि हां, तो गत चार वर्षों के दौरान इन उपक्रमों को कितनी अग्रिम राशि अदा की गई है और प्रत्येक राज्य को सप्लाई किये गए उन उपकरणों की लागत क्या है जिनके लिए अग्रिम राशि दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) बृहत् निर्माण प्रक्रिया वाले उपस्करों के लिए निर्माताओं को पेशगी देना तथा प्रगामी अदायगियां करना अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई गई एक सामान्य प्रक्रिया है । भुगतान की शर्तें विक्रेता और क्रेता के बीच हुए अनुबन्ध के अनुसार होती हैं । भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए आर्डर को स्वीकार करने के लिए सामान्यत: उपस्कर की लागत का लगभग 10 प्रतिशत पेशगी मांगता है । यह पेशगी, परियोजना की लागत की लगभग 4 प्रतिशत बैठती है ।

भारत में उर्वरक परियोजनाओं में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा पूंजी निवेश

8681. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत में उर्वरक परियोजनाओं में कुछ राशि निवेश करने के लिये अपना सहयोग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक इस ऋण की उपलब्धता का प्रश्न है करार का ब्यौरा क्या है और वह किस परियोजना के लिये है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियों और भेषजों का आयात बिल

8682. **श्री के० मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय औषध ओर भेषज उद्योगों के लिये आयात बिल कितना है (किस सीमा तक);

(ख) गत तीन वर्षों के क्या सही आंकड़े हैं और सरकारी क्षेत्र, संगठित भारतीय क्षेत्र, लघु क्षेत्र और विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा उपयुक्त आयातित कच्चे माल की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान मद-वार, मात्रावार, मूल्यवार और कम्पनीवार ओ० जी० एल० के अन्तर्गत किये गये आयात की मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार बल्क औषधों, औषध मध्यवर्तियों, रसायनों और घोलकों, तैयार फार्मूलेशनों और यांत्रिक गर्भ निरोधियों का सी० आई० एफ० मूल्य रुपये 112.8 करोड़ रुपये का था ।

(ख) औषध उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त आयातित कच्चे माल की प्रतिशतता के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा बल्क औषधों और औषध मध्यवर्तियों के आयात के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स के बैकुंठपुर क्षेत्र के लेखा विभाग के कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगें

8683. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के बैकुंठपुर क्षेत्र में लेखा विभाग के कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांगों की जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त कर्मचारियों की अर्हता होने के बावजूद पदोन्नति

के लिए विभागीय परीक्षा पास करने के लिये परीक्षा में बैठने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है;

(ग) क्या हाल ही में इसे लागू करने के लिये नियम में परिवर्तन किया गया है;

(घ) क्या इससे लेखा विभाग में काम करने के लिये प्रोत्साहन शिथिल पड़े गये हैं और "उत्पादिता" कम हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार के धनबाद जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

8684. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण की खंडवार और वर्षवार ब्यौरे सहित कितनी प्रगति हुई और कितने गांवों और लोगों को इससे लाभ पहुंचा;

(ख) वर्ष 1981 में विद्युतीकरण के लिए योजना में गांवों के नाम क्या हैं और धनबाद जिले में उन गांवों के नाम क्या हैं जो वास्तव में विद्युतीकृत किये गये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न गांवों के मैदानों में केवल कंक्रीट से बने खम्बे डाल दिए गए थे किन्तु वास्तव में कोई भी प्रगति नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के धनबाद जिले के कुल 1365 गांवों में से मार्च, 1981 के अन्त तक 347 गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों (1979-82) के दौरान अक्तूबर, 1981 तक बिहार के धनबाद जिले के 53 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। ब्लाकवार तथा वर्षवार विद्युतीकृत किए गए गांव विवरण में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार वर्ष-1981-82 से दौरान विद्युतीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल 2840 गांवों में से दिसम्बर, 1981 के अन्त तक 1323 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में जो गांव विद्युतीकृत किए गए हैं उनके नामों का ब्यौरा तथा कंक्रीट के खम्भों आदि से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार के धनबाद जिले में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (1979-82) के दौरान अक्तूबर, 1981 तक विद्युतीकृत किये गये गांव दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक)	विद्युतीकृत गांवों की संख्या		
		1979-80	1980-81	1981-82 (अक्तूबर, 1981 तक)
1	2	3	4	5
1.	टुण्डी	—	2	—
2.	चन्दौकिया	—	9	1
3.	चास	—	5	4
4.	गोविन्दपुर	1	14	4
5.	बतियापुर	2	8	3
	जोड़	3	38	12

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स की मकौली कोलियरी से कोयला गायब होना

8685. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 1981 के धनबाद स्थित हिन्दी दैनिक, "आवाज" में "मस्तराम की चौपाल" शीर्षक के अन्तर्गत दी गई जानकारी की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार सेन्ट्रल कोलफील्डस के अधीन गिरिडीह में मकौली कोलियरी से 59 ट्रक कोयला गायब हो गया था; और

(ख) यदि हां तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) कारगली वाशरी को एन० एस० डी० कोलियरी से कोयला मिलता रहा है और दोनों स्थानों पर कोयला तोला जाता है। फिर भी, कुछ अवस्थाओं में यह देखा गया कि एन० एस० डी० कोलियरी से रिकार्ड में प्रेषित दिखाए गए कोयले की मात्रा में और कारगली वाशरी के रिकार्ड में प्राप्त दिखाए गए कोयले की मात्रा में भिन्नता थी। इस मामले की जांच की गई और यह पाया गया कि यह भिन्नता वाशरी के पुराने वे-ब्रिज में खराबी के कारण थी और इसलिए आगे कोई और कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी।

दूरसंचार और डाक विभागों में परिचालन (ओपरेशनल सैल) की स्थापना करना

8686. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार डाक विभागों में इन पद्धतियों की जांच-पड़ताल करने के लिये परिचालन सैल की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव अद्यतन किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है और यह इस समय किस स्थिति में है, उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) भारत के मुख्य शहरों में कार्य कर रही टेलीफोन प्रणालियों में केन्द्रीय प्रचालन योजना कक्ष पहले से ही स्थापित किये जा चुके हैं । इन मुख्य शहरों में पूर्णरूपेण प्रचालन कक्ष के सृजन के मामले पर कार्रवाई की जा रही है ।

डाक विकास के लिये विभिन्न प्लान योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से डाक विकास योजनाओं के लिये वर्ष 1979-80 के दौरान एक नियन्त्रण संगठन की स्थापना की गई थी । वरिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक डाक योजना सैल की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा उसकी सहायता के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में चार अधिकारी होंगे जिनके मुख्यालय दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में होंगे तथा भारतीय डाक सेवा ग्रुप-क के वरिष्ठ समय वेतनमान में एक अधिकारी होगा जिसका मुख्यालय दिल्ली होगा ।

कोयला खानों में लम्बी दीवार पद्धति

8687. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कोयला खानों के अन्तर्गत ऐसी कौन-कौन-सी कोयला खानें हैं जहां कार्य की लम्बी दीवार पद्धति लागू की गयी है और जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया है;

(ख) 1982-83 के दौरान कितनी लम्बी दीवार पद्धतियों को लागू किया जायेगा; और

(ग) परम्परागत तरीके और लम्बी दीवार पद्धति के बीच उत्पादन लागत में अन्तर का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वह कोयला खानें नीचे दी गई हैं जिनमें बिजली चालित सपोर्ट के बिना लांगवाल प्रणाली शुरू की गई थी और बाद में वह काम बंद कर दिया गया;

खान	कोयला कंपनी
ईस्ट कटरास	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
सोन्दा	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०
बांकी	
सुरकाचार	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०
बिजुरी	

(ख) वर्ष 1982-83 में चार से पांच बिजली चालित सपोर्ट वाली लांगवाल प्रणालियां पाथरखेरा (वे० को० लि०) मुरुलीडीह, मुनीडीह (दोनों भा० को० को० लि०), धेमोमैन और सीतलपुर (दोनों ई० को० लि०) में शुरू किए जाने की संभावना है।

(ग) परम्परागत पद्धति और लांगवाल प्रणाली की उत्पादन लागत में अन्तर विभिन्न तथ्यों पर निर्भर करता है जिनमें कोयला सीमों की सापेक्ष मोटाई भी शामिल है। अनेक मामलों में लांगवाल खनन पर बोर्ड और पिलर खनन की अपेक्षा लगभग 20 प्रतिशत कम लागत आयेगी।

एलोपैथिक और गैर-एलोपैथिक औषधियों का उत्पादन

8688. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जो एलोपैथिक और गैर-एलोपैथिक औषधियों का उत्पादन कर रही हैं, और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विदेशों से आयात की जा रही एलोपैथिक और गैर-एलोपैथिक औषधियां कौन-कौन-सी है और इन आयात की गई औषधियों का क्या मूल्य है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फिलहाल औषधियों का निर्माण करने वाली 23 विदेशी औषध कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं। ये कम्पनियां गैर एलोपैथिक औषधों का निर्माण नहीं कर रही हैं।

(ख) गैर एलोपैथिक ओषधों के आयात के बारे में नहीं बताया गया है। जैसा कि महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा के अभिलेख में है, पिछले दो वर्षों के दौरान बल्क औषधों, तैयार फारमूंलेशनों, मध्यवर्तियों, रसायनों और घोलकों, फारमूलेशनों, मध्यवर्तियों, रसायनों तथा यांत्रिक गर्भानिरोधियों की श्रेणी में आने वाले एलोपैथिक औषधों के आयात का सी० आई० एफ० मूल्य नीचे दिया गया है :

वर्ष	सी० आई० एफ० मूल्य रुपये में
1979-80	120
1980-81	112.8

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1.	बरौज वेलकम एण्ड कम्पनी (आई) लि०
2.	मै० म एण्ड बेकर (आई) लि०
3.	मै० स्मिथ केलाइन एण्ड फ्रेन्च (आई) लि०

क्रम सं०	कम्पनी का नाम
4.	मै० रोचे प्रोडक्ट्स लि०
5.	मै० पार्क डेविस (इंडिया) लि०
6.	मै० ग्लेक्सो लेबोरेटरीज (आई) लि०
7.	मै० जौनसन एण्ड जौनसन आफ इंडिया लि०
8.	मै० फाइजर लि०
9.	मै० वेथ लेबोरेटरीज ।
10.	मै० सीबा गेगी आफ इंडिया लि०
11.	मै० ई० मर्क (आई) प्रा० लि०
12.	मै० मर्क शार्प एण्ड डोम आफ इंडिया लि०
13.	मै० सेन्डोज (इंडिया) लि०
14.	मै० रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०
15.	मै० साइनेमाइड इंडिया लि०
16.	मै० दी ब्रूट्स कं० (इंडिया) लि०
17.	मै० बेयर (इंडिया) लि०
18.	मै० अलकली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
19.	मै० होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स लि०
20.	मै० वारनर हिन्दुस्तान लि०
21.	मै० विफन्स इंडिया लि०
22.	मै० ओर्गेनन (इंडिया) लि०
23.	मै० यूनी-सेन्क्या लि०

मोदी रबर इंडस्ट्रीज के विरुद्ध शिकायतें

8689. **श्री निहाल सिंह** : क्या **विधि , न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** मोदी रबर इंडिस्ट्रीज लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 8 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोदी रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीपुरम् (**उत्तर प्रदेश**) के विरुद्ध की जा रही जांच-पड़ताल के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) जांच-पड़ताल पूरी करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) तथा

(ख) पहले वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3353 के उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया था और कम्पनी अधिनियम, 1956 के कतिपय उपबन्धों अर्थात् अनुसूची-6, 297, 226, 198/309 और 269 के साथ पठित 211 के तकनीकी उल्लंघन सूचना में लाये गये थे। इन सभी मामलों पर कम्पनी से सम्पर्क किया गया था और बाद में उनके स्पष्टीकरणों पर विचार करने के पश्चात् इनको समुचित रूप से सुलझाया गया, मान्य किया गया था।

जामनगर में नये टेलीफोन एक्सचेन्ज की स्थापना करना

8690. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1981-82 में जामनगर टेलीफोन एक्सचेंज के लिये 900 नये टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो 900 लाइनों में से कितनी टेलीफोन लाइनें मंजूर की गई हैं और जिन्हें दे दिया गया है तथा बाकी की टेलीफोन लाइनों के लिए उपकरण प्रदान न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जामनगर की बढ़ती हुई मांगें पूरी करने के लिये नये टेलीफोन कनेक्शन देने के लिये जामनगर में नई टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) स्वचालित स्वीचिंग उपस्कर की कमी के कारण केवल 300 लाइनों के विस्तार की ही यानी 5700-6000 लाइनों तक विस्तार हेतु आवंटन किया गया था।

(ग) और (घ) : 1982-83 के दौरान एक्सचेंज का 1200 लाइनों तक विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है।

जामनगर के लिए माइक्रोवेव सुविधा

8691. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात स्थित जामनगर के लिये भी माइक्रोवेव पद्धति की सुविधा देने के लिये बहुत मांग है;

(ख) सरकार को यह मांग कब प्राप्त हुई थी;

(ग) जामनगर के लिये यह सुविधा न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार का वास्तविक योजनाबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, जामनगर पिछले कुछ वर्षों से राजकोट, गांधीधाम और भुज के साथ नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली के द्वारा जुड़ा हुआ है। हालांकि बाद में इस नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली का वाइड बैंड माइक्रोवेव प्रणाली में दर्जा बढ़ाए जाने हेतु मांग की गई थी।

(ख) नैरो बैंड प्रणाली को वाइड बैंड प्रणाली में बदलने का अनुरोध नवानगर व्यापार एवं उद्योग मंडल, जामनगर से 1978 में प्राप्त हुआ था ।

(ग) माइक्रोवेव प्रणाली को बदलने हेतु आवश्यक उपस्कर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं और उनकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) राजकोट-जामनगर नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली का वाइड बैंड प्रणाली के रूप में दर्जा बढ़ाने की योजना है । इस कार्य के 1983 में पूरा हो जाने की सेभावना है ।

एकाधिकार कम्पनियों की वृद्धि रोकने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का संशोधन

8692. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :**

श्री चित्त महाटा:

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठी योजना के दौरान एकाधिकार कम्पनियों की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है;

(ख) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत किन कम्पनियों ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही अपनी लाइसेंस क्षमता बढ़ाली है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनकी लाइसेंस क्षमता और बढ़ी हुई क्षमता क्या थी ; और

(च) ऐसी कम्पनियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) शब्द "एकाधिकार कम्पनियों" का अर्थ एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरण योग्य उपक्रमों (वृहद् औद्योगिक घरानों तथा प्रमुख उपक्रमों) से लिया गया है । जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण को रोकने तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के विकास को विनियमित करने के लिये, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत पहले से प्रावधान किये गए बन्धनों एवं प्रतिबन्धों के अलावा छठी योजनावधि में इन कम्पनियों के विकास को बन्धित करने के लिए अन्य कोई विशिष्ट पग नहीं उठाया गया है, अथवा उठाना अपेक्षित नहीं है । इसके अतिरिक्त, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उद्देश्य एका-

धिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों के विकास को इस प्रकार से बिल्कुल अवरुद्ध करना नहीं है, वरन् उसमें उनके विस्तार को यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक मार्गों से विनियमित करना प्रारूपित किया गया है कि इस प्रकार के विस्तार, जनहित के विरुद्ध आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की ओर उन्मुख न हों, अथवा इनके जनहित के विरुद्ध होने की संभावना न हो।

(ख) तथा (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के गहराई से पुनरवलोकन की आवश्यकता का अनुभव करते हुए सरकार ने एक उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) नियुक्त की थी। समाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पूर्णतर मापदण्डों में प्राप्त करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कुछ उपबन्धों के संशोधनार्थ सच्चर समिति की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस बाबत अपेक्षित विधान निकटतम भविष्य में पुरःस्थापित करने के लिए पग उठाये जा रहे हैं।

(घ), (ङ) तथा (च) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरणयोग्य उपक्रमों के लिए अपनी अधिष्ठापित क्षमता अथवा उत्पादन की सूचना सरकार को देना इस अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है। पुनः एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत, अनुमोदित क्षमता के 25 प्रतिशत या इससे अधिक का विस्तार, सारवान विस्तार समझा जाता है, जिसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन अपेक्षित होता है।

दिनांक 23-7-1980 के औद्योगिक नीति विवरण, जो उसी तारीख को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया था, के अनुसरण में, सरकार (औद्योगिक विकास विभाग) ने, दिनांक 29-8-80 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण 34 विशिष्ट उद्योगों की बाबत, लाइसेंस क्षमता से अधिक की अधिष्ठापित क्षमताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए, "अधिक-क्षमता के विनियमन" की योजना की घोषणा की। ऊपर कथित योजना एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत अथवा पंजीकरणयोग्य उपक्रमों पर भी लागू होती है एवं अधिक क्षमता के विनियमन के लिए इस प्रकार के मामलों पर उक्त योजना के मार्ग दर्शक नियमों के अनुसार, कार्यवाही की जाती है।

केवल एक मामले में, अनुमोदित क्षमता से अधिक की अधिष्ठापित क्षमता के लिये, कम्पनी के निदेशकों को एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया है। आगे कार्यवाही यदि कोई होगी, तो वह कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर की जायेगी।

तिरुनेलवेली जंक्शन में रेलवे डाक सेवा (आर० एम०एस०) कर्मचारियों की संख्या

8693. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे डाक सेवा तिरुनेलवेली जंक्शन में इस तारीख तक विभिन्न वर्गों में कर्मचारियों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सभी पद भर लिये गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि बहुत-से पदों को रिक्त रखने के परिणामस्वरूप अन्य कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता मिल रहा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) तक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शकूरबस्ती गोदाम, दिल्ली में डीजल तेल की गड़बड़ी

8694. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में शकूरबस्ती गोदाम से प्राप्त डीजल तेल की कथित गड़बड़ी का पता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस मामले में भारतीय तेल निगम के कोई कर्मचारी सम्बद्ध हैं, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इन गतिविधियों के खिलाफ शिकायतें हैं और यदि हां, तो उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां । दिल्ली के शकूरबस्ती गोदाम से डीजल तेल की गड़बड़ी (दुरुपयोग करने) के दो मामले ध्यान में आये हैं ।

(ख) इनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(i) बी० पी० सी० एल० (भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०) के एक डीलर से वी० पी० सी० एल० के शकूरबस्ती गोदाम से 10,000 लीटर हल्का डीजल तेल खरीदा था । इसका उठान डीलर/उपभोक्ता द्वारा प्रबन्ध किये गए एक टैंक लारी में किया जाना था । डीलर के अनुसार उत्पाद की सप्लाई फरीदाबाद की एक इस्पात गड़ाई एकक को की जानी थी ।

9-2-1982 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा सूचना प्राप्त की गई थी कि सम्बन्धित टैंकर न्यू मुलतान नगर दिल्ली के किसी व्यक्ति को जायेगा जहां ड्राइवर उस व्यक्ति और उसके कर्मचारी से मिलकर उत्पाद में कुछ अप्राधिकृत एजेन्सियों को भेजने के लिए गड़बड़ी करेंगे । पुलिस द्वारा तदनुसार एक छापा मारने का आयोजन किया गया और इससे पांच व्यक्ति जिसमें टैंकर का ड्राइवर और एक मददगार स्थल पर पकड़े गए थे । मामले की अभी जांच की जानी है ।

(ii) 12-3-1982 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक और टैंकर जो इण्डियन आयल कारपोरेशन के शकूरबस्ती डिपो से डीजल तेल की सप्लाई प्राप्त करने के पश्चात् डीजल

तेल ले जा रहा था, को रोका और चार व्यक्तियों को पकड़ा जो टैंकर में पड़े हुए डीजल तेल में गड़बड़ी करने का प्रयास करते हुए पाए गए थे।

मामले की जांच की जानी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रिकार्ड में कोई शिकायतें नहीं हैं।

"इंडियन नेशन" का प्रकाशन और सम्बद्ध प्रकाशनों को बन्द करना

8695. **श्री पियूष तिरकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में "इंडियन नेशन" का प्रकाशन और सम्बद्ध प्रकाशन बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) "इंडियन नेशन" और इससे सम्बद्ध "आर्यावत" का प्रकाशन 27-9-1981 को और फिर 30-9-1981 से 14-11-1981 तक कार्मिकों के एक वर्ग की हड़ताल के कारण बन्द हो गया था। समाचारपत्र का पुनः प्रकाशन 15-11-81 को कार्मिकों और प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते के बाद शुरू हो गया था।

खान सुरक्षा के नाम पर ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कथित धोखाधड़ी

8696. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के अन्तर्गत कोयला खानों में खान सुरक्षा के नाम पर विभिन्न अनियमितताएं की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) खान सुरक्षा और अन्य प्रयोजनों के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1980-81 में लगभग 18 करोड़ रूपए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की खानों में सुरक्षा और व्यवस्थाओं के रख-रखाव और सुधार पर खर्च किए गए। इसके अलावा उस वर्ष 2 लाख रुपये प्रचार और सुरक्षा इनाम देने में खर्च हुए।

"एम्प्लायमेंट न्यूज", "रोजगार समाचार" आदि का प्रकाशन

8697. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान "एम्प्लायमेंट न्यूज", "रोजगार समाचार" आदि पत्रिकायें लाखों रुपये की बढ़ती हुई हानि पर चल रही है जबकि इन्होंने पूर्व के वर्षों में लाखों रुपये का लाभ कमाया है और यदि हां, तो ऐसे कौन-से कारण हैं जिससे निराशापूर्ण स्थिति हुई है ;

(ख) गत दो वर्षों में (प्रत्येक साप्ताहिक-पाक्षिक का परिचालन) विस्तृत परिचालन आंकड़े क्या हैं और अर्जित किये गये राजस्व और किये गये व्यय के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन पत्रिकाओं के समूह कार्य-निष्पादन में सुधार लाने और सार्वजनिक धनराशि की बर्बादी को कम करने के लिये मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। वास्तव में "एम्प्लायमेंट न्यूज"/"रोजगार समाचार" से वर्ष 1981-82 के दौरान व्यय से लगभग 12 लाख रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रसार संख्या के आंकड़े और प्राप्त राजस्व/हुए व्यय से संबंधित आंकड़े क्रमशः परिशिष्ट 1 और 2 में दिए गए हैं। [ग्रंथालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी० 3983/82]

(ग) "एम्प्लायमेंट न्यूज" "रोजगार समाचार" के कार्यकरण का समय-समय पर पुनरवलोकन किया जाता है और आवधिक रूप से उपयुक्त शोधक उपाय किए जाते हैं। परिणामस्वरूप इन पत्रिकाओं से 1982-83 के दौरान 124 लाख रुपए के अनुमानित व्यय की तुलना में 150 लाख रुपये अनुमानित का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। पत्रिकाएं नियमित रूप से और समय पर निकल रही हैं और इनकी सज्जा में पहले से सुधार है।

न्यायालयों में तलाक के मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा

8698. **श्री तारिक अनवर** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि निचले न्यायालयों में विशेष रूप से नपुसंकता के आधार पर दायर किए गए तलाक के मामले तीन वर्ष से अधिक अवधि तक अनिर्णीत पड़े रहते हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि इससे विशेष रूप से स्त्रियों के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों के निपटान के लिए दो वर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का है जिसके अन्तर्गत न्यायाधीशों को अपने निर्णय देने होंगे ;

(घ) क्या तलाक के मामले में अन्य न्यायालयों के लिए यही समयसीमा निर्धारित की जाएगी, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और(ख) ऐसे मामलों की

बाबत विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि सरकार को निचले न्यायालयों में मामले के लंबित होने की जानकारी है।

(ग), (घ) और (ङ) ऐसे मामलों के निपटाने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नियत करना सम्भव नहीं है। ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करके विशेष उपबंध किए गए थे। यह उपबंध किया गया कि विचारण यथा साध्य न्याय के हितों के अनुसार जब तक कि मामले का निर्णय नहीं हो जाता तब तक दिन प्रतिदिन चलता रहे। यह भी उपबंध किया गया कि ऐसे मामलों पर विचारण यथाशीघ्र किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि प्रत्यर्थी पर सूचना तामील किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर विचारण समाप्त हो जाए। अपीलों को शीघ्र निपटाने के लिए भी उपबंध किए गए थे—देखिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 21 ख और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 40ख।

डाक-तार विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संगठन को मान्यता न दिया जाना

8699. **श्री भीखा भाई : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए डाक-तार विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेवा संगठन हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या डाक-तार बोर्ड द्वारा इसे मान्यता दे दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संगठन को, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहा है, मान्यता न दिए जाने के क्या कारण है; और

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे संगठनों को मान्यता देने तथा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। इस प्रकार के एक से अधिक संगठन हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) — के० सि० से० (आर० एस० ए०) अधिनियम 1959 में निर्धारित शर्तों के अनुसार जाति, जनजाति और धार्मिक वर्ग के आधार पर बनाया गया सेवा संघ मान्यता के योग्य नही है। तथापि अधीनस्थ कार्यालयों को अनुदेश जारी कर दिए गए है कि सम्पर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/जनजाति के डाक-तार कर्मचारियों को साक्षात्कार के लिए मना न करें।

प्रिंटिंग और डिजाईनिंग के लिए पुरस्कार देना

8700. **डा० ए० यू० आजमी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रिंटिंग और डिजाइनिंग में विशिष्टता के लिए पुरस्कार देने का समारोह ठीक प्रकार से नहीं हो पाया जिसका कारण राष्ट्रीयगान के बजाये जा रहे रिकार्ड का बार-बार रुकना और अन्ततः उसे बन्द करना था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री(श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) समारोह ठीक प्रकार से हुआ था। तथापि दुर्भाग्यवश समारोह के शुरू में राष्ट्रगान का रिकार्ड बजाने में कुछ गड़बड़ी हुई थी।

(ख) और(ग) पूछताछ करने पर यह पाया गया था कि समारोह के शुरू में राष्ट्रगान का रिकार्ड बजाने में गड़बड़ी आडिटोरियम, जहां समारोह हुआ था, में लगे एम्पलीफायर के पब्लिक एडरेस सिस्टम का संबंधित चैनल खराब हो जाने के कारण हुई थी। समारोह शुरू होने से पहले सिस्टम का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया था और उसे सन्तोषजनक पाया गया था। कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी क्योंकि गड़बड़ी यांत्रिक खराबी के कारण थी।

बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

8701. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बहुराष्ट्रिक औषध कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए सामान्य या विशिष्ट स्वरूप की नीति के आधार पर विचार किया जाता है। इस आधार पर यह समझा गया है कि ऐसा कदम उठाने का कोई कारण नहीं है।

शीरा और औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन

8702. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1900-01 और 1981-82 में देश में उत्पादित शीरा और औद्योगिक अल्कोहल की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) देश में दन दो वस्तुओं की मांग कितनी है;

(ग) क्या कुछ चीनी मिलें सीरे को नष्ट न करने के सरकारी निदेश का उल्लंघन कर रही हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इन वस्तुओं को मांगने वाले सभी राज्यों को पर्याप्तता से शीरा और औद्योगिक अल्कोहल सप्लाई करने का ध्यान रखा है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार शीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध उठाने का है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) अल्कोहल वर्ष 1980-81 (दिसम्बर-नवम्बर) में शीरे की कुल उपलब्धता लगभग 24.84 लाख टन थी जबकि 22.46 लाख टन की खपत हुई थी। इसी प्रकार अल्कोहल के मामले में उपलब्धता लगभग 4440 लाख लीटर थी और लगभग 4171 लाख लीटर की खपत हुई थी। नवम्बर, 1981 में हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में चालू अल्कोहल वर्ष 1981-82 में शीरे की उपलब्धता का अनुमान 30 लाख टन और मांग का अनुमान 29 लाख टन लगाया गया था। इसी प्रकार अल्कोहल की उपलब्धता का अनुमान 6031 लाख लीटर लगाया गया था जबकि मांग का अनुमान इससे कुछ अधिक अर्थात् 6334 लाख लीटर लगाया गया था।

(ग) यह सच है कि कुछ चीनी कारखानों ने शीरे के लिए पर्याप्त भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि (चीनी कारखानों द्वारा) शीरे के लिए पर्याप्त और उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं के सृजन को सुनिश्चित करें।

(घ) जी, हां।

(ङ) माननीय सदस्य का तात्पर्य शायद शीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध से है। शीरे के निर्यात के लिए महाराष्ट्र सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। अनुरोध पर कोई निर्णय, सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

अधिक डाक दरों के कारण संकट

8703. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री कृष्ण कुमार गोयल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुस्तक प्रकाशकों को अधिक डाक दरों के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप पुस्तकें सामान्य व्यक्ति की पहुंच से परे हो गई हैं; और

(ग) सरकार का विचार स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । मुद्रित पुस्तकों के पैकेट पर रियायती डाक दर लागू है। सरकार का प्रस्ताव इन दरों में वृद्धि करने का है । प्रकाशकों के लिए इससे कोई संकट नहीं उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि डाक दरों में वृद्धि इतनी अधिक नहीं है जितनी कि पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ।

(ख) एवं (ग) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में हो रहा घाटा

8704. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) क्या संयंत्र के फर्मेन्टर कार्य नहीं कर रहे हैं जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी को रद्द करके विदेशों से एम्पीसिलिन का आयात करना पड़ा; और

(ग) यदि हां, उपर्युक्त के क्या कारण हैं और वर्ष 1981 तक कुल कितना घाटा हुआ तथा इसके क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) स्ट्रेप्टोमाइसिन संयंत्र में फर्मेन्ट पूर्ण रूप से कार्य कर रहे है। बिजली सप्लाई में विलम्ब सहित विभिन्न कारणों से 6 ए प्री ए/ पेनिसिलिन संयंत्र (जिसके लिए पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाना है) को चालू करने में विलम्ब के कारण पेनिसिलिन का स्टाक जमा हो जाने से नवम्बर, 1981 से पेनिसिलिन के उत्पादन को कम कर दिया गया था और केवल 2-3 फर्मेन्टरों को पेनिसिलिन के लिए प्रयोग किया जा रहा था। विटामिन सी संयंत्र में प्रौद्योगिकी कारणों से उत्पादन बन्द कर दिया गया था क्योंकि उत्पादन अलाभप्रद हो रहा था । एम्पीसिलिन एन्हाइड्स जिसका उत्पादन मै० हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा किया जाता है, के आयात की सूचना नहीं है । 1980-81 के अन्त तक हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा 21.22 करोड़ रुपये की कुल संचयी हानि उठाई गई है ।

कोयला परियोजनाओं का उत्पादन का लक्ष्य और उनकी कुल लागत

8705. **श्री गदाधर साहा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सरकार द्वारा अनुमोदित कोयला विभाग की आठ परियोजनायें कौन-सी हैं, और इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है और कोयला उत्पादन का कुल लक्ष्य कितना है;

(ख) अनुमोदित की गई छह कोयला खनन परियोजनायें कौन-सी हैं और इन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन खनन परियोजनाओं की कुल लागत क्या है और कोयला उत्पादन का परियोजनावार लक्ष्य क्या है और इन परियोजनाओं को चालू करने की तारीखें क्या हैं और इनकी रोजगार क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सरकार ने 1-4-1981 से 31-3-1982 तक जिन कोयला खनन परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी उनके नाम, उत्पादन लक्ष्य, पूंजी लागत, जनशक्ति और पूरा होने की प्रत्याशित तारीख संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3984/82]**

टिहरी बांध के निर्माण पर आपत्तियां

8706. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विशेषज्ञों ने टिहरी बांध के निर्माण के लिए आपत्तियां की हैं; और

(ख) यदि हां; तो इन आपत्तियों पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) टिहरी बांध के पर्यावरण संबंधी प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण विभाग ने दिसम्बर, 1979 में एक कार्यकारी दल का गठन किया है। कार्यकारी दल की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

तापीय ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

8707. **श्री नवीन रवाणी** :

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तापीय ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी तथा इस केन्द्र के मुख्य-मुख्य काम क्या होंगे; और

(ग) यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) फोटोटाइप विकास, परीक्षण, मूल्यांकन, मानकीकरण तथा निदर्शन कार्य कलाप करने के लिए एक सौर ताप विद्युत ऊर्जा केन्द्र दिल्ली के नजदीक स्थापित किया जा रहा है। आशा की जाती है कि यह केन्द्र सौर ताप विद्युत ऊर्जा के समुपयोजन में राष्ट्रीय प्रयासों का मूल केन्द्र बन जाएगा। भूमि अधिग्रहण करने, क्रोड कर्मचारियों की भर्ती करने आदि जैसे प्रारम्भिक कदम उठाए गए हैं। आशा है कि चालू योजना के दौरान केन्द्र पूर्णरूप से प्रचालन में आ जाएगा। इस केन्द्र के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 6.5 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

फजल समिति की सिफारिशें

8708. **श्री सुमीनुद्दीन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के सम्बन्ध में फजल समिति की क्या सिफारिशें हैं;

(ख) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) क्या यह सच है कि धारक मूल्य सम्बन्धी पद्धति का प्रस्ताव कोयला विभाग ने किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है यदि हां तो उसका विवरण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोयला उद्योग के सम्बन्ध में फजल समिति की प्रमुख सिफारिशों और उनके सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3985/82]

(ग) और (घ) सरकार ने कोल इण्डिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के लिए धारक कीमतें शुरू करने का निर्णय मुख्य रूप से इसलिए लिया है कि इस सम्बन्ध में होने वाली कुछ विसंगतियां दूर की जा सकें। यह विसंगतियां इस कारण होती हैं कि कुछ विशेष भूवैज्ञानिक और भू-खनन दशाओं का कुछ कंपनियों को तो लाभ मिल जाता है और शेष कंपनियों के लिए यह दशाएं असुविधाजनक रहती हैं।

दिल्ली में समाचार पत्रों द्वारा फोटो कम्पोजिंग शुरू किया जाना

8709. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य समाचार पत्र कर्मचारी फेडरेशन ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह समाचारपत्र प्रबन्धकों को फोटो-कम्पोजिंग शुरू करने से रोके तथा फोटो-कम्पोजिंग मशीनरी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए, क्योंकि इससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। तथापि, समाचारपत्र प्रतिष्ठानों द्वारा फोटो कम्पोजिंग मशीनरी का आयात किए जाने पर रोक लगाने का सुझाव नेशनल कन्फैडरेशन आफ न्यूजपेपर तथा न्यूज एजेंसी एम्पलाइज आर्गनाइजेशन से आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को प्राप्त हुआ था।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिये आयात नीति निर्धारित करते समय आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा उक्त सुझाव पर विचार किया गया था किन्तु उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था।

उर्वरक संयंत्रों के लिए विदेशी वित्तीय सहायता

8710. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन-से देश हमारे कुछ उर्वरक संयंत्रों को सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा अबतक देश-वार ऐसी वित्तीय सहायता की कुल कितनी-कितनी धन-राशि प्राप्त की गई है; और

(ग) ऐसी वित्तीय सहायता सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इंग्लैण्ड, डेनमार्क, जापान, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, पोलैण्ड, स्वीडन, बैल्जियम और हालैण्ड ने थाल, हाजिरा, नामरूप III, बहरुच और हल्दिया जैसी कुछ उर्वरक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है। थाल परियोजना के लिए कुवैत और इटली से भी सहायता मिलने की सम्भावना है।

(ख) थाल और हाजिरा परियोजनाओं के लिए इंग्लैण्ड ने लगभग 86.5 मिलियन पौण्ड का अनुदान और जापान ने 40 मिलियन येन का ऋण दिया है। पश्चिमी जर्मनी ने बहरुच परियोजना के लिए 230 मिलियन डच मार्क का ऋण दिया है और डेनमार्क ने थाल और नामरूप III परियोजनाओं के लिए लगभग 86.6 मिलियन डेनिस कोर्नर का ऋण दिया है। इसके अलावा कई देशों, फ्रांस, पोलैण्ड, इंग्लैंड, हालैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, बैल्जियम ने हल्दिया परियोजना के लिए लगभग 28 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ग) इन देशों से लिए गए ऋण सामान्यतः दीर्घावधि ऋण हैं और जिनकी अदायगी अर्ध-वार्षिक किस्तों में आमतौर पर 10 वर्ष की छूट अवधि के साथ 30 से 50 वर्षों के अन्दर की जानी है। डेनिस ऋण ब्याज मुक्त है और अन्य ऋण रियायती ब्याज दरों पर है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा पिछली अवधि के अनुपूरक बिलों का जारी किया जाना

8711. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने पांच-सात वर्ष पूर्व की अवधि के "अनुपूरक बिल" जारी करके अपने आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करने का एक नया तरीका खोज निकाला है;

(ख) क्या बिजली के वे सभी मीटर, जिनके सम्बन्ध में ये अनुपूरक बिल जारी किए गए हैं, खराब पाए गए थे, यदि हां, तो कैसे, कब और क्या इस आशय की सूचना उपभोक्ताओं को दी गई थी, यदि हां, तो कब; और

(ग) इस प्रकार कितने अनुपूरक बिल जारी किए गए हैं, दिनांक 28 फरवरी, 1982

तक ऐसे कितने बिलों का भुगतान किया जा चुका है, कितने बिलों का पुनरीक्षण चल रहा है तथा कितने उपभोक्ताओं ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कानूनी नोटिस जारी किए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि बिजली की आंकी गई खपत के बिल ही इनके द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिनमें दोषपूर्ण/जले हुए मीटरों के बारे में कई महीनों के पश्चात् ही पता चल पाया हो और ऐसे मामलों में पिछली खपत या आगे होने वाली खपत के आकलन के आधार पर ही अनुपूरक बिल बनाए जाते हैं। डेसू के मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ता के अहातों का दौरा किए जाने के दौरान या क्षेत्रीय स्टाफ द्वारा उपभोक्ताओं के अहातों के आवधिक दौरों के दौरान यदि दोषपूर्ण/जले हुए मीटरों का पता चलता है तो सामान्यत: डेसू उपभोक्ताओं को इस बारे में सूचित करने की कोशिश करता है।

(ग) यह सूचना सहज ही उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसको एकत्र करने के लिए डेसू के 15 वितरण जिलों में 10 लाख से भी अधिक बिजली उपभोक्ताओं के अलग-अलग लेखों की जांच करनी पड़ेगी।

दोषपूर्ण मीटरों के सम्बन्ध में अनुपूरक बिलों आदि के विरुद्ध जहां तक उपभोक्ताओं से कानूनी नोटिस प्राप्त होने का सम्बन्ध है, जनवरी, 1981 से अप्रैल, 1982 तक की अवधि के दौरान डेसू के विधि कोष्ठ में ऐसे 6 नोटिस प्राप्त हुए बताए गए हैं।

सिंगरौली में सुपर तापीय बिजली घर को चालू करने में हो रहा विलम्ब

8712. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 200 मेगावाट की क्षमता वाले प्रथम सिंगरौली सुपर तापीय बिजली घर इसलिए चालू नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड बिजली की दर सम्बन्धी औपचारिक करार को टाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र का 200 मेगावाट का पहला यूनिट फरवरी, 1982 में समकालित किया गया था।

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत की सप्लाई करने के लिए वाणिज्यिक समझौते को अन्तिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बीच विचार-विमर्श हो रहा है। भारत सरकार के विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के बीच भी इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ है।

दूर-दर्शन पर "दोस्ताना" चलचित्र का प्रदर्शन

8713. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री यश जौहर ने टी० वी० पर "दोस्ताना" चलचित्र का, जिसे दूरदर्शन निदेशालय द्वारा खरीदा नहीं गया था, चोरी-चोरी प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में दूरदर्शन पर मुकदमा दायर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकार को श्री यश जौहर की इस प्रकार की किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। तथापि, मैसर्स धर्म प्रोडक्शन्स प्रा० लि० ने दूरदर्शन को फिल्म टेलीकास्ट करने से रोकने के लिए व्यादेश के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म "दोस्ताना" को दूरदर्शन पर चोरी-छिपे नहीं दिखाया गया था। रंगीन संगतता के लिए दूरदर्शन ट्रांसमीटर का परीक्षण करने के लिए केवल फिल्म के अंशों का ही थोड़ी अवधि के लिए उपयोग किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग में हुआ लाभ/हानि

8714. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला उद्योग में सरकार को हानि हो रही है अथवा लाभ हो रहा है;

(ख) क्या कोयले के मूल्य में वृद्धि करने के बाद भी कोयला उद्योग को हानि उठानी पड़ रही है; और

(ग) क्या प्रशासन और विपणन पर अत्यधिक खर्च करने के कारण कोयला उद्योग का घाटा बढ़ता जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लि० को वर्ष 1980-81 तक नुकसान होता रहा। नुकसान के कारण थे—कोयले की अलाभकारी कीमत और साथ ही उत्पादन सामग्रियों की लागतों और मजदूरी में वृद्धि और विभिन्न बाधाओं के कारण उत्पादन में हुई हानि। फिर भी, वर्ष 1981-82 में कोल इंडिया लि० को लाभ होने की संभावना है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत सोहागपुर क्षेत्र की भद्रा कोयला खान के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

8715. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत सोहागपुर क्षेत्र की भद्रा कोयला खान (मध्य प्रदेश) के श्रमिक 17 मार्च, 1982 से पूर्ण हड़ताल पर हैं, जिसके फल-स्वरूप प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन कोयले के उत्पादन की क्षति हो रही है;

(ख) श्रमिकों की मांगें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग कोयला क्षेत्रों में सूदखोरों और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के लिए अभियान

8716. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग कोयला-क्षेत्रों में सूदखोरों, असामाजिक तत्वों और अपराधियों पर नियंत्रण रखने तथा गुंडागर्दी का उन्मूलन करने के लिए सरकार वर्ष 1981 से गिरफ्तारियां कर रही हैं;

(ख) क्या सैंकड़ों सूदखोर कोल इण्डिया के अन्तर्गत धनबाद और बरमो कोयला क्षेत्रों के स्थानीय कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं और क्या ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी करने की बजाय सूदखोरी और ठेके के काम में लगे रहते हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो

(एक) ऐसे सूदखोर कितने हैं, जो सी० सी० एल० और बी० सी० सी० के कर्मचारी हैं तथा इनमें बाहर के असामाजिक तत्वों की संख्या क्या है;

(दो) गिरफ्तार अपराधियों की संख्या क्या है तथा ऐसे अपराधियों की संख्या क्या है, जिन्हें रिहा कर दिया गया है;

(तीन) कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(चार) इन लोगों से श्रमिकों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वदेशी पोलीटैक्स के शेयरधारियों का अभ्यावेदन

8717. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री चिन्तामणि जैना :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** स्वदेशी पोलीटैक्स के शेयरधारियों के अभ्यावेदन

के बारे में 8 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच-कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार का फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 क के उपबन्धों के उल्लंघन के आरोप के लिये मैं० स्वदेशी माइनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, नामक कम्पनी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की बाबत प्रश्न अभी परीक्षान्तर्गत है ।

बरमो कोयला क्षेत्र (बिहार) में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए ज्ञापन

8718. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरमो कोयला क्षेत्र (बिहार) में स्थानीय लोगों को तथा वहां काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार देने के सम्बन्ध में दिनांक 22 मार्च, 1982 को एक आठ सूत्री मांग-पत्र (ज्ञापन) क्षेत्रीय कोयला खान निगम कठारा को भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) कोलियरी कर्मचारी संघ के सचिव के साथ आरम्भिक वार्ता हो गई है और इस बात पर सहमति हो गई है कि वार्ता का अगला दौर दिनांक 29-4-1982 को होगा ।

दिल्ली के न्यायालयों द्वारा दिए गए रोक आदेशों का ब्यौरा

8719. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के न्यायालयों द्वारा दिए गए ऐसे रोक आदेशों का विवरण क्या है, जो इस समय लागू हैं; ये आदेश कब प्राप्त किए गए थे तथा उनके अब तक प्रचलित बने रहने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकारी विभागों द्वारा इन रोक आदेशों को समाप्त कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इस सम्बन्ध में उन्हें क्या-क्या कठिनाइयां पेश आ रही हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार न तो उच्च न्यायालय और न उनके अधीनस्थ न्यायालय ऐसे रोक आदेशों का कोई पृथक् अभिलेख रखते हैं जो दिल्ली के न्यायालयों द्वारा मंजूर किए गए हों और बाद में रद्द कर दिए गए हों या प्रवृत्त बने रहे हों ।

(ख) जब भी आवश्यक होता है केन्द्रीय सरकार के विभाग (सरकार के विरुद्ध किए गए) रोक आदेशों को रद्द करवाने के लिए न्यायालयों में समावेदन करते हैं। इस संबंध में विनिश्चय करना न्यायालयों का काम है।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा अन्तर्राज्यीय बिजली लाइन संबंधी निर्माण-कार्य को पूरा करना

8720. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**
श्री केयूर भूषण :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश की मदद से अन्तर्राज्यीय लाइन संबंधी निर्माण-कार्य को निर्धारित समय से छः महीने पहले पूरा कर लिया है, जो एक कीर्तिमान है;

(ख) इस लाइन के माध्यम से मध्य प्रदेश को आन्ध्र प्रदेश से कितनी बिजली मिलेगी; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश को उड़ीसा से भी बिजली मिलेगी, क्योंकि उड़ीसा आन्ध्र प्रदेश-शिस्टम से जुड़ा हुआ है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अप्रैल 1981 के महीने में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने बताया था कि 220 के० वी० लोअर सिलेरू (आन्ध्र प्रदेश), बरसुर (मध्य प्रदेश) अन्तःक्षेत्रीय लाइन जून, 1982 में पूरी हो जायेगी। तथापि लाइन का मध्य प्रदेश वाला हिस्सा दिसम्बर, 1981 में पूरा हो गया था। तथा समस्त लाइन को 19 जनवरी, 1982 को चार्ज कर दिया गया था।

(ख) लाइन की विद्युत ले जाने की क्षमता लगभग 150 मेगावाट है तथा मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के बीच इस सीमा तक विद्युत का आदान-प्रदान संभव है। तथापि, विद्युत का वास्तविक अन्तरण प्रत्येक राज्य में विभिन्न समय पर फालतू बिजली की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) बलिमेला (उड़ीसा) और अपर सिलेरू (आन्ध्र प्रदेश) के बीच 220 के० वी० की सिंगल सर्किट पारेषण लाइन पहले से ही है। तथापि लोअर सिलेरू-बरसुर लाइन और अपर सिलेरू-बलिमेला लाइन के जरिये एक स्थान से दूसरे स्थान को बिजली भेजकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच सीमित मात्रा में विद्युत का आदान-प्रदान भी किया जा सकता।

राज्यों में बिजली का संकट

8721. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान को बिजली के भारी संकट का मुकाबला करना पड़ रहा है;

(ख) उद्योग, कृषि और घरेलू खपत के लिए बिजली की कितनी-कितनी आवश्यकता है तथा गत, तीन महीनों के दौरान इसकी तुलना में कितनी-कितनी बिजली उपलब्ध हुई है; और

(ग) उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हरियाणा में इस समय विद्युत सप्लाई की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उद्योगों पर केवल व्यस्ततम तकालीन प्रतिबन्ध ही लागू हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान हाल ही में अस्थायी रूप से विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में उपलब्ध ऊर्जा का आवंटन, विद्युत कटौतियां, प्रतिबन्ध लगाकर इस प्रकार से किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में विद्युत सप्लाई हो तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों यथा स्टील, सीमेंट और कोयला आदि की आवश्यकताओं को पूरा किया जाय।

(ग) चूंकि निकटवर्ती राज्यों और प्रणालियों के पास किसी भी प्रकार की फालतू ऊर्जा नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को अधिक सहायता दे सकना संभव नहीं हो सका है। जहां तक संभव हो सका है, केन्द्रीय क्षेत्र के बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से राजस्थान को सहायता दी गई है। यद्यपि, राजस्थान को मिली सहायता इसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उक्त राज्यों में आगामी महीनों में विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार होने की आशा है। तथापि, दीर्घकालिक उपाय के रूप में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का कार्यक्रम बनाया जा रहा है :

राज्य का नाम	1980-85 के दौरान क्षमता में अभिवृद्धि (मेगावाट)
हरियाणा	454
राजस्थान	496
महाराष्ट्र	2644
मध्य प्रदेश	1488

उत्तर प्रदेश में नए टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

8722. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने नए टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का विचार है तथा टेलीफोन लाइनों और केन्द्रों में कितनी-कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी नई टेलीफोन लाइनें जोड़ी गई हैं; और

(ग) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितनी-कितनी नई टेलीफोन लाइनें जोड़ने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 200 नए टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करने का प्रस्ताव है । क्षमता में 50,000 लाइनों की वृद्धि प्रस्तावित है । प्रदान किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की वास्तविक संख्या लगभग 40,000 होगी ।

(ख) 1980-81 के दौरान 4964 तथा 1981-82 के दौरान 6761 ।

(ग) उत्तर प्रदेश में 1982 के दौरान लगभग 9000 लाइनों तथा 1983-84 के दौरान 10000 लाइनों की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने का अस्थायी तौर पर प्रस्ताव है ।

बदायूं में टेलीफोन कनेक्शनों से सम्बन्धित विचाराधीन आवेदन-पत्र

8723. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदायूं टेलीफोन केन्द्र (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शनों की कुल क्षमता क्या है;

(ख) कनेक्शन प्राप्त करने के सम्बन्ध में (श्रेणीवार) कितने-कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं और कब-कब से पड़े हैं; और

(ग) क्या भारी मांग को देखते हुए क्षमता बढ़ाने का बिचार किया गया है, और कब तक बढ़ाने का विचार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 500 लाइनें ।

(ख) टेलोफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची निम्नानुसार है :

		सबसे पुराने आवेदन पत्रों की तारीख
ओ० वाई० टी०	कोई नहीं	
विशेष	3	25-6-1981
सामान्य	49	31-5-1979
योग	52	

(ग) 1983-84 में इस एक्सचेंज में 100 लाइनों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है ।

बदायूं क्षेत्र में सरकारी क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव

8724. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सरकारी क्षेत्र की एक भी बड़ी परियोजना का बदायूं क्षेत्र के लिए आवंटन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में लोग रोजी-रोटी की तलाश में नगरों को जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उस क्षेत्र का अपेक्षित विकास करने के लिए तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए उक्त क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की कुछ बड़ी परियोजनाओं की स्थापना संबंधी सम्भाव्यता का पता लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह देखते हुए कि बदायूं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन किसी सरकारी क्षेत्रीय परियोजना को बदायूं क्षेत्र को आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) रसायन, उर्वरक और औषध आदि परियोजनाओं के स्थल के बारे में कच्चे माल, बिजली, ईंधन, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि की उपलब्धता जैसी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर निर्णय किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी तट में उपलब्ध गैस पर आधारित चार उर्वरक प्लांटों समेत गैस पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक प्लांटों के लिये उपयुक्त स्थल की सिफारिश करने के लिए एक स्थल चयन समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने प्रस्तावित उर्वरक प्लांटों के लिए संभाव्य स्थलों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार समेत सम्बन्धित राज्य सरकारों से सुझाव आमंत्रित किए। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित चार गैस पर आधारित उर्वरक प्लांटों के लिए 16 संभाव्य स्थलों का सुझाव दिया, सुझाए गए उन 16 स्थलों में से एक बदायूं जिले में है। स्थल चयन समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है।

सार्वजनिक टेलीफोनों का कार्यकरण

8725. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **संचार मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्य-वार और ब्यौरे वार, किन-किन स्थानों पर नए सार्वजनिक-टेलीफोन लगाए जाएंगे;

(ख) दिनांक 1 जनवरी, 1978; 1 जनवरी, 1979; 1 जनवरी, 1980; 1 जनवरी, 1981 और 1 जनवरी, 1982 को देश में (वर्षवार और राज्यवार) कितने-कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगे हुए थे;

(ग) वर्ष 1982-84 की अवधि के दौरान (वर्षवार और राज्यवार) कितनी "सीधी डायलिंग पद्धति" शुरू की जाएगी तथा सम्बन्धित स्थान कौन-कौन-से हैं; और

(घ) दिनांक 1 जनवरी, 1978; 1 जनवरी, 1979; 1 जनवरी, 1980; 1 जनवरी 1981 और 1 जनवरी 1982 तक "सीधी डायलिंग पद्धति" से प्रत्येक मामले में लाइनों की संख्या का उल्लेख करते हुए कौन-कौन-से स्थान जुड़े हुए थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एवं (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और तत्पश्चात् सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) 1982-83 में 11 स्थानों तथा 1883-84 में 12 स्थानों में अस्थायी तौर पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग प्रणाली प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है। स्थानों के नाम वर्ष-वार और राज्य-वार इस प्रकार हैं :

1982-83

1.	भिलाई	(मध्य प्रदेश)
2.	बिलासपुर	—वही—
3.	खण्डवा	—वही—
4.	देवास	—वही—
5.	मऊ	—वही—
6.	अहमदनगर	(महाराष्ट्र)
7.	कदार	—वही—
8.	सतारा	—वही—
9.	बागलकोटा	(कर्नाटक)
10.	चित्रदुर्ग	—वही—
11.	पुत्तुर	—वही—

1983-84

1.	कृष्णनगर	(पश्चिम बंगाल)
2.	मिदनापुर	—वही—
3.	कालिमपोंग	—वही—
4.	कुरसेवंग	—वही—
5.	सेवनी	(मध्य प्रदेश)
6.	छिन्दवाड़ा	—वही—
7.	धमतरी	—वही—
8.	चन्द्रपुर	(महाराष्ट्र)
9.	भुसावल	—वही—
10.	अजमेर	(राजस्थान)
11.	बियावर	—वही—
12.	तूरा	(मेघालय)

(घ) सूचना अनुबन्ध के अनुसार है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3986/82]

दिल्ली में कानूनी सहायता परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना

8726. **श्री मूल चन्द डागा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पहली बार कानूनी सहायता और परामर्शदात्री परिषद् की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की गई है तथा इसके सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं और इस परिषद् ने अब तक कितने गरीब लोगों को सहायता प्रदान की है तथा संबंधित मामलों का और प्रत्येक मामले में दी गई वित्तीय सहायता अथवा अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे ; और

(घ) इस परिषद् की स्थापना किस कानून के अन्तर्गत हुई है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का गठन दिल्ली प्रशासन की तारीख 8 मई, 1981 की अधिसूचना सं० एफ 23/1/- 80-न्या० के अनुसार मई में किया गया था। उक्त अधिसूचना की प्रति उपाबंध I में दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3987/82]

दिल्ली विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के सदस्यों की सूची उपाबन्ध II में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3987/82]

वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान विधिक सहायता और सलाह के लिए 609 आवेदकों के, जिनके 979 मामले थे, अनुरोध पर विचार किया गया था। जिनमें से 895 मामलों में 545 व्यक्तियों को विधिक सहायता दी गई थी। अपेक्षित ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे हैं और उन्हें सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान विधिक व्ययों के संदाय के लेखे 14,102.40 रुपए की रकम खर्च की गई थी। अनेक ऐसे मामलों में जो बोर्ड द्वारा विभिन्न अधिवक्ताओं को भेजे गए थे, फीस/मानदेय और अन्य आनुषंगिक प्रभारों के बिलों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। फीस/मानदेय आदि का संदाय प्रत्येक मामले में सारवान् कार्य किए जाने के पश्चात् बिल प्रस्तुत करने पर फीस/मानदेय आदि की विहित दर के अनुसार किया जाता है।

(घ) बोर्ड का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क के अनुसरण में दिल्ली के प्रशासक द्वारा तारीख 8 मई, 1981 की अधिसूचना सं० एफ० 23(1)/80—न्या० के अनुसार किया गया था।

राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति

8727. **श्री मूल चन्द डागा : क्या ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अलग-अलग कितनी धनराशि बकाया है और इन बोर्डों द्वारा वित्तीय संस्थानों से कितनी राशि का ऋण लिया गया तथा साथ उन ऋणों पर प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सालाना ब्याज की कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(ख) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के बिजली बोर्डों की कमजोर वित्तीय स्थिति के मुख्य कारण क्या हैं और उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विक्रम महाजन) : (क) 31 मार्च, 1980 को स्थिति के अनुसार, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपनी-अपनी राज्य सरकारों से और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों को दिखाने वाला विवरण **उपाबन्ध-1** में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3988/82]

अपनी-अपनी राज्य सरकारों को तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वर्ष 1979-80 के लिए देय ब्याज की राशि के ब्यौरे **उपाबन्ध-दो** में दिए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3988/82]

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सहज उपलब्ध अपरीक्षित लेखों के अनुसार वर्ष 1979-80 के लिए संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में बकाया राशियां और ब्याज के लिए किए गए प्रावधान **उपाबन्ध-तीन** में दिखाए गए हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3988/82]

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने और चालू करने में विलम्ब होने, मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग न होने, पारेषण और वितरण में अधिक हानियां होने और उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के संबंध में अलाभकारी टेरिफें होने से राज्य बिजली बोर्डों के और संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत विभागों के समस्त कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है । यद्यपि राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन के लिए मुख्य रूप से राज्य सरकारें ही उत्तरदायी हैं, तथापि केन्द्रीय सरकार, राज्य बिजली बोर्डों और संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत विभागों के कार्य निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा करती रहती है । संयंत्र और उपस्कर का सुधार करके, क्षमता का अधिकाधिक समुपयोजन करके, टैरिफ के ढांचे को युक्तिसंगत बनाकर, जन-शक्ति और माल-सूची पर नियंत्रण करके तथा बेहतर परियोजना प्रबंध करके वित्तीय दृष्टि से अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं । जब कभी भी आवश्यक होता है राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है ।

टेलीफोन आपरेटरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

8728. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों के दोषी पाए गए टेलीफोन आपरेटरों का विवरण क्या है और क्या उसके लिए उन्हें सेवा से निलम्बित कर दिया गया है अथवा दण्डित किया गया है ; और

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है तथा उन टेलीफोन आपरेटरों का विवरण क्या है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोपों के सम्बन्ध में विभागीय जांच चल रही है और कब तक इन जांचों के पूरे हो जाने की संभावना है और इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ख) सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए यह व्यवहार्य नहीं समझा गया है कि उन टेलीफोन आपरेटरों के विवरण दिए जाएं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है । यह भी बता पाना संभव नहीं है कि किस समय तक जांच पूरी कर लिए जाने की संभावना है ।

राज्य विधान सभाओं में बारी-बारी से स्थान आरक्षित किया जाना

8729. **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ निश्चित अवधि के बाद राज्य विधान सभा के स्थानों को बारी-बारी से आरक्षित करने की नीति का पालन करती है ;

(ख) लगातार कितने वर्षों के लिए कोई विधान सभा स्थान आरक्षित रहता है ;

(ग) राज्य विधान सभाओं के उन सभी स्थानों का विवरण क्या है जो निर्धारित अवधि के बाद भी निरन्तर आरक्षित रखे गए हैं ; और

(घ) राज्य विधान सभाओं में उन सभी स्थानों का विवरण क्या है जो 10 वर्ष से अधिक समय से निरंतर आरक्षित रखे गए हैं और उन राज्यों के नाम तथा आरक्षण शुरू किए जाने के वर्ष का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) विद्यमान विधि के उपबंधों के अधीन ऐसी कोई विहित समय सीमा नहीं है जिस तक विधान सभा के किसी स्थान को लगातार आरक्षित रखा जाता हो ।

(घ) निर्वाचन क्षेत्रों का नाम और उनके विस्तार में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है इसलिए अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

तेल अनुसंधान हेतु विदेशी फर्मों की प्रतिक्रिया

8730. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे तेल अनुसंधान कार्यक्रम में विदेशी फर्मों की प्रतिक्रिया (रेसपोंस) असंतोषजनक रही है ; और

(ख) विदेशी फर्मों की नगण्य प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए तेल अनुसंधान कार्यक्रम के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड यह दोनों सरकारी तेल कंपनियां पहले से ही अपने तेल की खोज एवम् उत्पादन कार्यक्रम को यथासम्भव अधिकतम सीमा तक बढ़ा रही हैं । यह भी निर्णय किया गया है कि विदेशी कम्पनियों से दूसरी बार फिर से बोलियां मांगी जायं ।

एम० आर० टी० पी० आयोग में प्रवर्तन विंग की स्थापना

8731. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के अन्तर्गत एक प्रवर्तन विंग स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस विंग की स्थापना किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्पादों की बेहतर किस्म सप्लाई करने की दृष्टि से एकाधिकार औद्योगिक गृहों के बीच स्पर्धा बढ़ाने हेतु कुछ उपाय भी किए जाने का विचार है ;

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या एम० आर० टी० पी० आयोग के कार्यों को सुचारु बनाने के लिए कोई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) से (ङ) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने अन्यों के साथ-साथ अवरोधक व्यापार/अनुचित व्यापारिक प्रथाओं की कतिपय श्रेणियों को निषिद्ध करने के कुछ सुझाव दिये हैं । समिति ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत प्रशासनिक मशीनरी को शक्तिशाली बनाने का भी सुझाव दिया है । एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के संशोधन के सम्बन्ध में उपरोक्त समिति के सुझावों

पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इससे अधिक, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में अन्यों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अनुमोदन देते समय नये उद्यमों को सार्वजनिक अहितकारी आर्थिक शक्ति को संकेन्द्रित करने के लिए समतोलन शक्ति के रूप में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जायेगा। वास्तविक व्यवहार में, जहां कम्पनियां सामग्रियों के उत्पादन में प्रमुख हैं, अन्य एककों को, जहां तक उन सामग्रियों की कुल उपलब्धता में कमी है, उनको उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम का संशोधन

8732. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम्पनी अधिनियम में कुछ संशोधन लाने हेतु विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उपरोक्त विधेयक संसद में कब पेश किए जाने की संभावना है ; और

(घ) उपरोक्त विधेयक के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए०रहीम) : (क)से (घ) कम्पनी अधिनियम में अनेक संशोधनों की बाबत उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) की सिफारिशें, अनेक व्यावसायिक संस्थानों तथा वाणिज्य मंडलों आदि से इस बाबत प्राप्त अन्य सुझावों सहित, सरकार के विचाराधीन हैं। सम्बन्धित कानून की जटिलता तथा इस बाबत प्राप्त सुझावों की प्रकृति की दृष्टि से कम्पनी अधिनियम के संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर, सरकार के विचारों को अन्तिमरूप देने में, कुछ और समय लगने की संभावना है। फिर भी इस मामले को यथाशीघ्र अन्तिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

8733. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का प्रत्येक रिक्त पद किस तारीख को रिक्त हुआ और प्रत्येक मामले में रिक्त पद को न भरे जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में इन पदों के रिक्त रहने के कारण लंबित मामलों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 1-4-1982 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार पद रिक्त थे। दो पद 1-1-1982 और 7-3-1982 को

रिक्त हुए कहे जा सकते हैं जब उन पदों पर कार्य करने वाले न्यायाधीश सेवा निवृत्त हुए थे। शेष दो रिक्त पद किसी तारीख विशेष से संबद्ध नहीं कहे जा सकते हैं क्योंकि किसी भी समय पर भारत के मुख्य न्यायाधिपति सहित 16 न्यायाधीशों से अधिक न्यायाधीश अपने पदों पर कार्य नहीं कर रहे थे। उच्चतम न्यायालय में रिक्त स्थानों के भरे जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

1-4-1982 को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 87 पद भरे जाने थे। उच्च न्यायालय वार उनका ब्यौरा और वे तारीखें जिनसे वे पद रिक्त हुए थे, संलग्न विवरण में बताई गई हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए, अधिकांश मामलों में राज्य प्राधिकारियों से पूर्ण रूप से सुनिश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं। इनके सम्बन्ध में उन्हें अनुस्मरण पत्र बराबर भेजे जा रहे हैं। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधिपतियों से जोर देकर यह कहा गया है कि उन पदों को जिनके रिक्त होने की संभावना है, भरने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(ख) मामलों के निपटारे में विलम्ब होने का कारण न्यायाधीशों के पदों का रिक्त होना ही नहीं है। मामलों के निपटारे में विलम्ब के लिए कई अन्य जटिल कारण भी हैं।

विवरण

1-4-1982 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के भरे जाने वाले रिक्त स्थान

क्र० सं०	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्त स्थान	वह तारीख जिसमें स्तंभ 3 में दर्शित पद रिक्त हुए
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	12	26-12-1980 7-02-1981 19-04-1981 5-05-1981 1-08-1981 19-08-1981 18-01-1982 20-03-1982 (शेष 4 पदों के लिए पाद टिप्पण देखें)

1	2	3	4
2.	आन्ध्र प्रदेश	5	4-07-1980 23-07-1980 29-10-1980 19-01-1982 23-03-1982
3.	बंबई	5	20-12-1981 20-12-1981 20-12-1981 (शेष 2 पदों के लिए पाद टिप्पण देखें)
4.	कलकत्ता	9	23-11-1979 23-11-1979 23-11-1979 1-02-1980 1-11-1980 28-01-1981 29-08-1981 22-01-1982 1-03-1982
5.	दिल्ली	6	28-05-1980 21-10-1980 7-06-1981 7-06-1981 11-09-1981 11-09-1981
6.	गोहाटी	2	1-03-1980 (शेष 1 पद के लिए पाद टिप्पण देखें)
7.	गुजरात	4	5-11-1980 5-11-1980 8-07-1981 20-08-1981

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	1	11-01-1980
9.	जम्मू-काश्मीर	3	23-02-1980 (शेष 2 पदों के लिए पाद टिप्पण देखें)
10.	कर्नाटक	1	(पाद टिप्पण देखें)
11.	केरल	2	1-08-1980 18-01-1982
12.	मध्य प्रदेश	8	21-02-1980 21-07-1980 10-01-1981 2-09-1981 (शेष 4 पदों के लिए पाद टिप्पण देखें)
13.	मद्रास	5	21-01-1981 9-07-1981 8-10-1981 8-12-1981 29-12-1981
14.	उड़ीसा	1	14-09-1979
15.	पटना	13	1-01-1981 15-06-1981 1-09-1981 2-11-1981 1-01-1982 20-02-1982 12-03-1982 (शेष 6 पदों के लिए पाद टिप्पण देखें)
16.	पंजाब और हरियाणा	4	19-03-1980 15-10-1980 25-10-1980 13-12-1981

1	2	3	4
17.	राजस्थान	6	15-06-1980 25-06-1981 20-07-1981 (शेष 3 पदों के लिए पाद टिप्पण देखें)
		87	

टिप्पण—ये नए पद हैं जो उस तारीख से मंजूर किए गए हैं जिसको वे पहली बार भरे जाएंगे। इन्हें अभी पहली बार भरा जाना है।

बरौनी रिफाइनरी द्वारा एल० पी० गैस नष्ट किया जाना

8734 **श्री चित्त महाटा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त संख्या में गैस सिलेण्डरों की सप्लाई न किए जाने के कारण बरौनी रिफाइनरी द्वारा करोड़ों रुपये की एल० पी० गैस नष्ट की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) बरौनी शोधनशाला को उसकी भरण क्षमता के आधार पर पर्याप्त संख्या में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर सप्लाई किए जा रहे हैं और शेष एल० पी० जी० को प्रपुन्ज रूप में कानपुर भेजा जाता है जहां कि उसे सिलेण्डरों में भरा और बेचा जाता है। शोधनशाला के एल० पी० जी० के उत्पादन को पूरी तरह उपयोग में लाने के लिए इस समय शोधनशाला के पास एल० पी० जी० सिलेण्डरों का उपलब्ध स्टाक पर्याप्त समझा गया है।

दुर्गापुर ताप बिजली घर का चतुर्थ एकक

8735. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप बिजली घर के चतुर्थ एकक (210 मेगावाट) में प्रगति के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र की चौथी यूनिट पहले 5-12-1981 को समकालित की गई। कन्डेसर में आशोधन किये जाने तथा शेष रहे कार्यों को पूरा किये जाने के पश्चात् यूनिट 19-2-1982 को पुनः सम-

कालित की गई थी। विभिन्न आनुषंगिक उपस्करों सम्बन्धी प्रारंभिक कठिनाइयां दूर की गईं। यूनिट 9-4-1982 को पुनः समकालित की गई। यह रुक-रुक कर चल रही है तथा यह सुस्थिर हो रही है।

उड़ीसा में गरीबों को विधिक सहायता

8736. **श्री के० प्रधानी :**
श्री अनादि चरण दास :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के उन जिलों के क्या नाम हैं जहां अब तक गरीबों को विधिक सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत अब तक लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा राज्य के कटक, धेकानल, मयूरभंज और कोरापुट जिलों में विधिक सहायता दी गई है।

(ग) उड़ीसा सरकार को 1981-82 में 262 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और अब तक 86 आवेदकों के उतने आवेदन पत्र मंजूर किए गए और उन्हें स्कीम के अधीन फायदे दिए गए हैं। कटक में 9 आवेदक, कोरापुट में 25 आवेदक, धेकानल में 40 आवेदक और मयूरभंज में 11 आवेदक इस स्कीम के अधीन लाभान्वित हुए हैं।

1981-82 में सरकारी (पब्लिक) पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत कोयला खनन परियोजनाएं

8737. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खनन परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है जो 1981-82 में सरकारी पूंजी निवेश बोर्ड (पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड) द्वारा स्वीकृत की गई हैं;

(ख) उन कोयला खनन परियोजनाओं को किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) ये परियोजनाएं किन-किन कोयला कंपनियों से सम्बन्धित हैं;

(घ) क्या उन कोयला खनन परियोजनाओं से सम्बन्धित कुल जल आपूर्ति योजनाएं भी सरकारी पूंजी निवेश मंडल द्वारा स्वीकृत की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3989/82]

(घ) और (ङ) लोक निवेश बोर्ड द्वारा स्वीकृत सभी कोयला खनन परियोजनाओं में परियोजनाओं के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जल पूर्ति का प्रावधान है। इसके अलावा लोक निवेश बोर्ड ने निम्नलिखित दो समेकित जलपूर्ति योजनाओं का भी अनुमोदन कर दिया है :

(1) सिंगरौली कोलफील्ड एरिया जल पूर्ति योजना (प्रथम चरण)—रु० 1887.2 लाख की अनुमानित लागत से जल की 18 मि० गै० प्र० दि० की स्थापित क्षमता के लिए; और

(2) हजारीबाग कोलफील्ड के हजारीबाग और कुजू एरिया की कोलियरियों के लिए रु० 1082.00 लाख की अनुमानित लागत से 6 मि० गै० प्र० दि० की स्थापित क्षमता के लिए।

उत्पादकों में पास बिना बिका सोडा ऐश का भारी भंडार

8738. **श्री के० प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वदेशी उत्पादकों के पास 85,000 टन की भारी मात्रा में सोडा ऐश बिना बिके पड़ा हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि सोडा ऐश के कुछ देशी निर्माताओं को अपने उत्पादों की मांग के अभाव में जबरन निष्क्रिय रहना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो सोडा ऐश के बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो गये भंडार की बिक्री करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) 14 जनवरी, 1979 से सोडा ऐश खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एस०) के अन्तर्गत है। सोडा ऐश के निर्माता अभ्यावेदन दे रहे हैं कि बड़ी मात्रा में आयात और कम उठान के कारण स्टाक जमा हो रहा है और जब तक आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता, उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहेगा। निर्माताओं के अनुसार 1-4-1982 को बिना बिक्री किए हुए सोडा ऐश का स्टाक लगभग 1.03 लाख टन था जबकि जनवरी, 1981 के अन्त तक 17,053 टन का स्टाक जमा था। तथापि, अखिल भारतीय कांच निर्माता परिसंघ और अखिल भारतीय सिलिकेट निर्माता संघ जैसे उपभोक्ता संघ वर्तमान आयात नीति को जारी रखने की दलील दे रहे हैं। आयात नीति की लगातार समीक्षा की जाती है। मांग और स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयात का विनियमन किया जाता है।

गरीबों को कानूनी सहायता

8739. **श्री कुंवर राम :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबों को कानूनी सहायता के सम्बन्ध में भगवती समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं; और

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) न्यायमूर्ति भगवती समिति के अनुसार, विधिक सहायता कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के मार्ग में उसके सामने ऐसी कोई कठिनाई नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महत्वपूर्ण सेवा के टेलीफोन नम्बरों के कार्य न करने के बारे में शिकायतें दर्ज करने की व्यवस्था

8740. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन केन्द्रों में 197 (पूछताछ), 199 (सहायता), 180 (ट्रंक बुक करना), 181 (ट्रंक पूछताछ) आदि जैसे महत्वपूर्ण सेवा के टेलीफोन नम्बरों के कार्य न करने अथवा गलत ढंग से कार्य करने के बारे में यदि कोई प्रयोक्ता इस प्रकार की शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो शिकायत दर्ज करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक प्रावधान क्या हैं और सम्बन्धित अधिकारी कौन-कौन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की किसी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा और किस तारीख तक यह प्रावधान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां । यह सूचना टेलीफोन निर्देशिकाओं में उपलब्ध है ।

(ख) पर्यवेक्षकों, सहायक इंजीनियरों तथा मंडल इन्जीनियरों के टेलीफोन नम्बर दोष निवारण सेवा शीर्ष तथा विशेष सेवाएं उप शीर्ष के अन्तर्गत दिये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ई० डी० बी० ओ० का दर्जा बढ़ाकर ई० डी० एस० ओ० तक किया जाना

8741. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार मंत्री** ई० डी० एस० ओ० के स्तर तक ई० डी० बी० ओ० का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में 23 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4773 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई० डी० बी० ओ० का ग्रेड बढ़ाकर ई० डी० एस० ओ० करने को किस तारीख से

बन्द कर दिया गया और क्या इन प्रश्नों की जांच करने के लिए स्थापित डाक तार विभाग के अधिकारियों की समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है जिसमें उसने सिफारिश की है कि इस प्रकार के मामले में, जहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने पर जिन ई० डी० बी० ओ० के पास 4 से 5 घंटे का कार्य है उनका ग्रेड बढ़ाकर ई० डी० एस० ओ० कर दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अधिकारियों की समिति ने कुछ नये हैड-पोस्ट आफिस और पोस्टल डिवीजन बनाये जाने की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो सर्किल-वार उनके नाम क्या हैं और किस तारीख तक दोनों सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभागेतर शाखा डाकघरों का विभागेतर उप-डाकघरों में दर्जा बढ़ाए जाने के प्रश्न के पुनरीक्षाधीन होने के कारण ऐसे डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने से सम्बन्धित सभी अगली कार्रवाई रोक दी जायें से संबंधित आशय के आदेश 4-3-1981 को जारी किए गए थे। इन प्रश्न पर विचार करने के लिए गठित अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि मात्र सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था के आधार पर विभागेतर शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें विभागेतर उप-डाकघर बनाने हेतु आदेशों को सीमित रखने के लिए मामले पर कार्रवाई की जाए।

(ख) यह सुझाव अभी भी विचाराधीन है।

(ग) अध्ययन दल ने यह भी सुझाव दिया था कि सार्वजनिक टेलीफोन घर सुविधा के आधार पर चालू किए गए विभागेतर उप-डाकघरों को गिनती में लिए बिना नए मुख्य डाकघर/डिवीजनों के मामलों पर कार्रवाई की जाए।

(घ) इस सुझाव पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) उक्त सुझाव दि० 16-10-81 को प्राप्त हुए थे। ये सुझाव अंतरिम किस्म के थे। अध्ययन दल की पूरी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। ये मामले पूर्णतया प्रशासनिक हैं तथा जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं पर इनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता। सभी वास्तविक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, विभाग इस मामले में समुचित निर्णय लेगा।

दिल्ली में शहरी निष्क्रान्त आवासों की नीलामी

8742. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग द्वारा दिल्ली में बाजार दरों से अत्यन्त कम मूल्यों पर शहरी निष्क्रान्त आवासों की नीलामी, पाकिस्तान से भारी संख्या में उन विस्थापित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई जो इन गृहों पर कब्जा लेने आए लेकिन बाजार दरों

पर सरकारी सम्पत्ति खरीदने के लिए धनराशि की व्यवस्था करने में असमर्थ थे;

(ख) क्या कुछ आवास कम्पनियां वर्तमान कानूनों की कुछ कमियों का सहारा लेते हुए इन विस्थापित व्यक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विस्थापित व्यक्ति अधिनियम में संशोधन करने का है जिससे इन मकानों में रह रहे शरणार्थी किराएदारों को संतुलित मूल्य का भुगतान करके इन आवासों को खरीदने के लिए समर्थ बनाया जा सके और इस प्रकार जाली आधारों पर विस्थापित व्यक्ति किराएदारों को बेदखल करने से रोका जा सके; और

(घ) क्या यदि इन सम्पत्तियों का विकास कार्य शुरू किया जाता है तो सम्पत्ति का एक भाग विस्थापित व्यक्तियों में बांटने की संभावनाओं की जांच करने का सरकार का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसा कोई उदाहरण ध्यान में नहीं आया है।

(ग) उक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश में बनगाना और उना के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

8743. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** हिमाचल प्रदेश में बनगाना और ऊना के बीच सीधी टेलीग्राम लाइनों के बारे में 23 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीग्रामलाइन से पृथक रूप में, बनगाना और उनके बीच सीधी टेलीफोन सम्बन्ध के प्रावधान हेतु कोई मांग प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) मौजूदा परियात के आधार पर बनगाना और उना के बीच सीधी ट्रंक सेवा का औचित्य नहीं बनता ।

रांची में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

8744. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटा नागपुर की आदिवासी जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र ने रांची में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो रांची के आस-पास जिस क्षेत्र को इसकी सुविधा मिलेगी उसका ब्यौरा क्या है और इसकी कब कार्य शुरू कर देने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां। "इनसेट" परियोजना के अन्तर्गत छठी योजना अवधि के दौरान रांची में 10 किलोवाट का एक ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना है।

(ख) इस ट्रांसमीटर की सेवा परिधि 70 किलोमीटर होगी जिसके अन्तर्गत 15,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 35.90 लाख जन संख्या (6.35 लाख शहरी और 29.55 लाख ग्रामीण) आयेगा। कवर किये जाने वाले गांवों की संख्या 4,900 है।

इसके अलावा, रांची, सिंहभूम और पलामू के तीन जिलों में इस ट्रांसमीटर की सेवा परिधि के बाहर के क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा चुनीदा विद्युतीकृत क्षेत्रों में सीधे संग्रहण सेट लगा करके उपलब्ध की जायेगी।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के एककों के प्रबन्ध और विभिन्न उत्पादों का ब्यौरा

8745. **श्री दौलत राम सारण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अन्तर्गत कार्य कर रही उर्वरक फैक्ट्रियों के क्या नाम हैं उनमें से प्रत्येक की उर्वरक क्षमता कितनी है और उनमें कितना पूंजी निवेश किया गया और कितना उत्पादन इनमें हुआ तथा उनका उत्पादन उनकी उत्पादन क्षमता से कम होने के क्या कारण है ;

(ख) इन कारखानों की स्थापना से अब तक निगम को कितना घाटा हुआ है ;

(ग) मोटरवाहनों, समयोपरि भत्तों, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्तों पर निगम द्वारा कितना वार्षिक व्यय किया गया ; और

(घ) निगम के कितने विश्राम गृह किन-किन स्थानों पर स्थापित हैं और उनके निर्माण पर कुल कितना खर्चा किया गया तथा उन पर वार्षिक व्यय कितना किया जाता है और उन विश्राम गृहों का वार्षिक किराया कितना है जो किराए पर लिए गए हैं साथ ही उन पर अन्य क्या खर्चे किए गए ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सोवियत संघ द्वारा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई

8746. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष सोवियत संघ द्वारा कच्चे तेल की कुल कितनी सप्लाई की गई ;

(ख) क्या सोवियत संघ पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करने के लिए भी सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वह किस सीमा तक सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है और किस समय से उसके द्वारा सप्लाई किये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1981 के दौरान यू० एस० एस० आर० ने लगभग 2.212 मिलियन मीट्रिक टन अशोधित तेल सप्लाई किया था।

(ख) और (ग) वर्ष 1982 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के लिए किए गए ठेके के अनुसार सोवियत रूस द्वारा 1.5 मिलियन मीट्रिक टन मिट्टी का तेल और 0.67 मिलियन मीट्रिक टन हाईस्पीड डीजल तेल की सप्लाई की जायेगी।

सौराष्ट्र समुद्रतट दूर के ब्लाक एक में खोज

8747. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको स्टेट एन्टरप्राइजेज पेमेक्स से वित्तीय और तकनीकी सहयोग का पता लगाने के लिए सौराष्ट्र समुद्र तट दूर के ब्लाक एक को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए आरक्षित रखा गया है ;

(ख) सम्पन्न हुए समझोते की शर्तें क्या हैं ; और

ग) वे कब तक कार्य शुरू कर देंगे ?

ट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, नहीं।

ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल की खोज के लिए विश्व बैंक ऋण

8748. **डा० कृपा सिंधु भोई :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तेल की खोज, तेल शोधन कारखानों के विस्तार तथा गैस पाइप लाइनों के बिछाने के लिए 650 मिलियन डालर के विश्व बैंक ऋण का प्रस्ताव भेज दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रया है ;

(ग) भेजे गये प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस समय प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) तेल क्षे श्र

दो परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए पेश की गई हैं। ये कृष्णा-गोदावरी पेट्रोलियम तेल अन्वेषण परियोजना और दक्षिणी बेसिन अपतटीय गैस विकास और पाइपलाइन परियोजना हैं और ये प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। सम्भावित सहायता, जो इन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जायेगी, के ब्यौरे और अन्य सम्बद्ध पहलुओं की जानकारी विश्व बैंक के साथ बात-चीत पूरी हो जाने के पश्चात ही पता लग सकेगी ।

इसके अतिरिक्त शोधनशाला सुव्यवस्थीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 6-4-1982 को 200 मि० अमरीकी डालर के ऋण की स्वीकृति दी है जो निम्न प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा :

(I) क्रूड तेल आसवन क्षमता के विस्तार, फ्लूइड केटालिटिक क्रेकर एकक की स्थापना और अतिरिक्त भण्डारण सुविधाओं के लिए :

(i) बी० पी० सी० एल०, बम्बई शोधनशाला	45	मि० अमरीकी डालर
(ii) सी० आर० एल०, कोचीन ,,	35	,, ,, ,,
(iii) एच० पी० सी० एल०, विशाख शोधनशाला	45	,, ,, ,,
(iv) एम० आर० एल०, मद्रास ,,	45	,, ,, ,,

(II) शोधनशाला की कम्पनियों में अतिरिक्त उर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली 30 मि० अमरीकी डालर

नोट : व्यक्तिगत एककों से सम्बन्धित आंकड़े अभी स्थायी नहीं हैं ।

सऊदी अरब के लिए भारतीय पोस्टमैनों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

8749. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाक और तार विभाग द्वारा किये गए सऊदी अरब के लिए भारतीय पोस्टमैनों की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को सऊदी अरब द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की ओर इस बारे में हुए समझोते का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कुछ समय पहले सऊदी अरब डाक प्रशासन के निमंत्रण पर उस देश में भारतीय डाक प्रशासन द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता और डाक सुविज्ञता की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से भारत से एक प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब के दौरे पर गया था । दौरा समाप्त करने के पश्चात् भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जिनमें हम सऊदी अरब को सुविज्ञ सेवाएं प्रदान कर सकते थे । भार-

तीय पोस्टमैनों की सेवा की मांगों सहित सऊदी अरब से अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म महोत्सवों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

8750. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म महोत्सवों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) इसे कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है ; और

(घ) इससे राष्ट्रीय, साथ ही साथ अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों का प्रशासन कहां तक बेहतर हो सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) फिल्म समारोह निदेशालय को 1-7-1981 से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ मिला दिया गया है। स्थानांतरण की स्कीम के अन्तर्गत, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अन्तर्गत फिल्म समारोह तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित कार्य पूर्णतया सरकार की जिम्मेदारी हैं जिसका निर्वाह सरकार की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाता है। इन गतिविधियों पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किए जाने वाले खर्चे की सरकार द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और विदेशी फिल्म समारोह में भाग लेने से संबंधित गतिविधियों की जिम्मेवारी अब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की है।

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के पास उपलब्ध विशेषज्ञता के साथ प्रबन्ध से इन समारोहों की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए।

आकाशवाणी के लेह केन्द्र के लिए संडास तथा मूत्रालय

8751. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के लेह केन्द्र पर कोई संडास तथा मूत्रालय नहीं है जिसके फलस्वरूप वहां के कर्मचारियों को खुली जगह पर शौचक्रियाएं करनी पड़ती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र पर संडास तथा मूत्रालय न होने के कारण विशेष रूप से महिला कर्मचारियों को बड़ी असुविधापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या वहां संडास तथा मूत्रालयों के निर्माण के लिए तुरन्त कदम उठाये जाएंगे, और यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। महिलाओं के लिए लद्दाखी किस्म का एक संडास और पुरुषों के लिए खुली किस्म का एक मूत्रालय उपलब्ध है। संडास स्टाफ क्वार्टरों में भी उपलब्ध है जो निकट ही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई से प्राप्त कच्चे तेल का उपयोग

8752. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हम बम्बई हाई से प्राप्त अपने हल्के कच्चे तेल के बदले में खाड़ी के देशों से भारी कच्चा तेल प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) अपनी विभिन्न देशीय आवश्यकताओं के लिए इस तेल को तैयार/शोधित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अपने भारतीय तेल शोधक कारखानों में इस हल्के तेल को तैयार/शोधित करके अन्य पेट्रोलियम तथा रसायन उत्पाद तैयार करने के लिए हमने कोई कार्यक्रम बनाया है जिनकी कि हमारे देश को बेहद जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) इस सम्बन्ध में अभी तक किये गये प्रबन्ध बम्बई हाई अशोधित तेल का या तो अरब लाइट तथा अरब हैवी क्रूड तेलों के 65:35 के अनुपात में मिश्रण की समतुल्य मात्रा के साथ अथवा पेट्रोलियम उत्पादों के साथ विनिमय के सम्बन्ध में है।

(ख) से (घ) इस तेल के साफ न करने/परिष्कृत न करने के कारण दो प्रकार के हैं : बम्बई हाई क्रूड का विनिमय किया जाता है क्योंकि इससे उस किस्म के कुछ उत्पाद, जिनकी देश में आवश्यकता है, प्राप्त नहीं होते, इसके अतिरिक्त, देश की कुछ शोधनशालाओं में उपलब्ध विद्यमान शोधन सुविधाओं से पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान प्रवृत्ति की मांग को पूरा करने के लिए, इस समय उत्पादन किये जा रहे सम्पूर्ण बम्बई हाई कच्चे तेल को साफ करना सम्भव नहीं है। तथापि कोचीन, मद्रास, विजाग की शोधनशालाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पहले कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं ताकि 1984-85 के अन्त तक उस समय उत्पादित बम्बई हाई क्रूड तेल के परिष्करण को और बढ़ाया जा सके।

भोपाल में माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित करना

8753. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्सैट-1 के भारत के ऊपर स्थापित हो जाने के बाद भोपाल में माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से एक टी० वी० रिले केन्द्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) दूरदर्शन की स्वीकृत छठी योजना स्कीमों में भोपाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना शामिल नहीं है । माइक्रोवेव सर्किटों का उपयोग करके भोपाल में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करने की संभावना के लिए भोपाल से जोड़ने वाले माइक्रोवेव लिंक पर दूरदर्शन क्षमता की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । दूरदर्शन रिले केन्द्र "इनसैट" की सहायता से भी स्थापित किया जा सकता है । इस प्रकार के रिले केन्द्र की स्थापना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रबन्ध समिति (तदर्थ) डाक तथा तार मिडल स्कूल, अतुल ग्रोव, नई दिल्ली

8754. **श्री आनन्द पाठक** :

श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रबन्ध समिति (तदर्थ) डाक तथा तार मिडल स्कूल, अतुल ग्रोव, नई दिल्ली-1 के असंवैधानिक कार्यकरण की ओर अभिभावक-अध्यापक संघ द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 1982 के ज्ञापन के माध्यम से दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या-क्या मुख्य बातें उठाई गई हैं; और

(ग) असमानताएं दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) यह आरोप लगाया गया है कि :

(क) विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरा है;

(ख) वहां चुनी गई समिति नहीं है और

(ग) वर्तमान तदर्थ व्यवस्था अवैधानिक है तथा निवासियों आदि पर थोपी गई है ।

(ग) जांच करने पर पता चलता है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरा नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है ।

जहां तक विद्यालय की अवैधानिक प्रबन्ध समिति के कार्यकरण के आरोप का सम्बन्ध है, विभाग नए चुनाव कराने हेतु कार्रवाई कर रहा है ।

रेल डाक सेवा के डी-5 अनुभाग के तारीख मुहरवाले एक सैट का गुम हो जाना

8755. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डी-5 अनुभाग के तारीख मुहर वाला एक सैट गुम हो गया था तथा रेल डाक सेवा डी डिवीजन के वरिष्ठ अधीक्षक ने सभी सर्किलों में सूचना हेतु तथ्य परिचालित कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित तथ्य परिचालित क्यों नहीं किये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) डी-5 रे० डा० से० अनुभाग समूह सं० 5 की तारीख मोहर (दिल्ली से कालका के बीच कार्यरत) कालका में 4/5-11-81 को खो गई थी। विभागीय अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठ अधीक्षक रेल डाक सेवा, डी-डिवीजन, नई दिल्ली ने क्षति की तुरंत जांच की और दुरुपयोग के विरुद्ध बचाव कदम के रूप में तारीख मुहर के दुरुपयोग से बचने हेतु अपनी यूनिट और सर्किल के अन्दर अन्य विभागों को अधिसूचित कर दिया। उन्होंने पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर पश्चिम सर्किल, अम्बाला को भी सूचित किया जिन्होंने इस सम्बन्ध में सभी सर्किलों को अधिसूचित कर दिया।

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्रों में डाक सेवा

8756. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लक्ष्मी नगर और पटपड़गंज के यमुना पार क्षेत्र में हाल में अनेक कालोनियां बन गई हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र में डाक सेवाएं सर्वथा अपर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या तथा हाल के महीनों में हुई वृद्धि की तुलना में डाकियों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(घ) निदेशक, डाक सेवाओं द्वारा इस क्षेत्र में डाक सेवाओं की सुचारु व्यवस्था के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यमुना पार क्षेत्र में लक्ष्मी नगर तथा पटपड़गंज की जनता की मांग को पूरा करने के लिए 7 अवितरण डाकघर तथा 2 वितरण डाकघर हैं। मौजूदा सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ग) तथा (घ) लक्ष्मी नगर तथा एस० बी० खिचड़ीपुर के दो वितरण डाकघरों में डाक के वितरण के लिए क्रमशः 16 तथा 6 पोस्टमैन हैं। विभागीय मानकों के अनुसार ये मंजूर किये गये हैं। इन कालोलियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के प्रति पोस्टमास्टर जनरल सजग है तथा डाक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए उनकी आवधिक समीक्षा की जाती है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े मामले

8757. **श्रीमती मोहसिना किदवाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के बावजूद लम्बित पड़े हुए बकाया मामले कम नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र की गंभीर चिन्ता के बावजूद इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में लम्बित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अधिक न्यायालय और न्यायाधीश को रखने के संबंध में अड़चन क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) पिछले 12 वर्षों में देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में 100 से अधिक की वृद्धि कर दी गई है किन्तु संख्या के बढ़ाने मात्र से ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मामलों के इकट्ठा हो जाने के अनेक जटिल कारण हैं और न्यायिक प्रशासन में सुधार का काम निरन्तर करना होगा। लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो विभिन्न उपाय किए गए हैं उनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है। हाल ही में गठित किए गए 10वें विधि आयोग को सौंपे गए विषयों में से एक विषय विलम्ब को समाप्त करने तथा बकाया मामलों को शीघ्रता से निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ-साथ न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना है।

विवरण

लम्बित मामलों को कम करने के लिए की गई कार्रवाई

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए की गई कार्रवाई :

1. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 में संशोधन किया गया। (देखिए धारा 100 क)।

2. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1979 और 1980 में संशोधन किया गया।

3. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संस्था) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1677 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायाधिपति सम्मिलित नहीं हैं।

4. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या जो 1970 में 306 थी, बढ़ाकर जनवरी, 1982 में 410 कर दी गई है।

5. उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चेंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

6. उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :

(i) कतिपय मामलों को पूर्विकता दी जाती है ।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामले सुनवाई के लिए एक साथ बेंचों में रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी, जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का ध्यान रखने का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उसमें यह उपबन्ध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था अतः कुछ दिनों से इस न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथ पत्र और प्रति-शपथ पत्र दाखिल कर देते हैं।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाई कर रहे हैं :

(क) कई उच्च न्यायालय उन मामलों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित हैं, समूह में रख रहे हैं;

(ख) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्यवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना;

8. सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति की है। विधि आयोग के निर्दिष्ट विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

(क) यह सुनिश्चित करने लिए कि न्यायिक प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से जिससे कि वह साक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए;

(iii) न्याय प्रशासन के संबद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए;

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

"कटिंग लाज डिलेज" शीर्षक समाचार

8758. **श्रीमूल चन्द डागा** : क्या **विधि,न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में "कटिंग लाज डिलेज" शीर्षक से एक सम्पादकीय लेख की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए गए 20 सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उन पर अब तक कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) न्यायालयों में बकाया मामलों को निपटाने के लिए तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री द्वारा भेजे गए कतिपय सुझावों के उत्तर में भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने उच्च न्यायालयों के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विचार भेजे थे। उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की बाबत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई 20 मुख्य सिफारिशों का संक्षिप्त सार संलग्न **विवरण** में दिया गया है।

(ग) इन सिफारिशों की समीक्षा अधिकारियों की एक अन्तर विभागीय समिति द्वारा की गई थी। अन्तर विभागीय समिति के विचारों के साथ-साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिशें राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेजी गई हैं उन पर विचार करना है और उच्च न्यायालय नियमों का संशोधन करके या प्रशासनिक उपाय करके अधिकांश सिफारिशों पर

कार्रवाई करना है। जो सिफारिशें केन्द्रीय विधियों का संशोधन करने के बारे में हैं उन पर सरकार विचार कर रही है।

विवरण

उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में भारत के मुख्य न्यायाधिपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का सारांश

1. सभी दाण्डिक मामलों की सुनवाई एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी किन्तु इन मामलों में निम्नलिखित अपीलें सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात (1) ऐसी अपीलें जो 10 वर्ष या अधिक की सजा के संबंध में हैं और (2) ऐसी अपीलें जो ऐसे अपराधों की बावत दोषमुक्ति के विरुद्ध हैं जो मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष अथवा इससे अधिक सजा से दण्डनीय हैं।

2. 50,000 रु० मूल्य तक की अपीलें, द्वितीय अपीलें, सिविल पुनरीक्षण आवेदन, सभी अन्तर्वर्ती विषय चाहे मूल्य और अधिकारिता संबंधी प्रश्न कुछ भी हो, और हैबियस कार्पस तथा उन पिटीशनों को जिनमें संविधान का निर्वचन या किसी विधान, नियम आदि की विधिमान्यता अन्तर्वलित है, छोड़कर सभी रिट पिटीशनें अनन्य रूप से एकल न्यायाधीश को सौंपी जानी चाहिए परन्तु यदि किसी मामले में विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्वलित है तो एकल न्यायाधीश उसे वृहत्तर न्याय-पीठ को निर्देशित कर सकेगा।

3. किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए या संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित किये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील उसी न्यायालय की किसी न्यायपीठ में नहीं होगी।

4. उच्चतम न्यायालय नियमों में से वे नियम निकाल दिये जाने चाहिए जिनमें आवेदक से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपील करने की विशेष इजाजत के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने से पूर्व अपील करने की इजाजत के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन करे।

5. यदि निर्णय में दो घंटे से अधिक समय लगने की संभावना है तो उसे साधारणतया खुले न्यायालय में बोलकर नहीं लिखाया जाना चाहिए।

6. मुख्य न्यायाधिपति सहित अधिक से अधिक चार न्यायाधीश अथवा कुल न्यायधीशों में से एक तिहाई न्यायधीश, इनमें से जो भी कम हों, अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण के लिए जायेंगे। मुख्य न्यायाधिपति को छोड़कर निरीक्षण करने वाला कोई भी न्यायाधीश एक वर्ष में उच्च न्यायालय के कुल तीन कार्य दिवसों को छोड़कर न्यायालय के कार्य दिवसों के दौरान निरीक्षण पर नहीं जाएगा।

7. सभी मामलों में मुद्रण संबंधी आवश्यकता समाप्त कर दी जानी चाहिए और अभिलेखों को साइक्लोस्टाइल कराया जाना चाहिए।

8. प्रमाणित प्रतियां बनाने के लिए जेरोक्स या फोटोस्टेट मशीन का उपयोग किया जाना चाहिए और जब तक ऐसी मशीनों का क्रय नहीं कर लिया जाता तब तक निर्णयों की सम्यक रूप

से प्रमाणित कार्बन प्रतियां दी जानी चाहिए। जेरोक्स या फोटोस्टेट प्रतियों के लिए प्रभार उद्गृहीत किए जा सकते हैं किन्तु कार्बन प्रतियों के लिए प्रभार नाममात्र का ही होगा।

9. उन सभी मामलों में, जिनमें राज्य या कोई सरकारी विभाग या कोई पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी पक्षकार है, तामील उन व्यक्तियों या अभिकरणों पर की जाएगी जिनका नाम निर्देशन सम्बद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया हो और उसकी सूचना रजिष्ट्री को दे दी गई हो। इस प्रकार की गई तामील को स्वयं पक्षकार पर पर्याप्त तामील मानी जानी चाहिए।

10. (क) सिटिंग लिस्ट या रोस्टर को यथासंभव दो मास की अवधि के लिए परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) किसी मामले को ग्रहण करते समय सम्बद्ध न्यायाधीश को ऐसा कोई टिप्पण करना चाहिए या ऐसा कोई पहचान चिह्न लगाना चाहिए जिससे यह दर्शित हो कि वह मामला, प्रत्यर्थी पर सूचना की तामील होने के शीघ्र पश्चात किसी तारीख को छोटे मामले के रूप में निपटाया जा सकता है।

(ग) उस न्यायाधीश को जो मामले को ग्रहण करता है उचित रूप से इस बात की शक्ति प्रदान की जाए कि वह मामले के ग्रहण किए जाने के प्रश्न को किसी विनिर्दिष्ट बात या बातों तक सीमित कर दें। किन्तु मामले की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश अपने विवेकानुसार किसी अन्य बात की दलील पेश किए जाने की भी अनुज्ञा दे सकेगा।

(घ) यह वांछनीय है कि मुख्य न्यायाधिपति को यथासंभव यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो न्यायाधीश जिस विशेष प्रकार के कार्य से सुपरिचित है उसे वैसा ही कार्य सौंपा जाए।

11. कर संबंधी मामलों में, निर्देशन की प्रक्रिया समाप्त कर दी जानी चाहिए और इसके बदले में उच्च न्यायालय की इजाजत से, अधिकरणों के विनिश्चिय के विरुद्ध विधि के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील का उपबंध किया जाना चाहिए।

12. बकाया मामलों की वृहद संख्या और उनको निपटाए जाने की दृष्टि से यह वांछनीय है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम से कम ऐसे दो न्यायाधीशों को, जो मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रसिद्ध हैं, उच्च न्यायालय न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवा निवृत्ति के तत्काल पश्चात् तब तक तदर्थ आधार पर रखा जाना चाहिए जब तक कि बकाया मामले बिल्कुल समाप्त न हो जाएं।

13. द्वितीय अपीलों, सभी अन्तर्वर्ती मामलों, सिविल पुनरीक्षण आवेदनों, उन दाण्डिक अपीलों, को छोड़कर जिनमें दण्ड छह मास से अधिक के लिए हो, अन्य दाण्डिक अपीलों में मौखिक बहस कुल मिलाकर साधारणतया तीन घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. उच्च न्यायालय के लिए ऐसे सभी मामलों में जिनमें वह उस निर्णय की पुष्टि करता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है इतना ही पर्याप्त होगा कि वह केवल उन प्रश्नों के लिए ही कारणों का संक्षिप्त विवरण दे जिनके संबंध में, उसके समक्ष बहस की गई है न कि सम्पूर्ण निर्णय के संबंध में, जैसा कि आजकल होता है।

15. न्यायालयों में निर्णयों का पढ़ कर सुनाया जाना, बन्द कर दिया जाना चाहिए और

केवल प्रवर्तनशील आदेश ही सुनाया जाना चाहिए। ऐसे मामले जिनमें निर्णय आरक्षित किया जाता है उनमें साधारणतया बहस समाप्त होने के एक मास के भीतर निर्णय दे दिया जाना चाहिए।

16. डिक्री की जाने वाली रकम पर ब्याज की न्यायालय दर बढ़ा कर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी जानी चाहिए किन्तु न्यायालय स्वविवेक से निम्नतर दर पर ब्याज का आदेश कर सकता है।

17. सरकार को, उच्च न्यायालयों में लम्बित मुकदमा-कार्य की देखभाल करने और विचारण-पूर्व समझौते का मार्ग खोजने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

18. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 और नगरपालिका और/या रेल अधिनियम के तत्सम उपबंधों को हटा दिया जाना चाहिए।

19. व्यादेश, रिसीवरशिप आदि के लिए अन्तरिम आदेश तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सरकार की ओर से महाधिवक्ता या सरकारी काउन्सेल पर आवेदन की प्रायिक सूचना की तामील का सबूत न मिल जाए।

20. उच्च न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या, अर्थात् 210 दिन, में कोई वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। दैनिक कार्य समय भी पांच घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए।

न्यायालयों में फाइल किए गए विवाह-विच्छेद के मामले

8759. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 में सम्मति द्वारा विवाह-विच्छेद के मंजूर किए जाने के बाद से देश में विवाह-विच्छेद के मामले कितने फाइल हुए; और

(ख) पुरुषों द्वारा कितने मामले फाइल किए गए और महिलाओं द्वारा कितने ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय का निदेशक

8760. **श्री सुभाष यादव** : क्या **पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को 8.91 लाख रुपये की हानि के मामले में (केन्द्रीय सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन 1-1 1980 से 31-12-1980) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के निदेशक के संबंध में दिए गए कठोर दण्ड को कम दण्ड में बदलने के क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अनुमान है कि इस प्रश्न में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी० बी० सी०) की रिपोर्ट के परिशिष्ट 5 के पैरा 2 में उद्धृत मामले का उल्लेख किया गया है। यह मामला कठोर दण्ड को कम दण्ड में बदलने के बारे में नहीं है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सुझाव के अनुसार सम्बन्धित निदेशक के खिलाफ कठोर दण्ड की कार्य-

वाही आरम्भ की गई थी । इस मामले की विभागीय जांच भी की गई थी, जिसके आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कठोर दण्ड दिये जाने का परामर्श दिया था । तत्पश्चात संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अनुसार इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में परामर्श के लिए इसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजा गया था । जांच सम्बन्धी रिकार्ड तथा मामले के अन्य सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, संघ लोक सेवा आयोग ने यह परामर्श दिया कि एक वर्ष तक पदोन्नति को रोकने का दण्ड ही न्यायसंगत होगा । इसी परामर्श के आधार पर, सरकार द्वारा आवश्यक आदेश जारी किए गए थे ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद की नामावली से आदिवासी कर्मचारियों के नाम हटाया जाना

8761. **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1975 तथा 1976 में और 1977 से 1979 के बीच भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद की नामावली से हजारों आदिवासी कर्मचारियों को सेवा छोड़ देने वाले के रूप में दिखाकर उनके नाम नामावली से हटा दिए गए थे;

(ख) क्या आदिवासी लोगों को रोजगार के संरक्षण का उत्तरदायित्व उनके मंत्रालय पर है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इतने भारी पैमाने पर त्यागपत्र दिये जाने के कारणों की जांच करने तथा कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय को उनको वापस रोजगार में लिए जाने को करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) भा० को० को० लि० द्वारा किसी भी कर्मचारी को त्याग पत्र दे देने वाला दिखाकर सेवा से नहीं हटाया गया है । परन्तु कुछ कामगारों ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया जिनमें जनजाति के कामगार भी शामिल थे । ऐसे ऐच्छिक इस्तीफों की संख्या निम्नलिखित थी :

	जनजाति	अन्य वर्ग
1975-76	179	1315
1977-79	590	3360

(ख) और (ग) उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जनजाति के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस्तीफे नहीं दिए हैं । इसके अतिरिक्त, चूंकि इन कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया है इसलिए इन्हें रोजगार में वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

महिलाओं का शोषण समाप्त करने हेतु भारतीय संविदा अधिनियम में संशोधन

8762. **श्री चित्त महाटा :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में प्रतिवर्ष विवाहित पुरुषों तथा विवाहित महिलाओं के बीच लगभग 900 से 1000 तक "मैत्री संविदाएं" (फ्रेंण्डशिप काण्ट्रेक्ट) होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार को महिलाओं का शोषण समाप्त करने हेतु भारतीय संविदा अधिनियम में संशोधन करने के लिए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई०) की महिलाओं के लिए विधिक सहायता सेल से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) गुजरात राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति (आई०) के महिलाओं के लिए विधिक सहायता सेल से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का, न कि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 का, संशोधन करने के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। गुजरात राज्य सरकार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 22क, जिस रूप में वह उस राज्य में प्रवृत्त है, के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरणों को लोकनीति के विरुद्ध घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करने के प्रश्न पर पहले ही विचार कर रही है। उक्त ज्ञापन उस सरकार को उनकी टिप्पणी और उस पर आगे कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

राजमहल लाल मटिया परियोजना

8763 : **श्री समीनुद्दीन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजमहल लाल मटिया परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार इस परियोजना के लिए संथाल परगना से संसद सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति गठित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) राजमहल स्वीकृत परियोजना है और अभी निर्माणधीन है। यह परियोजना दिनांक 2-8-1980 को 5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता के लिए रु० 87.43 करोड़ की लागत पर स्वीकृत हुई थी। यह फरक्का सुपर ताप बिजली घर से सम्बन्धित है।

(ख) और (ग) फिलहाल प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है।

बांगलादेश से आये आप्रवासियों पर किया गया व्यय

8764. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए आप्रवासियों के राहत कार्यों तथा पुनर्वास पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए कितना आवंटन किया गया है;

(ग) पुराने तथा नए आप्रवासियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है;

(घ) कितने आप्रवासी बांगला देश बनने के बाद आए हैं; और

(ङ) कितने अप्रवासियों को अब तक वापिस भेज दिया गया है;

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (बूटा सिंह) : (क) 604.55 करोड़ रुपये (29-2-1982 तक)।

(ख) 29.63 करोड़ रुपये।

(ग) (1) पुराने प्रवासी 41.17 लाख।

(2) नए प्रवासी 11.14 लाख।

(घ) और (ङ) भारत सरकार किसी भी प्रवासी को बंगलादेश से भारत आने की अनुमति नहीं देती है। वे सभी व्यक्ति जो बंगलादेश से पासपोर्ट और वीजा पर आते हैं, उन्हें वीजा समाप्त होने पर अपने देश में वापिस जाना पड़ता है और जो व्यक्ति अवैध प्रवेश करते हैं, जो अवैध प्रवेशी होते हैं और जब कभी सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उनका पता लगा लिया जाता है, उन्हें भारत से वापिस भेज दिया जाता है।

———

दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3728 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : इस प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में असावधानी से मै० लार्जन एण्ड टोब्रो की 1980 में परिसम्पत्तियों का मूल्य 246.48 करोड़ रु० बताते हुए इसे प्रथम वृहद औद्योगिक घरानों में 10वें स्थान पर अवस्थित किया गया था। वास्तव में 1980 में उनकी परिसम्पत्तियां केवल 216.03 करोड़ रु० के मूल्य की थीं। अत: 241.000 करोड़ रु० राशि की परिसम्पत्तियों वाले श्री राम समूह को मै० लार्जन एण्ड टोब्रो के स्थान पर 10वें स्थान पर अवस्थित किया जाय एवं 1977 से उनकी प्रतिशत वृद्धि 34 है। इस त्रुटि का, कम्पनी अनुसार परिसम्पत्तियों के आंकड़ों के पुन परीक्षण करने से मार्च, 1982 के द्वितीय सप्ताह में पता लगाया गया था। इस त्रुटि के लिए खेद है।

———

दिनांक 2 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1461 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में, विवरण-पत्र 1 में मै० लार्जन एण्ड टोब्रो की परिसम्पत्तियां, 1980 के वर्ष

में असावधानी से 216.03 करोड़ रु० के बजाय, 246.48 करोड़ रुपये बताई गई थीं। इसके परिणाम स्वरूप, कथित उत्तर के विवरण-पत्र 1 व 2 में मैं० लार्जन एण्ड टोब्रो को 13 के बजाय 10वें स्थान पर अवस्थित किया गया है। इस त्रुटि के लिए खेद है।

———

दिनांक 9, मार्च 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2546 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : इस प्रश्न के उत्तर में मैं० लार्जन एण्ड टोब्रो को असावधानी से 10वें स्थान पर अवस्थित किया गया था। परन्तु 1980 की परिसम्पतियों के अनुसार अब ऐसा प्रतीत हुआ है कि लार्जन एण्ड टोब्रो औद्योगिक घराना क्रम सं० 13 पर अवस्थित होगा। इसके परिणाम स्वरूप श्रीराम, किर्लोस्कर एवं हिन्दुस्तान लीवर औद्योगिक घराने, क्रमशः क्रम संख्या 10, 11, व 12 पर होंगे। इस त्रुटि के लिए खेद है।

———

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक महत्वपूर्ण नोटिस दिया है। यह एक सदस्य के संरक्षण का प्रश्न है। जार्ज फर्नान्डीज तथा श्री सुरेन्द्र मोहन एक बंधक व्यक्ति के एक मामले में उलझे हुए हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं, मैं अनुमति नहीं देता।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको कहता हूं; मैं आपको चेतावनी देता हूं कि सदस्य को सताया जायेगा। पुलिस की हिरासत में सदस्यों को सताए जाने की आशंका है। आपको इसे रोकना है। केवल आप ही सदस्य को बचा सकते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात को इस प्रकार नहीं मान सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : आपको सदस्य को आश्वासन देना होगा कि आप उसका संरक्षण करेंगे। श्री कुमार पर पुलिस की रिहासत में जानबूझकर दबाव डाला जा रहा है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आपका आश्वासन क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा आश्वासन है कि मुझे सदस्यों का संरक्षण करना है। परन्तु इस प्रकार नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या बचाव सदस्य का विशेषाधिकार नहीं है ? कृपया उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : जब विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा तब मैं देखूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप इस बात से दुखी नहीं है कि वे उन्हें जार्ज फर्नान्डीज को फंसाने के लिए कह रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी काल्पनिक बात को लेकर नहीं चल सकता ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप कोई आश्वासन दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा आश्वासन केवल इतना ही है कि मैं अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप आश्वासन देंगे कि सदस्यों की रक्षा की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख संविधान में है ।

प्रो० मधु दंडवते : संविधान क्या है ? सदस्यों का एक विशेष अधिकार होता है···

अध्यक्ष महोदय : कोई विशेष अधिकार नहीं···

प्रो० मधु दंडवते : आप कह सकते हैं कि केवल संविधान ही ध्यान रखेगा···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह मेरा कर्तव्य है ।

प्रो० मधु दंडवते : यह आपका कर्तव्य है । मैं भी यही कहना चाहता हूं कि आपको सदस्यों का बचाव करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा कर्तव्य है । संविधान के अन्तर्गत अपने सदस्यों का बचाव करना मेरा कर्तव्य है । यदि कोई उल्लंघन होता है तो मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा नहीं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि दंडवते जी ने नोटिस दिया है, उस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : दोबारा मत दोहराइए, और बात करिए ।

श्री राम विलास पासवान : दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं गाजियाबाद में बंजारा परिवार के आदिवासियों के ऊपर पुलिस ने जुल्म किया और औरतों के साथ बलात्कार किया ।

अध्यक्ष महोदय : इसे श्री उत्तम राठौर ने उठाया था । उन्होंने माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया था ।

मंत्री महोदय ने भी सभा में उत्तर दिया । मेरे पास रिकार्ड है । इन्होंने आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय सरकार का कोई प्रश्न नहीं है; यह राज्य सरकार का प्रश्न है (**व्यवधान**) यह एक बहुत बुरी आदत है । आपको सुनना चाहिए । इन्होंने आश्वासन दिया है कि उस बात के बावजूद भी यह एक निन्दनीय कार्य है और वे इस ओर ध्यान देने जा रहे हैं । मैं उनसे पूछूंगा; यह हृदय हिलाने वाली बात है । वे इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने एशोरेन्स दिया है । उस एशोरेन्स के बाद क्या-क्या कार्यवाही की ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : वहां पुलिस ने गुंडों के द्वारा बस्ती में सामूहिक बलात्कार किया **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : वे कहते हैं कि सैंट्रल गवर्नमेंट के अन्दर आता है, आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के अन्दर आता है । मैं कहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर आता है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नॉट एलाउड । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये अनुमति नहीं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उनसे बयान दिलवा दें कि उन्होंने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : पंजाब की स्थिति गम्भीर होती जा रही है । गुरुद्वारा सम्बन्धी केन्द्रीय अधिनियम का मामला संसद से सम्बन्धित है । आप उसकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं ?

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : जिन औषधियों पर पश्चिमी देशों तथा यूरोपीय देशों में पाबन्दी लगी है, उन्हें भारत में तथा अन्य विकासशील देशों को भेजा जा रहा है । यह औषधियां बहुराष्ट्रिकों के द्वारा भेजी जा रही हैं और कुछ अधिक नशीली हैं । मैंने एक ध्यानार्कषण प्रस्ताव दिया है ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान समाचार में तालाबंदी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : 'हिन्दुस्तान समाचार' में लाक-आउट है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो हो गयी है । वह मेरे कांसिड्रेशन में है । शास्त्री जी आप क्या कहना चाहते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : शिक्षा, कानकरेंट लिस्ट में है, इसलिये मैं यह सवाल उठा रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न नहीं है । इसके लिये अनुमति नहीं । मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा । इसके लिए अनुमति नहीं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी बात तो सुनिये । मुझे सुने बिना ही आपने कह दिया ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है । आपने एडजर्नमेण्ट मोशन दिया है और उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है ।

मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा । कोई अनुमति नहीं ।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में 16 हजार टीचर स्ट्राइक पर हैं ।···**(व्यवधान)** कानकरेंट लिस्ट में यह है, इसलिये इस पर बात होनी चाहिये ।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) : जार्ज फर्नाण्डीज को इस मामले में उलझाने के लिए

षड्यन्त्र किया जा रहा है और जानबूझकर प्रयत्न किए जा रहे हैं और यह एक गम्भीर मामला है। आप इसे टाल नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए अनुमति नहीं। आप इतने भावुक क्यों हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : गुरद्वारा सम्बन्धी केन्द्रीय कानून संसद से सम्बन्धित है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय राज्य रसायन और भेषज निगम लिमिटेड और भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (समामेलन) आदेश 1982

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय राज्य रसायन और भेषज निगम लिमिटेड और भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (समामिलन) आदेश, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 226 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3953/82]

सिंचाई मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुघनों की ब्यौरे-वार मांगें

सिंचाई मंत्री (श्री केदारनाथ पांडे) : मैं सिंचाई मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुघनों की ब्यौरे-वार मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3954/82]

निर्माण और आवास मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुघनों की ब्यौरे-वार मांगें

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्मनारायण सिंह) : मैं निर्माण और आवास मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुघनों की ब्यौरे-वार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3955/82]

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुघनों की ब्यौरे-वार मांगें

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटासिंह) : मैं पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय की वर्ष 1982-83 की अनुघनों की ब्यौरे-वार मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3956/82]

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा

296 के अन्तर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 अप्रैल, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 268 (अ) में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3957/82]

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अजीत कुमार साहा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ तो सोचा करो। सदन में किसी इम्पोर्टेन्ट विषय पर चर्चा करो। बिना-वजह की बातें करते हो। (व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : एक इम्पोर्टेन्ट इश्यू पर मैंने ध्यान दिलाया था। श्री जार्ज फर्नाण्डीज के सवाल को मैं उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह 'उनका' अथवा 'आयका' प्रश्न नहीं है। यह सदस्य का प्रश्न है। सदस्य सदस्य ही है चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं सुनी हुई बातों पर कार्यवाही नहीं करता। यह बात अब समाप्त हो चुकी है। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : किसी दिन ये मुझे भी फंसा देंगे।...(व्यवधान) हम आपसे अपने लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मेरा संरक्षण प्राप्त है और पूरा संरक्षण है। चिंता मत करें। मैं पूरे बल से आपका संरक्षण करूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बम्बई में कपड़ा मिलों में श्रमिकों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : मैं श्रम मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें।

"बम्बई में कपड़ा मिलों के श्रमिकों की लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल से उत्पन्न गम्भीर स्थिति और सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई।"

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री भागवत झा आजाद): बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग की 60 मिलों में लगभग 2.25 लाख श्रमिक काम करते हैं। यह उद्योग बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1946 के उपबंधों से प्रशासित होता है। यह अधिनियम उद्योग एवं स्थानीय क्षेत्र आधार पर कर्मचारियों के एक मात्र सौदाकारी एजेन्ट के रूप में एक यूनियन को मान्यता देता है। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ को सूती कपड़ा मिल उद्योग में प्रतिनिधि यूनियन के रूप में मान्यता दी गई है। उद्योग में मजदूरियों और अन्य लाभों को एक करार द्वारा विनियमित किया जाता है, जो 1979 में बम्बई मिल ओनर्स एसोसिएशन ने प्रबन्धकों के प्रतिनिधि के रूप में और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ने आपस में किया था। यह करार 31 दिसम्बर, 1984 तक लागू रहेगा। वर्ष 1980 के बोनस के बारे में राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ और बम्बई मिल ओनर्स एसोसिएशन के बीच 20 अक्तूबर, 1981 को राज्य सरकार से परामर्श करके एक समझौता हुआ।

2. महाराष्ट्र गिरनी कामगर यूनियन, जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है, ने 20 प्रतिशत बोनस और 250 रुपये प्रतिमाह से 400 रुपये प्रतिमाह के बीच की वेतन वृद्धि की मांग उठाई और उद्योग में हड़ताल का आह्वान किया। यूनियन ने सभी साठ मिलों में 18 जनवरी, 1982 से हड़ताल प्रारम्भ कर दी।

3. समय-समय पर यूनियन तथा मिल ओनर्स एसोसिएशन के बीच किए गए विपक्षीय करार के फलस्वरूप पिछले कई वर्षों से बम्बई के कपड़ा उद्योग में औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार, जो इस मामले में समुचित सरकार है, इस उद्योग में सामान्य स्थिति के पुनः स्थापित हो जाने पर वैध रूप से गठित किए गए तंत्र के माध्यम से श्रमिकों की उचित मांगों की जांच करेगी। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार केवल मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ ही विचार-विमर्श किया जाएगा।

4. राज्य सरकार के इस विचार से भारत सरकार पूर्णतः सहमत है कि यदि कपड़ा श्रमिकों की मांगें उचित हैं तो उन्हें सामान्य वैध तंत्र के माध्यम से तय किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सारे आवश्यक उपाय किए हैं कि जो श्रमिक काम पर वापस आने के इच्छुक हैं उनको किसी प्रकार की धमकी न दी जाए। उन्होंने हिंसा या डराने-धमकाने की कार्यवाहियां करने वाले समाज-विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय भी किए हैं।

श्री अजित कुमार साहा : वक्तव्य को देखने से प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय ने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा है जो कि बम्बई में इतने लम्बे समय से चली आ रही हड़ताल के कारण उत्पन्न हुई है। वक्तव्य में उन्होंने बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 का उल्लेख किया है। श्रमिकों की मुख्य मांग यह है कि इस औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक को निष्कासित किया जाए। मंत्री महोदय ने कहा है कि राज्य सरकार सब कुछ कर रही है और आवश्यक कदम उठा रही है जैसे कि इस गंभीर स्थिति में उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस स्थिति में श्री भागवत झा आजाद की भूमिका केन्द्रीय मंत्री के रूप में नहीं रही है। वे इस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं जैसे कि वे इंटक के केन्द्रीय मंत्री हों। आकाशवाणी द्वारा किये जा

रहे सारे प्रचार के बावजूद महाराष्ट्र में एक दिन का बंद बहुत सफल था। यह बात कि पुलिस को 2500 नेताओं और सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा बताती है कि महाराष्ट्र सरकार बन्द के दौरान किस कदर घबराहट में थी। अनेक स्थानों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा परन्तु बन्द शांतिपूर्ण तथा व्यवस्थित था। बन्द ने दिखा दिया कि राज्य भर में कपड़ा श्रमिकों को कितना समर्थन प्राप्त था।

प्रेस समाचारों से पता चलता है कि कुछ मिल मालिक हड़ताली मजदूरों के साथ बातचीत करने और फैसला करने को तैयार हैं परन्तु राज्य सरकार तथा उसकी पिछलगी यूनियन, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जिसे कपड़ा मजदूरों में अधिक समर्थन प्राप्त नहीं है, बातचीत में बाधाएं डाल रहे हैं।

सरकार ने वर्ष 1982 को उत्पादकता वर्ष घोषित किया है परन्तु बम्बई में कपड़ा उद्योग में 400 करोड़ के उत्पादन तथा 25 लाख मानव दिवसों की हानि हो चुकी है। एक ओर सरकार समस्या को हल करने तथा मजदूरों की मांगों को पूरा करने में हिचकिचा रही है और दूसरी ओर मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी कदम उठाये जा रहे हैं।

इस हड़ताल की पृष्ठभूमि क्या है ? बम्बई के 25 लाख मजदूरों ने 18 जनवरी को हड़ताल की और तीन महीने व्यतीत हो चुके हैं। यह हड़ताल 8 वर्षों के बाद हो रही है। 27 सितम्बर, 1981 को सभी विपक्षी मजदूर संगठनों ने अर्थात सीटू, एन्टक, बी० एम० एस० तथा सर्व श्रमिक संघ ने सांकेतिक हड़ताल का आह्वान दिया। इन्टक की सम्बद्ध सरकारी मान्यता प्राप्त यूनियन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के विरोध के बावजूद वह हड़ताल बड़ी सफल रही।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ एक प्रतिनिधिक यूनियन नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

श्री अजीत कुमार साहा : हड़ताली मजदूरों की मांगें क्या हैं ? उनकी तीन मुख्य मांगें हैं। ये मांगे हैं (1) महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता आदि सहित प्रति मास 300 रु० की वेतन वृद्धि (2) बदली मजदूर प्रणाली को, जो 60000 मजदूरों को प्रभावित करती है जिन्हें 5 से 10 वर्षों की सेवा के बावजूद स्थायी नहीं किया गया है, समाप्त करना; (3) बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम का निरसन और इन्टक सम्बद्ध राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की मान्यता, जिसने 30 वर्षों से अधिक समय से कपड़ा उद्योग में हमेशा मिल मालिकों के संगठन तथा सरकार के बीच सांठगांठ का काम किया है। इन मुख्य मांगों के अतिरिक्त कुछ अन्य मांगें भी हैं। ये मांगे हैं :

(1) कार्यभार, मजूरी तथा काम के हालात का पूरी तरह से संशोधन जिनमें सन् 1948 से परिवर्तन नहीं हुआ है ;

(2) वेतनमानों का वार्षिक संशोधन ;

(3) महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं आदि को नया रूप देना ;

(4) वेतन के साथ आकस्मिक छुट्टी की संख्या में वृद्धि और न्यूनतम 240 दिन की हाजिरी की शर्त को समाप्त करना ;

(5) 12½ प्रतिशत का न्यूनतम बोनस । हड़ताली मजदूरों की यह मांगें हैं ।

इन तथ्यों को देखते हुए तथा आधुनिकीकरण के कारण—स्थायी कपड़ा मजदूरों की कुल संख्या 1948 में 2,40,000 थी—1982 में संख्या कम होकर 1,64,000 हो गई है। केवल 9 व्यापारिक समूहों का बम्बई में गैर-सरकारी मिलों के लगभग 70 प्रतिशत पर नियन्त्रण है। 1980 में, उदाहरणतया, आरक्षण निधि को छोड़कर उन कुछ मिलों ने निम्नलिखित लाभ कमाया :

1. सेन्चरी मिलें—27.64 करोड़ रु०

2. स्टैण्डर्ड—मफतलाल मिलें—10.2 करोड़ रु०

3. बम्बई डाईंग—8.97 करोड़ रु०

इन मिलों में मिल मालिकों के लाभों में वृद्धि हो रही है।

मैं इस सम्बन्ध में दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार कम से कम हड़ताली मजदूरों के संगठनों के नेताओं तथा मिल मालिकों की बैठक बुलायेगी और लम्बे समय से चली आ रही इस हड़ताल का हल निकालने की कोशिश करेगी ? दूसरे, क्या सरकार विशेषरूप से बम्बई में कपड़ा मजदूरों के बीच यह गुप्त मतदान कराएगी कि सरकार किस के साथ बातचीत करे ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने आरंभ में कहा कि मैंने स्थिति की गम्भीरता को कम किया है । वास्तव में बात इसके विपरीत है । हम इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीर हैं। हम जानते हैं कि मजदूर कष्ट उठा रहे हैं और माननीय सदस्य उनको उकसा रहे हैं, वे उनकी स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको काम पर जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) मैं इस बारे में बहुत गम्भीर हूं । मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं । आपको मेरा उत्तर मिलना चाहिए ।

सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को कम नहीं किया है । राजनैतिक दलों के जिन सदस्यों ने स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाया है और जो बेकसूर मजदूरों को काम पर जाने से रोक रहे हैं उन्होंने स्थिति की गंभीरता को कम किया है । माननीय सदस्य ने बम्बई कपड़ा मजदूर अधिनियम को निरसन करने की बात की है । उन्होंने अपने दल की साप्ताहिक बुलेटिन में दी गई अनेक मांगों का उल्लेख किया है और उनमें कुछ जोड़-तोड़ भी की है । मजदूरों ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग के अनुसार उक्त अधिनियम के नीरसन की मांग नहीं की हैं। मैं कहता हूं कि बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम 1946, अन्य अनेक अधिनियमों के समान श्रमिकों के हित में है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों को आप अगले सदस्य पर छोड़ सकते हैं । स्थिति को बिगाड़ें नहीं । इससे उनका ध्यान विचलित होता है । (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : श्रमिक कल्याण के अनेक अन्य अधिनियमों के समान बम्बई

औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम, 1946 बम्बई विधान सभा द्वारा पास किया गया है। अतः इसका संशोधन करना अथवा निरसन उसके हाथ में है। वर्तमान परिस्थितियों में मैं वैसा करने का कोई कारण नहीं समझता। हम देखें कि विवाद क्या है और अधिनियम क्या कहता है। अधिनियम धारा 74 के अधीन एक प्रतिनिधिक यूनियन को स्वीकार करता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप गुप्त मतदान की बात को क्यों स्वीकार नहीं कर लेते ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं उनको सलाह दूंगा कि वे अपनी आंखें खोलें और मुंह बन्द करें। मैं सब बातें स्पष्ट करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह कोई अच्छा दृष्टिकोण नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : मेरा यह अनुरोध है कि मेरी बात को ध्यान से सुनें।

बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत व्यवस्था है कि कोई भी यूनियन प्रातिनिधिक यूनियन माने जाने के लिए आवेदन दे सकती है। दत्ता सामन्त की यूनियन को, जिसका जन्म 28 दिसम्बर, 1981 को हुआ और जिसने 19जनवरी, 1982 को हड़ताल कर दी, कोई नहीं रोकता अथवा किसी ने नहीं रोका कि वह इस बात के लिये आवेदन न दे कि वह यूनियन वास्तविक यूनियन है। वह यूनियन महाराष्ट्र मजदूर संघ मान्यता तथा अनुचित प्रथाएं निरोध अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अपनी मान्यता के लिए आवेदन दे सकती है। मैं यह कह रहा हूं कि जब अधिनियम में यह सब उपबन्ध हैं तो माननीय सदस्य हमें अधिनियम की परिधि से बाहर जाने को क्यों कहते हैं? एक ओर वे शोर करते हैं कि हम अधिनियम की परिधि से बाहर जा रहे हैं और दूसरी ओर जब हम कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं तो कहा जाता है कि इसे परे हटा दिया जाए और जैसे वे चाहें उस प्रकार से कार्यवाही की जाये।

मैं अधिनियम, अथवा संसद अथवा विधान सभा से परे हटकर कार्रवाई नहीं करना चाहता। यदि उनकी सदस्यता और शक्ति है तो उनको करना चाहिए···(**व्यवधान**) वे दत्ता सामंत को क्यों नहीं कहते कि इसके लिए आवेदन करें। (**व्यवधान**) यही तो दिक्कत है। उनको चाहिए कि बैठ कर मेरी बात सुनें। उन्होंने बहुत-सी अपचनीय बातें कहीं हैं। अब उनको मेरी बात सुननी चाहिए।

क्योंकि वे चाहते हैं, मैं कानूनी तथा संवैधानिक बातें न करूं इसीलिए वे मेरी आवाज को डुबोने के लिए शोर कर रहे हैं।

मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं···(**व्यवधान**) क्या श्री वाजपेयी अपनी बात स्पष्ट करेंगे? क्या वे चाहते हैं कि मैं संसद तथा विधान सभाओं के अधिनियमों का उल्लंघन करूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जी नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : यह ठीक है। यहां एक व्यक्ति ऐसा है जो सही बात कहता है। बम्बई औद्योगिक विकास अधिनियम में बम्बई विधान मण्डल द्वारा जब तक उनके दल द्वारा संशोधन नहीं किया जाता, यदि उनके दल का बहुमत है, तब तक यह स्थिति है और मुझे नहीं पता

कि विधान सभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कितने सदस्य हैं। परन्तु जब तक संशोधन नहीं होता तब तक मैं इस अधिनियम के अनुसार कार्य करूंगा। उक्त अधिनियम के अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है। आपके पास बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम है। वे कहते हैं कि आर० एम० एस० एक प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन है। ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कहा है और यह बिल्कुल सही है। हम महाराष्ट्र सरकार की इस बात से सहमत हैं कि हम श्रमिकों के साथ इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहते। हमें पता है कि कठिनाइयां हैं और इसीलिए हम उनसे बार-बार अपील कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कहा है। हम महाराष्ट्र सरकार की इस बात से सहमत हैं कि उन्हें हड़ताल वापस लेकर काम पर आ जाना चाहिए और उनकी उचित मांगों को संवैधानिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। इसमें क्या गलत है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि मैं एक इंटक ट्रेड यूनियन मंत्री हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यहां मैं एक ऐसा मंत्री हूं जो उन यूनियनों का समर्थन लेता हूं और उन्हें समर्थन देता हूं जिनका संविधान में विश्वास है और जो देश के नियमों के अनुसार कार्य करती हैं। इंटक ने 19 जनवरी को ऐसा ही किया है। कल की हड़ताल के संबंध में देश के सामने यह सिद्ध हो गया है कि लोगों ने सभी अपीलों को अस्वीकार कर दिया। केवल इटक की अपील स्वीकार की गई। कल की हड़ताल पूर्णतया असफल रही, 19 जनवरी की हड़ताल असफल रही (**व्यवधान**)। मैं टक ट्रेड यूनियन के आंदोलन का समर्थन करता हूं। वे **टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस** और अन्य सभी स्वतन्त्र समाचार-पत्र पढ़ें। उन्होंने कहा है कि हड़ताल असफल या आंशिक रही या स्वीकार नहीं की गई। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हू। यह सिद्ध हो गया है कि हड़ताल बिल्कुल असफल रही। वे कह रहे थे कि बम्बई में पूर्ण बन्द रहेगा और वे सब कुछ जाम कर देंगे। ये सब बातें उन्होंने कहीं। परन्तु क्या हुआ? बसें चल रही थीं। टैक्सियां चल रही थीं। कारखाने चालू थे, दुकानें खुली हुई थीं। जो समाचार-पत्र उनका समर्थन कर रहे थे—मैं भी उनका समर्थन करता हूं—उन्होंने कहा है कि हड़ताल बिल्कुल असफल थी। एक-दो समाचार-पत्र ने लिखा है कि हड़ताल आंशिक थी।

तो काबुल में गधे होते हैं, कोई बात नहीं। (**व्यवधान**) एक-आध तो होते ही हैं।

इसलिए मेरा कहना यह है कि— (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: और भी अन्य चार सदस्य हैं। आप अकेले ही नहीं हैं।

श्री भागवत झा आजाद: मैं प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना रहा हूं। मैं बम्बई के श्रमिकों को अपील कर रहा हूं कि वे काम पर आ जाएं और सरकार संवैधानिक तरीके से उनकी मांगों पर विचार करेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: उनकी एक बात से अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, यह एक पड़ौसी देश के साथ मित्रता का प्रश्न है।

श्री भागवत झा आजाद: वह तो कहावत है, वही प्रयोग करते हैं। हिन्दी साहित्य में वही कहावत है, उसी का प्रयोग करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप काबुल की क्यों कह रहे हैं, बम्बई की कहिये।

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह संशोधन स्वीकार करता हूं कि वह कहते हैं कि बम्बई में भी गधे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्हें सब जगह गधे ही नजर आ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजा पुर) : बम्बई में नहीं हैं, कभी-कभी आते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि···

उपाध्यक्ष महोदय : पासवान जी, आपको पता होना चाहिए कि हड़ताल से श्रमिकों और उनके परिवारों का नुकसान होता है। हड़ताली श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखना जरूरी है। आप कृपया इस बात का प्रयास करें कि हड़ताली कर्मचारियों को काम पर कैसे वापस लाया जाए ताकि उनके परिवार भूख से न मरें। अतः आपको इसी बात पर चर्चा करनी चाहिए तथा अन्य बातों को छोड़कर इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : महोदय, आप मंत्री जी को हड़ताली श्रमिकों की सहायता करने के लिए कहें। वे इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे लाखों परिवारों का नुकसान हो रहा है। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) महोदय, मंत्री जी को हड़ताल के बारे में बोलने दें। वे केवल बंद के विषय में बोल रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार ही उसको डील करे, केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सदन जानता है, देश की जनता जानती है कि अब यह स्टेट का मामला नहीं रह गया है, अब वह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई हैं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय जवाब देते हुए बतायेंगे कि वहां पर कुल कितना घाटा हो चुका है। विभिन्न समाचार पत्रों और आर्थिक जगत के विद्वानों के मुताबिक वहां 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन का लास हो रहा है। उसके हिसाब से अभी तक 400 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। और यह 400 करोड़ रुपये की हानि सूती मिलों के बन्द होने से हुई है, जो बम्बई में 25,30 प्रतिशत हैं। उनके अलावा उनकी सहयोगी मिलें हैं, जो फीडर का काम करती हैं, अगर हम उनका भी हिसाब लगायेंगे, तो उसमें भी 400 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा घाटा हो चुका है। इसके अलावा कपास उपजाने वाले किसानों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं है। वहां पर प्रोडक्शन की हानि हो रही है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, 2.25 लाख मजदूर चार महीने से हड़ताल पर हैं। यदि इन मजदूरों के परिवारों को भी ले लिया जाए, तो कम से कम 10 लाख लोग तो यही हुए और कुल मिलाकर करोड़ों लोग इस हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए यह राज्य का मामला नहीं है। यह हड़ताल पूरे देश के लिए एक चिन्ता का विषय बन गई है।

एक समाचार पत्र के एडिटोरियल में कहा गया है :

"बैरिस्टर बाबा साहब भोंसले ने मुख्य मंत्री बनने पर घोषणा की थी कि उनका पहला काम सूती मिलों की समस्या को हल करना होगा। ऐसा लगता है कि केन्द्रीय सरकार के संकेत पर उन्होंने इस दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया।"

यह संकेत किसने किया है? अभी एक सप्ताह पहले मंत्री महोदय वहां गए थे। उन्होंने तो नहीं कह दिया कि कुछ न किया जाए?

दत्ता सामन्त कौन है, क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह पुराने कांग्रेसी हैं। उनकी पत्नी कार्पोरेशन में कांग्रेस (आई) की सदस्या हैं।

श्री राम विलास पासवान : प्रेस में छपे समाचारों से ऐसा लगता है कि यह झगड़ा दत्ता सामन्त, पाटिल और आजाद के बीच में है और इसको एक प्रैस्टीज इश्यू बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है और देश के लिए भी एक समस्या उत्पन्न हो गई है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने यह कह दिया कि यह राज्य की ससस्या है। तो फिर केन्द्रीय सरकार ने वहां पर सी० आर० पी० की बैटेलियनें क्यों भेजीं? अगर लाठी-गोली चलाने की बात हो, तो यह केन्द्रीय सरकार का मामला बन जाता है और अगर मजदूर को कोई बेनिफिट देने की बात हो, तो कहा जाता है कि राज्य सरकार का मामला है। यह प्रेस कटिंग है कि सी० आर० पी० के एक हजार लोग वहां पर भेजे गए हैं। क्यों भेजे गए हैं? इसलिए कि राज्य सरकार स्थिति से नहीं निपट सकती।

मंत्री महोदय का कहना है कि यह बंद फ्लाप हो गया। यह **टाइम्स आफ इंडिया** का फोटो देखिए। एक भी आदमी रोड पर नहीं है। यह **स्टेट्समैन** का फोटो देखिए। रोड पर एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : टाइम्स आफ इण्डिया में क्या लिखा है, उसको कोट कीजिए।

श्री राम विलास पासवान : आप फोटो देखिए न।

श्री भागवत झा आजाद : राम विलास जी, एक बात कीजिए, जिस टाइम्स आफ इण्डिया को आप कोट कर रहे हैं उसको पढ़ दीजिए कि क्या लिखा है उसमें?···(**व्यवधान**)···

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोई आदमी पार्लियामेंट का फोटो ले ले और कह दे कि यहां 50 मेम्बर हैं और पार्लियामेंट के बाहर न्यूज निकले कि पार्लियामेंट एकदम फुल है तो दोनों में से किसकी बात सही होगी? जो फोटो आया है वह सही होगा। तो जो फोटो है उसमें एक आदमी भी रोड पर नहीं है और आप कहते हैं कि फ्लाप कर गया। आपने कहा कि बसें थीं, कारें थीं···

एक माननीय सदस्य : यह रात के तीन बजे का फोटो होगा।

श्री राम विलास पासवान : आपने कह दिया कि रोड पर बसें और कारें थीं। तो बसें

और कारें तो रोड पर हमेशा रहती हैं, वह अंडरग्राउन्ड तो नहीं जा सकती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह सर्वप्रथम इस बात को लें कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए आपका क्या सुझाव है ?

श्री राम विलास पासवान : सजेशन क्या है ? सजेशन तो आपने बढ़िया दे दिया। आप ने अपना सजेशन दे दिया। आपने रूलिंग दे दी बढ़िया। लेकिन गवर्नमेंट मानेगी ?

दूसरी बात मैं कहता हूं कि मंत्री महोदय ने इस साल को उत्पादकता वर्ष, प्रोडक्टिविटी ईयर निर्धारित किया है। आपने रखा है कि 1 लाख करोड़ रुपया आपका जी० एन० पी० होगा। आठ सौ करोड़ उसमें से चला गया, 0.8 परसेंट तो आपका उसमें साफ हो गया। अभी हमारे साथी ने कहा कि यह सीक्रेट वैलट पेपर से सम्बन्धित है। आप क्या समझते हैं कि यह जो हंगामा चल रहा है, इसको इस तरह खत्म कर देंगे ? इसमें बजाय यह करने के कि कौन मान्यता-प्राप्त है, कौन मान्यता-प्राप्त नहीं है, हम लोग तो लेबर फील्ड के इंचार्ज नहीं हैं और न इतना अधिक जानते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर जानते हैं कि जब आपके मन के लायक चीज होगी तो जिसका रेप्रेजेन्टेशन नहीं भी हो वह भी चला आता है बात करने के लिए और जब आपके मन के लायक बात नहीं होगी तो वहां सारा का सारा एकार्डिंग टु ला ऐंड कांस्टीच्यूशन के मुताबिक चलना शुरू कर देते हैं।

जो उनकी मांग थी वह आप सबको मालूम है, उसमें जाकर के मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। मैं मंत्री महोदय से सीधा-सीधा कहना चाहता हूं कि देश के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और आप डटे हुए हैं कि मजदूरों को झुकाकर रहेंगे, यह आपने प्रेस्टिज इश्यू बना लिया है। आपके मंत्री बम्बई में जाकर षडयन्त्र रचकर के चले आते हैं। दूसरी तरफ मजदूर भी वेंट अपान हैं, मजदूर भी कहते हैं कि जो उनका कांस्टीच्यूशनल राइट है उसको लेकर रहेंगे। 1978 में हमारी सरकार थी, उस समय पहली बार जार्ज फर्नाण्डिस ने उनका इन्क्रीमेंट बढ़ाया था, शायद 45 से 65 परसेंट बढ़ाया गया था। पहली बार मजदूरों को राहत मिली थी। तो मजदूर भी दो-ढाई लाख लोग हैं, 10 लाख उनके पूरे परिवार के लोगों को लेकर हैं। वह भी वेंट अपान हैं कि हम अपनी जायज मांग मनवा कर रहेंगे। आप कहते हैं और इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम उनको ध्वस्त कर देंगे, उन पर बुलडोजर चला देंगे और उनकी एक भी मांग को मानने के लिए तैयार होना तो दूर रहा उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। हां, आपकी यूनियन के माध्यम से वह जाते तो अभी तक पूरे का पूरा निगोशिएशन, और समझौता वार्त्ता शुरू हो जाती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप राज्य सरकार के ऊपर छोड़कर सारे मामले को डेड लाक करना चाहते हैं, दरवाजे को बन्द करना चाहते हैं ? आप क्या चाहते हैं कि मजदूर जो लाखों की संख्या में हैं उनको दबा लेंगे ? और इसका असर दूसरे उद्योग-धन्धों पर भी पड़ रहा है जिसका असर सीधे किसान पर भी पड़ रहा है। हमें मालूम है कि जो कपड़ा मिल मालिक हैं उनकी सरकार के साथ सांठ-गांठ है। वह समझते थे कि हमारे पास स्टाक काफी है, हम मजदूरों को झुका लेंगे। यह उनके दिमाग में बात बैठी हुई थी। लेकिन वह भी सारे का सारा स्टाक खत्म हो गया। तो क्या इस तरह इसको प्रेस्टिज इश्यू बना कर मजदूरों की

समस्या का निदान करना चाहते हैं या कुछ ब्राड आउटलुक लेंगे और कुछ उदारता की नीति अपनाएंगे ?

कांस्टीट्यूशन मानवता पर आधारित है या कोई भी कानून हो वह मानवता पर आधारित है। पहले मानवता है उसके बाद में कोई भी संविधान या कानून है। और आज मानवता खतरे में है। उनके परिवार मर रहे हैं उसका इफेक्ट किसानों पर पड़ रहा है और दूसरी इण्डस्ट्रीज पर पड़ रहा है। इसलिए आप कोई रास्ता निकालिये। जो आपकी रिकग्नाइज्ड लेबर यूनियन्स हैं, उनसे आप बातचीत कीजिए। आपका जो लेबर कमिश्नर है वह क्या करता है ? जो लेबर यूनियन्स हैं उनसे बात-चीत की जाए। पोलिटिकल पार्टीज के जो लेबर लीडर्स हैं, उनसे बातचीत हो और कोई रास्ता आप निकालिए। इस तरह का एटीट्यूड आप छोड़िए कि यह स्टेट गवर्नमेन्ट का मामला है, सेन्टर का मामला नहीं है इसलिए भोंसले साहब या स्टेट गवर्नमेन्ट जो भी करना चाहे करे। इस एटीट्यूड को छोड़कर, इस गम्भीर समस्या का समाधान करने के लिए आप कोई रास्ता निकालिए।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, राम विलास जी ने प्रारम्भ में ही कहा कि इसमें घाटा हो गया है और घाटा रोज हो रहा है। प्रश्न यह नहीं है कितना घाटा हुआ है लेकिन यह दुःख की बात है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि घाटा किसके कारण हो रहा है और इसके लिए जवाबदेह कौन है ? मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि कृपापूर्वक अगर आप लोगों की शक्ति है और आपका प्रभाव मजदूरों पर है तो आप उनसे कहिए। हड़ताल तो करवाई दत्ता सामन्त ने और आप तो उसके बाद में पीछे लग लिए। आप जो बार-बार कह रहे हैं वह यह है कि सभी ट्रेड यूनियन्स को बुलाइये और कुछ लोग कहते हैं कि पोलिटिकल पार्टीज को बुलाइये। लेकिन क्यों ? इसलिए कि सीधे और भोले श्रमिकों को एक बहुत ऊंची मांग की आस दिलाकर हड़ताल करवा दी। जो एग्रीमेन्ट और फरनान्डीज की बात राम विलास जी ने कही, यह एग्रीमेन्ट दिसम्बर, 1984 तक है। वहां पर जार्ज फरनान्डीज की ही सहायता से एग्रीमेन्ट हुआ था। राम विलास जी ने कहा है कि इस एग्रीमेन्ट में जो बढ़ोत्तरी दी गई है, उसमें जार्ज फरनान्डीज स्वयं दे गए थे और वहां वे उपस्थित थे और यह एग्रीमेन्ट एक एवार्ड बन गया है। सारा कुछ उनकी सलाह से हुआ है। अब बात-बात में कोई यूनियन आवे और अपनी मांग को आकाश में उठाकर रख दे और उसके पीछे शारीरिक शक्ति और समर्थन देकर कहे कि इसको मान लिया जाए तो औद्योगिक जगत में यह करना सम्भव नहीं है। औद्योगिक कानूनों के अन्तर्गत ही हम सभी काम करते हैं। औद्योगिक कानून वर्षों के अनुभव से बनते हैं—चाहे वह श्रमिकों से संबंधित हों, उद्योगपतियों से संबंधित हों या सरकार से हों—वह कानून अनुभव से बनाए जाते हैं। यह कानून किसी टेलर शाप में दो दिन में नहीं बनते हैं। इसलिए यह कहना कि अपने हाथ में ले लीजिए, अगर हम हाथ में ले लेंगे तो कल वेस्ट बंगाल में मन्त्री महोदय को कैसा लगेगा ? इसलिए संविधान के अन्तर्गत जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेन्ट है वह कार्य कर रही है।

राम विलास जी बार-बार कहते हैं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया हैं, झुका देंगे और बुलडोजर चला देंगे। जी नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न उन्होंने बनाया है जोकि एग्रीमेन्ट लागू होने के बावजूद वर्कर्स को स्ट्राइक पर ले गए और आज उस पर डटे हुए हैं कि हम देख लेंगे।

हम बार-बार कहते हैं कि कृपा पूर्वक आप स्ट्राइक काल-आफ कीजिए और एग्रीमेंन्ट के बावजूद भी अगर आपकी कोई उचित ग्रीवान्स हो, बोनस पर या पे ऐंड एलाउन्सेज पर तो आकर के बातचीत कीजिए। लेकिन यह प्रतिष्ठा का प्रश्न हमने नहीं बनाया है बल्कि उन महानुभावों ने बनाया है। हम तो कानून पसन्द व्यक्ति हैं और हम जनतन्त्र में, पार्लियामेन्ट और असेम्बलीज में विश्वास करते हैं। इसलिए उसी नियम के अन्तर्गत कृपापूर्वक, यदि आपका मजदूरों पर कोई असर है या दत्ता सामन्त पर है, तो उनसे कहिए कि वे स्ट्राइक को काल-आफ कर लें। उसके बाद एग्रीमेंट के अन्तर्गत जो संभावनाएं हैं, उस पर बात करें। हम कभी भी यह नहीं कहते हैं कि यह प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रतिष्ठा का प्रश्न उन लोगों के लिए है, जिन्होंने यह गलत काम किया है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए पासवान जी, हम सच कहते हैं कि हम लोग इसको कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहते हैं। आपने ही पार्लियामेंट और विधान सभाओं के कानून बनाए हैं। हम तब तक इसके बियोण्ड काम नहीं कर सकते हैं, जब तक उस कानून में परिवर्तन न हो जाए। इसलिए मैं पासवान जी से कहूंगा कि वे बम्बई जायें और कहें कि हमारे नेता श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने मजदूरों से 1984 तक के लिए जो एग्रीमेंट करवाया था और बोनस के बारे में भी, वर्कर्स बात करें, स्ट्राइक वापिस करवा दें और बात करने के लिए कहें। यही संभावनायें हैं। अगर कोई कठिनाई है, तो वह दूर हो सकती है। यही संवैधानिक और नियमानुकूल तरीका हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बापू साहिब आचार्य यहां पर मौजूद हैं। अब श्री अजित बाग बोलें।

श्री अजित बाग (सीरमपुर) : मेरे साथियों ने अभी मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है और श्रमिकों की मांगों की सभी मुख्य बातों के बारे में बताया है। महाराष्ट्र टैक्सटाइल श्रमिक अपनी उचित मांगों के लिए लड़ रहे हैं। यह अनुचित नहीं है, जैसाकि मंत्री जी ने कहा है।

उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और उस राज्य में इंजीनियरी और रासायनिक प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को उनसे बहुत अधिक वेतन मिलता है। अभी हाल ही में, उनके वेतन में 300/ रु० से 400/ रु० प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। 1978 के अन्त में टैक्सटाइल उद्योग के अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 470/ रु० था। उस समय विभिन्न इंजीनियरी और रासायनिक प्रतिष्ठानों के इसी श्रेणी के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन इस प्रकार था :

लार्जेन एण्ड टोब्रो	687/ रुपये
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	700/ रुपये
रैलिस इंडिया	734/ रुपये
एक्सल इंडिया	701/ रुपये
कमानी इंजीनियरी	685/ रुपये
एयर कंट्रोल एण्ड केमीकल्स	1292/ रुपये

और बदली श्रमिकों की स्थिति, जिनकी संख्यां उद्योग में कुल संख्या का 30 प्रतिशत है, और भी आश्चर्यजनक है। एक अध्ययन के अनुसार औसत मासिक आय 125/ रुपये से भी कम है, जबकि इस उद्योग का मालिक बहुत लाभ कमा रहा है। अतः वेतन वृद्धि की उनकी मांग बहुत ही न्यायोचित है।

वे बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम को समाप्त करने के लिए कहते हैं, और यह भी न्यायोचित है क्योंकि इससे कठपुतली यूनियनों को सुरक्षा मिलती है अर्थात् आर० एम०एम० एस० जिसका कि श्रमिकों में कोई स्थान नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है। मेरे मित्रों ने मतदान के लिए कहा है। इस ऐतिहासिक आंदोलन में मतदान हो चुका है। श्रमिकों ने निसन्देह यह सिद्ध कर दिया है कि वे आर०एम०एम०एस० के अनुयायी नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ धमकियों के कारण तथा सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में श्रमिक कारखाने में नहीं जा सकते। सरकार दो कारखानों में प्रत्येक के दरवाजे पर 500 पुलिस मैन तैनात किए हैं। इसके बावजूद एक भी आदमी काम पर नहीं गया। इससे पता चलता है कि आर० एम० एम० एस० की कितनी बात मानी जाती है। सरकार आर० एम० एम० एस० जैसी कठपुतली यूनियनों के हितों की रक्षा करना चाहती है। अतः उनकी मांग न्यायोचित है। महाराष्ट्र के टैक्सटाइल श्रमिकों की हड़ताल को आज 93 वां दिन है और उत्पादकता वर्ष में महाराष्ट्र की पूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा है। 2.5 लाख टैक्सटाइल श्रमिकों के अलावा डाई, कैमिकल्स, फालतू पुर्जे, प्रिंटिंग, हथकरघा, पावरलूम और ऐसी अन्य सहयोगी उद्योगों के लाखों श्रमिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कपास उत्पादक, कपास से बने माल के व्यापार और आयातित वस्तुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। महाराष्ट्र की पूर्ण अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है।

400 करोड़ रुपये के कपड़े का उत्पादन कम हुआ है जबकि कपड़े के अभाव में देश के करोड़ों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक करोड़ लोगों की रोजी-रोटी खतरे में है। सरकार ने दत्ता सामंत पर आरोप लगाकर इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। श्री दत्ता सामंत कौन है ? श्री दत्ता सामंत को आगे लाने वाले आप हैं, उन्हें आगे लाने वाला देश का सतारूढ़ दल है। पहले वे कांग्रेस के टिकट पर एम० एल० ए० चुने गए थे। वह इंटक के नेता थे। और अब वे श्रमिकों की न्यायोचित मांग के लिए लड़ रहे हैं तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। आपने केवल इस कठपुतली यूनियन को बचाने के लिए लाखों श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को भुखमरी के हवाले कर दिया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार ने इतने दिनों से महाराष्ट्र के टैक्सटाइल उद्योग, जो देश के विदेशी मुद्रा कमाने वाले प्रमुख उद्योगों में से एक है, में चल रही हड़ताल के परिणामों का जायजा लिया है और प्रतिष्ठा के प्रश्न को छोड़कर इस बिवाद को सुलझाने का प्रयास किया है ? मेरा सुझाव यह है कि यदि मंत्री जी ऐसा करने में असफल हैं तो उन्हें इस असफलता के लिए त्यागपत्र दे देना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य ने इन्जीनियरी, कैमिकल्स और टैक्सटाइल उद्योग के श्रमिकों के वेतन में विषमता या अन्तर की बात कही है। यह सच है। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर अपनी बात शुरू की है और यह सच है। कम से कम, अपने वक्तव्य में उन्होंने एक बात तो सच कही है कि इन्जीनियरी, कैमिकल्स और टैक्सटाइल श्रमिकों के वेतन में अन्तर है। परन्तु उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कैमिकल्स इन्जीनियरी, और टैक्सटाइल उद्योग में "वेज कम्पोनेंट" क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 11.7 प्रतिशत और 15 से 36 प्रतिशत है। वह अच्छी तरह जानते हैं, यदि उन्हें जानकारी है कि ऐसे उद्योग हैं जिनका पूंजी निवेश बहुत अधिक है और कुछ बहुत अधिक

श्रमिक हैं। इन्जीनियरी और कैमिकल्स अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग हैं। यह सच है कि श्री दत्ता सामंत यह चाल चल सकते हैं कि कुछ उद्योगों में उन्होंने टुकड़ा फैंका है; उदाहरणतया, कैमिकल्स की सारी बातें वे टैक्सटाइल पर लागू करना चाहते हैं; उदाहरणतया, अन्य उद्योगों में वेतन बढ़ाकर उपभोक्ता पर बोझ डाल दिया गया। टैक्सटाइल उद्योग में यह संभव नहीं है क्योंकि वहां श्रमिक बहुत हैं। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है परन्तु इसका कारण नहीं बताया। यह कहना गलत है कि बदली श्रमिकों को 150/ रुपये या 125/ रुपये वेतन मिलता है। ऐसा नहीं है। यह सच है कि टैक्सटाइल में बदली श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की संख्या के 30 प्रतिशत से कुछ अधिक होगी, कम नहीं है। क्या उनका कहने का मतलब यह है कि टैक्सटाइल में अनुपस्थिति 30 प्रतिशत होती है, अतः टैक्सटाइल में श्रमिकों की स्थायी संख्या 130 प्रतिशत होनी चाहिए ? जी, नहीं, यह संभव नहीं है, कहीं भी यह संभव नहीं है। जो संभव है वह यह है कि बदली श्रमिकों को क्या वेतन मिलता है। जहां तक वेतन और महंगाई और अन्य चीजों का संबंध है बदली श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के समान वेतन मिलता है। अतः यह सही नहीं है कि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह सच नहीं है। सही बात यह है कि बदली श्रमिकों को समान वेतन मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थायी श्रमिक के अनुपस्थित होने पर बदली श्रमिक उसके स्थान पर काम करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह सही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्रमिक छुट्टी पर जाते हैं तो बदली श्रमिक उनके स्थान पर काम करते हैं। बदली श्रमिकों को श्रमिकों के समान वेतन मिलता है।

श्री भागवत झा आजाद : जी हां, टेक्स्टाइल में 30 प्रतिशत श्रमिक अनुपस्थित रहते हैं। (**व्यवधान**) इस उद्योग में औसतन 30 प्रतिशत श्रमिक प्रतिदिन अनुपस्थित होते हैं और बदली श्रमिक उनके स्थान पर काम करके उनके समान वेतन पाते हैं। अतः मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। बदली श्रमिकों के सम्बन्ध में दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तीसरा राजनीति का प्रश्न है जो हमेशा की तरह आर० एम० एम० एस० के बारे में है। राजनीति के इस प्रश्न का मैंने राजनीतिक उत्तर दिया है। यदि मैं उस उत्तर को पुनः दोहराऊं तो वे शोर मचाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : राजनीति के प्रश्नों का आप बाहर राजनीति में उत्तर देंगे।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने यह कहकर अपना कथन समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। वे कृपया स्थिति को समझें। उन्होंने यह आह्वान किया था कि कामगार 19 जनवरी को मिलें और फिर दुबारा इन्हें 19 अप्रैल को मिलने के लिए कहा था परन्तु कामगारों ने उसकी अवहेलना की। इसलिए कृपया वे बात को समझें। इसलिए उन्हें कामगारों को काम पर जाने की सलाह देनी चाहिए।

महोदय, माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि क्या सरकार इस हड़ताल के गंभीर परिणामों को समझती है ? जी हां, हम समझते हैं। इसलिए हम इन महानुभावों से कह रहे हैं कि यदि

कामगारों का उन्हें समर्थन प्राप्त है तो वे उन्हें गंभीर परिणामों से परिचित करायें और उन्हें काम पर आने के लिए कहें।

और सबसे आखिरी सस्ता प्रश्न यह है कि मुझे पदत्याग करना चाहिए।

मैं इस्तीफा नहीं देता। क्योंकि मैं जानता हूं कि जनता इस सरकार के साथ है और इसी सरकार में मैं हूं।

इसका आसान उत्तर यह है कि मैं इसे सीधे अस्वीकार करता हूं। यह ऐसा नहीं है कि जिस पर विचार किया जाये (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप पदत्याग मत करिए। आने वाला अगला आदमी और भी बुरा हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुधीर गिरि।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं आरम्भ में ही यह कहना चाहता हूं कि मैं राज्यों में कानून और व्यवस्था के बारे में नहीं बोलूंगा। मंत्री महोदय ने कहा है कि जब भी पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाता है, पश्चिम बंगाल के सदस्य शोर मचाते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। जब भी पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाता है, हम कोई आपत्ति नहीं करते हैं। जब भी आप कानून और व्यवस्था के बारे में बोलते हैं। जब भी राज्य सूची में दर्ज विषय पर बोलते हैं तो हम इस पर आपत्ति करते हैं। लेकिन जब भी आप संघ सूची के अधीन केन्द्रीय विषय पर बोलते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं शुरू में ही मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि संविधान की राज्य सूची में दर्ज किसी भी विषय पर नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप सुरक्षित हैं।

श्री सुधीर गिरि : हम देश की प्रगति और सम्पन्नता को चाहते हैं और हम इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। मंत्री महोदय और सरकार इस सभा में रोज यह घोषणा करती हैं कि वे समाज और देश का विकास और संपन्नता को चाहते हैं। देश के श्रमिक वस्तुओं को पैदा करते हैं। वे देश के लिए परिसंपत्ति को पैदा कर रहे हैं और वे यह भी जानते हैं कि यदि उत्पादन में अवरोध पैदा होता है, यदि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है तो इससे उन्हें ही कठिनाइयां होंगी न कि मिल मालिकों अथवा मंत्री को। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : यह भी कहिए कि सदस्य को भी नहीं होंगी।

श्री सुधीर गिरि : आप नहीं जानते। इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि आप विलासमय स्थानों में रहते हैं। आप विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करते हैं इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं।

कामगार जानते हैं कि यदि वे हड़ताल पर जाते हैं तो आखिर उन्हें भुगतना पड़ेगा। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। परन्तु इन सबके बावजूद वे हड़ताल पर जाते हैं। बम्बई में कपड़ा मिलों के श्रमिक हड़ताल पर क्यों गए? उनकी मांगें क्या हैं? उनकी

कुछ मांगों को यहां खुलासा किया गया है। मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा। परन्तु मैं उनकी कुछ मांगों का उल्लेख करूंगा जिन पर यहां चर्चा नहीं हुई है।

आधुनिकीकरण अच्छी बात है। यह समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक है। यह हमारा निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक है। परन्तु हमें आधुनिकीकरण के दुष्प्रभावों पर भी विचार करना होगा। बम्बई की कपड़ा मिलों में 2.40 लाख श्रमिक थे। आधुनिकीकरण के कारण उनकी संख्या कम होकर 1.64 लाख रह गई। 1948 में महिला श्रमिकों की संख्या 40,000 थी परन्तु 1982 में यह कम होकर 4000 रह गई।

प्रो० मधु दंडवते : समान वेतन के लिए समान काम।

श्री सुधीर गिरि : न केवल इतना ही, कामगारों की रहने की स्थिति बहुत असंतोषजनक है। उन्हें चाल में एक ही कमरे में रहना पड़ता है। कुछ अवसरों में उनकी संख्या 25 से अधिक हो जाती है। न केवल इतना ही, वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। कामगारों में तपेदिक से ग्रस्त रोगियों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक है। इन सब बातों को देखते हुए कामगारों की मजूरी और भत्ते बढ़ाने की मांग जायज है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। परन्तु इन सब पर विचार किए बिना सरकार यह कह रही है कि वे अमुक राजनीतिक दल अथवा श्रमिक संघ के सदस्य हैं। वे इस प्रकार की बातें कह रहे हैं और वास्तविक मसले को नजरअन्दाज कर रहे हैं।

कामगारों को कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है। पांच साल तक लगातार काम करने के पश्चात उन्हें केवल एक प्रतिशत की मामूली वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है। बम्बई की कपड़ा मिलों के 80 प्रतिशत कामगार कर्ज में डूबे हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें छुट्टी मंजूर नहीं की जाती है। उन्हें बिना छुट्टी के काम चलाना पड़ता है। इन मजबूरी की हालात में कामगारों ने अपने भत्तों में वृद्धि करने, अपनी छुट्टियों को नियमित करने, उन्हें उपयुक्त स्थानों में मकान देने आदि की मांग की है। यह सब मानवीय समस्याएं हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को बिना किसी पूर्वाग्रह के इन सब पर विचार करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि हम इसमें राजनीति ला रहे हैं। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि मिल मालिकों ने कपड़ा मिलों से अर्जित अपने लाभ को अन्य उद्योगों में लगाया है। क्या यह सच नहीं है कि अन्य एककों में काम करने वाले कामगारों को कपड़ा मिलों में काम करने वाले कामगारों से अधिक मजूरी मिलती है ? मैं इस पर नहीं बोलूंगा कि मिल मालिकों ने कितना लाभ कमाया। इस पर अन्य सदस्यों ने बोला है। मंत्री महोदय ने संविधान का उल्लेख किया है। संविधान में एक अध्याय चार है जिसमें राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के बारे में लिखा हुआ है। संविधान के निर्माताओं ने 1948 या 1950 के दिनों में यह सोचा था कि सभी समाजवादी आदर्शों को एकदम लाना संभव नहीं है परन्तु कुछ समय बाद समाज की स्थिति में परिवर्तन आएगा और उसके बाद सरकार समाजवादी परिवर्तन लायेगी। उस अध्याय में एक विशिष्ट अनुच्छेद है जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय संपत्ति और आय में असमानता को कम किया जाएगा। परन्तु देश में संविधान के लागू होने के बाद, हम हैरानी से देख रहे हैं कि संपत्ति और

आय में असमानता में कोई कमी नहीं आई है बल्कि दूसरी ओर अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब और गरीब । योजना आयोग के दस्तावेज में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 48.6 प्रतिशत लोग निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे हैं । इस परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा ।

क्या मंत्री महोदय छुट्टी, मंहगाई भत्ते में वृद्धि, जीवन यापन स्थिति आदि के बारे में कामगारों की शिकायतों को उचित समझते हैं ? यदि वे उन्हें उचित समझते हैं तो क्या वे आगे आकर इस विवाद को हल करायेंगे ? यदि मिल मालिक आगे नहीं आते हैं तो उन्हें कामगारों के साथ सुलह करने के लिए मजबूर करना चाहिए क्योंकि ये कामगार ही देश के लिए उत्पादन कर रहे हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं उन बातों का उत्तर दूंगा जो मेरे मंत्रालय से सम्बन्धित हैं । अन्यथा माननीय सदस्यों ने संविधान, समाजवादी समाज आदि पर लेक्चर दिये हैं । हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्त्तव्यों को अच्छी तरह से समझते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख करना लैक्चर कैसे माना जा सकता है ? मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब उन्हें प्रतिदिन इसकी याद दिलानी होगी ।

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें मेरे को सुनने का धैर्य होना चाहिए न कि प्रश्न का उत्तर दिये जाने से पूर्व ही खड़े हो जायें । कृपया मुझे सुनिए । मुझे संविधान क अध्याय चार के बारे में जानकारी है जिसमें राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों के बारे में दिया हुआ है । मेरा यह कहना है कि भारत सरकार की श्रम नीति इन निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे सभी श्रमिक विवाद समझौता, अधिनिर्णयन और मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने चाहिए । परन्तु हमें यह याद रखना है कि ये सभी संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कानूनों के अधीन आते हैं । माननीय सदस्यों को यह नहीं कहना चाहिए कि हमने, जिन्होंने संविधान भारत के लोगों को दिया है, इसे भुला दिया है; उन्हें यह भी नहीं कहना चाहिए कि हम भ्रमित हो गए हैं । मार्क्सवादी पार्टी के माननीय सदस्यों को इस बारे में हमें लैक्चर नहीं देना चाहिए···(**व्यवधान**) । मेरा यह कहना है कि हम श्रमिकों के विरुद्ध नहीं हैं···(**व्यवधान**) । चूंकि दूसरी ओर बैठे माननीय सदस्यों के पास कहने के लिए कोई ठोस विषय नहीं है इसलिए वे बिना रुके बोल रहे हैं । वे मेरे को धैर्य के साथ सुनें, वे मेरे उत्तर को सुनें । वे बहुत होशियार हैं परन्तु मैं अपनी समझ से उत्तर दे रहा हूं न कि उनकी समझ से । इसलिए वे मुझे सुनें । और वह यही है । हम श्रमिकों की मांगों के विरुद्ध नहीं हैं । इसलिए तो मैं ध्यान दिला रहा हूं इन मांगों पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ 1979 में चर्चा हुई थी । अब माननीय सदस्य मेरे से चाहते हैं कि मैं बम्बई औद्योगिक अधिनियम को समुद्र में फेंक दूं और श्री सामन्त के कहने पर चलूं । मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं । मैं कह रहा हूं कि हम श्रमिकों की मांगों के लिए उत्तरदायी हैं, हम उनसे एक बार फिर अनुरोध करते हैं—महाराष्ट्र सरकार ने जो कहा है उसके अनुसार हमने करार माना है—उन्हें काम पर आना चाहिए, उन्हें संवैधानिक और कानूनी साधन अपनाने चाहिए जो उन्होंने 1979 में अपनाए थे जब श्री जार्ज फर्नाण्डीज उद्योग मंत्री थे और श्री शरद पवार मुख्य मंत्री और तब उन्होंने इस करार पर

हस्ताक्षर किए थे। केवल इतना ही नहीं। यह कोर्ट में गया और एक अवार्ड बन गया। अब, अगर वे उस अवार्ड में परिवर्तन चाहते हैं और कुछ और चाहते हैं तो उचित तरीके पर आघात नहीं पहुंचता। उचित तरीका मेज के चारों ओर बैठना है जैसा कि पहले से करते आ रहे हैं। इस इंडस्ट्री में प्रबन्ध और श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुए करार के बारे में बम्बई में बहुत अच्छा इतिहास बन गया है तथा सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया राजनीतिक उद्देश्य भी अस्त-व्यस्त हुआ है। मैं उनमें से नहीं हूं जो श्रमिकों को गलत रास्ते पर चलाकर उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए माननीय सदस्यों को अनुमति देंगे। मैं उनसे यह अनुरोध कर रहा हूं कि उन्हें काम पर आना चाहिए और जैसे कि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि यदि उनकी न्यायसंगत मांगें हैं, तो उनका समाधान सभा में बैठकर संवैधानिक और कानूनी साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। अतः मैं फिर उसी बात को कहता हूं कि यह ऐसा नहीं है कि हम श्रमिकों की मांगों के विरुद्ध हैं। वे श्रमिक चैम्पियन नहीं हैं। वे बम्बई के बारे में कह रहे हैं किन्तु वे भूल गए हैं कि वहां 13 पटसन मिलें हैं जिनमें तालाबन्दी चल रही है। तालाबन्दी, न कि हड़ताल। उन्होंने क्या किया है? (**व्यवधान**)। अब वे चिल्ला रहे हैं। जिस समय मैं पश्चिम बंगाल की बात करता हूं, वे चिल्लाते हैं। उन्हें सुनना चाहिए। (**व्यवधान**) देखिए वे किस तरह से चिल्ला रहे हैं।

अब फिर दूसरी बात पर वे चिल्लाएंगे। आज इस देश में न्यूनतम मजूरी केवल पश्चिम बंगाल के कपड़ा श्रमिकों को दी जाती है, जहां सी० पी० आई० (एम०) की सरकार है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : दिल्ली में 612 से अधिक गैरमंजूरशुदा कालोनियां हैं जहां 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। वे लोग सामान्यतः निम्न मध्य और गरीब वर्ग से संबंधित हैं। फरवरी, 1977 में तत्कालीन सरकार ने इन कालोनियों को मानवीयता के आधार पर नियमित करने की एक विस्तृत नीति पर निर्णय लिया था। 1980 में वर्तमान सरकार की स्थापना के बाद से अनेक कालोनियों को नियमित किया गया है जिसके लिए लोग आभारी हैं। लक्ष्मी नगर और शकरपुर भी ऐसी कालोनियां हैं, जो काफी लम्बे समय से अस्तित्व में हैं और जिनमें 2 लाख से भी अधिक लोग पक्के मकानों में रिहायश कर रहे हैं। 29 मार्च, 1982 के अतारांकित लिखित प्रश्न सं० 5670 के उत्तर में, निर्माण और आवास मंत्री ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की रिपोर्टों के आधार पर यह उत्तर देने की कृपा की थी कि ये कालोनियां सरकारी भूमि पर बनी हुई थीं इसलिए वे नियमित होने के लिए योग्य नहीं हैं।

सभा पटल पर रखे गए इस उत्तर से शकरपुर और लक्ष्मी नगर क्षेत्र तथा अन्य कालोनियों के लोगों के दिमाग में गलत धारणा पैदा हो गई है। ये कालोनियां भी ठीक वैसी ही कालोनियां हैं जैसी कालोनियों को नियमित किया जा चुका है। वास्तव में ये कालोनियां नियमित की गई तथा नियमित की जाने वाली कालोनियों से पुरानी हैं। इन कालोनियों के बारे में डी० डी०

ए० की रिपोर्ट सही नहीं है। लक्ष्मी नगर और शकरपुर से दूर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से भी अधिक कालोनियों को अभी नियमित किया जाना है और यह आवश्यक होगा कि वहां नागरिक सुविधाएं सुलभ कराई जाएं।

हमारे अनुरोध पर निर्माण और आवास मंत्री ने शनिवार, 17 अप्रैल, 1982 को मंत्रालय में एक बैठक बुलाई और सचिव, निर्माण तथा आवास, उपराज्यपाल, दिल्ली और वाइस-चेयरमैन, डी० डी० ए० की उपस्थिति में मामले पर विचार किया। उन्होंने यह बताया कि शकरपुर तथा लक्ष्मीनगर कालोनियां, दिल्ली नगर निगम तथा डी० डी० ए० के अनुसार 612 कालोनियों की सूची में शामिल की गई है और उन्हें सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जाएगा।

मंत्रालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। क्योंकि पहले का उत्तर लोक सभा के पटल पर रखे गए एक अतारांकित प्रश्न के माध्यम से आया था इसलिए स्थिति को संसद में ही स्पष्ट किया जाए।

यह मामला तत्काल लोक महत्व का मामला है और इसलिए मैं निर्माण और आवास मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय में एक वक्तव्य दें और यह स्पष्ट करें कि सरकार लक्ष्मीनगर तथा शकरपुर सहित सभी 612 कालोनियों को नियमित करेगी, जो डी० डी० ए० तथा एम० सी० डी० की सूची में हैं और उन कालोनियों में यथासंभव नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी संभावी कदम उठाएगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि वे उत्तर दे रहे हैं।

संसदीय कार्य, निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : आपको याद होगा, जिस दिन श्री राजदा ने नियम 377 के अधीन मामला पढ़ा था, मैं तुरन्त खड़ा हुआ और उसमें भाग लिया।

मेरे विद्वान मित्र श्री एच० के० एल० भगत द्वारा लक्ष्मीनगर और शकरपुर क्षेत्रों में गैरमंजूरशुदा कालोनियों के नियमित करने के बारे में नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले के संदर्भ में मैं निम्नलिखित स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

29 मार्च, 1982 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5670 के उत्तर में हमने कहा था कि डी० डी० ए० ने बताया है कि यद्यपि लक्ष्मीनगर और शकरपुर क्षेत्रों को नियमित करने हेतु प्रारूप तैयार किए गए थे किन्तु यह पाया गया था कि ये कालोनियां सरकारी भूमि पर आधिपत्य करके बसी हुई थीं और इस विषय की नीति के अनुसार वे नियमित करने हेतु योग्य नहीं हैं। मेरे विद्वान साथी के अनुरोध पर उपर्युक्त कथित दो क्षेत्रों के बारे में मामले पर विचार हुआ और मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि लक्ष्मीनगर और शकरपुर दोनों क्षेत्रों को डी० डी० ए० तथा एम० सी० डी० द्वारा तैयार की गई तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा संस्तुति पर 612 गैर-मंजूरसुदा कालोनियों की सूची में शामिल किया गया है और इन कालोनियों को सरकार की नीति के अनुसार नियमित किया जा रहा है, जिसे दिनांक 16 फरवरी, 1977 के सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है जो 6 दिसम्बर, 1978 के सरकारी आदेश के संशोधन के रूप में है। 15-3-1982 को डी० डी०

ए० और एम० सी० डी० ने 292 कालोनियों को नियमित किया है और शेष कालोनियों को नियमित करने का कार्य चल रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सरकार पर निर्भर करता है । जब नियम 377 के अधीन मामला उठाया गया था···(**व्यवधान**)

मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर दूं कि यह सरकार पर निर्भर करता है कि उसका तत्काल उत्तर दिया जाये । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है । प्रो० मधु दण्डवते । कृपया बैठ जाइये । (**व्यवधान**)

डा० वसन्त कुमार पंडित(राजगढ़): क्या हम अपनी सूचनाएं नियम 377 के अंतर्गत मंत्रालय को अग्रिम रूप से भेज सकते हैं ताकि वे उनका उत्तर तैयार कर सकें जैसे कि इस समय हो रहा है । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका नियम समिति में सुझाव दें । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर): हमें बहुत प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी जल्दी और जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया की है । हम जिस एक ही बात के लिए अनुरोध कर रहे हैं वह यह है कि नियम 377 के माध्यम से एक जैसे उत्तर दिए जाने चाहिए । मैं जानना चाहता था कि यह उन्हें कब दिया गया था ? क्या इसे आज सुबह दिया गया था ? यदि आज सुबह दिया गया था तो उन्हें यह आश्वासन देने दीजिए कि भविष्य में वे अन्य मामलों में उसको करेंगे । उन्हें आश्वासन देने दीजिए ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : यह मंत्री की इच्छा है कि वह प्रतिक्रिया करें । मैंने पहले बताया है कि हमारे विद्वान साथी श्री रत्नसिंह राजदा ने भी नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाया था तो मैंने तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसी बात को दुबारा कहने दो (**व्यवधान**)···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, सुन तो लें···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी बात को कार्यवाही में शामिल न करें । वे जो कुछ कह रहे हैं वह बिना मेरी अनुमति लिए कह रहे हैं । (**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : सदन का समय बरबाद न करें । (**व्यवधान**)

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि चूंकि अपने पक्ष के माननीय सदस्य थे । इसलिए मैंने नियम 377 के अंतर्गत दिए गए वक्तव्य का उत्तर दिया । लेकिन श्री राजदा तो जनता पार्टी के सदस्य हैं । उन्होंने इसी तरह नियम 377 के मातहत वक्तव्य दिया था और मैंने इमीडिएटली अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ।

** कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(दो) फरीदाबाद की पत्थर की खदानों में कर्मकारों की शिकायतें

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय मैं नियम 377 के अंतर्गत आवश्यक लोक महत्व का मामला उठाता हूं। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने पर मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए उनसे इस मामले पर भी वैसे ही वक्तव्य की आशा करता हूं।

हरियाणा में सूरज कुंड पर्यटन केन्द्र के समीप फरीदाबाद जिले के पत्थरों में काम करने वाले बंधुवा मजदूरों सहित हजारों मजदूर जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों से आए हैं, दिल्ली में संसद के सामने धरना देने और लोक सभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए पैदल गए थे, उस ज्ञापन में पेय जल सुविधाओं का नितांत अभाव पैदा किए जाने पर, पत्थरों के कण से प्रदूषण होने, उनकी व्यथा पर ध्यान दिलाने के लिए कहा गया था क्योंकि इससे तपेदिक और कैन्सर के अधिक मामले होते हैं। आवासीय सुविधा का पूर्णतः अभाव तथा लगभग सभी श्रम नियमों —बंधुवा मजदूर व्यवस्था (निराकरण) अधिनियम, 1976 और इन्टरस्टेट माइग्रेन्ट वर्कमेन्स एक्ट 1979 का उल्लंघन होता है।

उच्च न्यायालय द्वारा 5 मार्च, 1982 के आदेशों द्वारा भी बंधुवा मजदूर अपने संबंधित राज्यों को वापिस जाने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि उनके मालिकों द्वारा उनका ह्रास होता और क्योंकि उन्हें पुलिस संरक्षण की आवश्यकता होती है तथा वे पुनर्वास हेतु आश्वासन चाहते हैं।

इन पत्थर निकालने वाले मजदूरों की कहानी के बारे में केन्द्र सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त को बार-बार दिए गए अभ्यावेदनों के बावजूद उनकी आवश्यक मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं जिससे मजदूरों में असंतोष और दुःख की भावना पैदा हो गई है।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर मैं सरकार से इन बसे हुए और बंधुवा मजदूरों की मांगों और शिकायतों पर ध्यान देने और सुनने के लिए, मजदूरों को शांति और न्याय दिलाने के हित में आशा-जनक कदमों के बारे में सभापटल पर एक वक्तव्य देने हेतु अनुरोध करता हूं।

(तीन) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारी पानी उपलब्ध कराने के लिए उपायों की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना को (एम० ए० पी० पी०—1) चालू करने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हो गया है। इस तथ्य के बावजूद भी कि इस वर्ष के आरम्भ में परमाणु ऊर्जा विभाग का यह मत था कि 99 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, इस वर्ष अप्रैल तक स्थिति ज्यों की त्यों थी। समस्या भारी पानी की अनुपलब्धि की है जिसके कारण रूस से भारी पानी लेकर प्रयोग करने का निर्णय लेने तक राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की द्वितीय इकाई को चालू करने में भी पहले विलम्ब हुआ था।

विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार भारी पानी का स्वदेशी उत्पादन अभी भी अपर्याप्त है और निश्चय ही एक नई इकाई को चालू करने की भारी मात्रा में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

काफी नहीं है। विदेशी स्रोतों से भारी पानी प्राप्त करना कठिन हो सकता है परन्तु फिर भी सरकार को मद्रास की इकाई को अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखने के हक में निर्णय लेना होगा।

ऐसा पता चला है कि उचित आयोजना के अभाव में तथा आत्म-निर्भरता की दिशा में विकास के मार्ग की कठिनाइयों के कारण भी भारी पानी का उत्पादन कार्यक्रम दुष्प्रभावित हुआ है। तूती कोरिन और बड़ौदा दोनों ही भारी पानी के संयंत्र 1981-82 में चालू रहे थे। परन्तु उनमें तकनीकी समस्याएं व्याप्त हैं। तेलचर स्थित भारी पानी संयंत्र में 1981-82 में उत्पादन शुरू जाना था, परन्तु बिजली न मिलने के कारण, भारतीय उर्वरक निगम से संश्लेषित गैस की अनियमित सप्छाई तथा अन्य तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसा नहीं हो पाया।

मद्रास की 100 एकड़ में फैली परियोजना को चालू करने की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और देश की अन्य परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करे और यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम योजना बनाए कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारी पानी के संयंत्र चालू रहें।

(चार) जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से आये लोगों को नागरिकता प्रदान करने सम्बन्धी एक विधेयक को जम्मू और काश्मीर विधान सभा द्वारा पास किये जाने का समाचार

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू और काश्मीर विधान सभा ने सत्तारूढ़ नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी के एक प्राइवेट सदस्य द्वारा हाल ही में पुर: स्थापित किए गये विधेयक को पारित कर दिया है जिसमें राज्य सरकार को जम्मू और काश्मीर राज्य के उन भूतपूर्व नागरिकों को पुनर्वासन परमिटें प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है जो विभाजन के समय देश छोड़कर पाकिस्तान चले गये थे। इस विधान की संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप में गम्भीर जटिलतायें हैं जिन्हें सदन के समक्ष रखना मेरा कर्त्तव्य है।

संवैधानिक रूप में, नागरिकता एक ऐसा मामला है जो एकमात्र केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और केवल संसद ही उसके बारे में विधान बनाने में सक्षम है। वास्तुत: इसका प्रभाव यह है कि यह विधेयक एक राज्य विधानसभा को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है जो कि संविधान के मूलभूत ढांचे के ही विरुद्ध है और प्रथम दृष्ट्या यह इस विषय पर विधान बनाने के संसद के सार्वभौमिक अधिकार में हस्तक्षेप है। इसके सर्वोच्च स्तर पर पूर्ण अध्ययन की आवश्यकता है और मैं यह सुझाव दूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय मांगी जानी चाहिए।

संवैधानिक पहलू के अतिरिक्त इस विधेयक की राजनीतिक उलझनें बड़ी ही गम्भीर हैं। विभाजन के दौरान राज्य की सीमाओं पर जनसंख्या की, लोगों की भारी अदला-बदली हुई थी और गत पैंतीस वर्षों के दौरान पाकिस्तान द्वारा अधिकार में लिए गए जम्मू काश्मीर क्षेत्र से खदेड़े गये लोगों को जम्मू और कश्मीर में जमीनें दे दी गईं। इनमें से अधिकांश लोग समाज के कमजोर वर्ग के हैं और इस विधेयक के पारित किए जाने से उनमें असुरक्षा की गहरी भावना पैदा हो गई

है चूंकि इसमें राज्य सरकार की दया पर उनके किसी भी समय उखाड़े जाने का और अस्थिरीकरण का खतरा है। यह वास्तव में बड़े ही विस्मय की बात है कि जबकि वर्तमान सरकार ने विभाजन के दौरान उस पार से आने वाले हजारों हिन्दू और सिख परिवारों को निवासी का अधिकार प्रदान करने से कठोरतापूर्ण इन्कार कर दिया था और जो राज्य में गत 35 वर्षों से दूसरी श्रेणी के नागरिक के रूप में रह रहे हैं, उसी ने अब एक ऐसा विधेयक पास किया है जिससे वे लोग जिन्होंने उसी समय पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली थी अब फिर से बसने के लिए वापिस आ सकते हैं और सामान्यता सरकार की मर्जी से अपनी पुरानी सम्पत्तियों के लिए पुनः दावे कर सकते हैं।

संवैधानिक और राजनीतिक पहलुओं के अतिरिक्त इसमें सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर जटिलताएं भी हैं। यदि दया के आधार पर कुछ उचित मामलों में प्रत्यावर्तन की बात होती तो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा इन पर विचार किया जा सकता है, जैसाकि वास्तव में गत तीन दशकों में किया गया है। अब जो विधेयक पास किया गया है, वह राज्य में नागरिकता प्रदान करने की असीमित शक्ति सत्तारूढ़ दल को प्रदान करता है और इससे ऐसे लोग देश में घुस आयेंगे जो कि अवांछनीय हैं। जम्मू और काश्मीर के सम्पूर्ण सन्दर्भ को भुलाया नहीं जा सकता है, विशेषकर, जबकि पाकिस्तान 'काश्मीर की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय मंच' पर उछालने में लगा है और हाल ही में उसने आधुनिक और घातक हथियार प्राप्त किए हैं।

इन सब तथ्यों पर ध्यान देते हुए मैं दृढ़ता से अनुरोध करता हूं कि जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल को इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी कोई बात न हो जो देश को कमजोर बनाए, सारे मामले पर सर्वोच्च स्तर पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। यह अच्छा होगा यदि प्रधान मंत्री महोदया इस मामले पर सरकार की नीति या मत को स्पष्ट करते हुए सभा में एक वक्तव्य दें जिससे कि विधेयक के प्रस्तुत किए जाने से उत्पन्न भारी तथा व्यापक चिन्ता और आशंका को समाप्त किया जा सके।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मामला है। जम्मू और काश्मीर में एक लाख से भी अधिक हरिजनों को उजाड़ दिया जायेगा।

(पांच) तमिलनाडु को डीजल की सप्लाई करने में तेजी लाने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता

श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में औद्योगिक अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। तमिलनाडु में बिजली में इतनी अधिक कटौती की जाती है कि उद्योग केवल 20 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर पा रहे हैं। इसका प्रभाव कृषि कार्यों पर पड़ा है। बिजली से चलने वाले नलकूपों को बिजली नहीं मिल रही है। कुछ बिजली रात को दी जाती है, जबकि खेतों में काम आसानी से नहीं हो पाता है।

अब सारे तमिलनाडु में डीजल के नितान्त अभाव ने और भी दुर्गति कर दी है। इससे कोयम्बटूर में उद्योगों की दशा दयनीय हो गई है, जहां पर कि सैकड़ों अभियान्त्रिक फाउन्डरियां, जो

जेनरेटरों की सहायता से चलाई जाती थीं अब वे डीजल के अभाव में बन्द पड़ी हैं । इससे सारे राज्य में आवश्यक वस्तुओं और सब्जियों के लाने ले जाने पर भी प्रभाव पड़ा है । जैसाकि ऐसी परिस्थितियों में प्रायः होता है, कीमतें बढ़ रही हैं। जबकि जनता को मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं, डीजल ऊंचे दामों पर काला बाजार में बेचा जा रहा है। बहुत-से स्थानों पर लारियों, पर्यटक बसों और यात्री बसों आदि की मीलों लम्बी लाइनें लगी रहती हैं ।

राज्य सरकार द्वारा इस मामले को जिस तरह लिया गया है उससे स्थिति और भी बिगड़ गई है। डीजल की कमी होने के कारण उसकी सप्लाई को विनियमित करने के लिए कोई अभिकरण ही नहीं है ।

भारतीय तेल निगम कुल मांग के केवल 50 प्रतिशत की ही सप्लाई कर रहा है। अनुरक्षण के लिए कोचीन के तेल शोधक कारखाने के बन्द हो जाने के कारण डीजल की सप्लाई पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत सरकार तमिलनाडु को डीजल की सप्लाई को तेज करने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाती है तो समस्त तमिलनाडु अभूतपूर्व स्थिति में फंस जाएगा। तमिलनाडु को मिटने से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए ।

(छ) ब्रिटेन का दौरा करने वाली क्रिकेट टीम का चयन

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, जिस ढंग से कि इस ग्रीष्म ऋतु में इंग्लैण्ड का दौरा करने वाली टीम का चयन किया गया है। व्यक्तिगतरूप से, मैं क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों का बड़ा सम्मान करता हूं। परन्तु देशभक्त भारतीय होने के कारण मैं चाहता हूं कि यह टीम सचमुच ही भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करे। विदेशों में इस शृंखला के लिए भारतीय टेस्ट टीम के चयन से राष्ट्रीय सम्मान जुड़ा हुआ है और इसलिए चयन न केवल पक्षपात विहीन होना चाहिए, अपितु पक्षपात रहित लगना भी चाहिए। परन्तु बड़े ही दुःख से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि टीम को तदर्थ ढंग से चुना गया है जो कि सन्देह को जन्म देता है। कुछ खिलाड़ियों को इस खेल में उनकी वास्तविक निष्पादकता को देखे बिना ही चुना गया है और निष्पादकता रिकार्ड रखने का मामला है क्योंकि प्रत्येक खिलाड़ी के स्कोर और गेंदबाजी का विश्लेषण स्कोर पुस्तिका में रिकार्ड किया जाता है। जिन खिलाड़ियों के गेदों और बल्ले सम्बन्धी अच्छे रिकार्ड थे उन्हें नजरन्दाज कर दिया गया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड सामान्यतया और चुनाव समिति विशेषकर खिलाड़ियों के प्रति ही प्रतिबद्ध नहीं अपितु चयन के मापदण्ड को स्पष्ट शब्दों में रखने के लिए राष्ट्र के प्रति भी प्रतिबद्ध है ।

शिक्षा मन्त्रालय को क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड को निर्देश देने चाहिए कि वह उस आधार की घोषणा करे जिसको लेकर चयन किया गया है। यदि चयन स्वतन्त्र रूप से और ईमानदारी से किया गया है तो बोर्ड को क्रिकेट टीम के चयन में बरती गई नीति से आधार और नीति की घोषणा करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़ते हुए सरकार को आगामी दौरे के लिए विदेशी मुद्रा पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए और क्रिकेट खिलाड़ियों की विशेष समिति बनाकर सारे मामले का पुनरीक्षण कराया जाना चाहिए ।

(सात) आसनसोल-रानीगंज, दुर्गापुर क्षेत्र की टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण के सुधार करने के लिए उपायों की आवश्यकता

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार (दुर्गापुर) : महोदय, नियम 377 के अधीन श्री हरिकृष्ण लाल भगत द्वारा उठाए गए मामले का संसदीय कार्य मन्त्री महोदय द्वारा तैयारशुदा उत्तर दिये जाने की मैं प्रशंसा करता हूं । यहां मेरे मित्र मकवाना जी बैठे हैं । अभी वे मेरे द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए गए मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तर देते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं । मैं आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर औद्योगिक पट्टी के क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे और क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों समेत सांसदों द्वारा भेजे गए अनेक अभ्यावेदनों के बावजूद, उस क्षेत्र में टेलीफोन सेवाएं दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं। टेलीफोन सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ है । ग्रुप डायलिंग और एस० टी० डी० सेवाएं भी ठप्प पड़ गई हैं और ट्रंक सेवाएं ऐसी होती जा रही हैं कि उनपर निर्भर नहीं किया जा सकता है ।

ऐसी परिस्थितियों में, मैं बिना और विलम्ब के आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर क्षेत्र की टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण को सुधारने तथा ग्रुप डायलिंग और एस० टी० डी० सेवाओं को फिर से चालू करने हेतु, सरकार से तुरंत कदम उठाने का आग्रह करता हूं, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सके ।

मैं यह भी मांग करता हूं कि सम्बद्ध मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए सदन में एक वक्तव्य दें ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : महोदय, मकवाना जी यहां बैठे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह संचार मन्त्रालय की अनुदान की मांगों के दौरान उत्तर दे सकते हैं । जिन पर चर्चा चल रही है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : विपक्षी सदस्यों के साथ भेदभाव क्यों रखा जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ! जब श्री राजदा ने मामला उठाया था तो मन्त्री महोदय ने भी तुरन्त उत्तर दिया था ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : एक सूचना देनी है, मैं भी विपक्ष का एक सदस्य हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री योगेन्द्र मकवाना ने इसे नोट कर लिया है । जब वह उत्तर देते हैं तो आपको सदन में अवश्य होना चाहिए ।

(आठ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कुछ ब्लाकों में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए उपाय

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जनपद के धाता एवं विजयीपुर विकास क्षेत्रों में लगभग सौ गांवों के किसान, मजदूर बुरी तरह प्राकृतिक प्रकोप के शिकार हुए हैं। गत 23-24 मार्च की रात्रि में

इस क्षेत्र में भयंकर रूप से उपलवृष्टि हुई है, जिसके कारण रबी की तमाम तैयार फसल नष्ट हो गई है। कुछ गांवों में तो फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। मैं 10 अप्रैल को उस क्षेत्र में गया था और प्रकृति की विनाशलीला को देखा था। उस क्षेत्र के किसान, विशेषकर लघु सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक अधिक भयाक्रांत तथा पीड़ित दिखाई पड़े। उनके समक्ष जीवन-यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। जो भूमिहीन श्रमिक इस मौसम में फसलों की कटाई से कुछ आय कर लेते थे, उनके समक्ष बुभुक्षा की समस्या आसन्न है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा सरकार से साग्रह अनुरोध है कि उस क्षेत्र में अधोलिखित राहत कार्य तत्काल प्रारम्भ किए जाएं :

1. ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना को प्रभावी किया जाए तथा उसके अन्तर्गत सड़कों का निर्माण, तालाबों का उत्खनन, वृक्षारोपण तथा तत्सम्बन्धी कार्य तत्काल प्रारम्भ किये जाएं, जिससे श्रमिकों को जीविकोपार्जन का आधार मिल सके।

2. कृषकों द्वारा देय समस्त भुगतान, जैसे लगान, सहकारी समितियों द्वारा खाद, बीज, नकदी आदि ऋण, सिंचाई, विद्युत सम्बन्धी व्यय आदि स्थगित ही नहीं, वरन पूर्ण रूप से माफ किया जाए।

3. छोटे किसानों को फसल-क्षति के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

4. केन्द्रीय सरकार को प्रान्तीय सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके फसलों तथा पशुओं की बीमा-योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में उपाय करना चाहिए, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को कुछ राहत मिल सके।

(नौ) पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने की आवश्यकता

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, आदिकाल से ही मनुष्य और पशुओं का निकट का सहयोग और सम्बन्ध रहा है। कृषि प्रधान देश भारत में तो आदिकाल से अन्न उत्पादन के क्षेत्र में पशुओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी हमारे गांव में 99 प्रतिशत से भी अधिक किसान कृषि कार्य में पशुओं पर ही निर्भर करते हैं। दुधारू पशु मानवमात्र और जन स्वास्थ्य के लिए वरदान हैं। हिन्दू धर्मावलम्बी तो पशु अर्थात गऊ को गो माता के नाम से पुकारते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पशु को मारना, कष्ट देना, पाप माना जाता है।

जहां पशु मानव के लिए सहयोगी के रूप में पूजनीय रहा है, अनेक लोग पशु के मांस से अपनी क्षुधा बुझाने, उसके खाल से शरीर को ढकने तथा हड्डियों तक को उपयोग में लाते हैं, कहने का तात्पर्य मरणोपरान्त भी पशु का हाड़-मांस, चाम मनुष्य के उपयोग में आता है। इधर कुछ वर्षों से शनैः-शनैः पशुओं का विनाश और उसके प्रति क्रूरता बढ़ रही है। जंगली पशु और जानवर तो सामन्त लोगों के शिकार के नाम पर क्रीडा का साधन बन गए हैं। क्रूरता और पशुओं का विनाश देख केन्द्र सरकार ने सन् 1960 में पशुओं के प्रति क्रूरता का अधिनियम पुरः स्थापित किया, जिसे भारतीय संसद ने हर्ष ध्वनि से स्वीकृति दी। इस अधिनियम के अन्तर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता जैसे पशुओं को पीटना, क्षमता से अधिक भार ढोना, अकारण यातना देना, रोगी पशुओं से काम लेना, उन्हें भूखा रखना, अकारण बांध कर रखना, क्रूरतापूर्वक पीटना और मार डालना आदि पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और ऐसा क्रूर व्यवहार करने वालों के प्रति दंड

की व्यवस्था की गई थी। परन्तु पशुओं के प्रति क्रूरता करने वाले बाज नहीं आए। आज भी उनके साथ बर्बरता का व्यवहार हो रहा है।

इधर आजादी के बाद पशुओं की समुचित देखभाल, उनके रोगग्रस्त होने पर स्वास्थ्य लाभ एवं पौष्टिक आहार दिए जाने आदि की दिशा में प्रयास किए गए। पर उपेक्षित व दूषित कार्य प्रणाली के कारण आज भी हजारों पशु प्रति वर्ष काल के गाल में समा रहे हैं।

नगरीय क्षेत्रों में पशु पालक दुधारू पशुओं को ही अक्सर रखते हैं, उनके साथ में ये शहरी लोग जिस प्रकार क्रूरता का व्यवहार करते हैं, वह संवैधानिक दृष्टि से अपराध की सीमा में नहीं आता। 80-90 प्रतिशत शहरी पशु पालक अपने कथित पशुओं को मात्र दूध दोहने के लिए घर रोकते हैं। स्वार्थ निकल जाने के बाद पुनः सड़कों पर छोड़ देते हैं। जो नगरीय क्षेत्रों से लेकर सटे ग्रामीण इलाकों के कृषकों की फसलों तक को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी भी नगर के किनारे के गांव में जाकर वहां के किसानों से मिलकर पूछने और उनके खेतों को देखने पर सहज ही में नुकसान की सीमा को आंका जा सकता है। यह प्रक्रिया मैं नगर सीतापुर में 20 वर्षों से देखता आ रहा हूं। पड़ौसी गांव के लोग शहरी पशुओं से परेशान हैं। पशुपालक पशु के पकड़े जाने पर छुड़ाने के लिए किसानों को भय व आतंक से परेशान करते हैं। शहरी पशुओं के नुकसान से सीमावर्ती किसान दाने-दाने का मोहताज हो जाते हैं। प्रशासन भी कानून के अभाव में उनकी कोई मदद नहीं कर पाता।

यही नहीं शहरी छुट्टा पशुओं के साथ स्वाभाविक रूप से नुकसान करने पर क्रूरता का व्यवहार होता है। कभी-कभी बुरी मार से शरीर क्षत-विक्षत भी हो जाता है। पर इसकी जिम्मेदारी उस क्रूरता करने वाले की नहीं बल्कि उस क्रूर व्यक्ति की है जो मात्र दूध या अपने उपयोग के लिए पशु को पालता है। खाना देने और बांध रखने की जिम्मेदारी से वह भागता है। ऐसे स्वार्थी मनुष्य तो रोगग्रस्त पशुओं का इलाज तक नहीं कराते।

सरकार से मेरी मांग है कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण विधेयक को संशोधित कर पशुओं को छुट्टा रखने वाले पशुपालक को अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए और पशुओं के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए ताकि बेजुबान पशु मात्र लोगों के स्वार्थ सिद्धि का साधन ही न रहें। पशु पालक उसकी सेवा और नियन्त्रण में रखने के लिए बाध्य हों। मेरी केन्द्र सरकार से यह भी प्रार्थना है कि वह राज्य सरकारों से भी कहे कि पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार करने वाले स्वार्थी लोगों के विरुद्ध प्रभावी कानून बनावे जिससे पशु क्रूरता से मुक्त हों और पशुओं के नुकसान से आम शहरी और गांव के किसान बच सकें।

(दस) बिहार में कोल्हन की लौह अयस्क खानों का राष्ट्रीयकरण

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कोल्हन जिसे परम्परागत रूप से कोल जनजाति की भूमि के नाम से जाना जाता है के अन्तर्गत चैबासा, खुंतपानी, झिकपानी, टोंटो जगन्नाथपुर, नोआमुंडी, मझगांव, कुमारडुंगी, मंझारी और वर्तमान सिंघभूम जो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है टाटानगर विकास खण्ड में आते हैं। यह क्षेत्र 3107.8 किलोमीटर में फैला हुआ है और 1971 की

जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 5,23,488 है। कोल्हन में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 66.83 प्रतिशत है।

कोल्हन में सर्वाधिक खनिज भडार हैं। यहां कच्चा लोहा, चीनी मिट्टी, चूने का पत्थर, क्रोमाइट, मैंगनीज आदि बहुतायत में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कोल्हन के एक तिहाई भाग में बहुत अच्छे किस्म का जंगल हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि कोल्हन ऐसी राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक बृहत भंडार है, कोल्हन के निवासी, होस, मुंडा, गोप, टांटी तथा अन्य अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े जातियों की खनन-कार्य तथा जंगल के व्यावसायिक कारबार में सर्वाधिक उपेक्षा की गई है।

सम्पूर्ण कोल्हन क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा इलाका है। वहां केवल 1344 किलोमीटर सड़क है। वहां के कुल 783 गांवों में से मुश्किल से 50 गांवों में बिजली गई है। जिनकी नकद आमदनी है वे अपने बच्चों को बरायनाम स्कूल भेजते हैं। इन जातियों को आजीविका का एकमात्र साधन खेती है, इन लोगों की भूमि को धीरे-धीरे खनन कार्यों के लिए लिया जाता रहा है जिससे इस क्षेत्र में अधिकाधिक निवासी कंगाल हो गये हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा कुली बन गये हैं।

कोल्हन छोटा नागपुर का एक भाग है जहां छोटा नागपुर टीनेंसी अधिनियम, 1908 लागू है। यह कानून जनजातियों की भूमि को विशेष संरक्षण देने के लिए बनाया गया था। तदनुसार, छोटा नागपुर में जिलाधीश की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी जनजातीय भूमि का अतिसंक्रामण नहीं किया जा सकता और वह भी उद्योगों, शिक्षा, खनन और धर्मों के सीमित प्रयोजनों के लिए।

कोल्हन में मोटे तौर पर 250 खानें हैं जिनमें से अधिकतर ठेकेदारों द्वारा निजी तौर पर संचालित किया जाता है। खनन प्रयोजनों के लिए जनजाति के लोगों से भूमि अर्जित करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले कानून के स्पष्ट उपबन्धों का घोर अतिक्रमण करके ये ठेकेदार लोग जनजातीय लोगों को उनकी कृषि भूमि से भगा देते हैं। पूजा स्थलों तथा कब्र स्थानों को नष्ट कर देते हैं, प्रतिकर के रूप में थोड़ी-सी राशि दे देते हैं और प्रायः स्थानीय पुलिस की सहायता से खनन कार्य आरम्भ कर देते हैं।

इन गैर सरकारी खानों में श्रमिकों की हालत अतिदयनीय तथा अमानवीय है। केन्द्रीय सरकार जो समुचित प्राधिकारी है, ने अधिसूचित किया है कि थोड़ी खानों के सिवाय, अन्य चीनी मिट्टी तथा चूने के पत्थर की खानों में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 6.65 रु० प्रतिदिन होनी चाहिए। इस समूचे इलाके में यह न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। कई अनिश्चित तरीकों से मजदूरों को 3.00 रुपए या 3.50 रुपए मजदूरी स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है।

कच्चे लोहे की खानों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए वहां सौदेबाजी होती है। इन मजदूरों की साप्ताहिक आय केवल 15 रुपए है। इतनी कम मजदूरी का भी कुछ खानें दो-तीन महीने तक भुगतान भी नहीं करते।

अन्य उपबन्धों यथा भविष्य निधि, छुट्टियों, बोनस, उपदान, प्रसव सुविधा, बीमारी की छुट्टियों, चोटें आदि के लिए प्रतिकर की तो उपरोक्त खानों में बातें तक सुनने में नहीं आती हैं।

जोखिमपूर्ण खनन कार्य तथा गैर-कानूनी खनन कार्य तो कोल्हन में आज आम बात हो गई है। बहुत-सी तथा कई जगह जनजातीय कृषि भूमि खोदी गई है और उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है और लोग उसका भू-कर अदा कर रहे हैं और खनन कार्याधीन भूमि राष्ट्रीय कोष को भारी क्षति और जनजातीय कृषकों को अपूरणीय नुकसान पहुंचा रही है।

इस प्रकार, जनजातीय लोग, जिन्हें आजीविका के अपने एकमात्र साधन से गैर-कानूनी तौर पर वंचित कर दिया गया है, अन्त में इन्हीं खानों में कुली बन जाते हैं या उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश की ईंट की भट्टियों तथा पत्थर की खानों में काम करने के लिए चले जाते हैं।

स्थिति का तकाजा है कि सरकार तथा देश के सभी लोकतंत्रीय तथा प्रगतिशील विचारों के लोग इन खानों का निजी स्वामित्व पूरी तरह समाप्त करने और इन खानों को सीधे केन्द्रीय सरकार के प्रबन्ध स्वामित्वाधीन चलाने के लिए एक निगम की स्थापना करने के लिए तुरन्त हस्तक्षेप करें और निगम की स्थापना केवल व्यावसायिक लाभ कमाने की दृष्टि से न करके इन स्थानीय जनजातियों के कल्याण के लिए की जाए, जिनकी भूमि तथा श्रम का राष्ट्र की प्रगति के लिए अत्यधिक योगदान है।

मेरी मांग है कि सरकार इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करे।

(ग्यारह) भूसंरक्षण के उपाय करने के लिए उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंहपुर) : उड़ीसा में भू-कटाव से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक प्राक्कलन के अनुसार राज्य के कुल भू-धरातल का लगभग 47 प्रतिशत भाग किसी न किसी तरह भू-कटाव से प्रभावित है। हालांकि हवा के जरिए होने वाला भू-कटाव अधिकतर तटवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है, किन्तु पानी से होने वाला भू-कटाव समूचे राज्य की समस्या है। लगभग 31 लाख हेक्टेयर उच्च कृषि भूमि जिसमें अधिकतर बांध तथा सीढ़ियों के बिना खेती की जाती है, भारी वर्षा से भू-कटाव का शिकार होती रहती है। बंजर भूमि भी (28.8 लाख हेक्टेयर) जिसमें पर्याप्त वनस्पति नहीं है, भू-लवणता या पानी जमा होने के कारण प्रभावित है।

तटवर्ती क्षेत्रों में खेतिहर भूमि, जो लगभग 550 किलोमीटर समुद्र तट से जुड़ी हुई है, हवा से उड़ने वाले बालू टीलों से प्रभावित है। इसके अलावा, स्थान बदल खेती गंभीर समस्या पैदा कर रही है जिससे कोरापुर, कालाहांडी तथा राज्य के अन्य अन्तर्देशीय जिलों में लगभग 12,770 वर्ग मील भूमि प्रभावित हो रही है।

उड़ीसा की अर्थव्यवस्था में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज के लगभग 75 प्रतिशत भूमिजीवी लोग खेती से अपनी आजीविका कमाते हैं। लेकिन भूमि-कटाव से उनकी खेती के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसलिए, भू-कटाव की समस्या को हल करना आवश्यक है, जब तक भू-संरक्षण तथा नमी के लिए तुरन्त कुछ उपाय नहीं किये जाते तब तक राज्य के कृषक वर्ग को नुकसान पहुंचता रहेगा। भू-कटाव राज्य की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगा।

इस स्थिति को देखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अनुमोदित भू-संरक्षण उपाय यथा वृक्षारोपण, समोच्च बांधों का निर्माण, भू-संरक्षण ढांचों का निर्माण और नदी बांध, भू-कटाव नियंत्रण उपाय किए जाने चाहिए। भारत सरकार को उड़ीसा में इन भू-संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करने के लिए अबिलम्ब धन के नियतन में वृद्धि करनी चाहिए।

———

अनुदानों की मांगें, 1982-83

संचार मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेते हैं—संचार मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

श्री सुशील भट्टाचार्य। आपके दल को 22 मिनट का समय दिया गया है।

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको इस समय पीठासीन देखकर मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप डाक व तार संचार विभाग के एक भूतपूर्व कर्मचारी हैं और हम इस समय संचार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं।

सबसे पहले मैं इस सम्मान्य सभा के समक्ष सरकार का वह ढंग पेश करूंगा जिससे उसने संसद की उपेक्षा करके केन्द्रीय बजट पेश करने से केवल 25 दिन पूर्व एक कार्यपालिका आदेश द्वारा मनमाने तौर पर टेलीफोन तथा तार की दरें बढ़ा दीं और कुछ अन्य चीजों की शुल्क-दरें बढ़ा दीं। निस्संदेह, एक लोकतन्त्रीय गणराज्य की संसद के प्रति निरादर प्रदर्शित किया है। मैं यहां दिल्ली के समाचार पत्रों की संपादकीय टिप्पणियों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। किन्तु यहां इस बात पर गौर फरमाना महत्वपूर्ण है कि 19 फरवरी, 1981 को राज्य सभा के सभापति ने सरकार को इस बात पर लताड़ा था कि उसने एक कार्यपालिका आदेश द्वारा बजट सत्र के ठीक पहले डाक तथा दूर संचार दरों में वृद्धि की है।

वास्तव में इसके पीछे लोगों को धोखा देने का यह इरादा मौजूद था कि लोग यह महसूस करें कि बजट स्पष्टतः कम बोझ वाला है। इसके अतिरिक्त, डाक शुल्क दर सूची में मूल्य वृद्धि करने के लिए कुछ उपबंध हैं। इस वृद्धि से सभी वर्ग प्रभावित होंगे खासकर, आम लोगों पर इसका असर ज्यादा पड़ेगा। इस प्रकार इस बात का विश्वास करने के लिए हर कारण मौजूद है कि ये वृद्धियां अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चौधरियों के निदेशों का समाधान करने के लिए की गई हैं।

देश में डाक व तार सेवाओं को अब तक सर्वोत्तम सेवाओं में से एक समझा जाता था। किन्तु कई वर्षों से गलत तथा अकल्पनाशील योजना के कारण उसकी सेवाएं बदतर होती जा रही हैं। टेलीफोन सेवाओं के बारे में शिकायतों के ढेर हैं। टेलीफोन महीनों तक खराब रहते हैं। गलत

लाइनों का बोलबाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि गलत बिल भेजना तो आम बात हो गई हैं। किन्तु अभी तक कोई सुधार नहीं किया गया है। विभिन्न संगठनों, चैम्बर आफ कामर्स, मान्यता प्राप्त संघों द्वारा दिये गए सुझावों की उपेक्षा की गई है। अभी मेरे साथी श्री हाल्दार ने टेलीफोन सेवाओं में अनियमितताओं के बारे में कुछ बातें कहीं और उन्होंने नियम 377 के अधीन संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है।

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े शहरों में स्थानीय टेलीफोन सुविधाएं एक-सी नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्थानीय टेलोफोन सुविधा 20 किलोमीटर के अन्दर दी जाती है। कलकत्ता क्षेत्र में, उलुबेरिया, बजबज, बारुइपुर और बारसाट में जो कलकत्ता से क्रमशः 36, 26, 25, और 33 किलोमीटर की दूरी पर हैं, स्थानीय टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध हैं। थाना एक्सचेंज बम्बई से लगभग 34 किलो मीटर है, फिर भी थाना एक्सचेंज में स्थानीय टेलीफोन सुविधा प्राप्त है। इसी प्रकार बल्लभगढ़, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और गुड़गांव दिल्ली से 40, 38, 34 और 32 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहां भी स्थानीय टेलीफोन, सुविधा प्राप्त है। किन्तु पश्चिम बंगाल में चिनसुरा और चंडीतला को स्थानीय टेलीफोन सुविधा से वंचित रखा गया है। कलकत्ता से इन नगरों की निकटता को तथा उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं उम्मीद करता हूं कि चिनसुरा और चंडीतला में भी स्थानीय टेलीफोन सुविधा उपलब्ध की जायेगी।

मैं अब संचार मंत्री का ध्यान राज्य टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन की ओर दिलाना चाहता हूं।

9 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2635 के उत्तर में संचार मंत्रालय में उस समय के राज्य मंत्री ने यह कहा था :

> "व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, चिकित्सा और विधिक व्यवसाय जैसी विभिन्न श्रेणियों के अधीन नामनिर्देशन उनके संगठनों तथा सहायक निकायों की सिफारिशों पर किया जाता है।
>
> संसद-सदस्य संसदीय कार्य विभाग द्वारा नाम निर्देशित किये जाते हैं और विधान सभाओं के सदस्यों या नगर निकायों का नाम निर्देणन राज्य सरकारों या सम्बन्धित नगर निकायों की सिफारिशों पर किया जाता है।"

अब मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी ? संसदीय कार्य विभाग ने क्या किया है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनकी अपनी पंसद रही होगी। परन्तु क्या मंत्री महोदय हमें इससे अवगत करेंगे कि राज्य सरकारों तथा नगर निकायों को अवसर क्यों प्रदान नहीं किया गया ?

जहां तक टेलीफोन सेवाओं का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने का सम्बन्ध है, नाम मात्र का काम हुआ है। दिनांक 17-12-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर में संचार मंत्री ने बताया था :

> "वित्तीय वर्ष 1980-81 में कोई शाखा डाकघर या सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया।"

यह स्थिति बर्दवान जिले की है जहां से मैं आया हूं । आशा है, मंत्री महोदय इस वर्ष यदि कोई प्रगति हुई है तो, इस पर प्रकाश डालेंगे ।

अब मैं तारों के विषय पर आता हूं । आजकल अधिकांश तारें डाक द्वारा भेजी जाती हैं । दिनांक 9-3-82 के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर में संचार मंत्री ने यह स्वीकार किया था । उन्होंने कहा था कि उन मामलों में उन्हें विमान द्वारा या तुरन्त उपलब्ध किसी अन्य परिवहन द्वारा भेजा जाता है । मैं यहां अपने अनुभव के आधार पर दो उदाहरण पेश करना चाहता हूं । अवरी एम्पलाइज फेड्रेशन के अध्यक्ष द्वारा कलकत्ता से 1-3-82 को भेजा गया तार मुझे 6-3-82 शाम को मिला जबकि तत्पश्चात्वर्ती भेजा गया उनका पत्र मुझे 4-3-82 को मिल चुका था ।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं । मैंने नई दिल्ली से 11 दिसम्बर, 1981 को जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में शुभ कामनाएं भिजवाई थीं जो कि कलकत्ता 14 दिसम्बर, 1981 को पहुंचीं । यह बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ग्राहकों से धोखा किया जाता है क्योंकि उन्हें पैसे लौटाये नहीं जाते हैं । मैं ये सभी पत्र सभा पटल पर रख सकता हूं । ये सभी अनियमितताएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि उच्च अधिकारियों का रवैया बहुत ही उपेक्षापूर्ण है । वे उचित उपचारी उपायों, पर्याप्त कर्मचारियों तथा उनकी संतोषजनक सेवा शर्तों की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं । मशीनें खराब हैं और मशीनों तथा उपकरणों की मरम्मत आदि का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है ।

कार्य दिवसों पर भी डाक न बांटने से विद्यमान डाक सेवाओं में भी कमी की गई है । छुट्टियों वाले दिनों को तो डाक बिल्कुल बटती ही नहीं है । महानगरों और उपनगरों से डाक की निकासी के समयों में भी कमी कर दी गई है क्योंकि डाक गाड़ियां उपलब्ध नहीं हैं । विभाग ने मनमानी तौर पर अन्तिम निकासी का समय 18 बजे की बजाए, जो बहुत समय पहले से था, 14 बजे कर दिया है । विभाग ने रेल डाक सेवा के अधीन निरंतर छंटाई योजना को बन्द कर दिया है और छंटाई अनुभागों को आवास की कमी के आधार पर पारेषण अनुभागों में परिवर्तित कर दिया है । मैं ये सभी मामले माननीय मंत्री के ध्यान में पहले ही ला चुका हूं और मैं चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें ।

यथापेक्षित नियमित कर्मचारी रखने की बजाय छंटाई का काम अब अप्रशिक्षित कर्मचारियों से कराया जाता है जिससे दक्षता का स्तर गिर गया है । एक ओर तो यह एक अनुचित श्रम प्रथा है और दूसरी ओर इससे कभी-कभी डाक सेवाओं में बाधा पड़ती है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है ।

दिनांक 23-3-81 के मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 4614 के भाग (ख) के उत्तर में संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री ने बताया था कि रेल डाक सेवा, बर्दवान में आवास की कमी की समस्या को दूर करने के लिए वहां का कोई भी कार्य दुर्गापुर या आसनसोल में नहीं भेजा गया था । परन्तु तथ्य यह है कि आवास की कमी के कारण द्वितीय श्रेणी की समस्त डाक, पैकेट आदि अब भी दुर्गा-पुर भेजे जा रहे हैं । महोदय, क्या यह संसद को भ्रम में रखने की बात नहीं है ?

डाकियों की क्या स्थिति है ? प्रधान मंत्री ने संचार मंत्री को एक पत्र में लिखा था कि "वे एक महत्वपूर्ण काडर हैं। वे एक पवित्र कार्य कर रहे हैं और लोगों की सेवा में लगे हुए हैं।" माननीय संचार मंत्री, श्री सी० एम० स्टीफन ने हाल ही में कलकत्ता में संवाददाता सम्मेलन में कहा था, "वे शांति के दूत हैं और जब वे मरेंगे तो वे स्वर्ग में जायेंगे।" वे स्वर्ग में नहीं जाना चाहते। उन्हें तो शिष्ट जीवन बिताने के लिए उचित मजदूरी तथा आवास की जरूरत है। उनका वेतन मान 210-4-270 रुपये का है और महंगाई भत्ता भी मिलता है। अनुपस्थित डाकिये के स्थान पर रखे गये व्यक्ति को पूरा दिन काम करने पर केवल चार रुपये दिए जाते हैं। यह दर 1-2-1973 को नियत की गई थी। यद्यपि डाक तथा तार बोर्ड ने इस कम दर को बढ़ाने का फैसला किया था परन्तु वित्त विभाग ने इसकी मंजूरी नहीं दी।

सभापति महोदय : मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस सभा के सदस्यों को यहां अपने भाषण पढ़ने की अनुमति नहीं है।

श्री सुशील भट्टाचार्य : जब कभी आवश्यक होता है, मैं उद्धृत कर देता हूं।

सभापति महोदय : यह उद्धृत करने का प्रश्न नहीं है। आप तो अपना सारा भाषण ही पढ़ रहे हैं। कुछ भी हो, मैंने यह बात आपके ध्यान में ला दी है जिससे आप भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

श्री सुशील भट्टाचार्य : दिनांक 24 नवम्बर, 1981 के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या 23 के उत्तर में माननीय मंत्री ने सभा को सूचित किया था कि अतिरिक्त कार्य के लिए भत्ते की दर को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। डाकियों के वेतन-मान की मांग संयुक्त सलाहकार तंत्र के अधीन विभागीय परिषद् ने ठुकरा क्यों दी थी ? इससे उन्हें लोकतंत्रात्मक तथा कार्मिक संघ के अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। वेतन-मानों के मामले में मध्यस्थता के अधिकार से वंचित करके डाक एवं तार बोर्ड ने संयुक्त सलाहकार तंत्रीय करार का उल्लंघन किया है। मध्यस्थता से इन्कार का हवाला डाक तथा तार के महानिदेशक के दिनांक 22-10-81 के पत्र संख्या 28/ 38/ 80 एस० आर० में है।

अब मैं डाक तथा तार विभाग के श्रेणी चार के कर्मचारियों के बारे में कहता हूं। इन कर्मचारियों के साथ बन्धुवा श्रमिकों जैसा सलूक किया जाता है।

सभापति महोदय : अब अपना भाषण इस तरह पढ़ते न जाइये।

श्री सुशील भट्टाचार्य : इन कर्मचारियों के लिए काम का कोई नियत मानदण्ड नहीं है। कार्य का मानदण्ड नियत करने का प्रश्न 1977 से लम्बित है। अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उनके कार्य का मानदण्ड कब नियत किया जायेगा और उनके साथ कब न्याय किया जायेगा। सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी तथाकथित विभागेतर कर्मचारी हैं। हाल ही में की गई वृद्धि के बावजूद उन्हें प्रति मास 118 रुपए दिये जाते हैं। वे अपना कार्य नियमित कर्मचारियों की तरह करते हैं। नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है। अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य छोटे-मोटे फायदे भी नहीं दिये जाते हैं।

विभाग की समस्याओं का पता लगाने के लिए सरीन समिति नियुक्त की गई थी और उसने दशा सुधारने के लिए कुछ उपाय भी सुझाये थे। सरीन समिति की मुख्य सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी कि दूर संचार के लिए एक अलग बोर्ड होना चाहिये। उस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि डाक तथा तार बोर्ड में जब भी कोई बैठक होती है, दूर संचार अधिकारी या तो अनुपस्थित होते हैं अथवा अपनी समस्यायें पेश करने से कतराते हैं। अपनी समस्यायें मंत्री महोदय के समक्ष भी नहीं रखते हैं। चाहे उनका एक अलग बोर्ड हो भी जाये, तब भी, मुझे शंका है, वे अपने मामलों को प्रभावी ढंग से पेश नहीं कर सकेंगे। वास्तव में सर्कल स्तर पर विभाजन दस वर्ष पूर्व किया गया था। सर्कल प्रशासन तो क्षेत्रीय संगठन होता है। इसी स्तर पर सुधार किया जाता है। यदि कुछ करना हो तो इसी स्तर पर होना चाहिये। परन्तु वे सुधार केवल उच्चतम स्तर पर करना चाहते हैं। इससे डाक तथा तार विभाग की स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। उच्चतम स्तर पर डाक तथा तार विभाग का विभाजन करने से उच्च सेवाओं में पदों की संख्या बढ़ जायेगी और इसका फायदा केवल उन्हीं अधिकारियों को होगा जिनके पास पदोन्नति के पहले ही अधिक अवसर हैं। मेरा विश्वास है कि उच्च स्तर पर विभाजन से दक्षता में भी कोई सुधार नहीं होगा।

सरीन समिति का प्रतिवेदन अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है और अधिकांश सदस्यों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर भी, कुछ सिफारिशें, जो कर्मकारों के लोकतंत्रात्मक अधिकारों पर रोक लगाने के बारे में हैं, क्रियान्वित की जा रही हैं।

एक कार्यालय में काम करने की अवधि के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया जा रहा है। यहां तक कि सबसे कम वेतन पाने वाले सफाई कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है।

कार्यालय परिसरों में बैठकें करने नहीं दी जाती हैं। संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के अधीन करारों तथा फैसलों का उल्लंघन किया जाता है, वेतन-मानों, दैनिक यात्रा भत्ता आदि में वृद्धि करने के लिए विभागीय परिषदों में संगत प्रश्न उठाने की अनुमति तक नहीं दी जाती है और मामला मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने से भी इन्कार कर दिया है। 19 जनवरी को हुई अखिल भारतीय हड़ताल के बाद प्रतिशोधी रवैये के कुछ विशेष मामलों का हवाला देना चाहता हूं। 19 जनवरी को अनुपस्थित अधिकारियों को, विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा केरल में, निर्दयतापूर्वक दण्ड दिया गया। उनके वेतन में कटौती की गई, सेवा की निरन्तरता में बाधा डाली गई। जबकि तथाकथित उन निष्ठ कर्मचारियों के लिए लाखों रुपए खर्च किये गये जिन्होंने केवल रजिस्टर में हाजरी भरी थी, परन्तु कोई काम नहीं किया था। ऐसे अधिकारियों को वेतन और भत्तों के अतिरिक्त प्रतिदिन 21 रुपए का भत्ता भी दिया गया।

डाक तथा तार विभाग को घोषित करना चाहिये कि क्या यह विभाग लोकोपयोगी सेवा कर रहा है या इसका संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जा रहा है? यदि यह लोकोपयोगी सेवा है, तो निधियां सामान्य निधियों में से उपलब्ध की जानी चाहिये? यहां यह कहना भी संगत ही होगा कि डाक तथा तार विभाग अपना खर्च स्वयं वहन कर सकता है। उनके पास डाक बचत बैंक में बहुत ही अधिक धन है। इसकी शाखायें भारत में दूरस्थ ग्रामों में फैली हुई हैं और यह

बैंक विश्व भर में जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। इस वर्ष, जब इसकी शताब्दी मनाई गई, घोषणा की गई थी कि डाक बचत बैंक में 9,000 करोड़ से भी अधिक रुपए जमा हैं। तथापि विभाग को 8.28 रुपए का पूरा प्रभार नहीं लेने दिया जाता। उन्हें केवल 2.25 रुपये का प्रभार ही दिया है। यदि विभाग को 8.28 रुपए का पूरा सौदा-प्रभार दिया जाये तो यह विभाग आत्मनिर्भर हो सकता है और अपना खर्च स्वयं वहन कर सकता है और गत कुछ वर्षों की तुलना में इसके बजट में कहीं अधिक बचत हो सकती है। जब तक कर्मचारियों की सेवा स्थितियों में सुधार नहीं होता तब तक डाक तार विभाग की सेवा में सुधार नहीं हो सकता। मितव्ययिता के नाम पर एक महत्वपूर्ण सेवा क्षमता को क्षति नही पहुंचानी चाहिये। मेरा भी यही सुझाव है कि इस विभाग को वित्त एवं गृह (कार्मिक विभाग) की दखल से मुक्त कर दिया जाये। रेलवे के समान डाक-तार विभाग का भी एक प्रथम बजट होना चाहिये। अन्त में, महोदय, मैं अपने संचार मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पत्रों को बीच में रोके रखने तथा टेलीफोनों को टेप करने की घृणित प्रक्रिया को तत्काल समाप्त कर दिया जाये। उपरोक्त विचार भारतीय नागरिकों की स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्रिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध है।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद !

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, विगत दिनों में कम्युनिकेशन्ज डिपार्टमेंट के कुछ कार्यों और फंक्शन्ज की आलोचना करने का मुझे भी अवसर मिला। लेकिन आज जब लम्बे अन्तराल के बाद यह सदन इस विभाग की सारी कार्यविधियों का विवेचन कर रहा है, तो मैं निश्चित तौर पर इतने बड़े विशाल संगठन को मैनेज करने के लिए मंत्री महोदय, उनके सहयोगियों, उनके विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहूंगा।

हमारे इस विकासशील देश में संचार सेवाओं का बड़ा महत्व है और उस महत्व को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना में उन पर बहुत जोर दिया गया है। मुझे खुशी है कि विभाग के लोगों ने, जो चैलेंज उनके सामने है, उसे स्वीकार किया है और इस क्षेत्र में नये-नये आयामों को खोजा है, लोगों को नई सुविधाएं देने का प्रयास किया है।

1977 से पहले इस विभाग का बहुत बड़ा नाम था। लेकिन 1977 के बाद इस विभाग की सेवाओं में बहुत कुछ गिरावट आई है। उसके कतिपय कारण रहे हैं। कुछ कारण प्रशासनिक हो सकते हैं। मांग का ज्यादा होना या विकास की आवश्यकता का ज्यादा होना इसका कारण हो सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण इस विभाग में पारस्परिक गुटबाजी है। जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट का गलत रुख है, वह भी बहुत हद तक इसके लिए उत्तरदायी है। जिस विभाग का बहुत बड़ा नाम था, उस नाम पर बहुत कुछ धब्बा लगा है। यही कारण है कि इस सदन में एक से अधिक सदस्य अपने पार्टीगत दृष्टिकोणों को छोड़कर इस विभाग की कार्यविधियों की आलोचना कर चुके हैं।

माननीय मंत्री, श्री स्टीफन, एक सक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम नेता हैं। उनके सहयोगी भी सक्षम व्यक्तित्व और जानकारी रखने वाले लोग हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस विभाग की सारी कार्यविधियों का ठीक से मूल्यांकन करें और सोचें कि कमी कहां पर है। उन्होंने विभिन्न कमेटियां और स्टडी

ग्रुप्स बिठाए हैं और इस संदर्भ में वर्कशाप आयोजित किए हैं। उनके सामने उनकी रीकमेंडेशन्ज हैं, सरीन कमेटी की रीकमेंडेशन्ज हैं। उनमें से जो रीकमेंडेशन्ज ठीक लगें, उन्हें मंत्रालय को मानना चाहिए और मंत्री महोदय को उन सुझावों के संदर्भ में उचित मेजर्ज के साथ इस सदन और जनता के सामने आना चाहिए।

आज स्थिति यह है कि न केवल इस विभाग की दैनिक सेवाओं में गिरावट आई है, बल्कि हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्ज, मद्रास और आई० टी० आई०, बंगलौर, नैनी और श्रीनगर में भी, जहां हमारे साज-सामान उत्पादित किए जाते हैं, गिरावट आई है। इसलिए हमारा नई लाइनें बिछाने का कार्यक्रम पिछड़ गया है। जहां 1979-80 में 1,48,000 डायरेक्ट एक्सचेंज लाइनें बिछाई गईं, वहां 1980-81 में 1,33,000 लाइनें बिछाई गईं।

1979-80 में जहां 564 नये एक्सचेंज कमीशन किए गए, 1980-81 में केवल 441 नये एक्सचेंज स्थापित किए गए जब कि छठी पंचवर्षीय योजना में इस मंत्रालय के लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह 3500 एक्सचेंजेज स्थापित करने का है। तो किस प्रकार से आप अपने बनाए हुए लक्ष्य को पूरा करेंगे, यह आपके सोचने का विषय है। जिस प्रकार से इसकी प्रगति चल रही है मै नहीं समझता कि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है जब कि हमारी मांग है और आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम 7 हजार एक्सचेंजेज देश भर में स्थापित करने का लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजना का होना चाहिए। इसको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

इसी तरह से नो डिले रूट्स 925 से बढ़ाकर 935 किए गए। केवल 10 बढ़े हैं एक साल के अन्दर। जो स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से एस० टी० डी० फैसिलिटी देने का कार्यक्रम था उसमें भी बड़ी धीमी प्रगति हुई है। 79 डिस्ट्रिक्ट्स 80-81 में जोड़े गए और अब की केवल 88 डिस्ट्रिक्ट्स जोड़े गए। अबकी वह संख्या केवल 9 बढ़ी है जबकि 79-80 में 11 बढ़ी थी। 256 रूट्स नो डिले के स्टेट कैपिटल से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए हुए हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रगति बहुत कम है। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। माननीय स्टीफेन साहब को इस विषय में तत्काल ध्यान देना चाहिए। आज भी हमारे देश में कई डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स ऐसे हैं कि जिनका सीधा सम्बन्ध देश की राजधानी से या प्रदेश की राजधानी से नहीं है। विशेषकर जो दूरस्थ क्षेत्र हैं या जो हिली एरियाज के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स हैं वहां और भी सुविधाएं कम हैं। वहां संचार सुविधाओं के कम होने की वजह से लोगों की कठिनाइयां बहुत बढ़ रही हैं और प्रशासनिक कंट्रोल में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है।

इसी तरह से जो ट्रंक काल्स बुक होती हैं उनके मैच्योर होने का परसेंटेज जो है उसमें वृद्धि की आवश्यकता है। पिछले वर्ष 23 करोड़ के लगभग काल्स बुक हुईं जिसमें से 16 करोड़ के लगभग मैच्योर हो पाईं। करीब 7 करोड़ का गैप है। 7 करोड़ काल्स ऐसी हैं जो मैच्योर नहीं हो पाईं। इसमें कितना समय विभाग का जाया हुआ होगा, कितना समय जो आपका सबस्क्राइबर हैं, कस्टमर हैं, उनका जाया हुआ होगा और कितना नुकसान विभाग का हुआ होगा, इस विषय में मंत्रालय के लोगों को विचार करना चाहिए और इस संख्या को घटाने का निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए।

एग्जिस्टिंग कम्यूनिकेशन सिस्टम में सुधार के लिए बहुत बार बातें उठीं। मेरा भी आपसे निवेदन है कि कुछ जिले, कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां स्ट्राउजर टाइप आफ एक्सचेंजेज हैं जिनमें एक आदमी बैठा है जो दिन-भर मशीन को घुमाता रहता है लेकिन तीस किलोमीटर या 25 किलोमीटर की दूरी पर भी दो-दो, तीन-तीन घंटे बैठकर के मेहनत करने के बाद भी बात नहीं हो पाती है। तो कम से कम ऐसे एक्सचेंज को रिप्लेस करने के लिए आपको कार्यवाही करनी चाहिए। एक स्टडी ग्रुप आपके मंत्रालय के लोगों ने बनाया था। उसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट पर आपके मंत्रालय के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मेरा निवेदन है कि इस तरह के मैन्युअल एक्सचेंजेज जहां भी हैं उनको आटोमेटिक एक्सचेंजेज में बदलिए ताकि हमारा कम्यूनिकेशन का जो सिस्टम है, जो संचार का एक एफेक्टिव माध्यम है वह अधिक सुचारु रूप से चल सके।

टेली-कम्यूनिकेशंस सिस्टम का रिसर्च सेंटर है, उसको चाहिए कि अपटुडेट टेक्नोलाजी डेवलप करने की कोशिश करे। आज जो हमारी टेक्नोलाजी है वह बहुत पिछड़ी हुई है। और तो छोड़िए जो हमारे विकासशील मुल्क हैं जैसे अल्जीरिया है, ईराक है, उससे भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसको सुधारने के लिए रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर विशेष जोर देना चाहिए और जो इसके लिए एलौकेशन किया गया है इस वर्ष वह बहुत कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। यों तो सारे आपके मंत्रालय के एलौकेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक वह नहीं बढ़ेगा तब तक काम नहीं हो सकता है। और न ही हमारा जो माडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और एक्सटेंशन का छठी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य है वह पूरा हो सकेगा।

माननीय मंत्री जी ने 150 करोड़ रुपया ट्राइबल एरियाज के लिए छठी योजना में ईयर-मार्क किया है, कम्युनिकेशन सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरियाज के समान ही कुछ और एरियाज भी हैं जिनकी कि वही प्राब्लम्ज हैं लेकिन उन एरियाज के लिए कोई भी फंड ईयरमार्क नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए जो हिल एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं वहां पर आप इस सिस्टम को किस प्रकार से सुधारेंगे? राज्यों में जो सेन्टर्स हैं उनको आपने फंड्स एलोकेट कर दिए हैं लेकिन आप जानते हैं कि शहरी लाबी बहुत प्रबल होती है इसलिए रिमोट एरियाज तक वह पैसा पहुंच नहीं पाता है। इसलिए कम से कम हिली एरियाज के लिए और रिमोट एरियाज के लिए अलग से फंड्स ईयरमार्क करना चाहिए ताकि वहां भी संचार सेवाओं का प्रसार हो सके।

इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में लांग डिस्टैंसेज को पी० सी० ओज के द्वारा जोड़ने की बड़ी आवश्यकता है। पिछले दिनों भी हमने इस मामले को उठाया था और तब आपने कहा था कि इस सम्बन्ध में जो क्राइटीरिया बना हुआ है उसको आपने संशोधित कर दिया है लेकिन आज भी पी० सी० ओ० खोलने के लिए, ब्रांच पोस्ट आफिस या सब पोस्ट आफिस खोलने के लिए जो क्राइटीरिया आपका है वह पर्वतीय तथा रिमोट एरियाज की आवश्यकता को कैटर नहीं करता है। वहां की जो एक्चुअल डिफीकल्टीज हैं, प्राकृतिक बाधायें हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। वहां पर तमाम नदी, नाले, पहाड़ और जंगल हैं। हम आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आते हैं कि फलां जगह पर पी० सी० ओ० या पोस्ट आफिस खोला जाना चाहिए तो आप कहते हैं कि आप हमारी

प्राब्लम को देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे लेकिन एक महीने के बाद आपका रिप्लाई आता है कि आपके क्राइटीरिया में वह नहीं आता है इसलिए उसको नहीं खोला जा सकता है। हम चाहते हैं कि मानीटरिंग होनी चाहिए कि हिल एरियाज में और रिमोट एरियाज में कहां-कहां पी० सी० ओज और पोस्ट आफिसेज खुलने चाहिए ताकि एक ग्राफ आपके सामने रहे, डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और पी० एम० जी० के लेविल पर, जिसके अनुसार काम होता रहे और फिर हमें कोई सुझाव देने की आवश्यकता ही न रह जाए। और फिर हमें बार-बार आपसे रिग्रेट का शब्द न सुनना पड़े।

सभापति महोदय, यह पोस्टल डिपार्टमेन्ट जो है उसका कार्य बहुत ही सराहनीय है और मैं तहे दिल से उसकी सराहना करता हूं। पोस्टल डिपार्टमेन्ट में जिन कर्मचारियों का सबसे ज्यादा योगदान है वह हैं ई० डी० कर्मचारी और कैजुअल लेबर परन्तु उन्हीं को सबसे कम वेतन मिलता है। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि 120 या 125 रुपए में वे आपकी सेवा कर सकते हैं ? मेरे भाई यहां पर कह रहे थे कि वे भगवान की सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर से वे इस कार्य को भगवान की सेवा मानकर ही कर रहे हैं लेकिन साथ ही आपका भी कोई फर्ज बनता है कि आप उनके वेजेज को बढ़ाने की तरफ ध्यान दें। टेलीफोन डिपार्टमेंट में भी कैजुअल लेबर दस-दस, बारह-बारह साल तक काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी दयनीय स्थिति बनी रहती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ई० डी० और कैजुअल लेबर के विषय में विचार करें। आर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात को आप मान लेते हैं क्योंकि वे आप पर दबाव डाल सकते हैं। आई० टी० आई० (बंगलौर) के कर्मचारी आप पर दबाव डालकर अपनी बात को मनवा सकते हैं क्योंकि वे आर्गेनाइज्ड हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप ई० डी० और कैजुअल वर्कर्स को भी कुछ राहत देने की कृपा करें।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मल्टी-एक्सैस रूरल-रेडियो-सिस्टम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है, जैसा कि आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था, कि वह प्लानिंग स्टेज पर है, कि आप इसको प्लानिंग स्टेज पर मत रखिए, इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर लाइए।

अलमोड़ा में माइक्रोवेव सैन्टर की एक बिल्डिंग बन रही है, लेकिन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। एक तरफ उसकी सीमा नेपाल से लगती है और दूसरी तरफ चीन से लगती है। इसको आप अभी तक माइक्रोवेव से कनैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर माइक्रोवेव स्टेशन खोलना चाहिए। इसी प्रकार पिथौरागढ़ और रानीखेत में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने की बात आपने स्वीकार की है। इस काम के लिए आपने कहा है कि इसको 1984 तक पूरा किया जा सकता है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम इस को एक साल घटा दीजिए और 1983 तक ले आइए।

इसी तरह से अल्मोड़ा में डी० ई० टी० का आफिस खोलने के लिए दो साल से प्रार्थना कर रहा हूं। विभाग के लोग कहते हैं कि वर्तमान मापदंड के अनुसार वहां आफिस नहीं खोला जा सकता है। संसद सदस्य के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि आप कम से कम इस बात को तो

स्वीकार कीजिए। डी० ई० टी० का आफिस अल्मोड़ा में और एस० डी० ओ० का आफिस पिथौरागढ़ में खोलना चाहिये। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में मैनुअल एक्सचेंजेज बहुत हैं, इनको बदलने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। एक फेज-मैनर में इस काम को करना चाहिये। अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। जहां आप कहते हैं कि एटोमैटिक एक्सचेंजेज खोल देंगे, वहां आप खोल रहे हैं और बहुत सारे खोले हैं। वहां जो मैनुअल एक्सचेंज आपरेट कर रहे हैं, उनको बदलने की तरफ आप को कार्यवाही करनी चाहिए।

इसी तरह से अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में सैटेलाइट रिले-सैन्टर खोलना चाहिए, ताकि वहां पर भी माडर्न टैक्नालाजी की जानकारी हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपके विभाग के कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्री की मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, डाक-तार विभाग ने हमारे राष्ट्र की महान सेवा की है। इसका महत्व इसलिए भी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है।

सर्वप्रथम, मैं डाक विभाग की चर्चा करूंगा। एक गांव से दूसरे गांव को डाक थैला ले जाने के लिए आज भी डाक-हरकारा नियुक्त किया जाता है। डाक थैलों को ले जाने के लिए डाक हरकारे से लेकर हवाई जहाज, बस और गाड़ियों को काम में लाया जाता है। यह एक अच्छी बात है। अब लोगों को अपने पत्र जल्दी मिल जाते हैं। डाक-घर भी बढ़ गए हैं। मेरे विचार से उनकी सख्या अब लगभग एक लाख चालीस हजार होगी। हो सकता है और भी बढ़ गई हो। इतना ही नहीं है, जनजाति क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जब भी कोई पत्र भेजा जाता है, वह एक निश्चित समय में हम तक पहुंच जाता है जिससे कि जनजाति क्षेत्र भी अपने क्षेत्रों में डाक सुविधायें प्राप्त कर सकें।

इतना होने के बावजूद भी कहना पड़ेगा कि डाक विभाग की कार्य-कुशलता नहीं बढ़ी है। यह ठीक है कि हमने विभाग का विस्तार कर दिया है किन्तु कार्य-कुशलता कम हो रही है। हाल में, बड़ा प्रयत्न करने के बाद मैं जनजाति क्षेत्रों से नागपुर तक सीधा डाक थैला भेजे जाने के प्रति निदेशक, डाक सेवा, नागपुर को सहमत कर पाया हूं ताकि मैं अपने क्षेत्र से तीसरे या चौथे दिन पत्र प्राप्त कर सकूं। इसके बावजूद, मुझे पत्र पांचवें या छठे दिन मिलते हैं। मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि पवतमाल में कोई इमारत नहीं है, उनके पास एक बहुत ही छोटा कमरा है जहां डाक थैले फेंक दिए जाते हैं और इसके बाद डाक थैले निकाले जाते हैं और उन्हें बसों में फेंक दिया जाता है। इसलिए समुचित निगरानी रखी जानी चाहिए जिससे कि डाक थैलों को ठीक से छांटा जा सके और समुचित गन्तव्य स्थानों को भेजा जा सके।

डाक इमारतों की दशा के बारे में, क्या मैं यह कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र हिंगोली में एक इमारत है जो सौ साल पुरानी है ? गत वर्ष जब दिसम्बर के महीने में मैं वहां गया, उस समय बारिश हो रही थी। मेरी भावना थी कि मैं जाऊं और उस इमारत को देखूं। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि उस इमारत की पूरी छत चू रही थी। जब मैंने डाक-घर अधीक्षक, नान्देड़

के पास पहुंचा तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तब मैंने उसको कहा कि यदि यह गिर जाती है तो, क्षतिपूर्ति देने का भार आप पर पड़ेगा। जब मैंने उसे धमकी दी तो उसने निदेशक को एक पत्र लिखा। निदेशक ने नई इमारत की खोज करनी शुरू कर दी है जहां उसे स्थित किया जा सके। मैं नहीं जानता कि इमारत का निर्माण कब कराया जायेगा। किनवत और पुशाद का भी मामला ऐसा ही है। आप पुरानी इमारतों को तोड़ने तथा नई इमारतों के निर्माण कराने के प्रति अनिच्छुक क्यों हैं ?

जब तक डाक और तार विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तब तक दोनों में भूमि का बटवारा होता रहेगा। इस समय, मैं माननीय मंत्री से इस डाक इमारत के प्लाट को डाक क्षेत्र के लिए ही रखने का अनुरोध करूंगा। आखिर कार, डाक-क्षेत्र से आपको अधिक नहीं प्राप्त हो पा रहा है ? केवल टेलीफोन क्षेत्र से आपको प्राप्त हो रहा है ? आप टेलीफोन विभाग के लिए भूमि का एक प्रथम प्लाट ले सकते हैं। आप अपनी आय से भूमि के मालिक को भुगतान कर सकते हैं। आप डाक कर्मचारियों को उस भूमि से क्यों वंचित करना चाहते हैं जिसपर कर्मचारी क्वार्टर बनाये जा सकते हैं ?

गत वर्ष, बहुत लिखा-पढ़ी के बाद हमें एक निदेशक का पद स्वीकृत हुआ था। किन्तु उसे भीड़-भाड़ वाले नगर बम्बई को भेज दिया गया। मैं चाहता हूं कि आप जाते और निदेशालय की इमारत को देखते। यह प्रधान डाकघर की पुरानी इमारत में स्थित है। इसमें पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय तथा टेलीफोन निदेशालय भी है। पूरी इमारत लकड़ी के खम्भों पर खड़ी है। इसके बावजूद आप वहां इस निदेशक को भेज रहे हैं। वह अकेला तो नहीं जाता ? उसके साथ उसके कर्मचारी भी जाते हैं। आप उन्हें औरंगाबाद भेज सकते थे ताकि वह न केवल मराठवाड़ा के छः जिलों का ही कार्य देखता बल्कि पास के जिले यथा जलगांव, धूलिया और अहमदनगर को भी देख पाता। मराठवाड़ा के लिए निदेशक, डाक सेवा नागपुर में है। नागपुर और औरंगाबाद के बीच की दूरी लगभग 450 कि० मी० है। औरंगाबाद जाने के लिए मनमाड जाना पड़ता है और सारे रास्ते मीटर गेज की रेल गाड़ी से सफर करना पड़ता है। यह सब क्यों है ? आप निदेशक को औरंगाबाद क्यों नहीं भेजते ? वह महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े इलाके अर्थात् मराठवाड़ा के हित की ओर ध्यान देगा। भविष्य में ऐसी बातों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार को नये निदेशक की नियुक्ति के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिये।

एक लम्बे अरसे से, परभनी की जनता डाक-घर अधीक्षक का पद सृजित किए जाने की मांग करती आ रही है। निदेशक, डाक सेवा भी प्रस्ताव भेज चुका है। मैं नहीं जानता कि उस पद की स्वीकृति देने में श्रीमान् स्टीफन को कितना समय लगेगा। उनसे मेरा केवल इतना ही अनुरोध है कि यह शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत कर दिया जाये जिससे डाकघर अधीक्षक परभनी जिले का ध्यान रख सके। चाहे वह कनिष्ठ क्यों न हो, मुझे इसकी चिंता नहीं है।

तार के बारे में, अति प्राचीन काल में, अंग्रेजों के समय में 24 घंटे में तार पहुंच जाता था। अब, यदि मैं राउरकेला को तार भेजता हूं तो वह वहां चार या पांच दिन में पहुंचता है। इतनी देरी क्यों होती है ? नई औद्योगिकी लागू की गई है, अनेकों नई चीजें लागू की गई हैं, फिर

भी इतना समय क्यों लगता है ? इसके लिये कौन जिम्मेवार है ? अन्ततोगत्वा आपका विभाग एक वाणिज्यिक विभाग है । आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपभोक्ता संतुष्ट हैं । मान लीजिए कोई तार भेजता है "आपकी मां बीमार है, शीघ्र आओ।" जब तक उसे तार मिलता है तब तक वह बेचारी महिला दफन हो जाती है । ऐसी घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए । ऐसे मामलों को वरीयता दी जानी चाहिए । आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि समुचित ध्यान दिया जा रहा है, समुचित पर्यवेक्षण किया जा रहा है ताकि तारों में देरी न हो ।

अब मैं टेलीफोन के बारे में चर्चा करता हूं । मैं मंत्री जी को उनके द्वारा टेलीफोन के कार्यकरण में जो सुधार किए गए हैं, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज हमारे देश में लगभग 21 लाख कनेक्शन हैं । हमें आशा है कि इस दशक के अन्त तक उनकी संख्या 51 लाख हो जायेगी । माननीय मंत्री जी विभाग के कार्यकरण को सुधारने, प्रौद्योगिकी को सुधारने, बिल बनाने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं ? सरीन समिति की सिफारिशों पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है ? अथवा क्या वह उसके सम्बन्ध में चुपचाप बैठे हैं; जैसा कि काका कालेलकर रिपोर्ट के मामले में किया गया था ? ऐसा नहीं होना चाहिए । सदस्य द्वारा और अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने से बचने का सर्वोत्तम उपाय, यह कहना है कि एक समिति नियुक्त की जा रही है । इसके बाद आप छः महीने बाद एक समिति नियुक्त कीजिए, उसकी अवधि बढ़ाते रहिये । जब रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए तब आप सदस्यों से आसानी से कह सकते हैं "यह विचाराधीन है ।" कई वर्षों तक वह विचाराधीन रहेगी । आज के समय में औद्योगिकी का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि हमें उन पर तत्काल कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं श्री स्टीफन द्वारा उस पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आशा करता हूं, अनुरोध करता हूं ।

अपने निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा करते हुए जनजाति निर्वाचन क्षेत्र में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताऊंगा । हिंगोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छः सार्वजनिक टेलीफोन घर की मंजूरी दी गई थी । मुझे दूरसंचार के निदेशक का पत्र प्राप्त हुआ है, यह बहुत सुन्दर पत्र है । डाक तथा दूरसंचार के कुछ लोगों से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई । वे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही कर्तव्यपरायण लोग हैं । राज्य संवर्गों में आपको ऐसे लोग मुश्किल से मिलेंगे । किन्तु इतना अच्छा उद्देश्य होते हुए भी, वे कोई भी सार्वजनिक टेलीफोन घर चालू करने में असमर्थ हैं । उसने कहा—"मैंने स्वीकृति दे दी है, किन्तु मुझे भण्डार प्राप्त नहीं हुआ है ।" इसके बाद यह कहते हुए कि "यह मामला है, कृपया कुछ कीजिए" । श्री वी० एन० पाटिल को करीब छः महीने पूर्व मैंने एक पत्र लिखा था । कुछ भण्डार भेजा गया था । क्या आपको मालूम है कि भण्डार कहां से भेजा गया था ? वह बम्बई से भेजा गया था । नान्देड़ से बम्बई की दूरी लगभग 800 कि० मी० है । आपने उसे उन्हें भुसावल में क्यों नहीं रखा जहां से महाराष्ट्र में उसे कहीं भी भेजा जा सकता था ? इसके बारे में एक वाणिज्यिक संस्थान के तौर पर सोचें, इससे विभाग के लोगों का काम भी हल्का होगा । जब आप पिन कोड मंजूर करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि उपकरण भी मौजूद हैं ।

अब मैं एस० ए० एक्स० पर चर्चा करूंगा, केबलों की सप्लाई हमेशा समस्याग्रस्त रही है । जब मैंने पता लगाया तो मुझे बताया गया कि केबलों की सप्लाई लघु क्षेत्र के उद्योगों द्वारा की जाती है । सरकार से लघु क्षेत्र के उद्योगों को आदेश मिलना तो ठीक है, परन्तु वे सामान समय पर

सप्लाई नहीं करते ? आप इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आपको बड़े उत्पादकों को आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप छोटे लोगों को सहायता देना चाहते हैं। लेकिन गरीब टेलीफोन उपभोक्ताओं की कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए, जब आप बंगलौर टेलीफोन फैक्ट्री, केबल फैक्ट्री, इनसूलेशन या पोल फैक्ट्री को किसी उपकरण को सप्लाई करने के आदेश देते हैं तो यह भी देखें कि सामान समय पर सप्लाई हो रहा है। यदि वह सप्लाई नहीं कर सकते तो उन लोगों के पास जाएं जो सप्लाई कर सकते हैं, आखिरकार, संसद सदस्यों के तौर पर हम रेलवे, पी० सी० ओ० और डाक व्यवस्था से जुड़े हैं और हम उनसे नहीं मिलते और उनसे ऐसी कोई बात नहीं पूछ सकते जो कानून और व्यवस्था से जुड़ी हो। हमसे कम से कम यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे इसलिए हमें कम से कम यह विश्वास दिलाया जाय कि आप इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं और आप ऐसे प्रयास करेंगे जैसी हमें अपेक्षा है।

टेलीफोन एक्सचेंज के सम्बन्ध में कुछ समय पूर्व श्री पाटिल नान्देड़ आए थे,

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : श्री पाटिल क्यों ?

श्री उत्तम राठौर : वे महाराष्ट्र के हैं : उन्होंने निजामाबाद का दौरा भी किया, आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है। उन्होंने नान्देड़ टेलीफोन एक्सचेंज का निरीक्षण किया और देखा कि यह कितनी खराब स्थिति में है, हिंगोली के मामले में भी यही स्थिति है, जब आप कोई एक्सचेंज चलाते हैं तो आप उस एक्सचेंज में पर्याप्त कर्मचारी रखें ताकि वे लोगों की आवश्यकता पूरी कर सकें। आखिरकार लोग ही इनका भुगतान करते हैं और इसी विभाग के कारण आप यहां पर हैं। अन्यथा मेरे विचार से श्री स्टीफन या श्री मकवाना संचार मंत्री के रूप में यहां नहीं होते, वे कुछ अन्य विभागों के मंत्री होते, इसलिए कृपया इन हितों की तरफ भी ध्यान दें।

महोदय, मैं दूर संचार विभाग के कार्यकरण पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता। श्री रावत ने इस बारे में बहुत अच्छे ढंग से चर्चा की है। उन्होंने सरीन समिति, उसके सुझावों और टेक्नोलौजी तथा तत्सम्बन्धी अन्य सभी बातों पर चर्चा की है। लेकिन, महोदय, अभी एक बात और है, यह बहुत उपयुक्त समय है कि डाक और तार विभाग का विभाजन किया जाए। मुझे यह पता नहीं है कि आपने डाक और तार को अभी तक क्यों एक साथ रखा है। आपने लोहा, इस्पात, खान और अन्य सभी के लिए अलग-अलग मंत्रालयों का गठन किया है। आप ऐसा महसूस क्यों नहीं करते कि डाक और तार को भी अलग-अलग कर देना चाहिए। टेलीफोन सेवाओं को डाक सेवाओं से अलग करने के लिए यह बहुत उपयुक्त समय है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि डाक सेवाएं अलग कर दिए जाने से डाक सेवाओं की देखभाल अच्छी तरह से हो सकेगी और इसी तरह टेलीफोन सेवाओं की देखभाल भी बेहतर ढंग से हो सकेगी। यदि आप वास्तव में और गम्भीरतापूर्वक ऐसा महसूस करते हैं कि इन्हें अलग-अलग करने में भलाई है तो कृपया ऐसा कर दें।

महोदय, आप घंटी बजा चुके हैं और यह घंटी मेरे लिए बजाई गई है, इसलिए अन्त में मैंने माननीय मंत्री महोदय, श्री स्टीफन का काम एक आदमी के तौर पर, एक विरोधी दल के नेता के रूप में देखा है; मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि संसद सदस्यों और माननीय मंत्री महोदय के बीच मुझे विचारों के आदान-प्रदान में दूरी महसूस हुई है। वह बहुत कार्य कुशल, तेज और

कभी-कभी आक्रामक हो जाते थे लेकिन मुझे नहीं पता जब से वे मंत्री हुए हैं उन्हें क्या हो गया है। और मंत्री पद पा लेने के बाद उनका दृष्टिकोण बदल गया है। जब भी हम उन्हें बताते है कि हमारा टेलीफोन काम नहीं कर रहा है तो वह कहते हैं, "उसे हटा दो"। श्री स्टीफन, मैं अब भी कहता हूं कि यह आवश्यक सेवाओं की सूची में आता है। यदि आपका विभाग हड़ताल करता है तो आप अपने विभागीय लोगों को धमकी देते हैं लेकिन उपभोक्ताओं को टेलीफोन हटाने के लिए कहने से उसका हल नहीं होता इसलिए भगवान के लिए ऐसा न कहें।

आपकी सूचना के लिए दूसरी बात यह है कि यहां पर आंकड़ों से खेलने के लिए नहीं आए हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप गणित या ऐसे ही किसी अन्य विषय के छात्र रहे थे लेकिन हर बात को आंकड़ों के साथ रखकर न कहें। जब आप इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने बोलते है—आप विपक्ष में भी रहे हैं जब भी हम यह शिकायत करते हैं कि टेलीफोन काम नहीं कर रहे हैं तो आप कहते हैं ओह, ऐसा केवल .002 प्रतिशत मामलों में है। आप सही उत्तर दें। इस बात से हमें हर बार ठेस पहुंचती है। यह क्या है ? श्री स्टीफन, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं ? कांग्रेस ने कुल 454 सीटों में से 351 सीटें जीतीं। यह 78 या 79 प्रतिशत होगा, लेकिन श्री स्टीफन, क्या इससे आप यहां पर बैठने के काबिल हो जाते हैं ? ऐसा नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं, यह 78 प्रतिशत है। ठीक है लेकिन इससे आप इस सदन में आने के काबिल नहीं हो जाते। इसके लिए आपको पुनः जनता के सामने जाना पड़ा था आंकड़े देने मात्र से मुझे सन्तोष नहीं हो सकता। आपको याद होगा, आपको गुलबर्गा जाना पड़ा था। और आपने चुनाव लड़ा था तब आप यहां आ पाए थे। आप जानते हैं, आप दिल्ली में हार गए थे, यह बात यहां पर खत्म हो जाती है। इसलिए यदि उपभोक्ता को टेलीफोन काल नहीं मिलता तो यह इस प्रणाली का अन्त है। आखिरकार वह अपने घर में टेलीफोन रखने के लिए भुगतान कर रहा है। उस पर कुछ दया कीजिए, उससे ऐसी बात न कहें। इस व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए मुझे विश्वास है कि आप क्षमा करेंगे। आप एक शरीफ आदमी हैं···

सभापति महोदय : श्री स्टीफन, भगवान् के लिए अब आप प्रतिशत का उल्लेख न करें।

श्री उत्तम राठौर : यह केवल उनके निजी उपयोग के लिए है। उन्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्होंने इसमें बहुत रुचि ली है।

इन सभी बातों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए मुझे उम्मीद है कि डाक और तार विभाग के कार्यकरण में सुधार होगा और श्री स्टीफन भविष्य में और अधिक सावधानी बर्तेंगे और संसद सदस्यों के प्रश्नों का समुचित ढंग से उत्तर देंगे।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : खुशी की बात है कि कम्युनिकेशंज मिनिस्ट्री की डिमांड्ज पर बहस हो रही है। चार साल पहले मुझे अंदमान जाने का मौका मिला था। दो दिन मैं वहां ठहरा था। वहां कोई डाक नहीं आती थी, कोई टेलीफोन काल नहीं आती थी। रेडियो पर कभी-कभी सुन लिया करते थे। लेकिन रेडियो से खबरें सुनने के लिए भी कम्यूनिकेशंज डिपार्टमेंट का लाइसेंस जरूरी है। अगर कम्युनिकेशंज डिपार्टमेंट न हो तो मैं महसूस करता हूं कि शायद अंदमान में बैठा हूं।

छः साल पहले मुझे एक और तजुर्बा हुआ था। एमरजेंसी के पीरियड में मैं जेल में था। जेल जाने के छः पहले महीने न मुझे कोई डाक आती थी न टेलीफोन आता था, मिलने की भी किसी को इजाजत नहीं थी। मैं तब महसूस करता था कि सदियों पहले वाले हिन्दुस्तान में मैं रह रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशंज सिस्टम इतना इम्पोर्टेण्ट है कि अगर यह न हो तो समझे कि कई सौ साल पहले वाले हिन्दुस्तान में हम रह रहे हैं, या फिर जेल में रह रहे हैं, वह चाहे अम्बाला की जेल हो या अंदमान की हो। लेकिन बदकिस्मती से उसको इतनी अहमियत नहीं दी गई है और उस पर बहुत मुश्किल से डिसक्शन होता है···

सभापति महोदय : अंदमान वालेंटेरीली गए थे या भेजे गए थे ?

श्री सूरज भान : पार्लिमेंटरी कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से गया था।

सभापति महोदय : कुछ लोग भेजे जाते हैं और कुल वालेंटेरीली जाते हैं।

श्री सूरज भान : इत्तिफाक से मेरी उम्र उँस वक्त उतनी नहीं थी। मुझे खुशी होती अगर मुझे वहां भेजा जाता।

सरीन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस डिपार्टमेंट को बाइफरकेट किया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि सरीन कमेटी इस परपज के लिए बनाई गई थी कि डिपार्टमेंट की एफिशेंसी कैसे बढ़े। मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट की एफिशेंसी बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इस डिपार्टमेंट को और ज्यादा मजबूत किया जाए। पी० एण्ड टी० बोर्ड को रेलवे बोर्ड से भी ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। रेलवे मिनिस्ट्री की तरह से जिस तरह से उसका सैपेरेट बजट होता है उसी तरह से इसका भी सैपरेट बजट होना चाहिए। ऐसा अगर किया जाएगा तो इसको इम्पार्टेंस भी मिलेगी और इससे इसका वर्किंग भी शायद इम्प्रूव हो जाए। लेकिन अगर इसको बाइफरकेट कर दिया गया तो कल को यह भी मांग उठ सकती है कि पोस्ट्स आर० एम० एस० को अलग किया जाए और फिर टेलीकम्युनिकेशन से टेलीफोन को अलग, टेलीग्राम को अलग किया जाए और इस तरह से इसका कोई अन्त ही नहीं होगा।

इसके वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए पी० एण्ड टी० बोर्ड को अप स्ट्रेंगथेन करें। टेलीकम्युनिकेशन के अफसरों को कुछ शिकायतें हो सकती हैं। उनको आप दूर करें। इसी में बेहतरी होगी।

इसके वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत पहले मैंने एक सुझाव दिया था कि जो डायरेक्टर जनरल पोस्ट्स एण्ड टेलीग्राफ्स है। वह डिपार्टमेंट के केडर से ही लिया जाना चाहिए। मुसीबत यह हो गई है कि हर डिपार्टमेंट में आई० ए० एस० या बाहर के सीनियर अफसरों को हैड लगा दिया जाता है। मैं किसी परसन के अगेंस्ट नहीं हूं। लेकिन अगर बाहर का कोई आदमी आएगा तो सबके प्रोमोशन के चैनल रुक जाते है। डिपार्टमेंट का एक आदमी होगा जिसको आप हैड बनाते हैं तो जिस पोस्ट से वह प्रोमोट होकर जाता है, उसका जूनियर उस पोस्ट पर आएगा और उसको प्रोमोशन का चान्स मिलेगा और इस तरह से नीचे पोस्टमैन तक यह चैनल जाएगा और उसको प्रोमोशन मिलेगी। लेकिन अगर बाहर का आदमी आकर बैठ जाएगा तो वह सारा चैनल रुक जाएगा। इस वास्ते डिपार्टमेंट के हित में है कि डिपार्टमेंट के केडर का आदमी ही

डिपार्टमेंट का हैड हो। उसको तजुर्बा भी होगा डिपार्टमेंट का और इससे एफिशेंसी भी बढ़ेगी। यह ठीक है कि बाहर के आदमी भी काबिल हो सकते हैं। लेकिन आप मेरे इस सुझाव पर विचार करें।

सरीन कमेटी की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। उसमें ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज को करटेल करने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज पर किसी भी प्रकार के कर्ब लगाना ट्रेड यूनियन के रिप्रजेंटेटिव्ज से सलाह-मश्विरा किए बगैर बहुत गलत होगा। उनसे कंसलटेशन इसके बारे में करना बहुत जरूरी है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर या किन्हीं और कारणों से कुछ इंस्ट्रकशंज भी जारी हुई थीं शायद तब जब जनरल स्ट्राइक की बात हुई थी या भारत बन्द की बात चली थी और उन इंस्ट्रकशंज में यह कहा गया था कि पी० एण्ड टी० आफिस के प्रेमीजिज में ट्रेड यूनियन्ज मीटिंग नहीं कर पाएंगी। डाक तार विभाग में जो कर्मचारी काम करते है वे अगर मीटिंग करना चाहते हैं तो क्या सड़क पर करेंगे या किसी के घर पर करेंगे? दफ्तर के प्रेमीजिज में ही तो उनकी मीटिंग होगी। यह फैसिलिटी उनको मिलनी ही चाहिए। हां, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हों या बहुत सीरियस सिचुएशन हो तो बात समझी जा सकती है। जिस सिचुएशन की वजह से आपने इंस्ट्रकशंज इश्यू की थीं जब वह टल गई है तब आपको उन इंस्ट्रकशंज को वापिस ले लेना चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज करटेल करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

कई बार आदरणीय स्टीफन साहब ने कहा है कि पी० एण्ड टी० में ओवर टाइम बहुत बढ़ गया है और उसको रोका जाना चाहिए और उसके लिए उन्होंने कदम भी उठाए हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं। पी० एण्ड टी० एम्प्लाईज को उनकी जो अर्न्ड लीव होती है उसको ऐनकैश करने की आपको इजाजत दे देनी चाहिए। यह कई पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में है। एच० एम० टी में है। क्लास 1 अफसरों को छोड़ कर और सभी एम्प्लाईज अपनी अर्न्ड लीव को ऐनकेश कर सकते हैं। क्लास 1 अफसर को 2 महीने की अपनी लीव रखनी पड़ेगी। अगर आप अर्न्ड लीव को ऐनकेश करने की इजाजत दे देते हैं तो कोई आदमी छुट्टी पर नहीं जाएगा और आपको ओवरटाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अन्यथा अभी यह होता है कि कर्मचारी बारी-बारी से यानी दो, दो कर्मचारी, 5, 15 दिन की छुट्टी लेते हैं जिसकी वजह से वर्क लोड भी बढ़ता है और उसको निपटाने के लिए आपको ओवर टाइम भी लोगों को देना पड़ता है। अगर आप लीव ऐनकेश करने की इजाजत दे देंगे तो कोई बिना वजह छुट्टी नहीं लेगा और आपको ओवर टाइम भी नहीं देना पड़ेगा।

मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया है इसलिए मैं जानता हूं, कई एम्प्लाईज ऐसे हैं कि जिस पोस्ट पर नौकरी शुरू की है उसी पर से रिटायर हो जाते हैं, उनको कोई प्रोमोशन नहीं मिलता सर्विस में। मेरी मांग है कि सर्विस कैरियर में हर एक को कम से कम दो प्रोमोशन मिलने चाहिए। यह उसूल मान लिया जाय और दो प्रोमोशन्स की व्यवस्था की जाय। अगर लोगों को प्रोमोशन नहीं मिलेंगे तो उनका इंसैंटिव मारा जायगा।

पंजाब में एन० डब्लू० सर्किल है जिसमें तीन सूबे हैं—हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। मेरी मांग है कि तीनों स्टेट्स का सैपरेट सर्किल होना चाहिए। बेहतर होगा किसी नौर्म के तहत किसी सर्किल को सैपरेट किया जाय। जब जे० ऐंड के० सर्किल सैपरेट हुआ तो उसका कोई

जस्टीफिकेशन नहीं था। केवल पोलिटिकल ग्राउन्ड्स पर ही उसको अलग किया गया था। मर्जी से सैपरेट नहीं करना चाहिए बल्कि नौर्म के तहत सैपरेट होना चाहिए। अगर नौर्म्स जस्टीफ़ाई नहीं करते हैं कि पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सेपरेट हों तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन चूंकि अभी कोई नौर्म्स नहीं हैं इसलिए मैं भी मांग करता हूं कि तीनों स्टेट्स को सैपरेट किया जाय। वरना नौर्म्स तय कर दें और उसके आधार पर फिट न बैठें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, नीचे से लेकर टौप तक। और बदकिस्मती से कई बार उनकी सर्विस का प्रोपर रिकग्नीशन नहीं होता है। प्रोपर रिकग्नीशन के लिए कुछ कदम उठाये जाएं। उनको ऐक्स्ट्रा इन्क्रीमेंट या कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अगर किसी पोस्टमैन ने बहुत ही आउट स्टैंडिंग काम किया है तो आप उसके नाम से एक स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प भी इश्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा किया जाय तो अच्छा रहेगा, चाहे वह कर्मचारी क्लास 1 का हो या क्लास 4 का हो। या कोई और तरीका निकाल लें उसकी सर्विस को रिकग्नाइज करने का, मुझे कोई एतराज नहीं है।

यह जो बात आती है कि टेलीफोन, पोस्टल और आर० एम० एस० को अलग कर दो वह इसलिए कि पोस्टल और आर० एम० एस में घाटा दिखाया जाता है। यह घाटा पूरा हो सकता है। अभी सेविंग्स बैंक का काम एजेन्सी के तौर पर यह डिपार्टमेंट करता है। मेरा सुझाव है कि पोस्टल सेविंग्स बैंक आफ इंडिया के नाम से एक अलग बैंक खोल दिया जाय जो इस डिपार्टमेंट के तहत हो। जैसे स्टेट बैंक आफ इण्डिया या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया हैं, उसी तरह इस पोस्टल डिपार्टमेंट के तहत सेविंग्स बैंक हो और वह एजेन्सी के तौर पर काम न करे। जिस प्रकार और बैंकों को मुनाफा होता है, उसी तरह सेविंग्स बैंक को भी मुनाफा होगा, और घाटे वाली बात खत्म हो जायेगी।

पोस्टल लाइफ इंश्योरेन्स को सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लाईज तक महदूद न रखते हुए सेमी-गवर्नमेंट ऐमप्लाईज को भी अलाऊ कीजिए। और जो प्राइवेट कारखाने हैं जैसे बिड़ला, टाटा आदि के, उनके जो परमानेंट एम्प्लाईज हैं उनको भी अलाऊ कीजिए कि पोस्टल लाइफ इन्श्योरेंस का फायदा उठा सकें।

मेरे एक साथी श्री रावत ने यह भी कहा था कि पी० एण्ड० टी० में कुछ झगड़े इसलिए भी हैं कि वहां ट्रेड यूनियन्स बहुत हैं। अब बहुत हैं, तो मैं भी एक ट्रेड यूनियन के बारे में कहना चाहता हूं कि भारतीय पी० एण्ड टी० फैडरेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दूसरी जो फैडरेशन हैं, उनके मुकाबले ही बिल्कुल इसके साथ भी एट-पार ट्रीटमैंट होनी चाहिए। मैं तो यह पसन्द करूंगा कि जितनी भी ट्रेड यूनियन्स हैं, उनकी ओट से इस उसूल को पसन्द किया जाये कि एक इंडस्ट्री में एक ट्रेड यूनियन होनी चाहिए। आप तय कर लीजिए कि सभी ट्रेड यूनियनों की बजाय, फैडरेशनों की बजाय एक फैडरेशन वहां पर हो और सीक्रेट बैलट से तय हो जाये कि लोग किसको चाहते हैं, वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

टेलीफोन्स के बारे में कुछ लोगों ने बातें कही हैं। इस सैशन के शुरू होने से पहले ही आदरणीय स्टीफन साहब ने 100 करोड़ का बोझ तो वैसे ही बढ़ा लिया और उसके बाद कुछ बजट के

साथ बढ़ गया। कानून की क्लाज का सहारा लेकर उन्होंने कहा कि मुझे पार्लियामेंट के सामने आने की जरूरत नहीं थी। ऐसा सहारा लिया जा सकता है, लेकिन आदरणीय स्टीफन साहब को राज्य-सभा के चेयरमैन साहब ने जो कुछ कहा है, वह ध्यान में रखना चाहिए, आइन्दा इस किस्म की गलती नहीं करनी चाहिए। मैं यह समझता हूं कि यह पार्लियामेंट की अवहेलना है। कोई बड़ी बात नहीं थी, 5 दिन के बाद भी पार्लियामेंट में ले आते कि यह रेट्स मुझे बढ़ाने हैं।

मैं यह मांग करता हूं कि आपको इनलैंड लेटर और एन्वलप के रेट नहीं बढ़ाने चाहिए थे, वही पुराने रेट रखने चाहिए थे। यह तो सोशल सर्विसेज की चीज है, इन पर और भी घाटा आप उठा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।

जैसे मेरे साथी भट्टाचार्य जी ने पीछे जिक्र किया था, टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई हैं और बदकिस्मती की बात है कि उनमें पक्षापात होता है। मैं यह चाहूंगा कि पोलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन न हो। हर पार्टी के आदमी हों। जहां आपने ट्रेड की बात रखी है, जर्नलिस्ट रखते हैं, कुछ और सोशल वर्कर के नाम पर रखते हैं, वह सिर्फ एक पार्टी के ही आदमी न हों। मुझे जानकारी मिली है कि शायद रीजनल पी० एण्ड टी० एडवाइजरी कमेटी आपने बनाई ही नहीं। उसको भी इन्ट्रोड्यूस कीजिये, उसमें भी सब पोलिटिकल पार्टीज के आदमी लीजिए।

टेलीफोन के बारे में एक्सेस बिलिंग, गलत टेलीफोन नम्बर मिलना, मिलना ही नहीं, टेलीफोन आउट आफ आर्डर होना, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कई बार दिल्ली में देखा कि 15,15 दिन तक टेलीफोन लाइन ही खराब है। अगर लाइन ही खराब है तो उस पीरियड का तो कम-से-कम आपको रैंटल चार्ज नहीं लेना चाहिए।

मैं अपना एक्सपीरिएंस आपको बता रहा हूं। एक दिन रात को टेलीफोन आता है और उस पर आवाज आती है कि रजिया साहब हैं? मैंने कहा कि मेरे घर में कोई रजिया नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद टेलीफोन आता है कि रजिया साहब हैं, मैंने कहा कि यह रजिया साहब का नम्बर नहीं है। फिर मि० रजिया के घर पर पूछा गया कि मि० सूरजभान हैं? मेरा टेलीफोन उसके साथ मिला रखा है और उसका टेलीफोन मेरे साथ मिला रखा है। वह भी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूं। यह गलत मिलने का चक्कर इतना ही नहीं कि उससे परेशानी ही हो, ये लाइनें किसी सरमायेदार के घर पर मिली होती है और उनका मीटर हमारे घर पर चल रहा होता है। इसका कुछ इन्तजाम किया जाना चाहिए। मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से बिजली का मीटर कंज्यूमर के घर पर होता है, तो टेलीफोन का मीटर भी उसके घर पर ही हो या सब्सक्राइबर की दुकान पर होना चाहिए। एक बार यह चीज मैं डिस्कशन में लाया और, टेलीफोन डिपार्टमेंट के एक सीनियर अफसर से मिला और उनसे यह बात कही तो उन्होंने कहा कि यह पासिबल नहीं है। दूसरे एक कंसर्न्ड अफसर वहां थे, उन्होंने कहा कि यह पासिबल तो है, लेकिन थोड़ा खर्चा लगेगा। अगर आप यह कहें कि सब्सक्राइबर के घर पर मीटर होगा तो उसमें गड़बड़ी करेगा तो टेलीफोन एक्सचेंस में भी तो गड़बड़ी हो सकती है। दोनों का मुकाबला किया जा सकता है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि उसकी अप्रीहैंशन दूर हो।

सैंसरिंग की बात मैं कहना चाहता हूं। मुझे भी एक दिन पता लगा कि मैं भी उस लिस्ट में आ गया हूं। एक लिफाफा मैंने खोला, उसमें लिखा था, 'सरदार जी, सतश्री अकाल।' मैं सरदार

जी नहीं हूं। मैंने पूरी चिट्ठी पढ़ी। यह मेरे मुताल्लिक नहीं थी। साफ नजर आता है कि कोई सरदार जी भी सैंसर की लिस्ट में होंगे और मैं भी होऊंगा। चिट्ठी खोलने के बाद सरदार जी की चिट्ठी मेरे लिफाफे में और मेरी सरदार जी के लिफाफे में। मेरा कहना यह है कि कम-से-कम उन अफसरों को इतना तो कह दीजिये कि वह इतना बेवकूफाना काम तो न करें, सैंसर के बाद चिट्ठी तो प्रापर लिफाफे में डाल दें। अव्वल तो सैन्सरिंग नहीं होना चाहिए। यह ब्रिटिश पीरियड में चला था, क्योंकि अंग्रेज हमारी आजादी की मूवमेंट को खत्म करना चाहते थे। लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। यह गलत है। अगर वार हो तो सैन्सरिंग की बात समझ में आ सकती है। हम एक फ्री कन्ट्री में रह रहे हैं। आज के पीसफुल माहौल में सैन्सरिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है।

माननीय सदस्य श्री रामलाल राही, ने मुझे बताया कि पिछले नवम्बर में उनके पास एक बिल आया, जिससे पता लगा कि दिल्ली से लखनऊ तीन मिनट की काल हुई और 105 रुपये का बिल आ गया। मैं समझता हूं कि तीन मिनट के किसी मोस्ट अरजेंट काल के लिए भी 105 रुपये का बिल नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता कि इस तरह की गलतियां कैसे हो जाती हैं।

पी० एण्ड टी० के एम्प्लाईज को कुछ कनसेशन देना चाहिए। रेलवे एम्प्लाईज और इंडियन एयरलाइन्ज के एम्प्लाईज को पासिज मिलते हैं। बैंक अपने एम्प्लाईज को कनसेशनल रेट पर कर्जा देते हैं। अगर पी० एण्ड टी० का कोई एम्प्लाई टेलीफोन मांगता है, तो उसे वह देना चाहिए। उन्हें रियायत पर लिफाफे और पोस्ट कार्ड देने चाहिए। जो कुछ सरकार के हाथ में है, उसमें से कुछ तो उन्हें देना चाहिए।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : क्या आपने अपने काल में दिया था? यह बात उस वक्त नहीं सूझी? यह अक्ल बाद में क्यों आती है?

श्री सूरजभान : क्या आप हमारे रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो आपका भी वही हश्र होगा, जो हमारा हुआ है।

इस डिपार्टमेंट में काफी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज एम्प्लाईज काम करते हैं। उन्हें इन्साफ नहीं मिल रहा है। मेरे पास बहुत से टिपिकल केसिज हैं। मैं इस वक्त उनका जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि श्री स्टीफन ने मुझे उन्हें डिसकस करने का टाइम दिया है। मैं उनसे डिसकस करूंगा। मेरा मकसद कोई पायंट्स स्कोर करने और अखबार में नाम छपवाना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब उन लोगों को इन्साफ देंगे।

इस बारे में लाइजां आफिसर एपायंट किया गया है और सेल बना दिया गया है, लेकिन फिर भी उन लोगों को इन्साफ नहीं मिल रहा है। उस सेल को एक्टिव बनाया जाये, ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के एम्प्लाईज को इन्साफ मिल सके। उन लोगों की यूनियन भी है। उसकी रेकग्नीशन के बारे में गवर्नमेंट से जवाब दिया जाता है कि हम उसे रेकग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि कास्ट बेसिस पर किसी यूनियन को रेकग्नाइज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है कि **शिड्यूल्ड कास्ट इज नाट ए कास्ट, इट इज ए काम्बीनेशन आफ कास्ट्स**। इस लिए यह दलील बिल्कुल अधूरी और गलत है। शिड्यूल्ड कास्ट्स की ट्रेड यूनियन को इन्साफ और रेकग्नीशन मिलनी चाहिए। दूसरी यूनियन्ज का एटीच्यूड यह है कि वे इस केटेगरी के

केसिज को टेकअप नहीं करते हैं, बल्कि उसके खिलाफ रीकमेंडेशन करते हैं। जब तक आप उसे फार्मल रेकग्नीशन नहीं दे सकते, तब तक आप उसे प्रापर हीयरिंग तो दीजिए, उनकी चिट्ठियों का जवाब तो दीजिए।

रेलवे डिपार्टमेंट ने यह किया है। अगर रेलवे डिपार्टमेंट कर सकता है, तो कम्युनिकेशन्ज डिपार्टमेंट क्यों नहीं कर सकता ?

मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय मेरे पायंट्स पर गौर करेंगे। आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जब पे कमीशन बैठता है, तो उसमें पी० एंड टी० एम्प्लाईज के साथ इन्साफ नहीं हो पाता। उनकी बहुत-सी कैटेगरीज हैं। इस लिए अगर उनके लिए सैपरेटवेज बोर्ड या पे कमीशन होगा, तो उनके साथ इन्साफ हो सकेगा।

श्री चिंगवांग कोनयक (नागालैण्ड) : मैं जहां संचार मंत्री की अनुदान मागों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, वहीं मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र—नागालैण्ड के लोगों की समस्याओं को भी सामने लाना चाहता हूं।

हम सब जानते हैं कि मेरे राज्य की सीमा बर्मा से जुड़ी है जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां सड़क यातायात की हालत बहुत खराब है। एक मुख्यालय से राज्य के मुख्यालय तक पहुंचने में तीन-चार दिन लग जाते है : जब भी प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो इस राज्य के लोगों को टेलीफोन, ट्रंक-काल, तार और दूर संचार की सुविधाएं मिलनी चाहिए लेकिन इस राज्य के 7 जिलों में से केवल 4 जिलों में ट्रक-काल सेवाएं उपलब्ध हैं।

मौन फेक और जुनहीजोरो में केवल स्थानीय एक्सचेन्ज हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखने और सभी जिला मुख्यालयों को ट्रक सेवायें चलाने के लिए अनुरोध करूंगा।

दूसरी बात, कुछ जिला मुख्यालयों में हमारे पास स्थानीय टेलीफोन एक्सचेन्ज हैं लेकिन वे केवल नाम के लिए हैं; ये टेलीफोन एक्सचेन्ज अधिकांश समय बन्द रहते हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले में ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं।

तीसरी बात, कोहिमा और दीमापुर के लिए हमारे पास एस० टी० डी० की सुविधा है परन्तु अधिकांश समय कोहिमा या दीमापुर से सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत कठिनाई होती है क्योंकि अधिकांश समय यह काम नहीं करता।

माइक्रोवेव प्रणाली की चर्चा करते समय मैं बताना चाहता हूं कि संचार प्रणाली को सुगम बनाने के लिए इसे शुरू किया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश या तो माइक्रोवेव स्टेशन के लिए गलत स्थान के चुनाव के कारण अथवा उपकरणों के गलत संचालन के कारण लोगों को संचार सुविधाओं में सुधार नहीं मिल रहा है, अधिकांश समय माइकोवेव स्टेशन की पी० एफ० टोन ठप्प पड़ी रहती है जिससे नागालैण्ड का सम्पर्क बाहरी संसार से टूटा रहता है। कोहिमा के माइक्रोवेव स्टेशन की उचित देखभाल नहीं होती और जहां तक मेरा विचार है नियन्त्रण कार्यालय नागालैण्ड में न होकर जोरहाट, आसाम में है।

कोहिमा में केवल टेलीफोन प्रणाली ही दोषपूर्ण नहीं है, अपितु कभी-कभी रेडियो पर ट्रंक काल वार्ता भी सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार आल इण्डिया रेडियो स्टेशन, कोहिमा के प्रसारण काल के दौरान टेलीफोन पर सारी कार्यक्रम सुने जा सकते हैं, इसलिए प्रसारण काल के समय उपभोक्ता के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बात करना बहुत कठिन हो जाता है, मैं माननीय मंत्री महोदय से इस ओर भी ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

नागालैण्ड में डाक और तार विभाग के पास कार्यालय और अपने कर्मचारियों के लिए अपने मकान नहीं हैं। तथा किराए में लेने के लिए निजी मकान भी उपलब्ध नहीं हैं। विभागीय कर्मचारी आवासीय सुविधा की कमी से परेशान हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं ताकि विभागीय कर्मचारियों को और अधिक समय तक परेशानी न हो।

दूसरा मुद्दा भर्ती का है, नागालैण्ड के डाक और तार कार्यालय में आपको मुश्किल से ही कोई स्थानीय आदमी मिलेगा, सभी कर्मचारियों की भर्ती या तो दिल्ली या कलकत्ता अथवा गौहाटी में की गई और उन्हें नागालैण्ड भेज दिया गया। स्थानीय लोगों को बहुत ही कम भर्ती किया गया। मेरा सुझाव है कि भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता दी जानी चाहिए।

एक और मुद्दा भी मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं जो कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते के बारे में है। सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी मंजूरी के अनुसार नागालैण्ड में डाक और तार कर्मचारियों की मकान किराया भत्ता उनके वेतन का 15% भुगतान किया जाता था परन्तु वित्त मंत्रालय ने इसे 15% से घटाकर साढ़े सात प्रतिशत कर दिया है। जब मकानों का किराया बढ़ गया है तो मकान किराये भत्ते को घटाना अवास्तविक और अमानवीय कार्यवाही समझी जायेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मकान किराया भत्ता बढ़ाकर 15% कर दें और इसे सभी कर्मचारियों को सुलभ करवायें।

एक और मुद्दा यह भी है कि नागालैण्ड में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को नागालैण्ड राज्य में सेवा करने की शर्त के तौर पर फरवरी 1974 से 10% की दर से प्रतिपूर्ति मकान किराया भत्ता दिया जाता था लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि यह भुगतान गलत था 1979 से इसे बन्द कर दिया गया है और वित्त मंत्री ने कर्मचारियों से सारे धन की वसूली के आदेश दे दिए हैं; इतने वर्षों के बाद अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा धन राशि लौटाना बहुत कठिन है, इस बारे में मैं जानता हूं कि दूर संचार के उत्तर पूर्व सर्किल के महा प्रबन्धक ने 10% धन की वसूली का अनुमोदन किया है। प्रशासकीय तौर पर सारी धन राशि वसूल नहीं की जा सकती। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस मामले में ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अनन्तरामुलु मल्लु (नगर कुरनूल) : मैं डाक तथा तार विभाग की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। आलोचना करना, विशेषकर संचार विभाग की, एक फैशन बन गया है। मैं आन्ध्र प्रदेश में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, 1450 से भी अधिक नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिये संचार मंत्री तथा उनके स्टाफ को धन्यवाद देता हूं। मैं इस विभाग के

लाइनमैन से लेकर महानिदेशक तक के पद पर कार्यरत उन सभी कर्मचारियों को बधाई तथा धन्यवाद देता हूं जो दूर संचार प्रणाली को सुधारने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ कमियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि कमियां बिल्कुल नहीं हैं। सरीन समिति के गठन का उद्देश्य कमियों का पता लगाना तथा उनके उपाय सुझाना है।

मैं सरीन समिति की इस सिफारिश का समर्थन करता हूं कि डाक तथा तार विभाग को दो भागों में बांटा जाए तथा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि विभाग के हित में इस पर विचार किया जाए। डाक-तार विभाग में उचित समन्वय नहीं है। श्री उत्तम राठौर ने डाक-तार विभाग में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। जहां तक दूर संचार का सम्बन्ध है, यह विभाग तकनीकी पर अधिक निर्भर करता है। जबकि डाक विभाग श्रमशक्ति पर निर्भर करता है। अतः इस विभाग का शीघ्र विभाजन किया जाए। मुझे याद है कि जब श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी संचार मंत्री थे इस विभाग के विभाजन का निर्णय किया गया था परन्तु यह विभागीय स्तर पर ही किया गया और बोर्ड स्तर पर वे एक ही हैं। अतः मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि कर्मचारियों तथा जनता के हितों को ध्यान में रखकर इसका शीघ्र ही दो भागों में विभाजन किया जाए। तकनीकी के बारे में मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि दूर-संचार ने इलेक्ट्रानिक तकनीक में काफी प्रगति की है। परन्तु मेरा सुझाव है कि हमें केवल सरकारी तंत्र पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें इस विभाग में अच्छे कुशल व्यक्ति नियुक्त करने चाहिएं ताकि दूर संचार विभाग की स्थिति सुधर सके।

जहां तक भवनों का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि लगभग 80 प्रतिशत तार तथा दूर संचार विभाग गैर सरकारी भवनों में स्थित हैं जो न तो विभाग के लिए और न वहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही अच्छा है। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पहलू पर विचार करके शीघ्र ही कोई निर्णय किया जाए। मेरा यह भी सुझाव है कि वर्तमान एक्सचेंजों को आटो-एक्सचेंज में बदलने का कार्य चरणों में किया जाए और इनमें "कोऐक्सियल" प्रणाली शुरू की जाए। इन्हें राज्य और जिला मुख्यालयों से जोड़ा जाए ताकि व्यर्थ में विलंब न हो और उपकरणों का उचित अनुरक्षण किया जा सके। ताल्लुक और जिला मुख्यालयों से जोड़ते समय इस बात पर ध्यान न दिया जाए कि लाभदायक सिद्ध होगा कि नहीं परन्तु इस कार्य के लिए राज्य या जिले को एक इकाई माना जाये।

आन्ध्र प्रदेश के भूतपूर्व सदस्यों ने कई बार संचार मंत्री श्री स्टीफन को अभ्यावेदन भेजा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले में इलेक्ट्रानिक स्वीचिंग फैक्ट्री स्थापित की जायेगी। महोदय, आपको पता है कि प्रधान मत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसमें सुविधाएं नहीं हैं। यदि यहां एक फैक्ट्री स्थापित कर दी जाती है तो इस क्षेत्र के पिछड़े वर्गों के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। परन्तु मेरा यह अनुरोध है कि फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय शीघ्र ही किया जाए क्योंकि इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। इस समय भारतीय टेलीफोन का कारखाना बंगलौर में है। अब यह राजधानी है। अतः मेरा सुझाव है कि आन्ध्र प्रदेश के इस जिले में फैक्ट्री स्थापित करने के लिये मंत्री महोदय कुछ करें। यदि उनकी ऐसा करने की इच्छा है तो वे किसी गैर सरकारी प्रबन्ध से भी यह कार्य करवाने का

निर्णय कर सकते हैं। आजकल काफी इलेक्ट्रानिक निगम हैं। यह कार्य किसी निगम को सौंपा जा सकता है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस संबंध में शीघ्र ही निर्णय करेंगे। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस सम्बन्ध में अपने उत्तर में कुछ बतायेंगे।

जहां तक स्टोर या उपकरणों के आयात का प्रश्न है, दूर संचार विभाग के महानिदेशक तथा महाप्रबन्धक स्टोर की समस्या को हल कर रहे हैं। परन्तु इस कार्य के लिए स्टोर रखने की स्थिति में वे नहीं हैं। इस सम्बन्ध में भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

अब मैं शिकायतों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। बहुत-से सदस्य इस सम्बन्ध में पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने गलत बिल बनाने की बात कही है। मेरा सुझाव है कि मंत्रालय को बिजली-पानी के मीटरों की तरह एक अलग मीटर के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिये। यदि ये सुझाव व्यवहार्य या संभव है तो उन्हें इसकी जांच करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जाना चाहिये ताकि दोनों सदनों के सदस्यों और उपभोक्ताओं की आलोचना से बचा जा सके।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, काफी सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं। कुछ सदस्यों ने बताया है कि दूर-दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन नहीं लगाये गये हैं। मेरा सुझाव है कि आदिवासी क्षेत्रों, दूर-दराज के क्षेत्रों या अनुसूचितजाति के क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये केवल लाभ के प्रश्न पर ही विचार नहीं किया जाना चाहिये। आपको इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये कि किसके लाभ के लिये ये लगाये जा रहे हैं।

महोदय, मैंने महाप्रबन्धक को भी लिखा था, जिसका उत्तर दिया है कि यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह निर्धारित मान-दण्डों के बाहर है।

महोदय, हम किसी विभाग को तब लिखते जब यह देख लेते हैं कि इस मामले में लिखना जरूरी है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे प्रस्तावों की जांच करते समय सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की अनुमति देने के लिये प्राधिकृत किया जाना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि एजेंसी क्षेत्रों में तथा आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन सार्वजनिक हित के लिये लगाये जाने चाहिए।

डाकघरों के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पोस्ट मास्टर जनरल का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं परन्तु मुझे बहुत-से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें बताया गया है कि उन्होंने एजेंसी और आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये इन्कार कर दिया है। यदि इन सब बातों पर समुचित रूप से विचार नहीं किया जाता तो डाकघर खोलने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। मेरा सुझाव है कि एजेंसी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये विभाग को सौम्यता से काम लेना चाहिये।

महोदय, जहां तक आन्ध्र प्रदेश की समस्याओं का संबंध है मुझे बताया गया है कि आटो-

एक्सचेंज लगाने की अनुमति के लिए लगभग 200 प्रस्ताव विभाग को भेजे गये हैं। मंत्री जी आन्ध्र प्रदेश के प्रति हमदर्दी से काम लें। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मंत्री जी ने स्वयं वहां का दौरा किया है। मैं श्री घोष को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा चुनाव क्षेत्र और महबूब नगर का दौरा किया और वहां एस० टी० डी० सेवा का उद्घाटन किया। महोदय मेरे चुनाव क्षेत्र में जेदचारला गांव, जो कि तेलंगाना क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है, की छोटी-सी समस्या है। गांवों के लिए लोगों ने इसे आटो-एक्सचेंज में बदलने के लिए बहुत से अभ्यावेदन भेजे हैं। मैंने भी महानिदेशक और मंत्री जी को अभ्यावेदन भेजे हैं। हालांकि मुझे आश्वासन दिया गया था परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। यदि मंत्री महोदय इस पर विचार करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे चुनाव क्षेत्र के जेदचारला गांव में आट्रो-एक्सचेंज खोलने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जाए। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि नगर कुरनूल में भी एक आट्रो-एक्सचेंज खोला आए। महोदय, जेदचारला व्यापारिक केन्द्र होने के कारण आप की दृष्टि से भी अन्य जिला मुख्यालयों की तुलना में यहां का अट्रो एक्सचेंज अधिक लाभ देने वाला होगा। जहां तक कर्मचारियों की समस्याओं का संबंध है श्री स्टीफन ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं और इसलिये श्री स्टीफन के पास यह विभाग होने के कारण वहां कर्मचारियों को एक प्रकार से विशेष सुविधा है, मैंने स्वयं कई बार सम्मेलनों में भाग लिया है और कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि मंत्री जी आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। जब तक कर्मचारी खुश नहीं होते, अच्छे परिणाम नहीं निकल सकते। अतः, कर्मचारियों की सभी मांगों पर सहानुभूति-पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

जहां तक आरक्षण का प्रश्न है श्री मकवाना यहां हैं और मुझे विश्वास है कि इसके लिए वह ध्यान रखेंगे। परन्तु आरक्षण का बहुत कार्य बकाया है। जब हम बकाया कार्य का प्रश्न उठाते हैं तो वे केवल श्रेणी-4 और श्रेणी-3 के कर्मचारियों की ही बात करते हैं। अधिकारी संवर्ग की स्थिति क्या है ? इस संवर्ग में आरक्षण का कार्य बहुत बकाया है। अतः मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि यथासमय इसकी पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

अंत में उन कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने भारत बंद के समय दिन-रात कार्य करके विभाग की कार्यकुशलता को बनाए रखा। मेरा सुझाव है कि मंत्री जी लाइनमैन से लेकर महानिदेशक तक के पद के उन सभी कर्मचारियों को पुरस्कृत करें जिन्होंने इस कार्यकुशलता को बनाए रखा। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों को व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को मेरी बात सुनने के लिए और माननीय सभा-पति महोदय को मुझे इन मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं संचार, डाक व तार तथा टेलीफोन विभागों की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे साथी ने कहा कि अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। निश्चित रूप से यदि काम अच्छा हो तो अवार्ड

मिलना चाहिए लेकिन गलत काम के लिए दण्ड भी मिलना चाहिए । दोनों चीजें होनी चाहिए ।

मंत्री महोदय की तरफ से मंत्रालय की यह वार्षिक रिपोर्ट है । इसका पेज 21 है । इसमें आप देखें कि वर्ष 1980-81 के लिए जो राशि मंजूर की गयी है वह 403.31 करोड़ रुपये है और इसमें से खर्च 268.22 करोड़ रुपये हुए हैं । अब आपका डिपार्टमेंट इस तरीके से काम करे और वह डिपार्टमेंट इस तरीके से काम करे जिसके अफसर एफीशियेंट हो और मंत्री इतने बहादुर हों तो उसको अवार्ड देने की बात जहां हो वहां साथ-साथ दण्ड देने की भी बात होनी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि किस की लापरवाही के कारण यह पैसा खर्च नहीं हुआ ?

आपने पोस्टल चीजों के दाम बढ़ा दिए, टेक्स बढ़ा दिए जिनके कारण गरीब मर रहा है । यह जो अन्तर्देशीय पत्र है, इसको कौन खरीदने वाला है ? रेड्डी साहब, आप जानते हैं कि हम लोगों को ट्रंक लाइन इमीडियेट भी नहीं मिलती है, आर्डिनरी और अरजेंट की तो बात छोड़िए । जिसकी टेलीफोन एक्सचेंज से सांठगांठ होगी, उसकी लाइन तो दो मिनट में मिल जाएगी । क्या गांव का गरीब आदमी टेलीफोन से बात कर सकता है ? उसका सहारा तो यह अन्तर्देशीय पत्र है । आपने उसके दाम भी बढ़ा दिए हैं । इसलिए बढ़ा दिये हैं कि विभाग को, मंत्रालय को पैसे की आवश्यकता है । जो पैसा आपके विभाग के लिए मंजूर किया जाता है उसको आप पूरा यूटिलाइज नहीं करते हैं, उसमें से 50 परसेंट यूटिलाइज करते हैं । यह है आपके विभाग की सक्षमता ।

इस रिपोर्ट का पेज 28 देखिए जिसमें कहा गया है :

31 दिसम्बर, 1981 को देश में डाकघरों की कुल संख्या इस प्रकार थी :

ग्रामीण क्षेत्र	1,25,743
शहरी क्षेत्र	14,692
कुल	1,40,435

यह इनकी टोटल संख्या है । बिहार में पोस्ट आफिसिज की संख्या आपने बतलायी है 10,284 । हिन्दुस्तान में 5 लाख 98 हजार गांव हैं और आपके गांवों में पोस्ट आफिसिज हैं 1,25,743 और शहरों में 14,900 । अभी हमारे साथी बता रहे थे कि पोस्ट आफिसिज की बड़ी दुर्दशा है । आपके तीस परसेंट पोस्ट आफिसों के अपने मकान हैं और बाकी के 70 परसेंट पोस्ट आफिस किराये के टूटे-फूटे मकानों में चल रहे हैं ।

गांवों में जो आपके पोस्ट आफिसिज हैं और उनमें जो पोस्ट मास्टर हैं वे टेम्परेरी और पार्टटाइम हैं । अब मनीआर्डर उनके पास पहुंचे तो पहले तो वे उस रकम से कमायेंगे, खायेंगे । जब उनकी कमाई या खाने से वह रकम बच जायेगी तो वे उस मनीआर्डर वाले के घर पर कई महीने के बाद पहुंचा देंगे । गांवों में आपके पोस्ट आफिसिज के पोस्ट मास्टरों की यह हालत है । जब आपके यहां इतनी अनएम्प्लायमेंट है तो क्यों नहीं आप गांवों के अनएम्प्लायड ग्रेजुएट पास, मैट्रिक पास लोगों को इन पोस्ट आफिसिज में एम्प्लायड करने की व्यवस्था करते हैं ? उनको आप क्यों नहीं फुल टाइम बहाल करते हैं ?

हमारे गांव में, मुझे मालूम है कि पोस्टमैन को 6-6 मील तक डाक लेकर जाना पड़ता था। उसका वेतन कितना होता था ? उसका मासिक वेतन इतना होता था जितना कि हमारा एक दिन का खाने का भत्ता। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, आप बतलाएं कि रूरल एरियाज में जो पोस्ट-आफिस हैं, रिजर्वेशन तो वहां रहता ही नहीं है, इफीसिएंसी भी नहीं है। इफीसिएंसी इसलिए नहीं है कि खेती-बाड़ी का काम भी चल रहा है और साथ-साथ पार्टटाइम में यह काम भी कर रहे हैं। 5 गांवों में एक पोस्ट आफिस बनता है। सड़कें भी नहीं हैं, जिससे मोबाइल वैन की व्यवस्था की जा सके। तो आप पोस्टआफिसेस की संख्या ही बढ़ा दीजिए, मोबाइल वैन की व्यवस्था कीजिए और तीसरी चीज पार्टटाइम के बजाए पूरी व्यवस्था कीजिए, इससे गांव के गरीब लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। इसके साथ-साथ पोस्टमैन का वेतन भी अच्छा कीजिए, क्योंकि वह भी आपका ही कर्मचारी है और बदनामी तो विभाग की ही होती है। आपके विभाग की समस्या है, इसलिए आप से ही कहेंगे, आप समस्या का निदान कीजिए। आपका यह तर्क भी नहीं माना जा सकता कि आपके पास पैसा नहीं है। आपने पैसा लिया लेकिन खर्च नहीं किया। आपने 403 करोड़ में से 268 करोड़ रुपया ही खर्च किया है।

टेली कम्युनिकेशन के बारे में मैं देख रहा था कि आपने रिपोर्ट में कहा है कि 27 लाख 85 हजार 96 टेलीफोन कनेक्शन हैं और जनसंख्या है 68 करोड़। 68 करोड़ की जनसंख्या है और पोस्ट आफिस की सुविधा नहीं है और इन टेलीफोनों में से कितने डैड रहते हैं।

मैं मानता हूं कि हर विभाग में कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन जिस ढंग से आपने कह दिया दोनों हाउस में और उसी का अनुसरण आपके डिपार्टमेंट ने करना शुरू कर दिया। पब्लिक रेप्रजेंटेटिव हैं, और किसी भी आदमी को शिकायत हो सकती है, आप भी कभी-कभी झल्ला जाते होंगे। लेकिन आपको तो पी० ए० मिलाकर लाइन देता है, इसलिए आप न झल्लाते होंगे, लेकिन हम लोगों को जब रंगा साहब के यहां टेलीफोन की लाइन नहीं मिलती तो हम 199 रिंग करते हैं तो मिल जाता है कहीं और तो झल्लाहट तो होती है। एक टेलीफोन काल के लिए 5 टेलीफोन काल बरबाद होते हैं, जबकि आपने 15000 काल की लिमिट लगा रखी है, चाहे हम ट्रंक-काल करें या कैसे भी उपयोग करें। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : चौधरी साहब नाराज हो जाते हैं।

श्री राम विलास पासवान : चौधरी साहब का हो या प्राइम-मिनिस्टर का हो, किसी का टेलीफोन ठीक काम नहीं करता। यहीं पार्लियामेंट हाउस में देख लीजिए जो इंटरनल टेलीफोन व्यवस्था की गई है, हमारे पार्टी आफिस के टेलीफोन के लिए दिन में दस बार कहना पड़ता है। इसलिए जितने टेलीफोन हैं कम से कम वे तो ठीक ढंग से काम करें। आपने बयान दे दिया कि कमर्शियल बेसिस पर है, लेना हो लीजिए नहीं तो लौटा दीजिए—यह कोई जवाब नहीं है। आपके आफिसर सोचते हैं कि जब मंत्री जी ने ऐसा बोल दिया है तो हम भी बोल सकते हैं। जम्मू-काश्मीर में लौटा दिया, बिहार में लौटा दिया गया। इसका अंततोगत्वा नतीजा क्या होगा ? इस प्रकार से आपका विभाग रसातल में चला जाएगा, नर्क में चला जाएगा। डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। इसको आगे बढ़ाने के लिए जो अफसर अच्छा काम करें उनको शाबासी दीजिए, जो खराब काम करें उनको दण्ड भी दीजिए।

एशियन गेम्ज होने जा रही हैं नवम्बर में। उसके लिए आपके पास कितना टेलीफोन का टारगेट है और क्या वह पूरा हो जाएगा ? फारेन डिगनेटरीज सब आएंगे। जो लक्ष्य आपने रखा है उस लक्ष्य के मुताबिक टेलीफोन की सुविधा क्या उपलब्ध हो जाएगी ? नहीं होगी। अखबारों में निकल रहा है वहां हो रही वंगलिंग्ज के बारे में।

बिहार में टेलीफोन की तो और भी ज्यादा दुर्दशा है। जंक्शन जहां दूसरी जगह 1157 आपने दिए हैं वहां बिहार में केवल 475 ही है। एक आप की ओ०वाई०टी० स्कीम है जिसमें आप आठ हजार रुपया जमा करते हैं। लोग दो-दो और तीन-तीन साल लाइन में लगे रहते हैं लेकिन उनका नम्बर ही नहीं आता है। लाइन चल रही है तो चल रही है, नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है।

चिट्ठियों और तारों के—बारे में तो बहुत ही शिकायतें हैं। चिट्ठी और तार में कोई अन्तर नहीं रह गया है। कहीं-कहीं तो पत्र पहले पहुंच जाता है और तार बाद में पहुंचती है। ट्रंक काल की भी यही बुरी हालत है। लाइन मिलती ही नहीं है। अभी तो मेरे पास पांच-छः महीने से बिल नहीं आया है जो मैं शिकायत कर सकूं लेकिन ट्रंक काल्ज की हालत यह है कि आदमी दिल्ली में है नहीं और बिल पर बिल आते जाते हैं। ये सब बातें मैं नुक्ताचीनी करने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं लेकिन इनएफिशेंसी जो आ गई है उसको दूर करने के लिए कह रहा हूं। मजबूती के साथ इसके बारे में आपको कदम उठाने चाहिए।

कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिये। कम्युनिकेशन सिस्टम पर सब चीज निर्भर करती है। नार्थईस्ट जोन में हम गए थे एस० सी० एस० टी० कमेटी के साथ। पनिका जी भी गए थे। हमने वहां पर कम्युनिकेशन गैप इस कद्र पाया, रोड्ज का हो या आपके कम्युनिकेशन सिस्टम का हो कि ऐसे लगता था कि शायद वह इलाका हिन्दुस्तान का भाग ही नहीं है। देश की एकता को बनाए रखने के लिए जहां और चीजों का महत्व है वहां यह डिपार्टमेंट भी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है।

हम लोग अंडमान निकोबार गए थे। वहां की परिस्थिति अलग है। प्लेन की भी वहां डेली सर्विस नहीं है। वहां टेलीग्राम या टेलीग्राफ नाम की एक पत्रिका निकलती है। मैंने कहा कि इसका नाम लेटर रखो, टेलीग्राम या टेलीग्राफ क्यों रखा हुआ है।

अब मैं दो गम्भीर मामले उठाना चाहता हूं। एक डाक सेंसर करने का है और दूसरा टेली-फोन टेप करने का है। जहां तक सेंसर करने की बात है यहां पर इसके बारे में काफी डिसकशन पिछली बार हो चुकी है और विस्तारपूर्वक सब चीज बताई जा चुकी है। लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। नतीजा यह है कि व्यापक पैमाने पर डाक सेंसर हो रही है; पालिटिशंज की भी और जरनलिस्ट्स की भी। ऐसा मालूम देता है कि इसका कोई क्राइटीरिया है ही नहीं। नए सिरे से क्या आप इस मामले पर विचार नहीं कर सकते हैं ? अंग्रेजों ने जो कानून बना दिए उन पर हम चिपके हुए हैं। मैं मानता हूं कि उनके द्वारा बनाए गए सब कानून बुरे नहीं थे। लेकिन बहुत-से बुरे भी थे। लेकिन आज भी वही सारी चीज आजादी के नाम पर हो रही हैं। सारे के सारे जितने कानून हैं, जितनी व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेट्स के तौर-तरीके हैं, सब वही हैं और वही पुरानी एप्रोच है।

हिन्दुस्तान आजाद हो गया है लेकिन एप्रोच वही है। वही पुरानी नीति, वही पुराने कानून और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कंनफ्रंटेशन की स्थिति पैदा हो गई हो। सब जगह हम फेल होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमको नए तरीके से सोचना चाहिए।

टेलीफोन टेप किए जाते हैं। आपके पास खुफिया विभाग है, सब चीज है। टेलीफोन टेप करने की बात को तो आप छोड़ दें। आज स्थिति यह है कि कोई आदमी ईमानदारी के साथ दो मिनट बात करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लाइन कहीं से कहीं पहुंच जाती है। आप इधर से कहियेगा टेलीफोन रखो, वह उधर से कहेगा तुम टेलीफोन रखो। ठीक है हमारे एक साथी ने कहा कि हम पावर में थे तो हमने क्या किया ? अब अगर हमने नहीं किया तो इसका मतलब क्या यह है कि आप भी न करो ? पार्लियामेंट के मेम्बरों और जर्नलिस्टों के टेलीफोन टेप हो रहे हैं आज। कल यदि आपका ही टेप होने लगे तब क्या करोगे ? एक सज्जन मकवाना जी को कह रहे थे कि रिजर्वेशन पौलिसी को इमप्लीमेंट क्यों नहीं करते ? हमने कहा कि उस पौलिसी को इमप्लीमेंट करते-करते होम मिनिस्ट्री से कम्युनिकेशन्स मिनिस्ट्री में आ गये, और अगर यहां इमप्लीमेंट करेंगे तो कहा जाएगा कि घर जाइए। तो इमप्लीमेंटेशन तो पौलिसी का तभी होता है जब उसका रिवार्ड मिले।

हिन्दी के बारे में कहा जा रहा है प्रोग्रेसिव यूज आफ हिन्दी। लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा विकास हो रहा है हिन्दी का। मैंने आफिशियल लेंगुएज कमेटी में कहा था एक बार जब फोनोग्राम कर रहा था तो चार बार हमसे पूछा गया कि आपने क्या कहा। पहले तो एक लड़के की समझ में नहीं आया, हमने कहा कि मानीटर को बुलाओ। तो उसने कहा फिर बोलिये। 10 मिनट बाद मैंने पूछा कि मेरा मेसेज कनफर्म हो गया ? तो कहा गया आपने क्या मेसेज दिया था। अन्त में हमने कहा तुम अंग्रेजी में ही लिख लो। यह हिन्दी की प्रोग्रेस है। जिसने रिपोर्ट तैयार की है उसको शायद मालूम नहीं है कि आफिशियल लेंगुएज ऐक्ट क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारा काम हिन्दी में चलाइये। उसका मतलब होता है कि इस देश की भाषा हिन्दी रहेगी, साथ-साथ अंग्रेजी भी चलेगी। लेकिन हो गया यह कि अंग्रेजी चल रही है साथ-साथ हिन्दी चले या न चले।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : दोनों चलेंगी।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन अभी एक तरफा मामला चल रहा है। आदेश है कि नेम प्लेट बाइलिंगुअल हो। क्यों ? इसलिए कि तमिलनाडु में चले जाइये, बहुत-से लोग अंग्रेजी नहीं समझते हैं। अभी तो दक्षिण में भाषा के सवाल को लेकर कन्नड़, मलयालम, तेलगू में झगड़ा हो रहा है, लेकिन आप किसी सुदूर गांव में जाइये कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी समझता हो। हिन्दी भी नहीं समझते हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हिन्दी तमिलनाडु में भी समझते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम हिन्दी नहीं समझ पाते हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : यह गलत सूचना है जो श्री रेड्डी दे रहे हैं। तमिलनाडु में, जब भी हम ग्रामीण भागों में जाएं, वे अंग्रेजी समझ लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह पूर्णतः गलत है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : वे समझते हैं अंग्रेजी को ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : जब कभी हम तमिलनाडु जाते हैं, वहां के लोग हिन्दी समझ लेते हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम आन्ध्र में अधिकांश भागों में, तेलगांव को छोड़कर हम हिन्दी नहीं समझ पाते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कह रहा था कि भाषा का मामला यह है कि दक्षिण भारत में न लोग हिन्दी समझते हैं और न अंग्रेजी समझते हैं । अंग्रेजी निश्चित रूप से कुछ ही पढ़े-लिखे लोगों की भाषा है । मैं साउथ में एक होस्टल में गया था और यह समझ कर लड़के से कह रहा था कि वह अंग्रेजी जानता होगा । तो वह भी हकला कर अंग्रेजी बोल रहा था, जैसे कि यहां लोग बोलते हैं । इसलिये कहा गया था कि जब तक इस देश में अंग्रेजी समाप्त नहीं हो जाती तब तक दोनों भाषाओं में काम-काज चले । लेकिन सरकारी दफ्तरों का मामला यह हो गया कि बाइ-लिंगुअल का मतलब हो गया अंग्रेजी का राज्य कायम कर दो ।

प्रो० एन० जी० रंगा : तो आप भारत को बांट देंगे । वह आज अनावश्यक रूप से करेंगे ।

श्री राम विलास पासवान : क्या ?

प्रो० एन० जी० रंगा : यह हिन्दी के प्रति पागलपन है जिसके कारण दक्षिण भारत के लोग हिन्दी सीखने में पीछे रह गए हैं ।

श्री राम विलास पासवान : रंगा साहब, आप बहुत पुराने नेता हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमारे ऊपर हिन्दी मत थोपिए ।

श्री राम विलास पासवान : मैं हिन्दी थोपना नहीं चाहता किन्तु मैं यह भी नहीं चाहता कि अंग्रेजी थोपी जाए । आजादी के 35 साल के बाद भी इस देश की कोई अपनी भाषा नहीं बन सकी और रंगा साहब, आप जिस पार्टी को बिलांग करते हैं, प्रधान मंत्री हमेशा कहती हैं कि अपने देश की कोई भाषा लिंक लेंगुएज बनाओ, अपने देश की भाषा चलाओ, अपने देश की भाषा चलाओ । यह कोई भी भाषा हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, तेलगू, तमिल, गुजराती या मराठी कोई भी हो सकती है, लेकिन अंग्रेजी देश की भाषा नहीं हो सकती है । यदि हो सकती है तो उन लोगों का अपना देश भी नहीं हो सकता है । दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं कि भाषा हम विदेशी ग्रहण करें और कहें कि देश हमारा है ।

जिन-जिन दूसरे मुल्कों ने आजादी प्राप्त की है, वहां जाकर देखिये । अमरीकन कंट्री हैं, अमेरिका है, यू० एस० ए० है जिसकी कोई अपनी भाषा नहीं थी, उन्होंने अपनी भाषा चलाई । हम लोग यहां कहेंगे, "टायलेट" और वह कहेंगे, "जैंटिल मैन रूम ।" हम लोग कहेंगे, "यस" और वह कहेंगे, "या ।" हम लोग कनाडा गये थे, तो एक फ्रैंच मैन ने कहा था :

"यह दुनिया में विशाल देशों से दूसरा देश है जो फ्रैंच भाषा में बोल रहा है ।"

"मुझे अपनी भाषा पर गर्व है लेकिन क्योंकि आप मेरी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है।" यह वह हम लोगों को बतलाता था। आपको ख्याल नहीं है। रशिया का व्यक्ति यहां आता है, हमारे सेन्ट्रल हाल में बैठते हैं ब्रेझनेव साहब और वह रशियन में बोलते हैं और आप ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। उनका ट्रांसलेटर कहता है कि चूंकि आप हिन्दी नहीं समझते हैं, इसलिये हमको अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है। इसलिए कोई भी भाषा हो, हमारे जैसा आदमी जो प्रैजूडिस नहीं है, आप हिन्दी चलाइये, हम हिन्दी सीख लेंगे, तमिल चलाइये तमिल सीख लेंगे, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या गुजराती जो भी आप चलायेंगे, हम उसी भाषा को सीख लेंगे, लेकिन अपने देश में अपनी भाषा चलनी चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक, पार्लियामेंट में पास किये हुए एक्ट के मुताबिक, दोनों भाषाओं में काम चलना चाहिये जब तक कि अपने देश की भाषा लिंक लेंगुएज नहीं बनती है, उसमें हिन्दी भी है, अंग्रेजी भी है। लेकिन जो भी चीज निकलती है, एक्सैप्ट पार्लियामेंट की रिपोर्ट को छोड़कर, आपकी रिपोर्ट, कागज-पत्र सब एक भाषा में ही चलते हैं।

इसलिए मंत्री जी को इस तरफ गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात का लास्ट में आग्रह करके बैठ जाऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले आचार्य कृपलानी जी का देहान्त हो गया है। आपने अभी तक सभी राजनेताओं के नाम पर डाक-टिकट जारी किये हैं तो मेरा आग्रह है कि आपको आचार्य कृपलानी जी का डाक-टिकट जारी करने में भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संचार व्यवस्था हमारे जीवन के साथ काफी जुड़ी हुई है और यह पब्लिक डीलिंग है इसलिए जनता इस बात का एसेसमेंट करती है कि हमारा टेलीफोन कनेक्शन, डाक व्यवस्था कितनी फुर्ती से काम करती है। एमरजेन्सी में 1975 से 1977 में इसकी घोर तारीफ हुई और उसके बाद हमारे अपोजिशन के लीडर आदरणीय स्टीफन साहब बने और कमांडर इन चीफ रहे और उसके बाद फिर हम पावर में आ गये। अब यह डिपार्टमेंट उसी कमांडर इन चीफ के पास है। उनको मार्शल ला लगाकर इस डिपार्टमेंट को ठीक करना चाहिये और बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाना चाहिये। यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

आज लोग इस टेलीफोन कम्युनिकेशन से बहुत परेशान हैं। इसका बजट बढ़ा है, हम गांव में जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लोग इस बात का एसेसमेंट करते हैं, इसका रेट बढ़ाने की तकलीफ नहीं है, मगर लोग टेलीफोन लगाकर 10,10 घंटे 6, 6 घंटे बैठे रहें और टेलीफोन न लगे, 100, 150 किलोमीटर से आदमी जाकर आ सकता है, लेकिन टेलीफोन नहीं लगता है। इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं एक आदिवासी और पहाड़ी एरिया से आता हूं। मैं आज तक दिल्ली से झाबुआ टेलीफोन पर बात नहीं कर सका हूं। यहां से इन्दौर कनेक्ट किया जाता है, इन्दौर से रतलाम और रतलाम से झाबुआ कनेक्ट किया जाता है। ये तीन सर्कल कभी नहीं

मिलते है । हमेशा कहा जाता है कि लाइन बिजी है। अगर मैं शाम को ट्रेन में बैठूं, तो कल सवेरे वहां पहुंच जाऊंगा और वहां दोपहर से चल कर दूसरे दिन सुबह यहां पहुंच जाऊंगा । लेकिन टेलीफोन दस-बारह घंटे में नहीं मिल सकता है। इसलिए टेलीफोन सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए । अगर हम दिल्ली से न्यूयार्क बात करना चाहें, तो पांच मिनट में कर सकते हैं । इसी तरह लन्दन और टोकियो से बात कर सकते हैं । लेकिन सभापति महोदय, दिल्ली से आपकी कांस्टीट्यूएन्सी, सतना, से बात नहीं हो सकती है ।

अगर हमारे कमांडर-इन-चीफ इस सिस्टम को अच्छा बना दें, तो शहरों में जो भीड़ बढ़ रही है, वह कम हो सकती है । विदेशों में गांवों में टेलीफोन का इतना अच्छा सिस्टम है कि वहां से कहीं भी बात कर सकते हैं । अगर यहां भी गांवों में अच्छा टेलीफोन सिस्टम हो जाए और वहां पर ही दिल्ली के राजनैतिक भाव, व्यापार और बिजिनेस के भाव मालूम हो जाएं, तो कोई इन्दौर या झाबुआ से दिल्ली में आने का कष्ट नहीं करेगा । चूंकि हमें वहां पर दिल्ली का राजनैतिक भाव मालूम नहीं होता, इसलिए हम सोचते हैं कि चलो दिल्ली । इसलिए इस सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है ।

हमें बहुत खुशी है कि अभी हमने जो इनसैट छोड़ा है, वह बहुत-से गांवों को कनेक्ट करेगा । लेकिन इसके साथ-साथ गांवों और किसानों के विकास और हरिजन-आदिवासियों की जागृति पर भी ध्यान देना चाहिए । अगर खम्भों पर लगी ओपन लाइन के स्थान पर अंडरग्राउंड लाइनें लगा दी जाएं, तो निश्चित रूप से सिस्टम में काफी सुधार हो जाएगा ।

छठी प्लान में कई लाइनें और पी० सी० ओ० खोलने की योजना है । मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में 14 पी० सी० ओ० खोले गए हैं । लेकिन स्थिति यह है कि जिस दिन मैं किसी पी० सी० ओ० का उद्घाटन करता हूं उस दिन तो टेलीफोन पर बात होती है, बाकी दिन वह पी० सी० ओ० बन्द रहता है । मैंने पहले भी अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के नानपुर गांव का जिक्र किया था, जिसकी तीन हजार की पापुलेशन है । जब मैंने उसका उद्घाटन किया तो, भोपाल में जेनरेल मैनेजर से बात हो गई । लेकिन छः महीने के बाद जब मैं किसी काम से वहां गया, तो वह बन्द पड़ा था और इस अवधि में वहां पर एक भी काल बुक नहीं हुआ था । ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे बहुत से पी० सी० ओ० हैं, जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं । इससे लोग परेशान हैं ।

मेरा कहना यह है कि अगर सरकार ठीक व्यवस्था कर सकती है, तो वह पी० सी० ओ० खोले, वर्ना वह कह दे कि हमारे पास आदमी नहीं है, तार नहीं है दूसरे साधन नहीं हैं, इसलिए हम नहीं खोल सकते । तब हम लोगों को यह जवाब दे सकेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं, अगर इस साल नहीं, तो अगले साल पी० सी० ओ० खुल जाएगा । लेकिन अगर एक बार खुल जाने पर पी० सी० ओ० बाद में काम न करे, तो हमें बहुत परेशानी होती है ।

मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में रतलाम डिस्ट्रिक्ट है । वहां 1300 कनेक्शन हैं । इस समय वहां पर मुश्किल से 60 परसेंट स्टाफ है । चूंकि ओवर-टाइम बन्द कर दिया गया है, इसलिए जब स्टाफ आठ-दस घंटे तक अपनी ड्यूटी दे देता है, तो चार-पांच रुपये पर कुलियों को वहां बिठा देते हैं । अगर हम 11 नम्बर मांगें, तो वे 21 देते हैं और 21 मांगें, तो 11 देते हैं । यह स्वाभाविक

है, क्योंकि वे अनपढ़ कुली होते हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को भर्ती करना चाहिए। और ट्रेनिंग दें, नयी टेक्नीक दें तथा उस सारे सिस्टम को ठीक करें, ये जो जगहें हैं वहां अच्छे से अच्छा आदमी रखें और अच्छे से अच्छा काम हो, यह मैं चाहता हूं। यह मेरी कांस्टीट्यूएन्सी का मामला है। एक झाबुआ-रायगढ़-इंदौर का मामला है जिसके बारे में कई बार जनरल मैनेजर को मैंने लिखा है कि एक जरा-सा विभाग है, वहां इंटर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, एक रामा गांव है वहां तक लाइन है और एक धार डिस्ट्रिक्ट का लत्ती गांव है, सिर्फ 12 किलोमीटर का मामला है, मगर वह इंटर-डिस्ट्रिक्ट का मामला आ जाता है, इंटर कनेक्शन का मामला आ जाता है। अगर वह 12 किलोमीटर जोड़ दें तो इंदौर से दाहोद-झाबुआ सब जगह बात हो सकती है। मगर पता नहीं यह टेलीफोन वाले किस प्रकार काम करते हैं, किस सिस्टम से काम करते हैं? हमें किस लाइन से प्राफिट है इसको अगर देखें और प्राफिट को जोड़ें तो निश्चित रूप से इस डिपार्टमेंट को लाभ हो सकता है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसी छोटी-छोटी बातें हैं, अलीराजपुर से इन्दौर, इंदौर से छोटा उदयपुर, इन सारे स्थानों को जोड़ने का काम बहुत आसानी से हो सकता है और इससे हम लोगों का बहुत भला हो सकता है।

दूसरे, ये जो फर्जी काल्स होती हैं, इस बारे में आप जांच कराएं, कौन आपरेटर बैठता है और कहां फर्जी काल होती है जो हमारे घर पर हमारे बिल में आकर जुड़ जाता है, जैसे वर्ली मटका वालों को देखिए कि दिल्ली से बम्बई जो आदमी मटका खोलता है उसको विदिन टू आर थ्री मिनट्स मालूम हो जाता है कि यह नम्बर खुला है और आप दिल्ली से बम्बई लाइटनिंग काल लगावें तो घंटों लग जाएंगे और काल नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोग जांच करने वाले रखिए, एक अलग एंजेन्सी बनाइए इसके लिए और ऐसे लोग जो फर्जी काल लगाते हैं और फर्जी बिल बनाते हैं उनके खिलाफ अधिक से अधिक कठोर कार्यवाही कीजिए, उनको दण्डित कीजिए। एमर्जेंसी के अंदर हमारी रेलवेज और कम्युनिकेशन के अंदर बड़ी तारीफ हुई, हमारे नेता की तारीफ हुई। उसके बाद हम हार गए। आज फिर चीफ कमांडर हमारी नेता हैं, हम फिर लड़े और हम जीतकर पावर में आए हैं। तो थोड़ा-सा डिपार्टमेंट के ऊपर सख्ती करने की आवश्यकता है। कुछ लोग जानबूझकर इस विभाग को बदनाम करने और जानबूझ कर इसकी जो टेकनीक है उसको फेल करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए।···(**व्यवधान**)···

सभापति महोदय : महिला ने कुछ लिख कर दिया वह भी कह दीजिए।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : हां, वह भी कह रहा हूं और आपकी बात भी कह रहा हूं। यह जो भवन वाली बात चली है, यह हमारा डिपार्टमेंट हर गांव में, हर शहर में फैला जरूर है, मगर जहां तक भवन का सवाल है, जो हमारे साथियों ने विचार प्रकट किए हैं वे बिल्कुल सही हैं। यह सेन्टर का डिपार्टमेंट है, हमें गर्व होता है, लेकिन हमारे पास भवन नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसके लिए प्लान बनाएं कि कहां किस जिले में भवन है, कहां नहीं है। कम से कम जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाला स्टाफ है उसके रहने का और आफिस का भवन तो निश्चय ही होना चाहिए।

यह जो हमारा खजुराहो है वहां सारे वी० आई० पी० लोग जाते हैं और जब उनको वी० आई० पी० ट्रीटमेंट दिया जाता है तो फिर लंदन से भी बात करनी पड़ती है—न्यूयार्क से भी बात

करनी पड़ती है, टोकियो से भी बात करनी पड़ती है—सब जगह से बात करनी पड़ती है। तो ऐसे जो हमारे टूरिज्म के अड्डे हैं, जो पापुलर हैं, और खजुराहो तो बहुत पापुलर है, ऐसी कल्चर है उसकी, तो ऐसी जगह टेलीफोन का सिस्टम ऐसा बनाएं कि जहां से भी जोड़कर बात हो सके, वहां के लिए लाइन बिछाई जाए। चाहे दिल्ली से, चाहे भोपाल से, चाहे कहीं से भी जोड़ दें और ये हमारी बहन कह रही हैं कि कभी वहां डायल टोन नहीं मिलती है, वी० आई० पी० लोग हताश हो जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ऐसी शिकायत का मौका न दें।

हमारा मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वहां अगर लाइन बिछाते हैं तो कहीं 44 किलोमीटर, 42 या 43 किलोमीटर ऐसा कुछ आता है। तो ऐसी जगह में जहां ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है या जहां आदिवासी लोग रहते हैं वहां अधिक से अधिक पी० सी० ओ० और पोस्ट आफिस खोलें जिससे उन लोगों को पता लगे कि यह टेलीफोन है जिससे इस तरह बात हो सकती है। पहले जमाने में यह बात करते थे कि आकाशवाणी से भगवान राम बात करते थे तो टेलीफोन को वह भगवान राम मानते अगर गांवों में आप वह खोल दें। यह इस विभाग की और मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस): सभापति महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज के इस आधुनिक युग में संचार केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि वह जीवन का एक अंग बन गया है। आज संसार कहां से कहां जा रहा है। हमारा देश भी संसार में एक उच्च स्थान पर पहुंचे, आगे बढ़े, इसके लिए संचार व्यवस्था की भी अत्यन्त आवश्यकता है। यह विभाग अच्छी तरह से काम करे और लोगों की समस्याओं और परेशानियों को दूर करें, यह भी बहुत आवश्यक है। बहुत-से विपक्षी साथियों ने जो यहां पर आलोचना की है उनकी बातों को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इसमें सुधार लायें।

इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि आजादी के बाद इस विभाग ने व्यापक पैमाने पर बहुत तरक्की की है। दूर-दराज के इलाकों में, जहां पर डाकखाने और तारघर नहीं थे वहां पर हजारों की तादाद में नये डाकघर और डाकखाने खोले गए हैं तथा अन्य आधुनिक सुविधायें प्रदान की गई हैं लेकिन थोड़ी-सी परेशानी इसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

जैसा कि बहुत से साथियों ने यहां पर कहा है कि वी० आई० पीज के टेलीफोन की स्थिति ठीक नहीं है फिर जो छोटे-छोटे स्थान हैं, छोटे-छोटे शहर या कस्बे हैं वहां की क्या हालत होगी, इसका अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। दिल्ली तो इस देश की राजधानी है लेकिन जहां पर मैं रहता हूं हाथरस, अलीगढ़, एटा, बुलन्दशहर, बदायूं, मैनपुरी यह जो छोटे-छोटे कस्बे हैं वहां के जो टेलीफोन आपरेटर्स हैं उनके सम्बन्ध में मंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि उनको ट्रेनिंग देते समय इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिससे कि वे व्यवहार-कुशल बन सकें और मृदु-भाषी हो सकें। छोटे-छोटे कस्बों के जो टेलीफोन एक्सचेंज है वहां से जब हम टेलीफोन मिलाते हैं तो उनका सब-स्क्राइबर्स के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता है और उनकी भाषा अच्छी नहीं रहती है। यह आम तौर पर लोगों की शिकायत है।

हमारे बहुत-से साथियों ने यहां पर एक बात कही है जोकि एक हकीकत है । मेरा क्षेत्र हाथरस है और जिला अलीगढ़ है। वहां से मैं या कोई अन्य सबस्क्राइबर अहमदाबाद, बम्बई, कानपुर या दिल्ली के लिए काल बुक करता है, जेन्यूइन काल, तो वह नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी बड़े-बड़े व्यापारियों, आढ़तियों और उद्योगपतियों से मिली भगत रहती है। होता यह है कि उनका फोन दो मिनट में मिला दिया जायेगा और फिर शाम को वे दूकान पर गए और पैसे ले आए। मंत्री जी को इस बात पर बड़ी गम्भीरता के साथ सोच-विचार करने की जरूरत है ताकि इस विभाग की जो बदनामी हो रही है उससे उसको बचाया जा सके ।

बहुत-से साथियों ने यहां पर रांग बिलिंग का भी जिक्र किया है। अकसर देखने में आता है कि टेलीफोन कर रहे हैं आप और बिल आ रहा है मेरे नाम। यह किसकी गलती है, यह कौन करता है और यह क्या चक्कर है — इसकी पूरी छान-बीन होनी चाहिए ।

यह तो सम्भव नहीं है कि हर छोटे-छोटे कस्बे का जिले के साथ सम्बन्ध हो जाए लेकिन मेरा सुझाव है कि कम से कम तहसील हेडक्वार्टर के साथ टेलीफोन के जरिए जिले का सम्बन्ध अवश्य हो जाना चाहिए ताकि अगर कभी कोई गम्भीर समस्या उत्पन्न हो, कोई मरीज बहुत बीमार पड़ जाए और उसके इलाज की कोई व्यवस्था न हो, या कहीं हर आग लग जाए या डकैती जैसी कोई वारदात हो जाए तो तुरन्त सम्पर्क स्थापित किया जा सके। कभी-कभी टेलीफोन मिलाने में पूरी-पूरी रात निकल जाती है लेकिन लाइन नहीं मिलती है। कहीं पर आग लग जाए तो कहीं भी सुनवाई नहीं होती है । क्योंकि दमकल की व्यवस्था जिले में होती है, जिले में बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं, एस०पी०, कलैक्टर वहां पर रहते हैं, इसलिए तहसील हैडक्वार्टर टेलीफोन का संबंध सीधे जिला टेलीफोन से होना चाहिए। मैं अलीगढ़ जिले के सिकन्दराराऊ का रहने वाला हूं। यदि मुझे अलीगढ़ कॉल बुक करनी हो, एस० पी० या क्लैक्टर से बात करनी हो, रिश्तेदार से बात करनी हो तो पहले मुझे हाथरस कॉल बुक करानी होगी, फिर हाथरस से अलीगढ़ बुक करानी पड़ेगी । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि तहसील हैडक्वार्टर का सीधा सम्पर्क जिले के टेलीफोन एक्सचेंज से होना चाहिए।

दिल्ली और अलीगढ़ के बीच में डायरैक्ट डायल है और अलीगढ़ में एटोमैटिक एक्सचेंज है। जब अलीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से अलीगढ़ टेलीफोन मिलाते हैं, तो घण्टों लग जाते हैं, लेकिन डायल नहीं मिल पाता है। अगर गाजियाबाद भी मिलायें, तो आप की नाक में दम आ जाएगा लेकिन आप की बात गाजियाबाद नहीं हो सकती है।

श्रीमन्, 1971 में सबसे पहले मैं लोक सभा में आया था। उस वक्त अलीगढ़ में एटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था, लेकिन वहां पर टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी थी। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि अलीगढ़ एक इन्टरनेशन इम्पोर्टेन्स की जगह है, वहां पर यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट आफ इंडिया की प्रेस है, केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े-बड़े दफ्तर हैं, वहां पर बहुत बड़ा एक्सचेंज है, सरकार ने लाखों रुपयों की कीमत से बिल्डिंगें बनाई हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अलीगढ़ में टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी को बनाया जाए।

जहां तक पी० सी० ओज की बात है, पी० सी० ओज छोटे-छोटे कस्बों में होते हैं, जो अक्सर

काम नहीं करते हैं। देहातों में बिजली की समस्या है, बिजली नहीं आती है। बैट्रीज से चला सकते हैं, लेकिन पी० सी० ओज का फंक्शन ज्यादा सैटिसफैक्टरी नहीं है।

अक्सर अखबारों में पढ़ने को मिलता है और सुनने में आता है कि पोस्ट कार्ड, इनलैंड लैटर और लिफाफे डाकखाने में नहीं मिलते हैं। यह जनता की अत्यन्त आवश्यकता की वस्तु है। मेरा माननीय मंत्री जी से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन है कि वे कम से कम इस बात का पता लगायें कि इस तरह की कमी क्यों होती है? इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए तुरन्त उपाय क्यों नहीं किए जाते हैं? यदि पोस्ट कार्ड, इनलैंड लैटर और लिफाफे आम जनता को नहीं मिलेंगे तो इससे उनको बड़ी परेशानी होगी। इससे खामखाह सरकार की आलोचना होती है।

देहातों में कई स्थानों पर डाकखाने नहीं होते हैं। वहां किसी व्यक्ति को उसकी दुकान पर कमीशन के बेस पर लिफाफे, टिकट बेचने के लिए दे दिए जाते हैं। होता यह है कि जब कोई व्यक्ति लिफाफा मांगने जाता है, तो लाला जी कभी दाल तोल रहे होते हैं, कभी तेल तोल रहे होते हैं, तो कभी आटा तोल रहे होते हैं, इस प्रकार वहां बड़ी परेशानी होती है। मनीआर्डर भी कभी आता है, तो वह भी उपयुक्त समय पर लोगों को नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि वहां आप विभागीय कर्मचारी को रखेंगे, तो वहां सुविधा होगी। एक तरफ जहां आपका विभाग सक्षम होगा, दूसरी तरफ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी भी हमारे देश में अधिक से अधिक डाक घर खोलने की आवश्यकता है। दूर-दराज के इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, डाकखानों की संख्या बढ़ाई जाए और डाक-तार व्यवस्था में सुधार लाया जाए।

श्रीमन्, आपने यह देखा होगा और ऐसे समाचार भी आप ने पढ़े होंगे और संसद में भी यह सवाल उठता रहा है कि जाली नोट छापे जाते हैं, जाली सिक्के ढाले जाते हैं और नकली दवाइयां बनाई जाती हैं लेकिन अब यह सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि पिछले दिनों काफी ऐसे डाक-टिकट, लिफाफे और पोस्टकार्ड छापे गये, जो कि नकली थे। इस कार्य को सरकार को रोकना चाहिए और गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं, उनको देशद्रोही करार देना चाहिए और देश-द्रोहिता का मुकदमा उन पर कायम करना चाहिए। यह बहुत-ही गलत काम है और इससे देश के राजस्व को बहुत नुकसान पहुंचता है। सरकार को इसको सख्ती से रोकना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। अब तक ऐसी व्यवस्था रही है कि तार देने की व्यवस्था अंग्रेजी और देवनागरी भाषा में है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा देश बहु-भाषी देश है, जहां पर बहुत-सी भाषाएं बोली जाती हैं। इसलिए तार देने की व्यवस्था अंग्रेजी और देवनागरी भाषाओं के साथ-साथ जो राज्यों की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें भी शुरू की जाए, तो ज्यादा अच्छा होगा।

यह वैसे तो बहुत पुरानी बात है और अब यह कुछ कम-सी हो गई है लेकिन पोस्ट बम और पार्सल बम की समस्या भी हमारे सामने आई है और यह बताया गया है कि इसके पीछे सी० आई० ए० का हाथ है और बहुत-से अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह इसमें काम कर रहे हैं। इनकी छान-बीन करके इस तरह की बातों को रोका जाए।

ऐसे भी समाचार पढ़ने में आते हैं कि 36 मील का रास्ता एक पोस्टकार्ड ने 5 साल में

तय किया और 150 मील का रास्ता एक पोस्टकार्ड 15 साल से ज्यादा में तय करता है। इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें कहां पर कमी है और किसकी इसमें गलती है, इसकी जानकारी करनी चाहिए और किसी सही एजेन्सी से इसकी जानकारी करनी चाहिए।

डाक-तार कर्मचारियों की बहुत-सी समस्याएं हो सकती हैं और हैं। मेरा कहना यह है कि उनको अधिक से अधिक मुस्तैद बनाने के लिए और कार्यशील बनाने के लिए उनकी समस्याओं का अध्ययन करके उनका समाधान करना चाहिए।

अभी कुछ महिला डाकियों की व्यवस्था की गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत सफल हुआ है और इस काम में अधिक से अशिक महिलाओं को लगाया जाए। डाक व तार बांटने की व्यवस्था में माननीय मंत्री जी अधिक से अधिक महिलाओं को लगाएं, तो एक अच्छी बात होगी। इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन और है और वह यह है कि पार्ट-टाइम स्कूल और कालेजों के लड़के-लड़कियों को इसमें लगाया जाए। यह देखा गया है कि कहीं पर डाक बांटने का काम दो घंटे में समाप्त हो जाता है। जो सुबह पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको शाम को डांक बांटने के काम में लगाया जाए और जो शाम को पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको सुबह इस काम में लगाया जाए। इससे उनको पार्ट-टाइम जौब मिल जाएगा और कुछ पैसों की आमदनी भी हो जाएगी।

डाक, तार और पत्रों की जो दरों में बढ़ोतरी की गई है, उस सम्बन्ध में बहुत-से साथियों ने कहा है। मेरा सरकार से बहुत विनम्र शब्दों में यह निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए क्योंकि गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के लोग लिफाफों और दूसरी डाक से अपना काम निकालते हैं। इसलिए इनकी दरों में पुनर्विचार करके कमी की जाए या फिर पुरनी दरें इनकी रखी जाएं।

मैंने जो सुझाव दिये हैं, मुझे आशा है मंत्री जी उन पर गंभीरता से विचार करेंगे और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति महोदय, यह बहुत खुशी की बात है कि इस साल के बजट अधिवेशन में इस मंत्रालय की डिमांड्स पर बहस करने का मौका हमको मिला है। यह और भी खुशी की बात होती अगर इस मंत्रालय के महत्व को देखते हुए, इसका एक अलग बजट रेलवे की तरह पेश होता और जो गड़बड़ियां हैं, उन पर व्यापक तरीके से हमारे माननीय सदस्यों को बहस करने का और सरकार को अपनी राय देने का ज्यादा समय मिलता और इस तरह से उसमें सुधार लाने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम होता। मैं यह मांग करना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार की कैबिनट से कि यह एक बहुत दिनों से लम्बी मांग है। कई बार यह सवाल उठाया गया है कि इसका एक इन्डिपेन्डेंट बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाए और मैं चाहूंगा कि इस पर कैबिनट विचार करे और भविष्य में इस तरह का निर्णय ले जिससे कि इसका अलग से बजट पेश हो।

अभी हमारे देश के अन्दर इस विभाग में जो गड़बड़ियां हैं, उसकी बहुत चर्चा की गयी। मैं मेल सेंसरशिप को समाप्त करने के सवाल पर जोर देना जाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने से यह कानून

चला आ रहा है। 1885 में इन्डियन टेलीग्राफ एक्ट बना था और 1898 में इंडियन पोस्ट आफिसिज एक्ट बना था। उसके मुताबिक हमारी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अफसरों को हमारी डाक को, हमारे टेलीफोन काल्स को पब्लिक सैफ्टी और ट्रैंक्विलिटी के नाम पर सैंसर करने का अधिकार दिया गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना सारा समय गुजर जाने के बाद और देश को आजाद हुए इतने साल हो जाने के बाद भी इस तरह के काले कानून क्यों चल रहे हैं ? हमारे संविधान में एक्सप्रेशन की आजादी दी गयी है उसे उसके जरिये समाप्त किया जा रहा है। हमारी खतोकिताबत में जो गुप्तता होती है उसकी सुरक्षा को इन कानूनों के जरिए से आघात पहुंचाया जा रहा है। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। अगर मुल्क के अन्दर कोई एक्स्ट्रा आरडिनरी सिचुएशन हो, तो ऐसे मौके पर यह बात की जा सकती है और उस मौके पर यह बात समझ में आ सकती है। लेकिन आम तौर पर इसे एक नियम बना दिया गया है और इस नियम का इस्तेमाल खास तौर पर विरोधी पार्टियों के खिलाफ किया जाता है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के इस डेमोक्रेटिक सेट अप में इस तरह के काले कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, इस तरह की सेंसरशिप को समाप्त किया जाना चाहिए।

सरकार ने डाकदरों एवं चिट्ठियों के दाम में वृद्धि की है इसे वापस लेना चाहिए।

टेलीफोन के बारे में भी चर्चा की गई। जाहिर बात है कि देश का विकास हो रहा है और डाक सेवा का भी विस्तार हो रहा है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। टेलीफोन कनेक्शंस का भी विस्तार हुआ है, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन पिछले सालों में टेलीफोन के बारे शिकायतों में भी वृद्धि होती रही है। हमारे मंत्री जी आंकड़ों के बहुत माहिर हैं और मेरा अपना ख्याल है कि वे इन आंकड़ों से अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। वे अब भी आंकड़ों का जाल बिछा कर हमको सन्तुष्ट कर देंगे। लेकिन आंकड़ों से आम लोगों और आम जनता की शिकायतें दूर नहीं हो सकतीं। पिछली बार जब इस पर चर्चा हुई थी तो हमने आपके सामने इन शिकायतों को रखा था। इस सिलसिले में जब तक आप गंभीरता से विचार नहीं करेंगे तब तक निश्चित तौर पर इसमें सुधार नहीं हो सकता है।

जहां तक टेलीफोन की बात है, इसके बारे में बहुत-सी शिकायतें हैं। चाहे वह लोकल काल के गलत मिलने की बात हो, चाहे ट्रंक काल के देर से मिलने की बात हो, चाहे एस० टी० डी० की बात हो, चाहे रांग बिलिंग की बात हो, चाहे मेल के समय पर न मिलने की बात हो इन सबके बारे में आज जरूरत इस बात की है कि आपके जो सर्किल या जिला आफिस हैं उनमें एडवायजरी कमेटी होनी चाहिए। मैंने इस विभाग की कंसलटेटिव कमेटी की बैठक में कहा था कि पटना डिस्ट्रिक्ट आफिस में एडवायजरी कमेटी होनी चाहिए। आपने इसके बारे में कहा था कि हम विचार कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास नाम भी आये हैं और डिपार्टमेंट इन पर विचार कर रहा है, यह भी आपने कहा था। यह 1980 की बात है लेकिन आज तक वह एडवायजरी कमेटी नहीं बनी है। इस तरह की अगर आपकी सलाहकार समितियां बन जाती हैं तो उनमें आपके विभाग की शिकायतों पर विचार करने का मौका मिलता है, आपके विभाग को सहयोग करने का मौका मिलता है और जो उनमें फाल्ट्स हैं उनको दूर करने का मौका मिलता है। इसमें कोई

औचित्य नहीं है कि दो-दो साल से पेंडिंग समितियों का निर्माण भी अब तक नहीं किया गया है। आप जवाब दे देते हैं कि हम कर रहे हैं।

क्यों नहीं कमेटी बनी है, कहां पर यह कार्य पेंडिंग है, क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती जो खामख्वाह विभाग को बदनाम करते हैं? जब तक इस तरह के कदम नहीं उठाएंगे, तब तक विभाग में सुधार नहीं होगा। पूरे देश में आपका नाम है और इस मिनिस्ट्री में आने से उम्मीद की जाती थी कि इसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता जा रहा है, आपकी बदनामी हो रही है--आपके विभाग की बदनामी हो रही है, खुद आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि विभाग में सुधार लाने की आवश्यकता है।

सेवाओं में गड़बड़ी है, जिसकी चर्चा लोगों ने की। आप सेवाओं में सुधार लाना चाहते हैं अफसरों की तादाद बढ़ाकर, लेकिन कर्मचारियों की क्या स्थिति है? ई० डी० ए० की चर्चा लोगों ने की, उनको रेगुरालइज नहीं कर रहे हैं, वेतन कम देते हैं। दो प्रमोशन की बात की जाती है, लगातार पार्लियामेंट में भी यह सवाल उठ रहा है, लेकिन आप इसको मानने से इन्कार कर रहे हैं। बोनस, जिसको बड़ी मुश्किल से लोगों ने हासिल किया था—8·33 प्रतिशत, आपने उसको खत्म कर दिया, उत्पादकता की शर्त लगा दी। आप इस शर्त को क्यों नहीं समाप्त करते और 8·33 प्रतिशत की दर को क्यों नहीं मानते?

ओवर-टाइम का सवाल है। आपने ओवर-टाइम बंद कर दिया। क्वार्टर की समस्या उनके सामने है, प्रमोशन में उनकी उपेक्षा की जाती है, सीनियरिटी की उपेक्षा की जाती है, ट्रांस्फर्स में गड़बड़ी है—ये तमाम बातें हैं। जो डिपार्टमेंट का बड़ा अंग मजदूर और कर्मचारी हैं, जिनके जरिए विभाग में सुधार लाया जा सकता है, उनके साथ एक तरह से होस्टाइल एटीट्यूड रख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप उनको सबक सिखाना चाहते हैं। पता नहीं क्या आपकी दुश्मनी उनसे है? वे आपके कर्मचारी हैं, उनका सहयोग लेकर, उनकी स्थिति में सुधार लाकर आप डिपार्टमेंट की स्थिति में सुधार ला सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान तो अफसरों की तरफ है, उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं और कर्मचारियों पर वर्कलोड बढ़ रहा है। जब तक इन चीजों में सुधार नहीं लाया जाएगा, तब तक जिस तरह से इस विभाग से देश अपेक्षा करता है, वह संभव नहीं हो सकेगा।

सभापति जी, मैं कुछ अपने इलाके, खासतौर पर बिहार की बात करना चाहता हूं। पहले भी कंसलटेटिव कमेटी में मैंने मंत्री जी से कहा है कि बिहार राज्य की घोर उपेक्षा आपकी ओर से हो रही है। पासवान जी ने कुछ आंकड़ों की चर्चा की है, मैं आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम कुछ बातों को सिद्धांत रूप में माना जाना चाहिए। जो जिला हैड-क्वार्टर हैं वहां पर आपको आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी कांस्टीट्यूएंसी नालंदा जिला, जिसका मुख्यालय बिहार-शरीफ है, बार-बार मांग करने के बावजूद वहां पर आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था नहीं हो सकी है। बिहार शरीफ मुख्यालय के लिए 210 लाइन एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन पटना में डायरेक्टर के यहां कई महीनों से पेंडिंग है। बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र केलिए भवन-निर्माण की बात की गई है, जब तक अपना भवन नहीं होता तब तक आटोमेटिक एक्सचेंज नहीं होगा। काफी दिन हुए जमीन

खरीदी गई थी, बाउंड्री वाल बनी है, कंसलटेटिव कमेटी में कहा जाता है कि काम प्रोग्रेस में है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिला हैड क्वार्टर में आटोमेटिक एक्सचेंज की व्यवस्था की जाए। एकदम तो यह काम नहीं हो सकता, आपने 1985 तक का समय तय किया है, मैं समझता हूं कि इस कार्य को और भी पहले किया जाना चाहिए।

पोस्ट-आफिस खोलने के लिए जो शर्तें हैं, उनमें ढील देने की जरूरत है। जो शर्त 3000 की आबादी की है, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर, मैं समझता हूं कि उसको 2000 कीजिए और 2000 में भी क्लस्टर आफ विलेजेज लीजिए जो कम से कम एक किलोमीटर के दायरे के अन्दर हो। क्योंकि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल सटे हुए हैं और उनकी आबादी 4-4 और 5-5 हजार हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां पोस्ट-आफिस नहीं है।

पहले जो नियम था उस नियम के मुताबिक बहुत-सी ऐसी जगहें, जो छोटी जगहें थीं, छोटे गांव थे वहां भी आपके पोस्ट आफिस खुल गए। लेकिन उसके बाद जो नियम में आपने सख्ती की है इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिये।

बिहार शरीफ में डबल डाक डिलीवरी की चर्चा मैंने की थी और आपने इसके बारे में 1980 में वादा भी दिया था। वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। कनसलटेटिव कमेटी की मीटिंग जो 6-8-80 को हुई थी उसमें आपने कहा था :

"तथापि वे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के माध्यम से डाक के संचार के लिए विचार कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं।"

यह कहा गया था कि ट्रांसपोर्ट की कमी हो रही है, दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से डबल डिलीवरी नहीं है। आपने 1980 में टैंडर इनवाइट किए थे। आज 1982 है। पता नहीं उन टैंडरों का क्या हुआ है। लोग गाड़ियां देने के लिए तैयार हैं, जो कुछ चाहिए आपको मिल सकता है, प्राइवेट बसिस मिल सकती हैं, सरकारी बसिस मिल सकती हैं। डबल डिलीवरी की व्यवस्था आप वहां करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हू और आशा करता हूं कि जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने में आप सक्रिय कदम उठाएंगे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदय, हम श्री स्टीफन पर किसी भी चीज के लिए दोष लगा सकते हैं लेकिन उनके श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण पर नहीं। वे श्रमिक विरोधी नहीं हो सकते हैं। वे अपने पूरे जीवन में श्रमिकों की सहायता करते आ रहे हैं और वे श्रमिक नेता रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उठने के बाद उन्हें अपने विचारों को उदार बनाना है और उन्हें देश के सभी भागों के लोगों के हितों को देखना है। हम इतना ही कह सकते हैं। किन्तु यह कहना बिल्कुल गलत है कि वे श्रमिक विरोधी हैं।

इस मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद से वे विस्तार कर रहे हैं···

सभापति महोदय : आपका मतलब यह है कि विभाग का विस्तार हो रहा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : वह सही है। नि संदेह, कुछ कमियां आयेंगी और जैसे ही हम

उन कमियों को दूर करने हेतु संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, इन सभी कमियों को तत्काल और तेजी से दूर किया जाता है। मैंने श्री विजय एन० पाटिल, श्री मकवाना, भूतपूर्व स्व० मंत्री श्री कार्तिक ओरांव और श्री स्टीफन को कई पत्र लिखे कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वहां कई कठिनाइयां हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि ग्वाले जो वहां आस-पास घूमते रहते हैं, वे लाइन को काट देते हैं और जिससे कुछ गड़बबड़ी हो जाती है। दूर-दराज के क्षेत्रों में जब हम टेलीफोन लगाते हैं तो ये कठिनाइयां वहां भी होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे गांवों में लगाये गए टेलीफोनों की ओर अधिक ध्यान दें। आखिर भारत गांवों का देश है। इसी प्रकार गांवों में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

ओ० वाई० टी० प्रणाली बहुत अच्छी है। अमीर लोग इसके लिए 8000 रु० दे सकते हैं, यदि आवश्यक हो, धनराशि को बढ़ाया जा सकता है! किन्तु ओ० वाई० टी० प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन को एक वर्ष में दिया जाना चाहिए। इसमें लम्बा समय अन्तराल नहीं होना चाहिए। यहां तक कि वह भी 1½ से 2 वर्ष से अधिक समय ले रहा है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ओ० वाई० टी० प्रणाली के अन्तर्गत, टेलीफोन एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए।

टेलीग्राम के सम्बन्ध में, जब मैं अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में था, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र को तीन टेलीग्राम भेजे थे। मेरे साथियों ने मुझे बताया, "श्री रेड्डी, आप धन बरबाद कर रहे हैं। वे टेलीग्राम यहां नहीं पहुंचते।" लेकिन जब अगले दिन मैं यहां आया तो वे टेलीग्राम मेरे निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद पहुंचे। यह कहना कि टेलीग्राम 4 या 5 दिन बाद पहुंचते हैं, उचित नहीं है, जब कभी मैंने दिल्ली से अपने निर्वाचन क्षेत्र को टेलीग्राम भेजें, तो न केवल मेरे टेलीग्राम वहां समय पर पहुंचे बल्कि मैं उनका जवाब भी समय पर प्राप्त कर रहा हूं। जब भी मैं टेलीग्राम भेजता हूं, मैं कभी भी एम० पी० नहीं लिखता क्योंकि मुझे उसके लिए अतिरिक्त धन अदा करना होता है। फिर भी टेलीग्राम वहां समय पर पहुंच रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : आम लोगों के बारे में क्या कहा ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं वही तो कह रहा हूं। मैंने कभी "एम० पी०" नहीं लिखा। आप टेलीग्राफ कार्यालय से स्पष्टीकरण कर सकते हैं। अभी भी मेरे टेलीग्राम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में समय पर पहुंचते हैं।

श्री रामविलास पासवान यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री पासवान ने कहा कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार हिन्दी को ठीक से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। वास्तव में रक्षा सेवाओं में हिन्दी का पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है। इसके बाद संचार मंत्रालय आता है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : कौन कहता है ? आप जो कहते हैं, वह सही नहीं है। आप रेलवे बोर्ड में हैं। मैं भी उस समिति में हूं जिसमें आप हैं।

सभापति महोदय : श्री रेड्डी, बात को मत बदलिए।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : संचार मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग पूरा-पूरा हो रहा है और यह अधिनियम के अनुसार है।

क्योंकि हम संसद में बैठ रहे हैं, हमें प्रत्येक बात को समाप्त नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम प्रत्येक बात की आलोचना करें। केवल विपक्ष ही आलोचनानहीं करता है बल्कि दुर्भाग्य से इस तरफ (सत्तारूढ़ दल) के सदस्य भी आलोचना करते हैं। वे यह मानते हैं कि सरकार की आलोचना में भाग लेने से वे अधिक समाचारों में छा जायेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार (दुर्गापुर) : आप जो कह रहे हैं, सही नहीं है।

सभापति महोदय : आपने केवल पांच मिनट मांगे थे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : ठीक है।

एक सदस्य ने कहा कि पत्रों पर सेंसर है। मैं उस वक्तव्य का विरोध करता हूं। आखिर हम संसद सदस्य हैं। हम क्या लिखते हैं? आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। होने दीजिए। किन्तु आप यह नहीं कह सकते कि आपके पत्र खोले जाते हैं। मैंने ऐसी बात कभी नहीं कही। आप ऐसे आरोप व्यर्थ में क्यों लगाते हैं?

कुछ ऐसी अनुसूचित जाति की एसोसिएशन हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चाहे वे मान्यता प्राप्त हैं या नहीं। उन्हें उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिये। उन्हें अन्य ट्रेड यूनियनों की तरह नहीं करना चाहिए। हम जब एक बार उस समुदाय की सहायता करने के बारे में निर्णय लेते हैं तो हमें लालची लोगों को रास्ते में नहीं आने देना चाहिये। अनुसूचित जाति के लोगों की सहायता की जानी चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी पद उसी समुदाय के लोगों के उम्मीदवारों में से भरे जाने चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से देश में सभी विद्यमान डाकघरों के लिए आवास सुलभ कराने की ओर ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं। चाहे उसमें कुछ ज्यादा लागत आती हो, कोई बात नहीं। धन एकत्र करने के रास्ते और साधनों का पता लगाया जा सकता है। हाल ही में कुछ भाड़ा और करों में वृद्धि हुई है। ऐसे साधनों से धन प्राप्त किया जा सकता है। हमें इसकी चिन्ता नहीं करनी है। आवास उपलब्ध कराने के लिये कुछ करोड़ रु० और एकत्र किये जाने चाहिये। यदि गांवों में डाकघरों के लिये आवास की व्यवस्था नहीं होगी तो वे अपने कार्य का प्रबन्ध कैसे करेंगे?

श्री बनवारी लाल बैरवा : (टोंक) सभापति जी, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसका महत्व इस तरीके से मानिये जैसे शरीर के अन्दर नसों और नाड़ियों का महत्व है, उसी तरीके से देश के लिये संचार व्यवस्था का महत्व है। इन दिनों इस मंत्रालय का भार माननीय स्टीफन के कंधों पर और श्री मकवाना तथा श्री पाटिल साहब पर है। मैं मानकर चलता हूं कि यह सभी लोग काफी ऐनर्जेटिक, डाइनैमिक और काफी सुदृढ़ तरीके से चलने वाले हैं और इनके नेतृत्व में काफी अच्छे क्षेत्र के अन्दर विकास और प्रगति हुई है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, केवल अपनी कांस्टीट्यूएंसी तक अपने को सीमित रखना चाहता हूं।

सभापति जी, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे जिले टोंक में जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी है उसके अन्दर पोस्ट आफिस का और टेलीफोन्स का कोई एक भी अपना निजी मकान नहीं है। कोई एक भी निजी आफिस उनका नहीं है। पिछले साल पोस्ट आफिस के लिये एक बिल्डिंग बनाने का तय हुआ और उसका काम चल रहा है, लेकिन उसके अन्दर भी एक गड़बड़ यह हो गई है कि वह भी शहर से करीब एक मील दूर होगा जो कि शहर का आखिरी मकान होगा, वहां पर उसका निर्माण हो रहा है। उसका कितना उपयोग शहर वाले कर पायेंगे, यह तो शायद भविष्य में ही बताया जा सकेगा।

80 हजार की आबादी के अन्दर कोई दूसरा पोस्ट आफिस ऐसा नहीं है जो कि अपनी निजी बिल्डिंग में हो। हमने तो पिछले 30, 35 साल में सिर्फ इतना ही अन्तर देखा है कि जो टेलीफोन के लिये कमरा तय था 35 साल पहले, आज भी उसकी जगह सिर्फ दो कमरे किराये पर हैं, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी तरह से पोस्ट आफिस के लिए भी जो कमरा तय था, आज मकान मालिक को 10, 15 साल चिल्लाते हुए हो गये हैं कि हमारा मकान खाली किया जाये, अपना मकान बनाइये, लेकिन न तो महकमा उसकी बात सुन रहा है न कोई अफसर सुन रहा है। वह लोग बराबर चिल्लाये जा रहे हैं।

हमारे कलैक्टरेट के बराबर जो पोस्ट आफिस है, उसके बारे में निवेदन है कि उसके नीचे से बरसात के दिनों में पानी फूट-फूट कर आता है। मकान मालिक यह कहता है कि भाई, निकल जाइये, कहीं ऐसा न हो कि मैं इसकी मरम्मत भी न करा सकूं और यह तहस-नहस हो जाये।

यह ठीक है कि आप अरबों रुपया पूरे देश में खर्च कर रहे हैं, देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, टेलीफोन लगा रहे हैं, पी० सी० ओ० खोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बिल्डिंगों की तरफ भी ध्यान दीजिये जो कि इतनी अस्त-व्यस्त खस्ता हालत में हैं। अगर यह कहीं गिर जायेगी तो बहुत नुकसान होगा और हम लोगों की बहुत जवाबदेही इसमें होगी।

मैं अपने इलाके के टेलीफोन एक्सचेंज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐसी पुरानी बिल्डिंग में है, जो कि तालाब के किनारे है और उसमें बरसात के दिनों में टेलीफोन आपरेटर भी बैठते हुए घबराते हैं, उसमें सांप, बिच्छू, केंचुए आ जाते हैं। वहां ऐसे-ऐसे खतरनाक जानवर, कीड़े आ जाते हैं, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके लिए कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है। मैं 5, 7 साल से बराबर इस बात को कह रहा हूं, इस प्रयत्न में हूं कि आप कोई जमीन लीजिये और अपनी बिल्डिंग बनाइये। अब ऐसी चर्चा चली है कि बिल्डिंग के लिए जमीन म्युनिसपलिटी से ली गई है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि उस बिल्डिंग को टाप-प्रायोरिटी बेसिस पर बनाया जाये। जहां वह जमीन ली है वह भी उतनी ही दूर है कि उसमें काम करने वाले आपरेटर 2, 3 मील दूर रहते हैं। जिस तरह की आज व्यवस्था है, उसमें बड़ा मुश्किल होता है सब को बुलाकर एक जगह बैठाना।

ऐसी स्थिति भी आती है कि हम लोगों को भी तंग आकर टेलीफोन एक्सचेंज में जाना पड़ता है कि वजह क्या है जो हमारा टेलीफोन अटैंड नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, मिलाते कहीं हैं और मिलता कहीं है। मैंने वहां देखा कि तीन बोर्डों पर एक टेलीफोन आपरेटर बैठा है,

उसने बतलाया कि देख लीजिये, मैं एक आदमी हूं, किस तरह से 3 बोर्डों को संभालूं ? स्थिति यह है कि उनका ओवरटाइम बन्द कर दिया, नई रिक्रूटमैंट आप नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को भी परेशानी है और हमको भी परेशानी है, कन्जुमर्स और सब्सक्राइबर्स, सबको परेशानी होती है । कुछ थोड़ा पैसा बचाकर अगर हम पूरे लोगों को दिक्कत में लाकर खड़ा कर दें तो यह बहुत अच्छी बात नहीं होगी ।

मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही एफीशियेंट हैं और सक्षम हैं, वह इन तमाम कमियों को दूर कर सकते हैं, यहां के हालात को सुधार की तरफ ला सकते हैं ।

अपने इलाके की कुछ समस्याएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । हमारे टोंक जिले के अलावा हमारे क्षेत्र में दूर-दूर फुलैरा-जयपुर की तहसील हैं । मुझे जानकारी हुई है कि सागर के अन्दर जयपुर से डायरेक्ट डायलिंग किया जा रहा है । जयपुर और सागर के बीच में फुलैरा और दूदू, दोनों बड़ी भारी तहसील हैं । उन दोनों की 15,15 हजार की आबादी है । फुलैरा एक रेलवे जंक्शन है, औद्योगिक क्षेत्र भी है । यद्यपि वहां पर बड़ी तादाद में बिजिनेस क्लास के लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर एक्सचेंज नहीं है । दूदू में भी एक्सचेंज नहीं है । मेरा निवेदन है कि जहां एक्सचेंज नहीं है, वहां एक्सचेंजखुलवाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोगों को सुविधा मिले ।

टोंक जिले में अलीगढ़ तहसील है । टोंक से अलीगढ़ का फासला 50 किलोमीटर का है । अगर टोंक से टेलीफोन करें, तो पहले निवाई मिलाना पड़ता है, निवाई से सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर से अलीगढ़ मिलाना पड़ता है, यह कुल 125 किलोमीटर का फासला हो जाता है, जबकि टोंक से बनेठा और ककोड़ तक सीधी लाइन चली गई है । वहां पर 25 किलोमीटर की बात और है । अगर उसको मिला दिया जाए, तो टोंक और अलीगढ़ का सीधा सम्पर्क हो जाएगा । आज तो स्थिति यह है कि हम सुबह बैठते हैं और शाम हो जाती है, लेकिन अलीगढ़ और उनियार के लिए लाइन नहीं मिलती है ।

दिल्ली में भी परेशानी यह है कि सुबह से शाम तक कोशिश करने पर भी टोंक नहीं मिलता है । यहां से जयपुर और जयपुर से टोंक मिलाना पड़ता है । आम तौर पर कहा जाता है कि लाइन आउट आफ आर्डर है । जयपुर से टोंक 60 मील का फासला है । अगर इतने बड़े महकमे से यह लाइन भी ठीक नहीं हो सकती, तो यह खेद की बात है । वहां नो डिले लाइन भी खराब मिलती है और रेगुलर लाइन भी खराब मिलती है । 3 मार्च को हमने सुबह मिलाया और रात के 10 बजे तक बैठे रहे । कहा गया कि नो डिले लाइन और रेगुलर लाइन दोनों खराब हैं । अगर जरा सी हवा चलने पर भी लाइन खराब हो जाती है, तो यह एक आश्चर्यजनक स्थिति है । इतने मजबूत मंत्री हैं और कितने कमजोर तरीके से काम चल रहा है !

मेरा निवेदन है कि हमारी इन दिक्कतों को साल्व किया जाए । जो किराए के मकान लिए हुए हैं, उन्हें खाली करके नए मकान बनवाए जाने चाहिए, जिससे वहां पर एक नया वातावरण बने । आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आपरेटर को यह डर लगा रहे कि कोई कीड़ा, सांप या विच्छू न आ जाए, तो क्या वह ढंग से काम कर सकेगा ? इस लिए एक्सचेंजों और पोस्ट आफिसों की बिल्डिगें जल्दी से जल्दी बनवाई जाएं ।

टोंक शहर काफी लम्बा है। वहां पर सिर्फ दो सब पोस्ट आफिस हैं। वे काफी नहीं हैं। वहां पर और सब पोस्ट आफिस खोलने चाहिए। हमारे इकाके में जिन कस्बों की आबादी दो तीन हजार की है, वहां पर पी० सी० ओ० खोलने चाहिए और उनकी सर्विसिज को एफिशेंट, सक्षम, बनाया जाना चाहिए।

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि भले ही इस विभाग पर पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अरबों रुपये खर्च किए गए हों, लेकिन अगर हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया, तो हमको कहना पड़ेगा कि हमारी तरफ तवज्जुह नहीं दी जा रही है। जयपुर हमारे राज्य का केन्द्र है। वह हमारे पड़ोस में होने की वजह से शायद हम लोगों को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हम लोग मजबूर होकर यह कहने पर आमादा हो जाते हैं कि शायद मंत्री महोदय की निगाह हम पर नहीं गई है, वर्ना यह स्थिति न होती। हमारा एक बहुत छोटा-सा जिला है। उसे और तरीकों से भी नेग्लेक्ट किया जाता है। कम से कम मंत्री महोदय तो उसे नेग्लेक्ट न करें और हमारे यहां तमाम सर्विसिज को सक्षम बनाएं।

इन शब्दों के साथ मैं संचार मंत्रालय की डिमांड्ज का समर्थन करता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैंने तत्काल आरम्भ कर दिया जब आपने घंटी बजाई। मैं कहना चाहता हूं कि निजामाबाद एक उत्तम आय का स्रोत है। वहां जो टेलीफोन केन्द्र है जिसे अब व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है उसे स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में बदला जाना चाहिए। वह विभाग को और अधिक आय सुलभ करायेगा।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत दिनों के बाद हमारे मिनिस्टर साहब दिखाई दे रहे हैं। इसलिए पहले मैं उनका स्वागत करती हूं, लेकिन टेलीफोन और पोस्टेज के बारे में उन्होंने जो बजट के पहले ही कदम उठाए यह इस सरकार की नीति किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से उसकी पहले है, यह 100 करोड़ रुपये का बोझ बजट पेश करने के पहले लगाकर उन्होंने जाहिर कर दिया और यह गलत तरीका उनके हाथ से इस सरकार ने अपनाया।

उन्होंने टेलीफोन के रेंटल चार्जेज बढ़ाए हैं और उनका यह कहना है कि हर महीने में सौ टेलीफोन उन्होंने मुफ्त किए हैं। इसका मतलब है कि 50 रुपए ही उन्होंने हर महीने का चार्ज लगाया। इस साल उन्होंने 1200 रुपए सालाना चार्जेज लगाए हैं जो 800 रुपए से 1200 हो गए। यह बहुत ज्यादा हो गया। अगर सिर्फ 50 रुपए ही देना पड़ता तो लोग बड़ी खुशी से दे देते। उन्होंने रेंटल चार्ज बढ़ाया लेकिन उन्होंने टेलीकोन चार्ज नहीं बढ़ाया यह बात सही है, लेकिन अभी जो टेलीफोन कंज्यूमर है, उसकी शिकायत है। मुझे लगता है कि जगह-जगह से यह शिकायत आई है। पिछले साल उन्होंने जवाब दिया था कि अगर आप शिकायत करते हैं तो यू सरेंडर योर टेलीफोन।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : वह तो हंसी-मजाक में बोले थे।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : नहीं-नहीं, वह हंसी-मजाक में नहीं बोले, उसका असर पूरे टेलीफोन इंडस्ट्री के कर्मचारियों पर पड़ गया है। उनका भी कहना है कि अगर टेलीफोन चलता नहीं

है तो छोड़ दीजिए, मिनिस्टर ने भी यही कहा है। अगर मिनिस्टर कहते कि मैं पूरी तरह देख लूंगा और शिकायत दूर कैसे हो, कैसे एफिशिएंसी हमारे विभाग की बढ़े उसके बारे में कुछ आश्वासन देते तो उसका असर कर्मचारियों पर भी पड़ता। हमारे जैसे लोग कर्मचारियों के पक्ष में हमेशा होते हैं, उनके अधिकार के लिए हम झगड़ते हैं, उनसे बात करते हुए हमें लगता है कि मिनिस्टर की बात को सामने रखते हुए उनको नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि आखिर में वे विरोधी दल के ही लोग हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट के अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है मंत्री महोदय से कि टेलीफोन के बारे में इतनी शिकायत है कि जिसकी हद नहीं। आज टेलीफोन एक तो चलते-चलते टूट जाते हैं, लगते नहीं हैं, रांग नंबर्स लग जाते हैं, एक-एक टेलीफोन के लिए तीन-चार टेलीफोन करने पड़ते हैं और एक-एक टेलीफोन का पैसा कितना होता है, इसके बारे में आप ही हिसाब लगवा लीजिए। इसीलिए टेलीफोन्स के बिल बढ़ते जाते हैं।

दूसरी मेरी प्रार्थना है कि हर टेलीफोन के लिए आपको कुछ एक मीटरिंग करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की इसके बारे में शिकायत है। जिनके पास एस० टी० डी० है वह आपके कर्मचारियों के जरिये बहुत गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करते हैं। बांदरा में मुझे पता है कि एक टेलीफोन का एस० टी० डी० दूसरे के टेलीफोन पर लगा देते हैं। एक आदमी एस० टी० डी० लगाता है और दूसरे का टेलीफोन बिल बढ़ जाता है, उसके बारे में आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे पता है दिल्ली में एक होटल में या सिनेमा क्षेत्र में एक मीटर लगाया गया था। मीटर बना हुआ है। अगर आप बना सकते हैं, आई० टी० आई० के जरिए, या और किसी जरिए तो यह बहुत अच्छा होगा। अगर आप मीटरिंग कर देते हैं तो कंज्यूमर को पता चलेगा कि उन्होंने जितना टेलीफोन किया है उतना ही बिल उनको देना पड़ रहा है। आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का क्या होता है। बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी यह हो सकता है कि वायर किसी के यहां लगाकर, जो इस्तेमाल नहीं करता है, उसका बिल बढ़ जाए, लेकिन कम से कम कंज्यूमर को इसके बारे में लगेगा कि जितना हमने टेलीफोन किया उसकी मीटर रीडिंग के मुताबिक बिल देते समय बिल वह दे रहा है और उसमें उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आपके विभाग के लोग बोलते हैं कि जितना बिल दिया गया है उतना पहले आप दे दीजिए फिर हम देखेंगे कि कितना रिफण्ड करना है लेकिन 25 परसेंट भी रिफण्ड नहीं होता है और बाकी सारा पैसा उसी के ऊपर पड़ जाता है। पहले जमाने में मुझे याद है कि अगर रांग नंबर मिल जाता था तो फोन करके हम बता सकते थे। इंग्लैण्ड का मेरा अनुभव है कि फोन करके जब मैं बताती थी कि हमारा रांग नंबर हो गया, पब्लिक टेलीफोन पर भी क्वाइन डालकर के ऐसा होता था तो वे कहते थे कि अब आप क्वाइन मत डालिए, हम आपका नंबर कनेक्ट करके देते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा है कि रांग नम्बर मिलेगा, कुछ भी हो उसके बारे में कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। कंज्यूमर को उसका पैसा भुगतना पड़ता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आपको मीटर लगाने की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरी बात जो पब्लिक अंडर टेकिंग कमेटी में भी कही गई है, एक कार्ड देने की व्यवस्था कीजिए और जिनके पास ज्यादा से ज्यादा शिकायत आती है कि टेलीफोन बन्द है तो उसका सिगनेचर लीजिए और जहां जिस एरिया में जिस टेलीफोन की ज्यादा से ज्यादा शिकायत होती है उस एरिया पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आज दिल्ली और

लखनऊ का टेलीफोन बन्द है। अगर कोई बीमार हो जायेगा तो पता ही नहीं चल सकेगा। इसलिए मेरी आपसे एक तो यह प्रार्थना है कि जो रांग नम्बर्स होते हैं उनके सम्बन्ध में पहले जैसी सुविधा और व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि रांग नम्बर्स के लिए पैसा देने की जरूरत न पड़े। इसके साथ-साथ जिनके टेलीफोन ज्यादा दिनों तक बन्द रहते हैं, उनके लिए रिवेट की व्यवस्था होनी चाहिए। टेलीफोन के सम्बन्ध में ही एक बात और भी कहनी है। माडर्न सिविलिजेशन के लिए और डेवलपमेन्ट के लिए कम्युनिकेशन की बहुत आवश्यकता होती है। फास्ट डेवलपमेन्ट करने के लिए आप कम्युनिकेशन के जरिए से जल्दी से जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जो रांग नम्बर मिलते हैं या टेलीफोन कनेक्शन टूट जाते हैं, डिस-कनेक्ट हो जाते हैं उससे बिल तो बढ़ता है लेकिन एफिशिएन्सी भी कम होती है। यह बात केवल प्राइवेट कंज्यूमर के लिए ही नहीं है, गवर्नमेन्ट के बिल्स भी इसी तरह से बढ़ते होंगे। इस प्रकार से गवर्नमेन्ट को भी गलत तरीके से खर्चा करना पड़ता है। इसलिए इसको रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्रीजी को मेरा यह भी सुझाव है कि जो पहाड़ी प्रदेश हैं, जोकि शहरों से बहुत ही दूर हैं उनके लिए टेलीफोन की खास व्यवस्था की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी कि रत्नागिरि जिले में जो वैभवपुरी है वहां पर टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां से अगर किसी को कोई आवश्यक सूचना देनी हो तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कोल्हापुर तक जाने के लिए तो बहुत ही समय चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बारिश या बाढ़ की वजह से जो भाग अलग-थलग पड़ जाते हैं वहां पर खास तौर से एक्सचेंज खोलकर टेलीफोन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आपने जो पोस्टल चार्जेज बढ़ाए हैं, जो मनी-आर्डर चार्जेज आपने बढ़ा दिए हैं, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भारी तादाद में जो हमारे माइग्रेन्ट लेबर हैं उनके ऊपर आपने एक नया बोझ लाद दिया है। मेरी प्रार्थना है कि आपने जो मनी-आर्डर चार्जेज बढ़ाए हैं उन्हें समाप्त करना चाहिए। पोस्टकार्ड के चार्जेज तो आपने नहीं बढ़ाए हैं लेकिन इनलैण्ड और एनवेलप के चार्जेज़ बढ़ाए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनलैण्ड का दाम 25 पैसा ही रखिए और एनवेलप का दाम 50 पैसे के स्थान पर 40 पैसा रखिए। आप एकदम से 15 पैसे मत बढ़ाइये। लोगों को इनलैण्ड की बड़ी आवश्यकता रहती है क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको कार्ड पर नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए इनलैण्ड की जो कीमत आप बढ़ाना चाहते हैं वह मत बढ़ाइये—यह मेरी आपसे खास प्रार्थना है।

स्टैम्प के बारे में मेरी एक शिकायत है। पिछले साल भी मैंने सुझाव रखा था कि सावित्री बाई फुले का स्टैम्प निकालना चाहिए। 150 साल पहले इस महिला ने, जोकि एक शिक्षिका थी, स्त्री की मुक्ति के लिए तथा विधवाओं एवं अनाथ बच्चों के लिए बड़ा काम किया था। उनकी स्मृति में एक स्टैम्प निकालना चाहिए था लेकिन आपने नहीं निकाला। किर्लोस्कर के लिए भी मैंने कहा था लेकिन आपने कहा कि कागज नहीं है। संजय गांधी का स्टैम्प तो आपने निकाल दिया था लेकिन दूसरे इतने बड़े-बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जिन्दगी समाप्त कर

दी, उनके स्टैम्प निकालने की सुविधा आपको नहीं है। अब जो हो गया वह हो गया लेकिन अब इन्टरनेशनल वीमेन डिकेड चल रहा है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अभी यह डिकेड 1985 तक चलेगा, आप कोशिश करके इन ढ़ाई सालों में, विभिन्न क्षेत्रों में पायनियर वर्क करने वाली जो महिलायें रही हैं—मेडिसिन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में—विभिन्न प्रान्तों में, उनके स्टैम्प निकालने की अलग व्यवस्था करें तो यह एक अच्छा काम होगा।

मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूं कि सरीन कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई है। उसमें बहुत अच्छी बातें वर्कर्स के लिए भी कही गई हैं। पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ को स्प्लिट करने के लिए कहा गया है। महिलाओं के बारे में भी कहा गया है, जो रात की ड्यूटी करती हैं, उनके लिए खासकर सोने के लिए नजदीक बिल्डिंग बनाने के लिए कहा गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने सरीन रिपोर्ट पर कहां तक कार्यवाही की है? आपने उनकी रिकमैंडेशन्स को कहां तक स्वीकार किया गया है, किसको मंजूरी दी है, किसको मंजूरी नहीं दी है? इन सबके बारे में आपको यहां पर बताना चाहिए, ताकि टेलीकम्यूनिकेशन में कुछ सुधार हो सके।

इनसैट तो चला गया, जैसा कि आपने कहा है कि उसका फायदा 1983 में टेलीकम्यूनिकेशन को होने वाला है। इस बारे में भी आपको बताना चाहिए कि हम कहां तक उस सिस्टम को अच्छी तरह से चला सकते हैं। कहा जाता है कि आउट-मोडिड मशीनरी हमारे पास आती है, जिसकी वजह से हमारा देश हमेशा पीछे रहता है। जिनके साथ हम कम्पिटीशन करना चाहते हैं, उस बारे में भी मिनिस्टर को प्रकाश डालना चाहिए। जो विकासशील देश हैं, उनके मुकाबले में हमारा टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस कहां तक उनके साथ बराबरी में है और कहां तक पीछे है। उनकी बराबरी में जाने के लिए आप कहां तक और किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं? यदि इस बारे में आपको मालूमात हैं, तो आप अपने भाषण में इस बारे में जरूर बताइएगा।

मैं आखिर में यह कहना चाहती हूं कि विकासशील देश के लिए टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस और पोस्टल सर्विस बहुत ही आवश्यक है। आपने पहले ही सौ करोड़ रुपया बढ़ा दिया है और बाद में पोस्टेज चार्जेज बढ़ाने का सुझाव दिया है, इससे मुझे नहीं लगता है कि और घाटा सहने की आपमें शक्ति नहीं है। मेरी आपसे यह भी प्रार्थना है कि बाहर काम करने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आप भेजते हैं, उनके पत्राचार के लैटर की कीमत आप कम से कम न बढ़ाइए। मनीआर्डर की कीमत न बढ़ाइए। दूर-दूर के इलाकों में टेलीफोन की सुविधा और डाक की सुविधा को बढ़ाइए। और आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, तो हमें उम्मीद है आप एक-दो साल और मिनिस्टर रहेंगे। नहीं तो पता ही नहीं लगता है कि कौन-सा मिनिस्टर कब आ रहा है और कब उसको बदला जा रहा है। इसमें जहां-जहां पर भी करप्ट एलीमेंट हैं, उनको दूर करने की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। उन पर पाबन्दी लगाने की व्यवस्था करेंगे।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री रामनाथ दुबे (बांदा) ; उपाध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पूर्ववक्ताओं ने इस मांग के संबंध में बहुत-सी बातें पक्ष और

विपक्ष में कही हैं, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। हमारे देश में इस मंत्रालय के अन्तर्गत डाक, तार और टेलीफोन—ये तीनों महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये तीनों ही हमारे देश के लिए आधारभूत वस्तुयें हैं। जैसा कि बहुत-से माननीय सदस्यों ने सुझाव रखें हैं कि इसकी व्यवस्था को और अच्छा करने की जरूरत है—मैं उन बातों का समर्थन करता हूं। कमियों की तरफ पहले ही माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, इसलिए मैं उनको भी दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। इसके बावजूद भी इसका विस्तार और इसका फैलाव हमारे देश में होता जा रहा है। यह देश के हित में बहुत ही आवश्यक चीज हैं, इसका विस्तार और होना चाहिए। सन् 1976 में माननीय शंकर दयाल शर्मा हमारे संचार मंत्री थे। उन्होंने यह कहा था कि प्रत्येक खंड विकास मुख्यालय में टेलीफोन लगाया जाएगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। हमारा देश गांवों का देश है। देहातों में विकास खंड मुख्यालय जहां पर भी हैं, वहां टेलीफोन की सुविधा होना इन सब कमियों के बीच भी आवश्यक है और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह पूरा प्रयत्न करें।

हमारे ग्रामीण-क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर डाकघरों का फासला 10-10 और 15-15 किलो-मीटर का है। ऐसी जगहों पर डाकघरों की व्यवस्था किया जाना बहुत जरूरी है और कोशिश इस बात की की जानी चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों का फासला कम हो। शहरी क्षेत्रों में तो बहुत-से डाकघर हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजदीक-नजदीक डाकघर हो सकें, तो उनसे वहां के रहने वाले अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डाकखाने खोले जाते हैं, उनमें सेविंग्स बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए और उस व्यवस्था के अन्तर्गत किसान सेविंग बैंक का खाता अलग से खोलना चाहिए, जिससे किसान भाई सेविंग्स बैंक में अपना रुपया जमा करा सकें और उनका धन सुरक्षित रह सके। इस तरह की सुविधा उनको मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही टेलीफोन के बारे में बहुत-से साथियों ने बहुत कुछ कहा है। टेलीफोन के बारे में तो मैं यह कहूंगा कि टेलीफोन हमारा नौकर है, जिसको हम 1200 रुपये साल देकर अपने यहां लगाते हैं। अगर हमारा नौकर अच्छा काम नहीं करता है, तो उसको हम सजा दे सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं, उसे दंडित कर सकते हैं लेकिन अगर टेलीफोन ठीक काम नहीं करता है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। टेलीफोन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी व्यवस्था को और अधिक सुधारने की आवश्यकता है आज की आवश्यकताओं को देखते हुए।

इसके अलावा मैं अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे क्षेत्र में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज बहुत पहले मंजूर हुआ था लेकिन अभी तक उसका निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसी तरह से विभागीय तारघर मंजूर हुआ था लेकिन आज तक वह चालू नहीं किया गया है। मैंने अनेकों चिट्ठियां इसके बारे में लिखी हैं लेकिन मुझे यह उत्तर दिया गया कि इसके लिए भवन नहीं मिल रहा है। मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बांदा नगर में अनेक भवन उपलब्ध हैं, जहां पर विभागीय तार-घर चालू किया जा सकता है। मैंने यह भी अनुरोध किया था कि बांदा जनपद को डाक सेवाओं की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया जाए लेकिन यह मांग भी अभी मंजूर नहीं हुई है। यह कहा गया है कि इसके

मापदंड के अनुसार यह उस केटेगरी में नहीं आता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि डाक-सुविधाओं की दृष्टि से इसको पिछड़ा घोषित किया जाए, इस पर विचार किया जाए।

हमारे जनपद से शंकरगढ़ होकर इलाहाबाद नजदीक पड़ता है। मानिकपुर से शंकरगढ़ तक पहले टेलीफोन की लाइन मिली हुई थी लेकिन किसी कारण वह टेलीफोन की लाइन काट दी गई, जिससे मानिकपुर, शंकरगढ़, इलाहाबाद से सम्पर्क सीधा न होकर कानपुर से मिलाना पड़ता है। इससे उस क्षेत्र के लोगों को बहुत असुविधा होती है क्योंकि कानपुर एक्सचेंज जो है, वह बहुत बिजी एक्सचेंज है। वहां से बात करना बड़ा कठिन कार्य है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए, मानिकपुर-शंकरगढ़ के द्वारा इलाहाबाद का सम्पर्क कराया जाए। उस लाइन को चालू किया जाए। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अभी हाल ही में हमारे बीच से देश का एक बहुत बड़ा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी उठ गया है। पं० परमानन्द जी हमारे बुन्देलखंड के निवासी थे। मैं अनुरोध करूंगा कि उनकी याद-गार में एक स्टैम्प निकाला जाए।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 15 जनवरी, 1982 को इंडिया टूडे में सम्पादक के नाम पत्र शीर्षक के अन्तर्गत जो प्रकाशित हुआ है, उसकी ओर कृपया ध्यान दें :

"ऐसा क्यों है, कि भारत संचार उपग्रह तो चालू कर सकता है किन्तु भूमि पर लगे टेली-फोन कार्य नहीं करते ? सरकार अपने सरकारी इन्फ्रास्ट्रकचर में क्यों धन लगाती है और उसके उपरांत जनता को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराती है जो कार्य नहीं करती ?"

आपने मुझे पांच मिनट का समय बोलने के लिए दिया है। अब पांच मिनट में क्या-क्या बोला जा सकता है।

हमारे राज्य मंत्री श्री मकवाना साहब जरा ध्यान देंगे कि आपने जो पोस्टल लासेज बताये हैं, अपनी इस रिपोर्ट की टेबल वन के अन्दर, वे इस प्रकार हैं :

1977-78 में 1.98 करोड़

1978-79 में 2.27 करोड़

1979-80 में 11.53 करोड़

1980-81 में 72.50 करोड़।

आपके लासेज 1977-78 में लगभग दो करोड़ से बढ़कर 72 करोड़ से भी ज्यादा 1980-81 में हो गये। आपने इन लासेज में इतनी बड़ी जम्प लगायी। इतने अधिक लासेज होने का क्या कारण है ? यह टेबल तो रखने लायक है।

दूसरी बात आपने पेज नं० 33 पर टेलीफोन काल्स के बारे में बतायी है।

1980-81 के दौरान 23.3 करोड़ ट्रंक काल हैंडिल किए गए थे जिनमें से 16.94 करोड़ सफल रहे। 1-4-1981 से 31-12-1981 की अवधि के दौरान 17.2 करोड़ ट्रंक काल बुक किये गए थे जिनमें से लगभग 12 करोड़ प्रेषित किये गये।

सफल कॉलों की प्रतिशतता 71% थी और उसके बाद 69 प्रतिशत।

इससे आप देखेंगे कि टेलीफोन कालस में इतना डिटोरियेशन हुआ। आपको जो इतना बड़ा घाटा हुआ उसका क्या कारण है?

श्रीमन्, मेरी समझ में इसका एक बड़ा कारण यह है कि आपके जो टेलीफोन आपरेटर्स हैं वे अपनी-अपनी जगहों पर टिके हुए हैं। आपने एक कदम उठाया था कि कोई भी आपरेटर अपनी जगह पर तीन साल से ज्यादा नहीं रहेगा। हमारे स्टीफन साहब भी क्या करें, क्योंकि वे ट्रेड यूनियंस को चेलेंज नहीं कर सकते हैं। आप अफसरों को तो तीन साल मे एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, किसी को दो साल में ही भेज देते हैं लेकिन आपके आपरेटर्स आपके एक्सचेंजों में दस-दस और बारह-बारह सालों से टिके हुए हैं। वे गहरी जान-पहचान पैदा कर लेते हैं। इस जान-पहचान करने को और भी बहुत-से लोग सोचने लगे हैं और यह जान-पहचान आपको घाटा दे रही है। यही आपके विभाग के लास का बहुत बड़ा कारण है। यह बात आज आपके टेलीफोन विभाग में हो रही है।

आपने आटोनोमी पर बहुत जोर दिया है और आप उसके लिए लड़ भी रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पी० एण्ड टी० डिपार्टमेंट का सेप्रेट बजट होना चाहिए। आप इसके लिए अलग बजट लेने में पीछे नहीं रहेंगे। आपने जो कदम बढ़ाया है उसमें आप सक्सेस भी प्राप्त करेंगे।

लेकिन एक बात बताइए की रिकवरी क्यों इतना है? मैंने एक सवाल किया था, जिसका जवाब आपने दिया था कि :

1 जुलाई, 1980 तक टेलीफोन बिलों से संबंधित टेलीफोन की उगाही जाने वाली बकाया राशि 18.17 करोड़ रु० है। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नही चाहता। इतनी रिकवरी क्यों है? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वे भी बराबर पेमेंट नहीं कर रहे हैं?

जो रेट्स बढ़ाए गए हैं, सारे पेपर्स में निकला है।

लगभग सभी अखबारों की डाक दरों का पुस्तक प्रेमियों पर असर पड़ेगा।

जो किताबें गांवों में पहुंचती हैं उनकी कीमत बढ़ जायेगी। छोटे-छोटे अखबारों की कीमत बढ़ जायेगी। आज गांवों में किताबों और अखबारों की आवश्यकता महसूस की गई है और इसके बारे में कहा गया है :

प्रकाशक सभी पत्रों पर डाक शुल्क का बहाना लेते हैं। सभी बड़े लोग पुस्तकों पर बढ़ाई गई डाक-दरों की आलोचना करते हैं।

लिफाफे की कीमत 50 पैसे करके आपने अच्छा काम नहीं किया। यह बहुत ज्यादा है, इससे बहुत तकलीफ होती है। कोई नया शादीशुदा आदमी कैसे पत्र लिखेगा? इस बारे में सोचिए। आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं और यह बात सोशल सर्विस के खिलाफ है।

कई अखबारों पर, छोटे-छोटे अखबार जो जिलास्तर पर निकलते हैं, उन पर भी इसका असर पड़ेगा।

मेरे क्षेत्र पर आपकी बहुत कृपा है। मैं जब से पार्लियामेंट का मेंबर बना हूं, मेरे यहां टेलीफोन लगाने की मेहरबानी कम की गई है। लुनावा, लटोरा क्षेत्र हैं, आपकी स्कीम बन जाती है, लेकिन आप कहते हैं कि इक्वीपमेंट्स नहीं हैं। लटोरा में मेंबरों से पैसा जमा करा दिया, स्कीम बन गई, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। लुनावा के अंदर भी यही हालत है। चानोद के लिये मना कर दिया गया।

मेरा जिला पाली, जहां एक लाख की जनसंख्या है, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मद्रास, बम्बई जाने के साथ-साथ कभी-कभी छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी जाना चाहिये। एक लाख लोग रहते हैं और रोज टेलीफोन दिल्ली करते हैं, ज्यादा रेवेन्यू देना चाहते हैं, लेकिन हम दिल्ली डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आपकी स्कीम मंजूर है, लेकिन मैं ज्यादा बोलता हूं इसलिए मेरी स्कीम आप काट लेते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : अब बोलना कम करके देखिये।

श्री मूलचन्द डागा : हां, अब बोलना कम करके देखना पड़ेगा।

आपने थोड़ा-सा समय दिया है, इसलिए घर की कुछ बात करूंगा। रिपोर्ट्स को मैं पढ़ना नहीं चाहता। पाली में डायरेक्ट डायल करना चाहते हैं दिल्ली से और बात करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। स्कीम एप्रूव्ड है। कानपुर से नहीं कर सकते हैं। पाली में पांच सौ इंडस्ट्रीज हैं। आपको रेवेन्यू मिल सकता है। लेकिन बात नहीं कर सकते हैं।

राजस्थान के जो गांव हैं वहां जो आपने पोस्ट आफिस खोले हैं उनमें आपने मैट्रीकुलेट और इंटर पढ़े शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज और वीकर सैकशंज के लोगों को न रखकर के उनको लगा दिया है जो लैंडलार्ड रह चुके हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, घंटा भर भी नहीं करते हैं। बिना किए उनको 130 रुपया मिल जाता है। चिट्ठियां डिस्ट्रीब्यूट करने वे नहीं जाते हैं और कहला देते हैं कि आकर ले जाओ। अधिकारियों को कहा कि रामकिशन और हीर सिंह आदि जो लैंडलार्ड थे, जागीरदार थे उनको क्यों रखा और मैट्रिक और इंटर लड़के जो मौजूद हैं और जो काम कर सकते हैं, साइकिल पर जा सकते हैं तीन-तीन मील दूर और जाकर पत्र पहुंचा सकते हैं उनको क्यों नहीं रखा तो कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं मिलता है। बेकार उनको 130 रुपया दिया जाता है। चिट्ठियां आती हैं पड़ी रहती हैं। लोगों को खुद जाकर अपने और अपने आसपास वालों के पत्र लाने पड़ते हैं। नौकरियां देनी हैं तो उनको दें जो डिजर्व करते हैं न कि उनको जिनकी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं। यह ठीक है कि अधिकारी जब जाते हैं तो उनकी सेवा वे थोड़ी कर सकते हैं, स्वागत उनका अच्छा हो सकता है, दूध-घी अच्छा मिल सकता है। मैं लिस्ट पेश कर दूंगा और मंत्री महोदय जांच कर लें और जांच करने के बाद सही पायें तो दूसरों को नौकरी दें।

सुमेरपुर, पालना आदि के बारे में बराबर शिकायत की जाती है। सुमेरपुर का इतना बड़ा एरिया है तथा और भी कई बड़े-बड़े टाउंज हैं लेकिन वहां पर एक भी पी० सी० ओ० या कुछ और नहीं है। कहा जाता है कि सामान नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, स्कीम मंजूर हो गई है, रुपया जमा कर दिया है। लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की लिस्ट आपके सामने रख

दूंगा। मैं आशा करता हूं कि उस पर आप ध्यान देंगे। साथ ही साथ पोस्ट्स एण्ड टैलीग्राफ की जो हालत है उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : संचार मंत्रालय की कुछ विशेषतायें हैं। पहली यह है कि टैलीग्राम कुछ दी जाती है और पहुंचा कुछ और दी जाती है, अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में लिखा "जजमेंट रिजर्व्ड", पहुंचा दी गई "रिजैक्टिड"। लोग पीछे पड़ गए कि आपने हमें धोखा दिया। आप कह रहे थे कि केस अच्छा चल रहा है, हार कैसे गए ? जब उनको बताया कि टैलीग्राम आपको गलत मिली और यह डिपार्टमेंट की गलती है तो उनको तसल्ली हुई।

तीन दिन पहले हम मुरैना में एक मीटिंग के सिलसिले में गए। अर्जेंट टैलीग्राफ किया। तीन दिन पहले किया। कई जगह किया, और जब मुरैना में हम पहुंच गये, मीटिंग में बोल चुके और जब चलने के लिये बैठे थे तब टैलीग्राम पहुंचा। यह हालत है। अर्थ का अनर्थ करें, देर में पहुंचे। और चिट्ठी-पत्री का तो कुछ कहना ही नहीं। टेलीफोन उठाओ तो पहले यही होता है कि आउट आफ आर्डर, और अगर मिल गया तो रौंग नम्बर, और उसके बाद भी मिल गया तो बातचीत पूरी ही नहीं हो पाती, बीच में ही कट जाती है। मंत्री महोदय से मैंने एक, दो बार बातचीत की तो पूरी बात नहीं हो पायी। बिल गलत-सलत। आपके पास भी ऐसी शिकायतें पहुंची होंगी लोगों के फर्जी बिल आ रहे हैं। दिल्ली में कई टेलीफोन 4, 6 महीने से कटे हुए हैं लेकिन उनके बिल भी चले आ रहे हैं। यह जो हालत विभाग की है इस पर गम्भीरता से आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि संचार साधन देश को एक करने में, नजदीक लाने में और लोगों को सुविधा देने के लिये एक जनसेवा का विभाग है। यह कोई उद्योग नहीं है जैसा कि आपने समझ लिया है। और शायद इसीलिये आप पोस्टल रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। लम्बा-चौड़ा अखबार कई पेज का बाजार में 50 पैसे में मिल जाता है, लेकिन अगर हम छोटी-सी चिट्ठी भेजेंगे और उसका एक तोले से कम वजन होगा तो 50 पैसे देने होंगे। तो कहीं तो समानता रखिये कीमतों में। पोस्टकार्ड पहुंचते नहीं, मनीआर्डर आपके अधिकारी पहले अपने इस्तेमाल में ले आते हैं और कई-कई महीने बाद लोगों को देते हैं। गलत वितरण भी होता है। और आपके विभाग में कोई सुनवाई नहीं है। हम जो शिकायत करते है उसका जवाब नहीं आता। छोटी जगह टेलीफोन एक्सचेंज की हालत खराब है, एयरकंडीशनिंग का कोई उचित इंतजाम नहीं है, अधिकांश टेलीफोन खराब ही रहते हैं, उनका कोई प्रयोग नहीं हो पाता। कहीं पानी टपक गया, कहीं हवा चल गई तो छोटे कस्बों में टेलीफोन बेकार ही रहते हैं।

डाक घरों में जो आप बढ़ोतरी कर रहे हैं इसको आप जरूर वापस ले लें क्योंकि यह सेवायें हैं जनहित में, कोई उद्योग नहीं है। मुनाफे की भावना सामने न रखकर सेवा की भावना रखें। और यह काम तब तक नहीं चलेगा जब तक कर्मचारियों को आप सुविधा नहीं देंगे। आपके विभाग में लाखों लोग ऐडहाक बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनको स्थाई नहीं किया है। उनको कोई सुविधा नहीं हैं। डाकिया भीगता हुआ जायेगा, अच्छी साइकिल उसको आप नहीं देते, उसके पास बरसाती नहीं होगी। टेलीग्राम देने जायेगा रात में तो उसके पास टार्च नहीं होगी चाहे भले ही उसे सांप काट ले। चोर-उचक्कों का भी डर रहता है। और सबसे दयनीय हालत शेड्यूल्ड-

कास्ट्स और ट्राइब्स लोगों की है जो हर माने में सताये जाते हैं। मैंने पिछले साल आपको पत्र लिखे, बेचारे शेड्यूल्ड कास्ट के कर्मचारी बरेली ऐक्सचेंज में पीटे गये, मारे गये, केस भी रजिस्टर हुआ और जो मुलजिम थे उनको सजा न मिलकर सजा मिली उन बेचारे गरीब लोगों को। उनका फौरन ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि तुम पिट क्यों लिये ? वह बेचारे पिटे भी और मुकदमा करें तो ऐक्सचेंज में लोग पिस्तौल लेकर घुस आए और बेचारे सताये भी जाएं। बैंड एन्ट्री का एक अच्छा तरीका हो गया, प्रमोशन का एक मामला आपके दिमाग में आता है तो पता नहीं कौन-सा तरीका है बैंड एन्ट्री करने का कि वीकर सैक्शन का एम्प्लाई नुकसान उठाता है। प्रमोशन के मामले में जितनी धांधली आपके अधिकारी वर्ग के लोग कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ, वह किसी दूसरे विभाग में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। आप खास तौर से इन चीजों का सेंसर कीजिए, देखिए, इनकी स्क्रीनिंक होनी चाहिए।

मैं अपने क्षेत्र की बात क्या कहूं, कई ऐसे कस्बे आंवला में हैं जिनका टेलीफोन और टेलीग्राम से कोई वास्ता नहीं है। अगर कोई टेलीफोन वहां है भी, तो वह आउट आफ आर्डर रहता है।

टेलीफोन कनेक्शन्ज की जितनी एप्लीकेशन्ज पूरे देश में चल रही हैं, उसमें कनेक्शन दिलवाने में भी कितनी धांधली है ! जिनको आवश्यकता है, उनको नहीं मिल पा रहा है। आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए, देश को आगे ले जाना है, सारे काम बढ़ रहे हैं, धन्धे बढ़ रहे हैं, लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, टेलीफोन उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को नये कनेक्शन्ज मिल सकें, इसके लिए आपको विशेष रूप से सक्रिय होकर काम करना चाहिये।

मैं लम्बी चर्चा करना नहीं चाहता, यही कहना चाहता हूं कि आप अपने एम्प्लाईज का ध्यान रखिये, काम करने वाले स्टाफ को बढ़ाइये, जो टेम्पोरेरी हैं, एडहाक हैं, कच्चे एम्प्लायी आपने रखे हैं, उन सारे लोगों को परमानेन्ट कीजिए और अपने डिपार्टमेंट को सुधारिये, वरना आपको करोड़ों का बजट, बढ़ती हुई कमियां एक दिन आपको ले डूबेंगी और आपका विभाग संचार विभाग नहीं बल्कि तोड़ने वाला विभाग बन जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव। आप पहले ही कह चुके हैं कि आप केवल पांच मिनट चाहते हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : केवल पांच मिनट, एक सेकेण्ड भी अधिक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन प्रणाली की बड़ी आलोचना सुनने को मिली है और प्राक्कलन समिति के एक सदस्य के बतौर मेरा अनुभव रहा है, मैंने सभी बड़े शहरों का दौरा किया है और यह देखा गया है कि इस देश की टेलीफोन प्रणाली बहुत ही कार्य-कुशल है और इसके प्रमाण में मैं यह कहूंगा कि सभी बड़े शहरों में कुछ प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा एक सामानान्तर एक्सचेंज चलाया जा रहा है, यह कुशल सेवा आपको वहां मिल सकती है। आप यदि इन टेलीफोन एक्सचेंजों के कर्मचारियों को गैर सरकारी तौर पर कुछ भुगतान करें तो आप जो भी नम्बर चाहें मिल सकता है। यह वक्तव्य प्राक्कलन समिति के समक्ष आया था और यह वक्तव्य मर्चेन्ट्स चैम्बर्स के संगठन द्वारा दिया गया था। यदि कार्य कुशलता न होती तो यह वाणिज्यिक फर्में इस प्रणाली को

चलाने वाले कर्मचारियों को किस्त का भुगतान क्यों करतीं जो टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने के बाद प्रत्येक दिन उनका समाहर्ता जाता है और रुपया एकत्र करके लाता है ? गौहाटी का भी यही मामला है, बम्बई का भी यही मामला है, कलकत्ता का भी यही मामला है और दिल्ली का भी यही मामला है । इसलिए, इन लोगों को पकड़ने के लिए मंत्रालय को अवश्य ही कोई उपाय करना चाहिए क्योंकि चलाए जा रहे इन समानान्तर और नकली एक्सचेंजों से राजस्व की हानि हो रही है और मंत्रालय पर भी आरोप लगाया जा रहा है । यह मेरा दृढ़ विश्वास है । माननीय मंत्री इस मामले की ओर ध्यान दें तथा कर्तव्यपरायण और ईमानदार कर्मचारियों के द्वारा आकस्मिक जांच करवाकर इस बात का पता लगवायें कि विभाग के कार्य निष्पादन को किस प्रकार सुधारा जा सकता है ।

दूसरी ओर, गोहाटी जैसे मुफ्फसिल नगरों में और भी जोखिम और कमियां हैं और टेलीफोन तथा तारों की अनेकों परेशानियां हैं । एक तो गैंगों द्वारा टेलीफोन लाइनों की चोरी जिनके पीछे व्यापारियों और राजनैतिक नेताओं का हाथ है जो उनकी मदद करते हैं । आप उन्हें पकड़ें और उनको दण्ड दें । नियमों के अधीन उन्हें जो सजा मिलती है वह कुछ भी नहीं है और कुछ लोगों को छः या सात बार दंड दिया गया है किन्तु रुपये के लिए वे फिर भी कर रहे हैं । जो टेलीफोन लाइनों तथा अन्य उपकरणों की चोरी करते हैं, ऐसे अपराधियों के लिए नियम होने चाहिये और उन्हें इस प्रकार का दण्ड दिया जाये कि वे दूसरी बार ऐसा अपराध करने का साहस न कर सकें । यदि इन दो विशेष पहलुओं पर ध्यान दिया जाये तो श्री पासवान तथा अन्य लोग श्री पासवान, बैठ जायें, बेहतर सेवा प्राप्त कर सकेंगे । देश में जो हो रहा है, उसके बारे में मेरा यही अनुभव है । कुछ जन नेताओं और कर्मचारी संघ नेताओं के सहयोग से स्वयं विभाग में यह गिरोहबाजी चल रही है । मंत्रालय में जो कर्मचारी गल्तियां कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए । जन नेता के रूप में हमें भी इसका ध्यान रखना चाहिये और यदि आप विभाग को सुधार लेंगे, तो हमें बेहतर सेवा प्राप्त हो सकेगी ।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में मैं केवल एक बात कहूंगा । अपने माननीय मंत्री श्री स्टीफन ने एक स्वचलन एक्सचेंज की स्वीकृति दे दी थी । विभाग का कहना था कि भूमि उपलब्ध नहीं है । किन्तु उपमंडल कार्यालय, टेलीफोन के एक अधिकारी के पास अनेकों वर्षों से लगभग 8 बीघा भूमि में एक बंगला है । मेरी समझ में नहीं आता कि इस समय एक अधिकारी के पास इतने बड़े क्षेत्र में एक बंगला होना चाहिए । इसलिए, स्वचलन टेलीफोन एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए उस बंगले के एक भाग का उपयोग किया जा सकता है । मुझे विश्वास है, इस क्षमता के साथ—मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह विभाग कुशल नहीं—यह इस समस्या का समाधान कर सकता है ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, हमारी मुख्य समस्या दूरवर्ती ग्रामों के साथ संचार बनाये रखने की है । दूरस्थ पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन लगाकर डाक-तार विभाग ने वहां बड़ी अच्छी सेवा प्रदान की है । उन क्षेत्रों को सार्वजनिक टेलीफोन घरों से जोड़ दिया जाये ताकि दूरस्थ स्थानों के साथ भी संचार सेवा बनी रहे । कृपया इस प्रस्ताव पर विचार कीजिए और इस पर अपेक्षित ध्यान दीजिए ।

हमारा अनुभव है कि यदि इन दूरवर्ती क्षेत्रों में टेलीफोन उपलब्ध करा दिये जायें तो विपदाओं अथवा किसी ऐसी ही आपदाओं के समय हमें बेहतर सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं।

प्राक्कलन समिति के समक्ष एक कर्मचारी संगठन ने एक सुन्दर कहानी सुनाई। वह इस प्रकार है :

पार्सल तथा अन्य कार्यालयों में कार्य करने के लिए कर्मचारियों को दी गई जगह बहुत छोटी है। यद्यपि जापान और अमरीका के बीच बहुत लम्बी भौगोलिक दूरी है, किन्तु अमरीका और जापान को भेजे जाने वाले पार्सलों को छांटने के लिए स्थान इतना कम है कि यदि वह ढंग से कार्य न करे और जापान जाने वाले किसी पार्सल को भूल से फेंक दें तो वह केवल पांच गज चलकर अमरीका पहुंच जाता है। इसलिए कर्मचारियों को काम करने के लिए समुचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

अपने निर्वाचन क्षेत्र को एस० टी० डी० द्वारा कलकत्ता, गौहाटी और दिल्ली से जोड़े जाने की समस्या की ओर ध्यान देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं क्योंकि मिजोरम में एस० टी० डी० सेवा पहले से उपलब्ध है। यदि मैं श्री स्टीफन से बात करना चाहूं तो मैं मिजोरम के जरिए एक मिनट में बात कर सकता हूं किन्तु टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों की कृपा से। गैर सरकारी तौर पर टेलीफोन कर्मचारियों को किस्तें प्रदान कर लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और इस प्रकार विभाग को राजस्व की हानि हो रही है। सरकारी तौर पर यदि यह सुविधा प्रदान की जाये तो विभाग की आय बढ़ेगी और श्री डांगे की आलोचना से छुटकारा पाया जा सकता है और हमें बेहतर सेवा प्राप्त हो सकेगी।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खंडवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने इस विभाग की सेवाओं के बारे में अपने दर्द को व्यक्त किया है। हमारे माननीय मंत्री श्री स्टीफन साहब, श्री मकवाना और श्री विजय पाटिल बहुत लायक हैं, परन्तु पता नहीं कि वे अपने शस्त्रों को तेज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें काम में ला रहे हैं? उनकी योग्यता को देखकर मुझे एक शेर याद आता है :

दर्द करवट बदलने वाला है, शोला शबनम में ढलने वाला है,
न सही आज जफर, कल जमाना बदलने वाला है।

मैं बधाई देना चाहता हूं उन वैज्ञानिकों को, जिन्होंने इन सैट को आकाशा में भेजा है, जिसके लाभ हमें मिलने वाले हैं। उनके कारण हमें 8,000 टेलीफोन लाइनें मिलेंगी और ट्रंक-काल की हमारी समस्याओं का बड़ी सीमा तक समाधान निकल आयेगा।

मेरे क्षेत्र में जो काम किये गये हैं, उनके लिए मैं संचार मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वहां पर आर० एम० एस० का आफिस खोलने की बहुत दिनों से मांग थी, उसकी पूर्ति की गई है। मेरे क्षेत्र के लोगों में उससे बहुत प्रसन्नता है। इन 30 वर्षों में हमारे देश में जो 30 लाख टेलीफोन लगे हैं, इनमें से 80 प्रतिशत टेलीफोन केवल नगरीय क्षेत्रों में लगे हैं और 10 प्रतिशत सबर्बन एरिया में लगे हैं। और ग्रामीण अंचलों में केवल 10 प्रतिशत टेलीफोन लगे हैं। ये जो आंकड़े हैं ये हमारी प्रगति को नहीं दिखाते हैं। हमारा देश गांवों का देश है और बहुत-सी टेलीफोन सेवाएं गांवों में

होनी चाहिए थीं, परन्तु वह सेवाएं ग्रामीण अंचलों को नहीं मिल पा रही हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्रामीण अंचलों से टेलीफोन सेवाओं की जो मांग है उसकी पूर्ति शीघ्र से शीघ्र अत्यंत आवश्यक है। आज जो हमारे टेलीफोन के सेम रेट पर 5 किलोमीटर के एरिया में नए कनेक्शन दिए जाते हैं, मैं यह मांग करना चाहता हूं कि उसको बढ़ाकर कम से कम 7 किलोमीटर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत-से गांव होते हैं, जिनकी दूरी कुछ ज्यादा होती है, परन्तु केवल कानूनों और प्रावधानों के कारण वहां के लोगों को शहरों के समीप होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं मिल पाता है। वह सेवाएं उनको मिलनी चाहिए।

जो स्पेशल केटेगरी आपने बनाई है उससे भी हमें संतोष नहीं है। एक लायंस क्लब का मेंबर हो या रोटरी क्लब का मेंबर हो वह स्पेशल केटेगरी में आ जाता है, कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री लगा ले वह स्पेशल केटेगरी में आ जाता है, लेकिन कोआपरेटिव सुगर फैक्ट्री अगर आपसे टेलीफोन मांगे, वह स्पेशल केटेगरी का मेंबर नहीं माना जाता है। जिस कोआपरेटिव में उस जिले के चार-पांच हजार लोग शामिल हों, किसान जिसमें मालिक हो, वो चाहें कि उनकी फैक्ट्री में टेलीफोन लग जाए तो वह आपकी स्पेशल केटेगरी में नहीं आता। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी जो स्पेशल केटेगरी की लिस्ट है, उसका पुनरीक्षण करके जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनको वह सुविधा देनी चाहिए। मुझे खुशी है कि आपने हमारी शुगर फैक्ट्री के लिए टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किया है, लेकिन विभागीय लोग बार-बार कहते हैं कि सामान के अभाव में हम टेलीफोन नहीं लगा सकते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि शीघ्र वहां टेलीफोन लगवाएं ताकि उस जिले के लोग जो एक टेलीफोन से लाभान्वित हो सकते हैं, वह सारा फायदा उनको मिले।

जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में मूवेबल एंजिन जेनरेटर लगाए हैं, उसी प्रकार ग्रामीण अंचलों के एक्सचेंजों में भी लगाए जाने चाहिएं, जबकि बैटरी या पावर फेल्योर होता है तो हमारे ग्रामीण अंचलों के टेलीफोन बार-बार बन्द हो जाते हैं, इसलिए ग्रामीण अंचलों से बहुत जगह शिकायत होती है। तो जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में बैटरी चार्ज करने के लिए मूवेबल एंजिन जेनरेटर लगाए हैं, वैसी ही सुविधा सारे देश के ग्रामीण अंचलों में होनी चाहिए।

आज जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी आरोप लगाया है कि बहुत-से फ्री काल पास होते हैं और करोड़ों रुपए का भार व्यर्थ में शासन पर पड़ता है, यह बात सही है। ब्रिटिश शासन में पोस्ट आफिस में यदि कोई 5 रुपए का भी गबन करता था तो उसको सर्विस से निकाल दिया जाता था। (व्यवधान)

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अभी तो मैंने शुरू किया है, आपने मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तीन मिनट से अधिक टेलीफोन का उपयोग नहीं कर सकते। कोई और भी कॉल की प्रतीक्षा में होगा।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मेरा यह कहना है कि उसी प्रकार से इसके लिए भी उन लोगों को दण्डित किया जाना बहुत आवश्यक है।

बुरहानपुर में खण्डवा जिले में एक डिवीजनल इंजीनियर टेलीफोन की नियुक्ति की गई थी। अखबारों में भी नाम सहित छपा था कि श्री भटनागर की नियुक्ति वहां पर की गई है,

लेकिन न जाने कौन-से कारण आ गए जो हमारी 6-7 साल से मांग चली आ रही थी और आपने नियुक्ति भी कर दी थी, लेकिन आपने फिर से उसका हैड आफिस उठाकर इटारसी में कर दिया। हमारी जो बहुत जायज मांग थी, उस पर आपने जो निर्णय लिया था, उस पर कायम रहें, यह मैं निवेदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप उस पर पूरी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

200 नए कनेक्शंस के लिए बुरहानपुर एक्सचेंज में मांग है। परन्तु बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहे हैं। वे सुविधाएं वहां उपलब्ध कराएं, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ एक बात यह भी है कि बुरहानपुर का बोर्ड बहुत पुराना हो गया है। वहां पर जरा-सी धूल उड़ती है तो सारे टेलीफोन खराब हो जाते हैं। तो नया बोर्ड बुरहानपुर एक्सचेंज में लगाएं। इसके साथ-साथ खण्डवा में जैसा कि आपके विभागीय अधिकारियों ने छपवाया था कि भुसावल से इटारसी अंडरग्राउंड कोएक्सल लाइन जा रही है, उसको अगर खण्डवा से जोड़ दिया जाए तो खण्डवा का हमारे देश के 15 बड़े नगरों से सम्बन्ध हो जाएगा। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि कोएक्सल स्टेशन बुरहानपुर में भी आप बना दीजिए, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध हो जाएंगी। उसके साथ मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बागली को भी वह सेवाएं शीघ्र उपलब्ध कराएं। मेरा दिल्ली का टेलीफोन नम्बर है 3755941, मुझे चुनकर इस सदन में आए हुए लगभग साढ़े सात सौ दिन हुए हैं और कम से कम चार सौ बार मैंने कंप्लेन्ट लिखाई है कि मेरा टेलीफोन खराब है। मेरा निवेदन है कि मेरा टेलीफोन सही करवाया जाए, ताकि मैं अपने क्षेत्र के साथ सम्पर्क बनाए रख सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव कुमार सिंह, आपका टेलीफोन सदा व्यस्त रहता है। जब कोई अन्य काल आती है तो हम कर ही क्या सकते हैं।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : खड़कोद और दरियापुर के लोगों ने बहुत दिनों से, लगभग डेढ़ साल से, पैसा दे रखा है, उनकी टेलीफोन लाइन आपने मंजूर भी कर दी है, लेकिन सामान के अभाव में टेलीफोन कनेक्शन्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिचकुआ और मैसून में पी० सी० ओ० खोला जाए। वहां के लोगों ने इसकी मांग की है। इसी प्रकार अग्रवाल समाज की ओर से अग्रसेन महाराज, शिवाजी, राणाप्रताप के टिकटों की मांग मेरे क्षेत्र के लोग करते हैं। इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरा इसके साथ-साथ आपसे यह भी निवेदन है कि बुरहानपुर के टेलीफोन आपरेटर, श्री इंगले, और खण्डवा के टेलीफोन आपरेटर श्री कुलकरणी, जिन्होंने बुरहानपुर में पड़ी डकैती में बहुत प्रशंसनीय कार्य किया था, उनकी आपकी ओर से एप्रीसिएशन लेटर भेजे जायें।

मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि भिण्ड-दतिया को मिलाकर एक पोस्ट आफिस डिवीजन होना चाहिए। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि भिण्ड, दिल्ली, आगरा, कानपुर डायरैक्ट लाइन होनी चाहिए। भिण्ड से दतिया वाया लहार दबो सीधे लाइन है, लेकिन बात ठीक तरह से नहीं होती है। ग्वालियर होकर होती है। इसलिए वहां पर बात ठीक से हो सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन या चार सदस्य हैं जिन्हें बोलना है। यदि प्रत्येक केवल पांच मिनट लें तो मैं उन्हें बोलने की अनुमति दूंगा। अब श्री व्यास बोल सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और जो कठिनाइयां हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लम्बी-चौड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय कम है।

सबसे पहली कठिनाई यह है कि भीलवाड़ा में टेलीफोन एक्सचेंज की कोई अपनी बिल्डिंग नहीं है। आपने पैसे की स्वीकृत दे दी है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। दो-तीन साल से जब से मैं इस पार्लियामेंट का मैम्बर बना हूं, मैं लगातार कहता आ रहा हूं। दो साल से आपने पैसा भी मंजूर कर दिया है, कलैक्टर ने जमीन भी दे दी है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। आप कृपा करके बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था कीजिए। सौ लाइन के टेलीफोन एक्सचेंज के लिए आपने जो बिल्डिंग किराए पर ली थी, अब वहां पर 2000 लाइनें हो गई हैं। फिर भी वही बिल्डिंग चल रही है, इसलिए लोग कहते हैं कि टेलीफोन की व्यवस्था खराब है। आप नई बिल्डिंग बना दीजिए तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसमें आपका भी नाम होगा और हमारी सरकार की भी वाह-वाही होगी।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि टेलेक्स सिस्टम आपने वहां पर स्वीकृत किया है। लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस दे दी गई कि क्योंकि दस आदमियों ने नहीं लिया, इसलिए हम इसको हटाते हैं। वहां पर लोग लेने के लिए तैयार हैं, इसलिए आपने जो नोटिस दी है; उसको विद-ड्रा कीजिए।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं। इसकी दो तहसीलें ऐसी हैं, असीन्द और जहाजपुर जो डायरैक्ट नहीं मिली हुई हैं। आदमी बस में बैठकर भीलवाड़ा होकर लौट जाए, तब तक भी टेलीफोन नहीं मिलता है। इसमें दस-पद्रह किलोमीटर से ज्यादा लाइन नहीं मिलानी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि असीन्द और जहाजपुर को भीलवाड़ा से मिला दिया जाए तो मेरी कान्स्टीट्यूयेंसी की आधी आबादी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

पी० सी० ओ० को खोलने के लिए मैं बराबर दो साल से कह रहा हूं। एक शम्भूगढ़ का पी० सी० ओ० आपने दो साल में खोला है, बाकी कोई नहीं खोला है। वहां पर ऐसे बड़े-बड़े गांव हैं, जिनकी पांच-पांच, सात-सात हजार की आबादी है। जैसे अन्टाली, जंगपुरा, सरेणी, निम्बाहेडा, आसीन्द तहसील, कारोई, बरुदणी, स्टेशन सरेणी और बोराणा—वहां पर पी० सी ओ० खोलने के लिए वर्षों से पैरवी की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि पी० सी० ओ० नहीं खोले जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी पी० सी० ओ० खुलवा दिए जाएं।

फूलिया गांव में सात हजार से ज्यादा की आबादी है, इसलिए इसको सब पोस्ट आफिस बनाया जाए। वहां पर जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिस है, उसमें जो आदमी काम करता है, उसको 75 रु० तनख्वाह मिलती थी। वह अपने 75 रु० कायम रखने के लिए वहां की आमदनी पूरी नहीं बताता है और बराबर आपके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि आमदनी नहीं है, इस वजह से उसको सब पोस्ट आफिस नहीं बनाया जा सकता है। वह इतना बड़ा कस्बा है और उसके आस-पास सौ पोस्ट आफिस होंगे, यदि इसको बना दिया जाएगा तो निश्चित तरीके से आपके विभाग

की आमदनी बढ़ेगी। इसलिए इस व्यवस्था को किया जाना चाहिए। फुलिया को सब पोस्ट आफिस बनाया जाना चाहिए।

बिल्डिंग बनाने के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बनेडा, गुलाबपुरा और मॉडल में पोस्ट आफिस की बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए। पंचायत व म्यूनिसिपेलिटी बोर्ड ने आपको जमीन दे दी है और इस सम्बन्ध में मैं बराबर दो साल से आपसे कहता आ रहा हूं, लेकिन आपका डिपार्टमेंट कहता है कि यह काम नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था को भी आपको जल्दी से जल्दी ठीक करा देना चाहिए।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि एक्सट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिस में जो लोग काम करते हैं, उनके बारे में कहना चाहता हूं। उनको आप 75 रु० देते हैं, अब शायद उसको 150 रु० कर दिया है। क्या 150 रु० मिनिमम वेज के अन्तर्गत आता है ? जब आप आठ रुपया, दस रुपया या 12 रु० मिनिमम वेज देते हैं, किसी भी माइनिंग में आप देख लीजिए, अन्य डिपार्टमेंट में देख लीजिए, वहां दस रुपए मिनिमम वेज हो गई है। जब कि आप एक्सट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट आफिसेस में केवल 150 रु० देते हैं। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वे पूरा ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं। यदि उनको पूरा पैसा क्लर्क का दिया जाएगा, तो ये लोग एफिशियेंटली पोस्ट आफिस रन कर सकेंगे। इसी प्रकार नियुक्तियों में भी बड़ी धांधलेबाजी होती है। आपके जो अधिकारी लोग हैं, इंसपेक्टर लोग हैं, वे मन-माने तरीके से अपने लोगों को नियुक्त कर देते हैं। इस संबंध में चुने हुए प्रतिनिधियों, एम० पी० या एम० एल० एज से भी कोई राय नहीं ली जाती है। इसलिए इसमें निश्चित तरीके से वहां के जनप्रतिनिधियों की या वहां के पंचायत के लोगों की राय ली जानी चाहिए।

टेलीफोन की व्यवस्था भी निश्चित तरीके से काफी आगे बढ़ी है, मगर उसमें भी काफी सुधार की आवश्यकता है। मैं आपकी कोई बुराई नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अपनी सरकार की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो खराबियां हैं, उनको निश्चित तरीके से दूर कीजिए। डागा जी ने ठीक कहा कि 10-10 और 15-15 साल से एक आदमी एक जगह पर जमा हुआ है, क्योंकि उसका वहां पर वैस्टेड इन्टरेस्ट है। हमारे मोहन देव जी ने भी सही बात कही कि वैस्टेड इन्टरेस्ट के कारण आपके विभाग में काम करने वाले बड़े-बड़े लोगों से मिले होते हैं, जिसकी वजह से लाखों रुपयों की आमदनी गायब हो रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को दो-दो, तीन-तीन साल से ज्यादा मत रोकिए। उनको बदलते रहना चाहिए, ताकि आपके डिपार्टमेंट को फायदा हो।

एक बात मैं उन पोस्ट आफिसेज के बारे में कहना चाहता हूं, जहां पर सेविंग बैंक है और जनता का पैसा जमा होता है। अभी पिछले दिनों दो-तीन बैंकों में डाका पड़ चुका है, लेकिन फिर भी वहां पर कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं है। वहां पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस पोस्ट आफिस में 10-10 और 15-15 लाख रु० का लेन-देन होता हो, वहां पर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी का इन्तजाम न हो, तो उससे नुकसान होता है। इस ओर भी आपको निश्चित तरीके से ध्यान देना चाहिए।

इनलैण्ड लैटर के बारे में यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो पैसा आपने बढ़ाया है, उससे गरीबों को तकलीफ होती है। लिफाफे के लिए मैं खास नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन इनलैंड लैटर के बारे में यदि आप पैसा कम नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आइन्दा के लिए ख्याल रखें कि इसमें कोई पैसा न बढ़ाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहता हूं। टेलीफोन के बारे में बहुत-से माननीय सदस्यों ने कहा है। टेलीफोन सब जगह गड़बड़ है। चाहे दिल्ली, पटना हो, कलकत्ता हो, या अन्य बड़े-बड़े शहर हों। इन सब जगहों पर टेलीफोन की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर अफसरों से कहते हैं कि यह ठीक नहीं हैं तो वे कहते हैं कि आप यूनियन के जो लीडर है, उनसे कहिये कि वर्कर्स ठीक से काम नहीं करते हैं और वर्कर्स के नेताओं से जब बात कीजिए तो वे कहते हैं कि हमारे पास एक्सचेंज ठीक नहीं है, टूल्स ठीक नहीं हैं और तरह-तरह की बातें बताकर वे अपनी जिम्मेवारी टाल देते हैं और जनता हम लोगों को पकड़ती हैं कि हमने तुमको एम० पी० चुनकर भेजा है और पटना का टेलीफोन विभाग ठीक से काम नहीं करता है। मैं इस सम्बन्ध में आपको एक सुझाव देना चाहूंगा और अगर आप ठीक समझें, तो उसको मानिये। मेरा कहना यह है कि कभी-कभी इस बात की व्यवस्था कीजिए कि तीनों फेडरेशन्स के जो नेता हैं और जो भी सम्बन्धित अधिकारी हैं और मेरे जैसे सांसद, जो उस इलाके के संसद सदस्य हों, समय-समय पर इनकी ज्वाइन्ट मीटिंग बुलाइये और उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। अधिकारी क्या कहते हैं और एंप्लाईज क्या कहते हैं, सब बातें सामने आ जायेंगी, तो बहुत-सी बातें साफ हो सकती हैं और मेरा विश्वास है कि इससे कुछ सुधार होगा और आपकी टेलीफोन व्यवस्था कुछ ठीक होगी। मेरे इस सुझाव पर आप गम्भीरता से विचार कीजिये और जहां आप बहुत-से एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, वहां यह भी एक एक्सपेरीमेंट करके देखिये कि स्थिति में इससे कुछ सुधार आता है या नहीं।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टेलीफोन सलाहकार समितियां बहुत-सी जगहों पर अभी तक नहीं बन पाई हैं। दो साल बीत जाने के बाद भी अभी तक पटना में यह नहीं बनी है। मैं जानता हूं कि इसमें कुछ काम होता है। कमेटी की बैठक होती है, तो उसमें एम० एल० ए० आते हैं, एम० पीज आते हैं, जर्नलिस्ट्स होते हैं और सब तरफ के रेप्रेजैन्टेटिव्ज होते हैं। उसमें बातचीत करने से भी कुछ सुधार होगा। दो-दो साल आप इसमें लगा देंगे, तो क्या सुधार होगा।

आखिरी बात आपके मंत्रालय की, आपके विभाग की एफीशियेन्सी की है। इसमें बड़ी गड़बड़ है। मैं एक उदाहरण आपके विभाग की दक्षता का दे दूं। इसकी कार्य प्रणाली में कितनी गड़बड़ है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जनवरी में नये दिन के अवसर पर पार्लियामैंट हाऊस के दफ्तर से बधाई-कार्ड जो छपते हैं, एक बधाई कार्ड मैंने अपनी बच्ची के नाम, अपनी लड़की के नाम से भेजा। वह 15 दिन के बाद यहां से पटना पहुंचा। एक दूसरा उदाहरण और है। मेरी बच्ची का जन्मदिन 21 फरवरी को था। 20 फरवरी को मैंने बोकारो से, जो कि एक बहुत मशहूर

जगह है, फोनोग्राम के जरिये से एक तार भेजा, ग्रीटिंग कार्ड अपनी बेटी के नाम भेजा और पता नहीं कि वह तार अब तक कहां टहल रहा है। आज तक वह बोकारो से पटना नहीं पहुंचा। बहुत-से कर्मचारी ऐसे हैं, किसी की औरत मर गई और किसी का पिता मर गया और वे बहुत तकलीफ में हैं, वे आपके एम्पलाईज हैं और उनका आप ट्रान्सफर कर देते हैं लेकिन वे कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बगैर कैसे रहेंगे। ऐसे केसेज को जब हम लोग आपको रेफर करते हैं, तो आप बोलते हैं कि हमदर्दी के साथ विचार हो रहा है लेकिन उस पर कोई विचार नहीं होता। उस तरफ भी आप को ध्यान देना चाहिए। ह्यूमेनीटेरियन ग्राउन्डस पर और अनुकंपा, कम्पेसनेट ग्राउन्डस पर आप के यहां उसको रोका जा सकता है लेकिन वे सब बातें आपकी किताब में ही रह गई हैं और उनका इस्तेमाल ऐसे केसों में नहीं किया जाता है। इन बातों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

मेरा विश्वास है कि मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। यूनियन के नेताओं से जब मैंने इस बात को कहा तो वे कहते हैं कि हम तैयार हैं लेकिन आपके अधिकारी तैयार नहीं हैं क्योंकि वे आपका क्लियरेंस चाहते हैं। प्राइवेट में वे कहते हैं कि आप की बात बहुत सही है लेकिन हमको ऊपर से क्लियरेंस मिलना चाहिए। इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर ज्वाइन्ट मीटिंग की बात आप मान लें और इस पर एक एक्सपैरीमेंट कर लें तो टेलीफोन की व्यवस्था में सुधार आएगा और मौजूदा स्थिति सुधरेगी।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो टेलीफोन और संचार विभाग है, यह काफी महत्वपूर्ण विभाग है और इससे लोग काफी उम्मीदें रखते हैं।

वर्तमान स्थिति में जो आपका दूरभाष और संचार विभाग है, इनकी सेवाओं में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। इस सारी प्रणाली में जो माडर्नाइजेशन चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा उज्जैन का जो टेलीफोन एक्सचेंज है, उसकी क्षमता पूरी हो चुकी है और उसके फरदर एक्सपेंशन के लिए मैं विभाग की स्वीकृति की मांग करता हूं क्योंकि टेलीफोन की जो प्रतीक्षा सूची है, उसमें काफी लोगों के नाम हैं। उन लोगों को लाभान्वित करने की दृष्टि से आपको टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करना होगा।

इसलिए उसके फरदर एक्सपेंशन और सुधार करने की योजना विभाग द्वारा स्वीकृत की जानी चाहिए।

उज्जैन एस० टी० डी द्वारा देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है लेकिन देश के प्रमुख शहर उज्जैन से नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए देश के प्रमुख शहर भी उज्जैन से जोड़े जाएं। उज्जैन देश का एक प्रमुख शहर है। इससे उज्जैन के साथ भी देश के प्रमुख शहरों का सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा।

रतलाम और नीमच के बड़े टेलीफोन एक्सचेंज हैं लेकिन वे मेनुअल एक्सजेंज हैं। उनको आटोमैटिक एक्सचेंजों में बदलने की स्वीकृति दी जानी चाहिए। बताया गया है कि उसके लिए जो पुर्जे और यंत्र चाहिएं वे उपलब्ध नहीं हैं। उनको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा कर इन एक्सचेंजों

को स्वचालित और आधुनिक बनाया जाए। इससे इन नगरों में टेलीफोन की व्यवस्था में सुधार हो सकेगा।

नागदा टेलीफोन एक्सचेंज भी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा है। शायद उसमें कर्मचारियों की कमी है। इन कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाए ताकि नागदा एक्सचेंज ठीक तरीके से काम कर सके।

खाचरौद, आलोट, महिदपुर में भी टेलीफोन व्यवस्था ठीक नहीं है। उनके एक्सकचेंजों को भी आधुनिक रुप में परिवर्तित किया जाए ताकि वहां दूरभाष की व्यवस्था ठीक हो सके। बड़ नगर तथा तराना की दूरभाष सेवाओं में सुधार किया जाये। आंकर और शाजापुर में एक दूसरे से बात करने के लिए इन्दौर के वाया बात करनी पड़ती है। शाजापुर जिला केन्द्र है। इसलिए इन दोनों का आपस में सम्बन्ध जोड़ा जाना चाहिए।

जावटा एस० डी० ओ० हेडक्वार्टर है उससे आलोट को मिला दिया जाना चाहिए। आप टाल आलोट को भो इससे मिलाने के लिए व्यवस्था करें।

इसी तरह से महिदपुर और उज्जैन को भी सीधे जोड़ने की व्यवस्था करें। बड़नगर तहसील के भाट पचलाना में पी० सी० ओ० खोला जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उज्जैन में सिंहस्थ पर्व के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी करने का निर्णय लिया जाए। इसके लिए वहां की बहुत सारी संस्थाओं ने आग्रह किया है और मध्यप्रदेश सरकार ने भी अनुशंसा की है। यह एक सांस्कृतिक महापर्व है जहां पर लाखों लोगों का एकत्र होना देश की एकात्मकता को साकार स्वरूप का साक्षात्कार होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सिंहस्थ पर्व के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाए।

इसी प्रकार से देश की आजादी के लिए शहीद हुए अमर शहीदों—श्री भगत सिंह, श्री चन्द्रशेखर आजाद, श्री रामप्रसाद बिस्मिल की याद में भी विशेष डाक टिकट जारी किया जाना चाहिए। इन नामों से हमारे देश के युवाओं को उत्सर्ग की स्फूर्ति मिलती है और उनमें चेतना आती है। उनकी स्मृति को बरकरार रखने के लिए उनके नामों से विशेष डाक टिकट आप जारी करेंगे ऐसी मुझे आशा है।

जो देश के दूरदराज के गांव हैं उनमें डाक व्यवस्था का कोई उपयुक्त माध्यम नहीं है, वहां डाक व्यवस्था ठीक करने के लिए चलित डाकघरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये चलित डाक घर हमारे दूरदराज के गांवों में डाक सेवाएं पहुंचा सकें इससे वहाँ के लोगों को फायदा होगा।

यह जो डाक विभाग है यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। किन्तु इसकी सेवाएं जितनी अच्छी होनी चाहिएं उतनी अच्छी नहीं हैं। यह विभाग अधिक अच्छी डाक सेवाएं दे सके और आप अधिक डाकघरों की स्थापना कर सकें उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए।

आपका जो तार का महकमा है, उसके बारे में ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल काम नहीं

कर रहा है । आप इस विभाग की सेवा में अधिक से अधिक सुधार करें जिससे कि तार जल्दी से जल्दी लोगों को मिल सकें और कोई लापरवाही नहीं कर सके ।

इतना कहते हुए मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने डाक की दरें बढ़ायी हैं उनको वापस लिया जाए ।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कल उत्तर देंगे ।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना सं० 130/82 के उ० शु० तथा 131/82-के० उ० शु०, जो 20 अप्रैल 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना चलने वाली मशीनों से संसाधित सूती कपड़े पर लागू उत्पादन शुल्क से छूट संबंधी योजना में संशोधन करने के बारे में है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 3958/82]

———

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है ।

18.04 **तत्पश्चात् लोक-सभा बुधवार दिनांक 21 अप्रैल, 1982/1 वैशाख, 1904 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।**

मित्तल प्रिण्टर्स, K-13 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032